# लोक-सभा वाद-विवाद

# का

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION

# OF

# 5th

# LOK SABHA DEBATES

[ आठवां सत्र / Eighth Session ]

[ खंड 30 में अंक 11 से 20 तक है
Vol. XXX contains Nos. 11 to 20 ]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

*Price :* Two Rupees

# विषय-सूची/Contents

अंक 19, सोमवार, 20 अगस्त, 1973/29 श्रावण, 1895 (शक)

No. 19, Monday, August 20, 1973/Sravana 29, 1895 (Saka)


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | |
| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | | |
| 361 आगामी वर्ष में गेहूं के मूल्य में वृद्धि करने का प्रस्ताव | Proposal to increase price of wheat for coming year . . . . . | 1 |
| 363 दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा घरों पर दूध दिया जाना | Home Delivery of Milk by Delhi Milk Scheme. . . . . | 7 |
| 365 वनस्पति में चोरबाजारी | Black Marketing in Vanaspati. . | 10 |
| 366 दिल्ली की मार्कीट में आने वाले सामान्य नमक का अशुद्ध होना | Impurities in Common Salt destined for Delhi Market . . . . | 12 |
| 367 अनुसंधान के लिए रीढ़ की हड्डी के नीचे से पानी निकालना | Performing of Lumping Puncture for Research . . . . . | 14 |
| 369 राज्यवार निर्मित राष्ट्रीय राजपथ | National Highways Constructed Statewlse . . . . . | 14 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | |
| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | | |
| 362 नये राष्ट्रीय राजपथों के लिये उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों में विचार-विमर्श | Discussion Between Representatives of Uttar Pradesh, Orissa, Madhya Pradesh and Government of India for New National Highways . . | 17 |
| 364 वन्य पशुओं और उनकी खालों आदि के निर्बाध व्यापार पर रोक लगाना | Curbs on Free Trade in Wild Life and its by-products . . . . | 18 |
| 368 दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध प्राप्ति क्षेत्र (मिल्क शैड एरिया) का सीमांकन | Demarcation of (Milk Shed area) of Delhi Milk Scheme . . . | 18 |


किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

| ता० प्र० संख्या S.Q.No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 370 | नागरी प्राचारिणी के पुस्तकालय के विकास संबंधी योजना | Scheme for Development of Library of Nagari Pracharini . . . . | 19 |
| 371 | फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में खाद के मामले में गबन | Misappropriation of Fertilizer in Faizabad, U.P. . . . . | 19 |
| 372 | पिछड़े क्षेत्रों में डेरी परियोजनाओं को विशेष रियायतें देने की योजना | Scheme to provide Special Concessions to Dairy in Backward Areas . . | 20 |
| 373 | हरित क्रान्ति सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता | Need to strengthen Green Revolution . | 20 |
| 374 | घाघरा नदी में पटना से अयोध्या तक जल परिवहन के लिए सर्वेक्षण | Survey to Start Water Transport from Patna to Ayodhya in Ghagra River . | 20 |
| 375 | भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के माध्यम से वित्तपोषित अनुसंधान कार्यों की उपयोगिता का मूल्यांकन | Evaluation of Effectiveness of the Research Activities Funded through ICMR . . . . . | 21 |
| 376 | आगामी तीन वर्षों में स्थापित किये जाने वाले शिपयार्ड | Shipyard to be set up during Next Three Years . . . . . | 21 |
| 377 | अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहियों की बैठक के विरुद्ध समाचार पत्रों में आलोचना | Criticism in Press against International Mountaineers Meet . . . | 22 |
| 378 | भारत-पाकिस्तान-ब्रिटेन महाद्वीपीय सम्मेलन में लिये गये निर्णय | Decision taken at India-Pakistan-U.K. Continental Conference . . . | 22 |
| 379 | चौगूले बंधुओं के स्वामित्व वाली कोंकण यात्री सेवाओं का सरकारीकरण | Taking over of Konkam Passenger Services owned by Chowgules . . | 23 |
| 380 | कालिज तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतन ढांचे पर सेन समिति का प्रतिवेदन | Sen Committee Report on Salary Structure of College and University Teachers . . . . . | 23 |
| **अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.** | | | |
| 3572 | स्थाई प्राथमिक अध्यापकों और स्थाई पदों की संख्या में अंतर | Discrepancy in Number of Parmanent Primary Teachers and Permanent Posts . . . . . | 23 |
| 3573 | दिल्ली नगर निगम के स्थाई प्राथमिक अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड देना | Selection Grade to Permanent Primary Teachers of Municipal Corporation of Delhi . . . . . | 24 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3574 | दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1974 का उल्लंघन | Breach in Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 by Staff of Delhi Milk Scheme . . . . . | 24 |
| 3575 | दिल्ली में वनस्पति घी/तेल बनाने वाले एककों की स्थापना के लिए लाइसेंस देना | Issue of Licences for Setting up Vanaspati Ghee/Oil Manufacturing Units in Delhi . . . . | 25 |
| 3576 | आस्ट्रियाई सरकार की छात्र-वृत्तियां देने के लिए अभ्यर्थियों का चयन | Selection for Austrian Government Scholarships . . . . . | 25 |
| 3577 | महिलाओं का दर्जा संबंधी समिति द्वारा विभिन्न संस्थाओं से भेंट | Institutions Visited by Committee for Status of Women . . . . . | 28 |
| 3578 | फसल की उत्पादन लागत के आधार पर वसूली मूल्य नियत करने की मांग | Demand to fix procurement price on the basis of production cost of crop . | 29 |
| 3579 | मेरठ, उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के गोदाम में यूरिया का जमा भंडार | Accumulated Stock of Urea in Central Govt. Godown in Meerut, Uttar Pradesh . . . . . | 30 |
| 3580 | केरल को राज्य में सामूहिक कृषि फार्म की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता | Central Aid to Kerala for setting up Collective Farm in Kerala . . | 31 |
| 3581 | निकोबार द्वीप के निवासियों को बसाने के लिए लिटल अंडामान्स में जंगलों को साफ किया जाना और उनसे प्राप्त आय | Forest Cleared in Little Andamans for Settlement of Nicobar Island and Revenue derived therefrom . . . | 31 |
| 3582 | कोचीन बंदरगाह में माल चढ़ाने-उतारने की सुविधाओं का उपलब्ध न होना | Non-Availability of Cargo Facilities at Cochin Port . . . . . | 32 |
| 3583 | कृषि सेवा पर राष्ट्रीय गोष्ठी | National Seminar on Agro Services . | 32 |
| 3584 | संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात् निधि द्वारा दी गई सहायता का उपयोग | Utilization of Assistance given by UNICEF . . . . . | 33 |
| 3585 | गुजरात की वन सम्पदा को सुधारने के लिए कार्यवाही | Steps to Improve Forest Wealth of Gujarat . . . . . | 34 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3586 | भारत-ब्रिटेन महाद्वीप सम्मेलन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिये गये संचालन संबंधी लागत के आंकड़ों को स्वीकार किया जाना | Acceptance of Figures of operational Costs presented by Delegation of Indian U.K. Continental Conference | 34 |
| 3587 | मैसूर में भूमिगत जल | Under Ground Water in Mysore. | 35 |
| 3588 | सहकारी गृह निर्माण समिति के शेयर का हस्तांतरण अथवा इसमें नये सदस्यों का नामांकन | Transfer of Share/Enrolment of new Member of Cooperative House Building Society . . . . . | 35 |
| 3589 | अरालम कृषि फार्म, केरल पर हुआ व्यय | Expenditure on Aralam Farm, Kerala . | 36 |
| 3590 | ठंडा पेय पदार्थ में अन्य वस्तु पाये जाने के बारे में "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित समाचार | News Item in the Navbharat Times re. Foreign Material Found in Cold Drink . . . . . | 36 |
| 3591 | बेरोजगार डाक्टरों की ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति करने संबंधी योजना | Scheme for unemployed Doctors for Rural Areas . . . . . | 37 |
| 3592 | जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का पुनर्गठन | Reorganisation of Jawaharlal Nehru University . . . . . | 37 |
| 3593 | दिल्ली में पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के कब्जे में दिल्ली विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों की बिक्री | Sale of properties belonging to D.D.A. under Occupation of Refugees from West Pakistan in Delhi . . . | 37 |
| 3594 | कलकत्ता में प्राइमरी शिक्षा | Primary Education in Calcutta . | 38 |
| 3595 | इंडियन पोटास लिमिटेड में अधिकांश शेयर सरकारी उपक्रमों और सहकारी समितियों के होना | Holding of Majority Shares in Indian Potash Limited by Public Sector Undertakings and Co-operative Societies . . . . . | 38 |
| 3596 | राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये राजस्थान द्वारा भेजी गई योजना | Plan sent by Rajasthan for Improving Economic condition of Desert Districts in Rajasthan . . | 39 |
| 3597 | राष्ट्रीय कृषि उद्योग निगम, दिल्ली के कार्यकारी निदेशक के विरुद्ध आपराधिक मामले | Criminal case against Executive Director National Agro Industrial Corporation, Delhi . . . . | 39 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q.No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3598 | उत्तर प्रदेश के किसानों को उर्वरक और ट्रेक्टर खरीदने के लिये दिया गया ऋण | Loans Advanced to Agriculturists of U.P. for purchase of Fertilizer and Tractors . . . . . | 39 |
| 3599 | उड़ीसा वाणिज्यिक परिवहन निगम का कार्यकरण | Working of the Orissa Commercial Transport Corporation . . . | 40 |
| 3600 | कपास अनुसंधान परियोजनाओं द्वारा प्राप्त अच्छी सफलताएं | Good results achieved by Cotton Research Projects . . . | 40 |
| 3601 | 1972-73 के दौरान आंध्र प्रदेश में तम्बाकू की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में कमी | Decline in Area under Tobacco Cultivation in Andhra Pradesh during 1972-73 . . | 40 |
| 3602 | दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध कालेजों में ट्रस्ट के नामांकित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के के बारे में प्रस्ताव | Proposal regarding Representation of Trust Nominees in Affiliated Colleges of Delhi University . . | 41 |
| 3603 | खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों, उत्पादकों और थोक व्यापारियों को दंड देने के लिये कानून | Law for punishing Adulterators of Foodstuffs as Manufacturers and Whole Sale Dealers . | 41 |
| 3604 | मध्य प्रदेश में किसानों से जबरदस्ती लैवी वसूल करना | Forcible Realisation of Levy from Farmers in Madhya Pradesh. . . | 42 |
| 3605 | सुपर बाजार, कनाट प्लेस, नई दिल्ली को ऋण तथा अनुदान | Loans and Grants to Super Bazar Connaught Place, New Delhi . | 42 |
| 3606 | ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों की बेतरतीब विकास से रक्षा करने के लिये कार्यवाही | Steps to Protect Historical Monuments and Archaeological Sites from Unplanned Growth . . | 43 |
| 3607 | मद्यनिषेध लागू करने के कारण तमिलनाडु को मुआवजा | Compensation to Tamil Nadu due to introduction of prohibition . | 43 |
| 3608 | भारत शुगर मिल्स, सिधवालिया, बिहार द्वारा कर्मचारियों में चीनी वितरित न करना | Non-distribution of Sugar among Workers by Bharat Sugar Mills, Sidhwalia, Bihar . . . . . | 44 |
| 3609 | दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड के मामले में दिल्ली के उप-राज्यपाल को दिया गया ज्ञापन | Memorandum submitted to Lt. Governor, Delhi on Affairs of Delhi School Teachers Cooperative House Building Society Limited . . . . | 45 |

| अ०प्र०संख्या U.S.Q.No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3610 | आगरा में ताज के निकट "मुनलिट गार्डन" बनाना | Setting up of Moonlit Garden close to Taj at Agra . . . . . | 45 |
| 3611 | चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के निर्माण के लिये मध्य प्रदेश के लिये नियत की गई धनराशि | Amount provided to Madhya Pradesh for Construction of Roads in Fourth Five Year Plan . . . | 45 |
| 3612 | एन्ड्रयूज गंज मार्किट, नई दिल्ली के दुकानदारों के लिये बने बनाए मकान/प्लाट | Build up House/Plots for Shopkeepers of Andrews Ganj Market, New Delhi . . . . . | 46 |
| 3613 | एंड्रयूज गंज मार्किट, नई दिल्ली के लिये पक्की सड़कें | Pucca Roads for Andrews Ganj Market, New Delhi . . . . | 46 |
| 3614 | भारतीय खाद्य निगम पर व्यय | Expenditure on FCI . | 46 |
| 3615 | नार्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट आफ प्रिंटिग टैक्नोलोजी, इलाहाबाद में अप्रयुक्त आयातित मशीनें | Imported Machines lying out of use in Northern Regional Institute of Printing Technology, Allahabad . | 47 |
| 3616 | भूमि तल के नीचे जल के भंडारों का पता लगा कर सूखे से मुकाबला करने संबंधी योजना | Scheme to Combat drought by Locating Sub-surface Water Deposits . . | 47 |
| 3618 | राष्ट्रीय अकादमियों के कार्यकरण का पुनर्गठन | Reorganisation of Working of National Akademies . . . . . | 48 |
| 3619 | कृषि मूल्य आयोग के कर्तव्य | Functions of Agricultural Prices Commission . . . . . | 49 |
| 3620 | सबसे बड़े 20 नगरों में दूध की पूर्ति में प्रगति | Progress in supply of Milk to First 20 Big Cities . . . . . | 49 |
| 3621 | मैदा की कमी के कारण बम्बई में बिस्कुट फैक्टरियों का बंद होना | Closure of Biscuit Factories in Bombay due to scarcity of Maida . . | 52 |
| 3622 | फ्लैटों को खाली न करने वाले भूतपूर्व संसद् सदस्य तथा भूतपूर्व मंत्री | Ex-MPs and Ex-Ministers occupying Flats . . . . . | 52 |
| 3623 | दिल्ली में तीन पहियों वाले स्कूटरों के मीटर | Meters of three wheeled scooters in Delhi . . . . . | 53 |
| 3624 | पुरानी दिल्ली में कूड़ा घरों से स्वास्थ्य को खतरा | Rubbish Dumps causing Health Hazards in Old Delhi . . . . | 53 |
| 3625 | करहल तथा कचौराघाट के बीच परिवहन का राष्ट्रीयकरण | Nationalisation of Transport between Karhal and Kachuraghat Road . | 54 |

| अत० प्र० सं० U.S.Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3626 | 9 जून, 1973 को दिल्ली परिवहन निगम की बस दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा | Compensation to persons killed in a DTC Bus accident on 9th June, 1973 . | 54 |
| 3627 | कम कीमत पर किसानों को रूसी ट्रैक्टर दिये जाने की पेशकश | Offer of Russian Tractors to Farmers at Lower Price . . . . | 55 |
| 3628 | चीनी उद्योग जांच आयोग प्रतिवेदन | Report of Sugar Industry Enquiry Commission. . . . . | 55 |
| 3629 | महाराष्ट्र में अभाव सहायता कार्यों में लगे श्रमिकों को दी जाने वाली मंजूरी संबंधी हिदायतें | Instructions on wages given to Workers engaged for scarcity relief works in Maharashtra . . . . | 55 |
| 3630 | सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कृषकों को दिये गये ऋण को माफ करना | Remission of Loan given to Farmers of drought affected areas . . . | 56 |
| 3631 | भोपाल के निकट प्रागैतिहासिक चित्र वीथि की खोज | Discovery of Pre-Historic picture Gallery near Bhopal . . . . . | 56 |
| 3632 | उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग | Health department of Uttar Pradesh | 57 |
| 3633 | भारत सेवक समाज की जांच करने वाले आयोग का प्रतिवेदन | Report of Enquiry Commission on Bharat Sevak Samaj . . . . | 57 |
| 3634 | पटना से गाजीपुर और पटना से इलाहाबाद तक जल परिवहन योजना | Water Transport Scheme from Patna to Ghazipur and Patna to Allahabad . | 57 |
| 3635 | गंगा नदी पर बलिया और बक्सर को जोड़ने के लिये पुल का निर्माण | Construction of Bridge Across Ganga for connecting Ballia and Buxar . | 58 |
| 3636 | शिक्षा डिग्री का पात्र बनने के लिये छात्रों के लिए कृषि भूमि पर कार्य करने और सैनिक प्रशिक्षण लेने संबंधी प्रस्ताव | Proposal for students to work on Agricultural Land and undergo Military Training for being elegible for Acazdemic Degree . . . . | 58 |
| 3637 | क्षिप्रा नदी की खुदाई में सिक्कों तथा मूर्तियों का पाया जाना | Discovery of Coins and Idols during digging of Sipra River . . . | 59 |
| 3638 | वाराणसी के चकिया तहसील में लूटा गया अनाज | Foodgrains looted from Chakia Tehsil of Varanasi . . . . | 59 |
| 3639 | वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के वातानुकूलित कमरे | Air Conditioned Rooms of Senior Officers and Ministers . . . . | 59 |

| अत० प्र० सं० U.S.Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3640 | आनाज का मासिक कोटा बढ़ाने के लिए बिहार द्वारा अनुरोध | Request from Bihar to increase monthly quota of foodgrains. . . . | 60 |
| 3641 | कालेज आफ नर्सिग, दिल्ली | College of Nursing, Delhi . | 60 |
| 3642 | विश्वविद्यालयों और माध्यमिक बोर्डों के अधीन परीक्षाओं की प्रणाली को समाप्त करना | Abolition of System of Examination under Universities and Secondary Boards . | 61 |
| 3643 | मणिपुर लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया अप्राधिकृत व्यय | Unauthorised Expenditure by Manipur, PWD . . . . . | 62 |
| 3644 | देश में नर्स प्रशिक्षण स्कूलों की आवश्यकता | Requirement of Nurse Training Schools in the country . . . . | 62 |
| 3645 | छात्रावासों के प्रबन्ध के कारण बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों को असुविधा | Inconvenience caused to Students of BHU by Management of Boys Hostels . . . . . | 62 |
| 3646 | बड़े पैमाने पर नकल करने तथा अनुचित उपाय प्रयोग में लाने के विरुद्ध उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पैनल | UGC Panel to suggest Remedial Measures against Mass Copying and use of Unfair Means . . . | 63 |
| 3647 | बीज प्रविधि के अनुसंधान केन्द्र की स्थापना और तकनीकी कर्मचारियों का प्रशिक्षण | Setting up a Research Base in Seed Technology and Training of Technical Personnel . . | 63 |
| 3648 | गेहूं और चावल के वसूली और विक्रय मूल्य निर्धारित करना | Fixation of procurement and selling prices of wheat and rice . . | 64 |
| 3649 | मोटे अनाजों के लाने ले जाने से प्रतिबंध हटाया जाना | Lifting of ban on Movement of Coarse Grains . . . . . | 65 |
| 3650 | इंडियन इंस्टीच्यूट आफ एडवान्स्ड स्टडीज, शिमला के भवन पर ब्रिटिश राज्य का चिन्ह | British Empire Emblem on Building of Indian Institute of Advanced Studies, Simla . . . . . | 66 |
| 3651 | सौन्दर्यकरण शुल्क और ग्राम पुर्नविकास शुल्क | Recovery of Beautification, Levy and Village Re-Development Charges . | 66 |
| 3652 | केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकों को सुविधाएं | Amenities of Teachers of Kendriya Vidyalaya Sangathan . . . | 67 |

| अ० प्र० सं० U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3653 | गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रैसों में जनरल मैनेजर के पद | Posts of General Manager in Government of India Presses . . . | 67 |
| 3654 | बेरोजगारी के बारे में प्रायोगिक गहन ग्रामीण परियोजना (पायलेट इंटेसिव रूरल प्रोजेक्ट) | Pilot Intensive Rural Project on Unemployment . . . . . | 68 |
| 3655 | छात्रों और अध्यापकों के बीच असंतोष की समस्या पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति | Committee of CABE on problem of unrest among Students and Teachers . | 69 |
| 3656 | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की विद्यार्थी यूनियन का निलंबन | Suspension of Students Union of AMU | 70 |
| 3657 | किसी उत्पाद को औषधि के रूप में मान्यता देने के लिये प्रक्रिया | Procedure for Recognising a Product as Drug . . . . . | 70 |
| 3658 | बर्दवान के समीप सदरघाट पर दामोदर नदी पर पुल बनाने के लिये सहायता | Assistance for construction of Bridge Over River Damodar at Sadar Ghat near Burdwan . . . . . | 71 |
| 3659 | वर्ष 1973-74 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों तथा परिजनों के लिए मकानों का निर्माण | Construction of Houses for Landless Labourers and Harijans in Rural Areas during 1973-74 . . . . . | 71 |
| 3660 | सांची के स्तूप के मुख्य द्वार में दरार | Cracks in Main Gate of Stupa of Sanchi | 72 |
| 3661 | चीनी का खुला बाजार मूल्य कम करने के लिये चीनी उद्योग से अनुरोध | Request to Sugar Industry to reduce Free Sale price of Sugar . . . | 72 |
| 3662 | काश्मीर तथा अन्य राज्यों में चावल के लिये दी गई राज सहायता | Rice Subsidy given to Kashmir and other States . . . . . | 73 |
| 3663 | खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का लागू किया जाना | Application of Prevention of Food adulteration Act . . . . . | 73 |
| 3664 | गालिब की हस्तलिपि को चोरी से पाकिस्तान ले जाये जाने के बारे में जांच | Inquiry into Smuggling of Manuscript of Ghalib to Pakistan . . . | 74 |
| 3665 | गन्ने के मूल्य को चीनी प्राप्ति की प्रतिशतता से जोड़ने संबंधी वर्तमान फार्मूले को समाप्त करना | Discontinuance of present Formula of Linking Sugarcane price with percentage of Recovery . . . . . | 74 |

| अ० प्र० सं० U.S.Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3666 | सरकारी ऋण से अपने मकान बनाने वाले कर्मचारियों द्वारा सरकारी क्वार्टर रखने सम्बंधी वर्तमान नीति का पुर्नविलोकन | Review of the present policy for Retaining Government Quarters by Employees who have built their own Houses on Government Loan . . . | 74 |
| 3667 | सहकारी ऋणों का विकास | Growth of Cooperative Credit . . | 75 |
| 3668 | मेजा, इलाहाबाद के यमुना पार गांवों में भूख से मृत्यु | Starvation Death in Trans-Jamuna Villages for Meja, Allahabad . | 77 |
| 3669 | उत्तर प्रदेश में लगान का बट्टे खाते डाला जाना | Write off of Land Revenue in U.P. . | 77 |
| 3670 | बम्बई में आटा मिलों को गेहूं की अनियमित सप्लाई | Irregular supply of wheat to Flour Mills in Bombay . . . . . | 77 |
| 3672 | विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम | Correspondence courses at University level . . . . . | 78 |
| 3673 | बिहार में सूखे के कारण मौतें | Death due to Drought in Bihar . | 78 |
| 3674 | गेहूं के चोकर की चोर बाजारी | Blackmarketing in wheat bran . | 79 |
| 3675 | महाराष्ट्र को नाइट्रोजन उर्वरक का आवंटन और उसकी वास्तविक सप्लाई | Allocation of Nitrogenous Fertiliser to Maharashtra and its Actual Delivery | 79 |
| 3676 | महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग | National Highways in Maharashtra . | 80 |
| 3677 | अनाज के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में वृद्धि करना | Increase in Cropped Area to meet Target of Grain Production . . . | 81 |
| 3678 | दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों से सप्लाई की जा रही चीनी की मात्रा बढ़ेने की मांग | Demand for increase in Quantity of Sugar being supplied at Fair Price Shops in Delhi . . . . . | 82 |
| 3679 | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए विशेष वार्ड की व्यवस्था | Provision of special ward for Employees of BHU Hospital . . . | 83 |
| 3680 | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय प्रैस तथा अस्पताल कर्मचारियों के बारे में कार्यकारी परिषद् का संकल्प | Resolution by Executive Council regarding BHU Press and Hospital Employees . . . . . | 83 |

| अ० प्र० सं० U.S.Q No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3681 | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में न्यायालयों में कानूनी मामले | Legal Cases about BHU in Courts | 83 |
| 3682 | पब्लिक स्कूलों की क्षेत्रीय भूगोल की पाठ्य पुस्तकों में काश्मीर के बारे में पक्षपात तथा पूर्वाग्रह का दिखाया जाना | Prejudices and Predilection about Kashmir in Regional Geography Text Books for Public School . . . | 84 |
| 3683 | छोटे फार्म प्रबंध में परिवर्तन | Change in Small Farm Management . | 84 |
| 3684 | सर्वहितकारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, नई दिल्ली | Sarvahitkari Cooperative House Building Society Ltd., New Delhi . . | 85 |
| 3685 | दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड के चुनाव स्थगित करना | Suspension of Elections to Delhi School Teachers Cooperative House Building Society Ltd. . . . . | 85 |
| 3686 | डिपार्टमेंट आफ टीचिंग एड्स के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता | House Rent Allowance to Employees of Department of Teaching Aids . . | 86 |
| 3687 | पायलट भूमि कालोनाइजेशन परियोजनाएं | Pilot Land Colonisation Projects . | 87 |
| 3688 | गुलाल, सिंदूर, सुर्मा तथा नलकों में सें पेय जल के सुबह के नमूने में काफी मात्रा में पाया गया सीसा | Appreciable amount of lead found in Gulal, Sindur, Surma and morning Sample of drinking water from a tap | 87 |
| 3690 | मूंगफली की पैदावार में वृद्धि की योजना | Scheme to increase the yield of Groundnut . . . . . | 88 |
| 3691 | दिल्ली परिवहन निगम की बसों में एक ही दरवाजा होने के कारण | Reasons for one Door Buses under DTC | 89 |
| 3692 | कृषि भूमि के स्वामित्व वाले मंत्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों को गेहूं सरकार को बेचने के निर्देश दिये जाने के समाचार | Reported instructions to Ministers and its Employees having Agricultural Land to Sell wheat to Government . | 89 |
| 3693 | सरकार को सीधे गेहूं बेचने वाले किसानों को सुविधाएं और रियायतें | Facilities and Relaxation to Farmers for selling wheat to Government . . | 89 |
| 3694 | आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी समितियों के कार्यकरण का अध्ययन | Study of Functioning of Cooperatives in Adivasi Areas . . . . | 90 |
| 3695 | मध्य प्रदेश में कृषि मंडियों का विकास | Development of Agricultural Mandis in Madhya Pradesh . . . | 91 |

| अ० प्र० सं० U.S.Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3696 | दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति की प्रबंधक समिति के सदस्यों को सहयोजित करने का उपबन्ध | Provision of coopting Members of Managing committee of Delhi School Teachers cooperative House Building Society . . . . . | 90 |
| 3697 | पांचवी योजना के परिव्यय में प्रौढ़ शिक्षा के लिए कमी करना | Reduction in Fifth Plan outlay in respect of Adult Education . . . | 92 |
| 3698 | विदेशों में भेजे गए शैक्षणिक शिष्ट-मंडल | Educational Delegations Sent Abroad . | 92 |
| 3699 | सरकारी संग्रहालयों का पुनर्गठन | Reorganisation of Government Museums . . . . . | 93 |
| 3700 | बड़े नगरों में वायु तथा जल दूषण को समाप्त करने संबंधी योजना | Scheme to Fight Air and Water Pollution in Big Cities . . . . | 93 |
| 3701 | ग्रामीण स्वास्थ योजना पर चालू वर्ष के बजट में कटौती का प्रभाव | Effect of cut in current years budget on rural Health Scheme . . . | 93 |
| 3702 | दिल्ली विकास प्राधिकार को बहुमंजलीय फ्लैटों के लिए स्टाम्प शुल्क का भुगतान | Payment of Stamp Duty to DDA for Multi Storeyed Flats . . . | 94 |
| 3703 | अखिल भारतीय अनाज व्यापारी संघ द्वारा अनाज की वसूली में सहयोग | Association of Federation of All India Foodgrains Dealers Associations in Procurement of Foodgrains . . | 94 |
| 3704 | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को कृषि मंत्रालय का एक विभाग बनाना | ICAR as a Wing of Ministry of Agriculture . . . . . | 95 |
| 3705 | केन्द्रीय राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा गठित सहकारी आवास समितियों को केन्द्रीय सहायता | Central Aid to Housing Cooperative Societies for formed by Central and State Government Employees . . | 95 |
| 3706 | राज्यों को लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए धनराशि | Funds to States for Minor Irrigation Programme . . . . . | 96 |
| 3707 | सिंदरी में उत्पादित उर्वरकों को अन्य राज्यों में ले जाने पर प्रतिबंध | Ban on Movement of Fertilizer produced at Sindri to other States . . | 97 |
| 3708 | ग्रामीण तथा नागरिक पेय जल सुविधायें | Rural and Urban drinking Water Facilities . . . . . | 98 |
| 3709 | दिल्ली के अस्पतालों में बिजली का अभाव | Power Shortage in Delhi Hospitals . | 98 |

| अ० प्र० सं० U.S.Q.No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3710 | विभिन्न फसलों के लिए 'माडल फार्मों' की स्थापना | Setting up Model Farm for Various Crops . . . . . | 99 |
| 3711 | राजस्थान के रेगिस्तान का विकास करने के लिए आस्ट्रेलिया से तकनीकी सहायता देने का अनुरोध | Request for Technical help from Australia for development of Rajasthan desert . . . . . | 100 |
| 3712 | समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण | Reservation of posts for S.C. and S.T. in Social Welfare Department . . | 100 |
| 3713 | बेतवा नदी पर पुलों का उपयोग | Use of bridge across Betwa River . | 101 |
| 3714 | बुन्देलखंड के झांसी जिले में निर्मित सड़क | Roads constructed in Jhansi District of Bundelkhand . . . . | 101 |
| 3715 | अरलाम फार्म, केरल का कार्य | Functioning of Aralam Farm, Kerala . | 101 |
| 3716 | मनचाहे काश्तकारों और बटाईदारों के लिए एक समान विधान | Uniform Legislation for Tenants at will and share Croppers . . . | 102 |
| 3717 | केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए समान विधान | Uniform Legislation for Central Universities . . . . . | 102 |
| 3718 | किसानों की ऋण-ग्रस्तता और गांवों में ब्याज की दर | Indebtedness of Peasants and Rate of interest in villages . . . . | 103 |
| 3720 | देश में डबलरोटी और मक्खन की कमी और चोरबाजारी | Shortage and Blackmarketing of Bread and Butter in the country . . | 103 |
| 3721 | राज्यों में गठित सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान | Grants of Cultural Organisations constructed in States . . . . | 104 |
| 3722 | संसद्भवन में दिल्ली दुग्ध योजना के स्टाल से संसद् सदस्यों को घी, दूध, मक्खन | Supply of Milk, Butter and Ghee to M.Ps from DMS Stall in Parliament | 105 |
| 3723 | रोपड़-होशियारपुर, पठानकोट सड़क को राष्ट्रीय राजपथ बनाना | Take over of Ropar-Hoshiarpur, Pathankot Road as National Highway . | 106 |
| 3724 | पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 'कलाई दाल' का बेकार हो जाना | Wastage of Kalaidal in FCI godown of West Bengal . . . . . | 106 |

| अ० प्र० सं० U.S.Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3725 | उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भूख से मौतें होने का आरोप | Allegation of starvation deaths in Banda, U.P. . . . . | 107 |
| 3726 | समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्यों को दी गई धनराशि | Amount given to states by social welfare Department . . . . | 107 |
| 3727 | उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को दिया जाने वाला अनुदान बंद करना | Stoppage of grants to Orissa University of Agriculture and Technology . | 107 |
| 3728 | कैंसर असेसमेंट कमेटी की सिफारिशें | Recommendation of Cancer Assessment Committee . . . . . | 108 |
| 3729 | व्यापारी जहाजों की संख्या और उनका टनभार | Number of Merchant ships and their tonnage . . . . . | 108 |
| 3730 | खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के अधीन दंडित की गई फर्मों के नाम | Names of Firms Prosecuted under the Prevention of Food Adulteration Act in Delhi . . . . . | 108 |
| 3731 | दार्जलिंग में हुई अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहियों की बैठक | International mountaineers meet held at Darjeeling . . . . | 109 |
| 3732 | चम्बल नदी पर धौलपुर के निकट के पुल की मरम्मत | Repair of Bridge near Dhaulpur on Chambal River . . . . | 110 |
| 3733 | चीनी उद्योग जांच आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशित कराया जाना | Publication of Report of Sugar Industry Enquiry Commission . . | 111 |
| 3734 | मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी का निर्धारित लक्ष्य | Target fixed for Vasectomy under Family Planning Programme in Madhya Pradesh . . . . . | 111 |
| 3735 | गत तीन वर्षों में सोयाबीन का उत्पादन और सोयाबीन का आयात | Soyabean produced and Soyabean Oil imported during last three years . | 112 |
| 3736 | गत तीन वर्षों में वनस्पति घी का उत्पादन | Production of Vanaspati Ghee during last three years . . . . | 113 |
| 3737 | धसान नदी पर पुल का निर्माण | Construction of Bridge on Dhasan River . . . . . | 113 |
| 3738 | महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सहकारी चीनी कारखाने | Cooperative Sugar Factory in Maharashtra and Andhra Pradesh . . | 114 |
| 3739 | दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा क्रीम की सप्लाई के लिए निजी स्वामित्व वाली डेरियों से करार | Agreement by Delhi Milk Scheme with Private Owned Dairies for Supply of Cream . . . . . | 114 |

| अ० प्र० सं० U.S.Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3740 | बंजर कृषि भूमि की खुदाई ( डाजिंग ) और उसमें ट्रैक्टर चलाया जाना | Tractorisation of Fallow Agricultural Land . . . . . | 115 |
| 3741 | जोतों के मशिनीकरण की उपयोगिता के संबंध में कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा सर्वेक्षण | Survey by Agriculture Universities regarding utility of mechanisation for land Holdings . . . . | 115 |
| 3742 | कृषि के लिए बिजली की प्रति हैक्टेयर उपलब्धता | Per Hectare Availability of Power for Agriculture . . . . . | 115 |
| 3743 | दिल्ली में छात्राओं के लिए छात्रावास की समस्या | Hostel Problem for Girl Students in Delhi . . . . . | 116 |
| 3744 | श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टल बनाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता | Financial Assistance to Voluntary Organisations for Hostels for working women . . . . . | 116 |
| 3745 | खाद्यान्नों के पहुंचने का नियत समय | Schedule for arrival of Foodgrains | 117 |
| 3746 | मेधावी छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति नियमों का पुनरीक्षण | Revision of National Scholarship Rules for Meritorious Students . . | 117 |
| 3747 | भारतीय खाद्य निगम और प्राइवेट एजेंसियों द्वारा वसूल की गयी गेहूं और वसूली का काम प्राइवेट एजेंसियों को हस्तांतरित किया जाना | Wheat procured by FCI and private agencies and transfer of work of procurement to private Agencies . . | 118 |
| 3748 | देश में चावल के उत्पादन का अनुमान | Estimate of Rice production in the country . . . . . | 118 |
| 3749 | उर्वरक का अपर्याप्त वितरण और खाद्य उत्पादन पर उसका प्रभाव | Inadequate distribution of Fertilizer and its effect on Food Production . | 118 |
| 3750 | पश्चिमी बंगाल को दिये जाने वाले चावल के कोटे में वृद्धि | Increase in quantity of Rice Allotment to West Bengal . . . . | 119 |
| 3752 | अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में मानव प्रजनन के विषय में अनुसंधान विकास और अनुसंधान प्रशिक्षण संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यक्रम | WHO programme of Research Development and Research Training in Human Reproduction at AIIMS . | 120 |
| 3753 | धान का अधिक वसूली मूल्य निर्धारित करने के लिए मैसूर सरकार की मांग | Mysore for Higher Procurement Price for Paddy . . . . . | 120 |

| अता०प्र०सं० U.S.Q.No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3754 | प्राचीन स्मारकों का परिरक्षण | Preservation of Ancient Monuments . | 120 |
| 3755 | विदेशों में भेजे गये खाद्य मिशन | Food Mission sent Abroad | 121 |
| 3757 | करवार पत्तन का विकास | Development of Karwar Port . . | 121 |
| 3758 | पौधों, पशुओं, मिट्टी और जल का योजनाबध तथा समेकित सुधार | Planned and integrated domestication of Plants Animals, Soil and Water . | 122 |
| 3759 | उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिए इनका अमरीका और पश्चिम जर्मनी से आयात | Import of Fertilizers from U.S.A. and West Germany to make up the Short-fall . . . . . | 122 |
| 3760 | सहकारी समितियों की संख्या कम करना | Bringing down the number of cooperative Societies . . . . | 123 |
| 3761 | दिल्ली में कालेज के छात्रों के लिये बसें और उनके द्वारा बसों का अपहरण | Buses for college students and Hijacking of buses by them in Delhi . . | 123 |
| 3762 | दिल्ली विश्वविद्यालय के सांध्य विधि केन्द्रों में सीटें | Seats in Evening Law Centres of Delhi University . . . . . | 124 |
| 3763 | गेहूँ और गन्ने का उत्पादन करने वाले किसानों को रियायती दरों पर खाद उपलब्ध करवाने की शर्तें | Terms for providing fertilizers to wheat and Sugarcane growing farmers on concessional rates . . . . | 125 |
| 3764 | वाराणसी, उत्तर प्रदेश में लोगों का घास तथा पेड़ों के पत्ते खाकर जीवित रहने का समाचार | News Item regarding People living on Grass and Tree leaves in Varanasi, U.P. . . . . | 125 |
| 3765 | राजौरी गार्डन, नई दिल्ली में डी० डी० ए० (एम० आई० जी०) फ्लैटों की कल्याण संस्था द्वारा दिया गया अभ्यावेदन | Representation submitted by the Welfare Association of D.D.A. (MIG) Flats in Rajouri Garden, New Delhi | 126 |
| 3766 | जनसंख्या वृद्धि के संबंध में परिवार नियोजन अभियान का जातिवाद प्रभाव | Impact of Family Planning Campaign on Community-wise Growth of Population . . . . . | 126 |
| 3767 | महाराष्ट्र में फसल आने तक, कार्यों के लिये केन्द्रीय सहायता का बनाये रखना | Continuation of Central help for scarcity works till harvest time to Maharashtra . . . . . | 127 |

| अता०प्र०संख्या U.S.Q.No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3768 | डी० डी० ए० के फ्लैटों/प्लाटों का आवंटन | Allotment of D.D.A. Flats/Plots | 127 |
| 3769 | कृषि तथा व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम | Programme for Agricultural and Vocational Education . . . . | 128 |
| 3770 | आवास तथा नगरीय विकास निगम की सहायता से बनाये गये मकान | Houses constructed with the help of HUDCO. . . . . | 128 |
| 3771 | सूर्यनगर, गाजियाबाद में बने बनाए मकानों की पट्टे पर बिक्री | Sale of Built Houses on lease in Surya Nagar, Ghaziabad . . . . | 128 |
| | अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . . . | 130 |
| | देश के कई भागों में बाढ़ के कारण हुआ भारी विनाश | Devastation caused by floods in various parts of the country . . . | 130 |
| | श्री पी० गंगादेव | Shri P. Gangadev . | 130 |
| | डा० के० एल० राव | Dr. K.L.Rao . . | 131 |
| | सभा-पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table . | 142 |
| | राज्य सभा से संदेश | Messages from Rajya Sabha | 143 |
| | राज्य सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक | Bills as passed by Rajya Sabha . . | 144 |
| | (I) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक | I Payment of bonus (Amendment) Bill | 144 |
| | (II) विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) संशोधन विधेयक | II Foreign Awards (Recognition and Enforcement) Amendment Bill . | 144 |
| | संसद भवन में रेलवे केंटीन के बारे में | Re. Railway Canteen in Parliament House . . . . . | 140 |
| | नियम 377 के अधीन मामला | Matter under Rule 377 . . . | 141 |
| | केरल में बैंकों का काम न करना | Non-functioning of Banks in Kerala . | 141 |
| | उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन ) विधेयक | Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Bill . . . | 144 |
| | विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में | Motion to consider, as passed by Rajya Sabha . . . . . | 144 |
| | श्री कृष्ण चन्द्र पंत | Shri K.C.Pant . . . . . | 144 |
| | श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य | Shri S.P.Bhattacharyya . . . | 144 |

| अता० प्र० संख्या / U. S. Q. No. | विषय / SUBJECT | पृष्ठ / PAGES |
|---|---|---|
| श्री नरसिंह नारायण पांडे | Shri Narshing Narain Pendey . | 145 |
| डा० गोविन्द दास रिछारिया | Dr. Govind Das Richhariya . | 145 |
| श्री झारखंडे राय | Shri Jharkhande Rai . . | 145 |
| श्री विश्वनाथ राय | Shri Bishwanath Roy . . | 147 |
| श्री महादीपक सिंह शाक्य | Shri Maha Deepak Singh Shakya | 147 |
| श्री कृष्ण चन्द्र पांडेय | Shri Krishan Chandra Pandey | 147 |
| श्री मधु लिमये | Shri Madhu Limaye . | 148 |
| श्री बी० आर० शुक्ल | Shri B.R.Shukla . . | 148 |
| श्री स्वामी ब्रह्मानन्द | Shri Swami Brahmanand Ji . | 149 |
| श्री चन्द्रिका प्रसाद | Shri Chandrika Prasad . | 149 |
| श्री पीलू मोदी | Shri Piloo Mody . . | 149 |
| खंड 2, 3 और 1 | Clauses 2,3 and 1 . . | 152 |
| पारित करने का प्रस्ताव | Motion to pass | 152 |
| श्री श्यामनन्दन मिश्र | Shri Shyamnandan Mishra | 152 |
| श्री एस० एम० बनर्जी | Shri S.M. Banerjee . . | 153 |
| श्री मधु लिमये | Shri Madhu Limaye . . | 153 |
| श्री कृष्ण चन्द्र पंत | Shri K.C.Pant . . . . . | 153 |
| मणिपुर के संबंध में की गई उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प-स्वीकृत | Statutory Resolution Re. Continuance of Proclamation in respect of Manipur—Adopted . . . . . | 154 |
| श्रीकृष्ण चन्द्र पंत | Shri K.C.Pant . . . | 154 |
| श्री दशरथ देव | Shri Dasaratha Deb . . | 155 |
| श्री एन० टोम्बी सिंह | Shri N. Tombi Singh . . | 155 |
| श्री रामावतार शास्त्री | Shri Ramavatar Shastri . . | 156 |
| श्री पाओकाई हाओकिप | Shri Paiokai Haokip . . . | 157 |
| श्री आर० वी० बड़े | Shri R.V.Bade . . . . . | 158 |
| श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी | Shri Dinesh Chandra Goswami . | 158 |
| श्री पी० जी० मावलंकर | Shri P.G.Mavalankar . | 159 |
| उड़ीसा के संबंध में की गई उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प | Statutory Resolution Re. Continuance of Proclamation in respect of Orissa . | 162 |
| श्री कृष्ण चन्द्र पंत | Shri K.C.Pant . . . | 162 |
| श्री जगदीश भट्टाचार्य | Shri Jagdish Bhattacharyya | 163 |
| श्री जगन्नाथ राव | Shri Jagannath Rao . . | 163 |
| श्री डी० के० पंडा | Shri D.K.Panda | 165 |
| श्री पी० गंगादेव | Shri P.Gangadeb | 166 |
| श्री लालजी भाई | Shri Lalji Bhai . . . | 167 |
| श्री चिंतामणि पाणिग्रही | Shri Chintamani Panigrahi | 168 |

## लोक-सभा
## LOK SABHA

**सोमवार, 20 अगस्त, 1973/29 श्रावण, 1895 (शक)**

*Monday, August 20, 1973/Sravana 29, 1895 (Saka)*

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Speaker in the Chair]**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**आगामी वर्ष में गेंहूं के मूल्य में वृद्धि करने का प्रस्ताव**

361. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी वर्ष में गेहूं के मूल्य में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) और (ख) गेहूं के मूल्यों की घोषणा आगामी रवी बुवाई मौसम के प्रारम्भ में की जाएगी ।

**श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या गेहूं का प्रस्तावित मूल्य रवी की बुआई के काल में, सभी राज्यों में एक समान होगा अथवा कृषकों के व्यय के अनुसार विभिन्न राज्यों में मूल्यों में अन्तर होगा ।

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : हमें अभी कृषि मूल्य आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो अगले मौसम के लिए गेहूं को मूल्य निर्धारित करता है। स्वाभाविक है कि कृषि मूल्य आयोग देश के सभी भागों के लिए समान मूल्य रखना चाहेगा किन्तु यह मुख्य मन्त्रियों की सिफारिशों पर निर्भर करेगा क्योंकि भारत सरकार इस बारे में अंतिम निर्णय करने से पहले मुख्य मंत्रियों से परामर्श करना चाहेगी ।

**श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गेहूं की कम कीमत निर्धारित करने के कारण किसानों में गेहूं के बजाय नगदी फसलें उगाने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ रही है ।

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : समय-समय पर इस बारे में पर्यवेक्षण किया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि मूल्य ढांचे में परिवर्तन के कारण फसलों की अदला बदली नही होती है परन्तु जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है हमारा सामान्य अनुभव है कि गेहूं का एकड़ क्षेत्रफल प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है । जब मूल्य ढांचे में काफी भारी परिवर्तन होता है तब ही क्षेत्रफल बढ़ने या घटने की संभावना होती है। किन्तु रबी की फसल का गेहूं एक ऐसी फसल है जो अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक पैदा देती है अतः पर्याप्त अदला बदली नहीं हुई है।

**Shri N. N. Pandey:** In view of the fact that the prices of coarse grains have incresed in comparision to those of the wheat and the farmer is devoting himself more towards the production of coarse grain which in turn requires less input. May I know if you will advise the price commission to fix the price of wheat next year so that production and acreage of wheat is increased.

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : सरकार माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखेगी ।

**Shri M.C. Daga:** The farmers should have a larger representations on the Agriculture Price Commission for settling the price of wheat. Does the Government propose to do something in this regard.

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : जैसाकि मैं पहले भी कई अवसरों पर बता चुका हूं कि कृषि मूल्य आयोग में कीमत के संबंध में परामर्श देने के लिए हमने किसानों की एक तालीका बनाई हुई है ।

**Shri Atal Bihari Vajpayee:** Mr. speaker, Sir the question was whether Government have considered the question of increasing the price of wheat for the coming year. The hon. Minister has not replied it. He has said that the price will be fixed after the arrival of fresh crop. The question is whether the price to be fixed will be more or less.

**Mr speaker:** You must have asked for it.

**Shri Atal Bihari Vajpayee:** The hon. Minister has evaded the reply very smartly. Has the Ministry for Agriculture estimated the cost of production of a quintal of wheat which the farmer has got to incurr. As the hon. Minister aware that if the cost of production of a quintal of wheat as estimated by Ludhiana Agriculture University and Part University is more than Rs. 767. On what basis the Government fixes the price. May I know whether the recommendation of the commission is the only basis. Does the Government herself do nothing in the matter.

**Agriculture Minister (Shri F.A. Ahmed) :** As far the price, we have just received the report of Agriculture price commission. I assure the Hon.Member that we will decide about the price of procurement of wheat before the sowing season. We will also take into account the cost of production as estimated by different universties.

**श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या पिछली रबी फसल का मूल्य निर्धारित करते समय सरकार ने देश के विभिन्न कृषि विद्यालयों द्वारा अनुमानित उत्पादन पर भी गौर किया था ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : कृषि मूल्य आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले उत्पादन लागत पर विचार किया जाता है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न कृषि फार्मों के संबंध में है।

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : कृषि मूल्य आयोग राज्य सरकारों से परामर्श करता है किन्तु अब स्थिति बदल गई है क्योंकि सरकार ने एक विस्तृत उत्पादन लागत फार्मूला बनाया है । हमें एक योजना के अन्तर्गत जिसमें राज्य सरकारें और कई विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं, आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। मैं पिछले वर्ष का उल्लेख कर रहा हूं उस समय कृषि मूल्य आयोग ने राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से परामर्श करके उसी आधार पर सिफारिशें की थीं।

**Shri B. P. Maurya** : Wheat is sown in September and October and the crop is harvested in March and April i.e. after six-seven months. The prices of these commodities keep on fluctuating and if in between this period the price of the commodities used by the farmers increase then the Government should review the prices so that a higher price may be fixed for it.

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे**: माननीय सदस्य ने बहुत तर्कपूर्ण एवं महत्वपूर्ण बात बताई है। मूल्य ढांचे में कुछ फेर बदल की गुंजाइश अवश्य होनी चाहिये। यदि हम गेहूं बुवाई के मौसम से पहले गेहूं के मूल्य की घोषणा कर देते हैं तो भी साथ में समर्थन मूल्य रखा जाएगा। हम उन्हें विकल्प देंगे। फसल कटाई और प्राप्ति से पहले हम अर्थव्यवस्था के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वसूली मूल्य की घोषणा करेंगे।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर**: रबी काल में गेहूं का मूल्य निर्धारित करने से पहले क्या मन्त्री महोदय राज्य सरकारों और कृषि विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त किसान संगठनों और अखिल भारतीय किसान सभा से भी परामर्श करेंगे ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे**: सामान्यतः हम मुख्य मंत्रियों से परामर्श करते हैं। कोई भी संगठन जिसकी इसमें रूचि है अपने सुझाव दे सकता है और हम उन सुझावों की जांच करेंगे ।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर**: मूल्य निर्धारित करने से पहले क्या आप उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

**अध्यक्ष महोदय**: मंत्री महोदय ने कहा है कि उनके सुझावों का स्वागत है।

**श्री कृष्णराव पाटिल** : मंत्री महोदय ने अपना उत्तर देते समय सदन को बताया है कि वे विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों से आवश्यक आंकड़े एकत्र कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि गेहूं के समर्थन मूल्य तथा वसूली मूल्य के बीच लगभग कितना अंतर होगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अन्तर का पता तब लगेगा जब वे अपने निर्णयों की घोषणा करेंगे । अभी तो सब कुछ अनुमान मात्र है।

**Shri Jagannathrao Joshi** : Is it not fact that the target of wheat procurement has not been achieved this time which is due to non-payment of incentive prices to the farmers. May I know whether the prices will be fixed without fixing procurement prices and keeping in view the data on cost of production and market rates so that the farmers could get incentive ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : मन्डी के दामों के आधार पर मूल्य निश्चित करना खतरनाक होगा क्योंकि समाज का एक बड़ा भाग गरीब है जिसकी क्रय क्षमता सीमित है। खुली मंडी के दाम अधीकांश काले बाजार के दाम हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि वसूली मूल्य ऐसे यर्थार्थ होने चाहिय जिससे किसान मंडी में अपना गेहूं लाने के लिये प्रेरित हो सके। सरकार इसके महत्व को समझती है। इस वर्ष संतोषजनक वसूली न होने के अनेक दलों द्वारा राजनैतिक प्रचार करने के अतिरिक्त अन्य कारण भी हैं। इन कारणों से भी मंडी में कम वसूली हुई।

**श्री विश्वानाथ प्रताप सिंह**: गेहूं के क्रय और विक्रय मूल्य के बीच कितना अन्तर होगा और गोदाम के नुकसान तथा अन्य लागतों में कमी करके इस अन्तर को कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे**: क्रय और विक्रय मूल्य के बीच वर्तमान अन्तर दो रुपये का है। इसका अर्थ यह है कि शेष के लिये सरकार सहायता देती है। गोदाम तथा अन्य लागत में कमी करने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

**Shri R. S. Pandey** : The farmers of my constituency have complained that the procurement would have been successful had the procurement price of wheat been up by Rs. five. The Agriculture Price Commission is an academic body. They are not responsible to Parliament. Shri F. A. Ahmed during the course of a private conversation said that there would have been more procurement had the price been more by Rs. five. Will you give more prices for the next crop keeping in view inputs of the farmers so that there is no difficulty in procurement ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे**: मैं यही कह सकता हूं कि किसी घटना के बाद ही हमारे अन्दर समझ आती है। लेकिन मूल्य कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के ही आधार पर निश्चित किये गये थे जो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था है और मुख्य मंत्रियों से भी इस बारे में पूछा गया है । ये मूल्य बीजाई के समय पर निश्चित किये गये वसूली सीज़न से पहले नहीं थे। इस बीच बहुत कुछ हुआ है। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि कुछ अतिरिक्त मूल्य किसान को कुछ अधिक गेहूं देने के लिये प्रेरित कर सकता है।

**श्री समर गुह**: क्या यह सच है कि गेहूं की वसूली की असफलता इन तीन कारणों से हुई है अर्थात् वसूली मूल्य खुले बाज़ार भावों से कम थे वसूली का कार्य भारतीय अन्न निगम नहीं बल्कि प्राईवेट एजेन्सियों को सौंपा गया था और वे देश में प्रचलित भावों से अधिक भावों पर गेहूं का आयात कर रहे थे।, यदि यह ठीक है तो गेहूं की अगली फसल का भाव निश्चित करने के लिये सरकार ने निर्णय लिया है कि बेचे जाने योग्य सारे फालतू गेहूं की सरकार वसूली करेगी अर्थात् सरकार क्या कोई उगाही प्रणाली लागू कर रही है और यदि नही, तो सरकार किसानों के लिये सुनिश्चित भाव किस प्रकार निश्चित करेगी जिससे गेहूं का वसूली कार्य सफल हो सके ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि वसूली के लिये प्राईवेट ऐजेन्सियों लगायी गयीं

**श्री समर गुह** : आपने बिहार में क्या किया? उड़ीसा में क्या हुआ? मैंने मंत्री महोदय को लिखा है। मैंने उनसे विचार-विमर्श भी किया है। मैंने प्रधान मंत्री को भी लिखा है । ऐसा न कहें. . .

**(व्यवधान)**

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : माननीय सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। मैं प्राप्त सूचना के आधार पर ही बोल रहा हूं । गेहूं के व्यापार के सरकारीकरण के बाद खाद्य निगम, राज्य सिविल सप्लाई विभाग तथा सहकारी समितियों जैसी एजेन्सियों ने वसूली कार्य किया। इन एजेन्सियों को वसूली कार्य के लिये लगाया गया है ।

जहां तक बिक्री योग्य फालतू गेहूं का सम्बन्ध है यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव मात्र है और सरकार अगले वसूली सीज़न से पहले स्थिति पर पुनः विचार करेगी तथा उचित निष्कर्ष पर पहुंचेगी।

**Shri Yamuna Prasad Mandal** : The whole country knows that the per capita wages of about 22 crores poor people come to Rs. 30. If you want to feed all the people with wheat then it is my submission. That trade in coarse grains should also be taken over along with the wheat . Why you do not take over it and fix the price ?

**Mr. Speaker** : This question relates to price fixation of foodgrains and not to procurement.

**Shri Yamuna Prasad Mandal** : The hon. Minister has just stated that the purchasing power of the people has been taken into consideration. So the question arises from this also the hon. Minister has this in mind. That poor people should have capacity to buy some more foodgrains and accordingly the prices should be fixed. The Members of Agricultural Price Commission should bear this point in mind that there is need to rationalize the prices of coarse grains and fix realistic price.

**Mr. Speaker** : This question relates to economic Consideration.

**डा० रानने सेन**: मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि खाद्यान्न सहित गेहूं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की वसूली कीमत बढ़ाने के लिए निहित स्वार्थ वाले विभिन्न व्यक्ति सरकार पर दबाव डाल रहे हैं तथा ऊंची कीमत प्राप्त करने के उद्देश्य से काफी संख्या में जमींदार और बड़े किसान गेहूं सहित अपने अनाज को जमा कर रहे हैं और यदि हां; तो उन व्यक्तियों का विरोध समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जो खाद्यान्नों का स्टाक जमा कर रहे हैं तथा गेहूं और अन्य आवश्यक वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं।

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे**: जहां तक गेहूं के मूल्य का संबंध है, सरकार का विचार अभी बीच में ही गेहूं का मूल्य बढ़ाने का नहीं है, अतएव दबाव डालने का प्रश्न नहीं उठता है। यदि सरकार आगामी फसल के बारे में निर्णय लेती है तो यह इस प्रथा के गुण-दोष तथा मुख्य मंत्रियों के परामर्श पर निर्भर करेगा इसलिए समाज के किसी वर्ग द्वारा सरकार पर दबाव डालने का प्रश्न नहीं उठता है।

**डा० रानेन सेन**: मेरे इस प्रश्न का क्या उत्तर है कि बड़ी संख्या में बड़े जमींदार और किसान गेहूं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का स्टाक जमा कर रहे हैं और सरकार का विचार इन जमाखोरियों के विरोध को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत होंगे कि सरकार ने पहले ही कुछ कदम उठायें हैं और जमाखोरी के विरुद्ध राज्य सरकारों को अपेक्षित कार्यवाही करने का परामर्श दिया है (**व्यवधान**)

**Shri Natwar Lal Patel :** In states like Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, lift irrigation or tubewell water are used for the production of wheat. There is no facility of canal waters. The cost price of tubewell water comes more than the canal water. The cost price of producing wheat is less where canal water is used. The cost price is more where tubewells or lift irrigation is used for irrigation purposes. This is a fact. I want to know whether the Agricultural Price commission will take this into consideration at the time of fixing the prices of wheat or in future take this into consideration and then fix the price ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** मूल्य निर्धारण करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखा गया था और इसके अतिरिक्त हम माननीय सदस्य के राज्य के मुख्य मंत्री से भी परामर्श करेंगे।

**Shri Mukhtiar Singh Malik :** The hon. Minister has stated that this poor purchasing power of the people was taken into consideration while fixing the price of wheat and further announced that the procurement price cannot be increased in this season. On the one hand the supply of wheat is acute and on the other the prices of imported wheat are very high. I want to know how the people get purchasing power for the wheat being imported? May I know whether you keep relevancy between the prices, which you give in the farmers and the prices you give for imported wheat ? Why are you giving step motherly treatment to the farmers? You are giving more prices to American farmers and here you are subsidising. When you are giving high prices there then why our farmers are getting low prices.

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** खाद्यान्नों का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर कुछ भी हो, परन्तु जहां तक निर्णय मूल्य का संबंध है, चाहे यह स्थानीय तौर से खरीदा गया गेहूं हो अथवा आयातित गेहूं हो, उपभोक्ताओं के लिए निर्णय मूल्य एक है। यह सच है कि विश्व भर में खाद्यान्नों की कमी के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इनका अन्तराष्ट्रीय मूल्य बहुत बढ़ गया है। देश की वसूली कीमतों को अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से संबन्धित करना उचित नहीं होगा यद्यपि मैं कहना चाहूंगा कि वसूली कीमत को निर्धारण करने के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा।

**Shri Awdhesh Chandra Singh :** May I know whether the farmers has a representative in Agriculture Price Commission and if not then this will be provided ?

**Mr. Speaker :** This question has already been asked.

**Shri Darbara Singh :** Admitting the difficulties of Government I hope the Government is taking measures against hoarders. Taking the situation into consideration, are you going to ensure that the produce more wheats and for this prices should be increased ? Are you prepared to increase the prices .

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** मैंने पहले ही बता दिया है कि इस फसल के मौसम से नहीं अपितु आगामी फसल से ऐसा किया जायेगा।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** इस फसल से क्यों नहीं किया जाता है।

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** कृषि मूल्य आयोग का प्रतिवेदन पहले ही प्रस्तुत हो गया है। और किसानों को प्रोत्साहन मूल्य देने के लिए हम अपेक्षित कार्यवाही करेंगे।

**Home Delivery of Milk by Delhi Milk Scheme**

+

***363. Shri Pratap Singh Negi :**
**Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) Whether the Delhi Milk Scheme propose to distribute milk to the token holders at their residence instead of distributing it through specified distribution Depots; and

(b) if so, the time by which this scheme is to be introduced ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh):** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Shri Pratap Singh Negi :** May I know whether the Government is aware that some persons do not live in Delhli and their tokens are used by others for taking milk, that is why this question has been asked. Does the Government intend to supply milk to the token-holders at their residence instead of supplying it at depots ?

**Prof. Sher Singh :** There is no such proposal. It involves a great difficulty. If we distribute the milk at residence, we shall have to employ persons in large number and recruit them in Govenment service. The prices of milk will go up and people will complain of course, such arrangements has been made at certain places, particularly at the booths for the Members of Parliament at South Avenue,North Avenue and Ferozshah Road and they have to pay four paise more for per bottle.....

(*Interruptions*)

Apart from that, people have managed their own delivery agents at 157 booths on private basis and we arrange home delivery for them through their agents.

**Shri Atal Bihari Vajpayee :** The M.P.s. are being brought to disrepute unnecessarily. There is no such arrangement at Ferozshah Road. I reside there. The non. Minister is simply reading out what is mentioned on his own papers.

**Prof. Sher Singh :** I shall look into the matter. If it is not supplied at the residence of the hon. Member, it will be supplied.

**Shri Pratap Singh :** Is any arrangement being made to inquire into the bogus tokens ?

**Prof. Sher Singh :** We check the tokens time to time. When we find that the bogus tokens have been issued, we cancel them.

**Shri Ishwar Chaudhry :** This question has arisen because a large number of Depot Manager have resorted to corruption in the milk booths of Milk supply scheme. Is it not a fact that when the distribution of milk is over in the evening they tease the girls ? Have the high officials received any complaint in this regard, if so, what action the Governnment has taken ?

**Prof. Sher Singh :** When complaints regarding distribution are received immediate action is taken and inquiry is conducted at the particular booth and those who are found guilty, are penalised.

**Shri Mukhtiar Singh Malik :** The card holders in South Avenue do not get milk. Milk is supplied to others at the rate of 70-75 paise. How can they be caught...

**Shri Ishwar Chaudhry :** Will it not be correct if I say that the administrators tease the girls ? Do all the persons of the department do not know about it? If they are aware of it, what immediate steps the hon. Minister is going to take to check it so that this vage bondish cannot take place ?

**Prof. Sher Singh :** We have received no such complaints. If such complaint is there in the notice of the hon. Minister, he may refer that to us. We shall get it inquired.

**Shri S.C. Besra :** May I know whether the hon. Minister is aware that milk is not supplied both the times in the morning and evening and at all the depots; if so, will he ensure the supply of milk both the times at each depot ?

**Prof. Sher Singh :** Out of total 1065 depots, some depots supply milk both the times whereas others one time. This arrangements has been done according to the nature of the demand of a particular area.

**Shri Ishwar Sambhali :** Mr. Speaker, Sir, I reside in North Avenue and Shri Negi also resides there. We notice that a few people in the name of home-delivery—they are not from the Government–take away twenty to thirty bottles. I do not know at what rate they sell those bottles and what commission they take ? But as a result of that frequent complaints are lodged. Perchance, the Government has made me a member of the Govern ing body of the D.M.S. and people think that he can, perhaps, do something. I also receive the complaints. But what happens in fact is that the cards of the M.Ps., which are already there in large number,are either lost at their residence or their servants deliberately lose them or some persons take them away while they are present there. When the M.Ps. do not find their cards at their residence, they get other card issued in their names. Milk is taken against so many cards which are in the name of only one M.P. and as a result of that in the North Avenue (*Interruption*)–it happens at other places also-More bottles than the quota of the Members are supplied but M.Ps. are deprived of milk. In this context, I made a suggestion to change all the cards of the Members altogether on any particular date and new cards be issued thereby the corruption and supply of milk against bogus cards can be stopped and the Members can get milk (*Interruption*)

**Prof Sher Singh :** The hon Member's suggestion is good. We shall look into (*In terruption*)

**श्री भगवत झा आजाद** : यह गलत प्रश्न है। सदस्यों के पास स्थायी कार्ड नहीं है। उनके पास निश्चित तारीख वाले कार्ड हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह थोड़ा गंभीर आरोप है। मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम अध्यक्ष को तो बतायें कि ऐसे कौन से सदस्य हैं जिसके नाम में एक से अधिक कार्ड हैं।

**श्री भागवत झा आजाद** : यदि किसी ने ऐसा किया हो तो वह सभी सदस्यों पर सामान्य टिप्पणी क्यों कर रहे हैं ?

**Shri Ishwar Sambhali** : Mine is a point of personal explanation. I have not said that. My point is that the cards of the hon. Members had reached there first but because hon. Members had not got them they had to secure another card. It is not in the knowledge of the hon. Members but several bottles are being given to each of them (*interruptions*). Therefore, the solution is that the cards should be cancelled. Their colour may be changed or something else be done so that the distribution of milk being distributed wrongly in the names of the poor M.Ps., or the corruption of this sort should be stopped ... (*interruptions*).

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : This sort of discussion is not going to cast a good impression. This question relates to people at large. This House is not opposed to discuss whether the M.Ps. only are getting milk or not.

**अध्यक्ष महोदय** : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस संबंध में जानकारी एकत्रित करें। मैं यह अपनी स्वेच्छा से नहीं कह रहा हूं बल्कि इसलिये कि कुछ संसद् सदस्यों के बारे में आरोप लगाये गये हैं। अतः मंत्री महोदय कृपया यह पता लगायें कि प्रत्येक दुग्ध-डिपो पर किस-किस सदस्य के दो-दो कार्ड हैं और यदि हमें किन्हीं दो-दो कार्डों की जानकारी मिलती है तो हम उन्हें रद्द कर देंगे।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : I beg your pardon Mr. Speaker. After all the M.Ps. are also ordinary human beings. If there is any duplication in card, cannot the Department itself find it out and cancel those duplicate cards? Why your services are required for this purpose ? Also why should it be necessary to have a separate category for the M.Ps. ?

**Mr. Speaker** : These day we are coming across impersonation of MPs. as well. One gentleman posed himself as an MP and cheated Shri Ali Akbar Khan. One more person was staying in a hotel as an MP. There can be such fake MPs. also.

अनेक लोग जाली रूप से संसद् सदस्य बने हुए हैं। अतः मेरे विचार से हमें बहुत सतर्क रहना चाहिये।

**श्री राम सहाय पाण्डे** : इस सभा में ऐसी कुछ भावना पैदा की गई है कि संसद् सदस्यों के कार्डों का दुरुपयोग किया गया है और इन कार्डों का उपयोग करके अनेक लोग दुग्ध प्राप्त कर रहे हैं जोकि एक बहुत ही गलत कार्य है। श्रीमन् आपने मंत्री महोदय को उचित ही निदेश दिये हैं कि वह इस संबंध में जांच करें। स्वयं इसका भी यही अभिप्राय: निकलता है कि सभी संसद् सदस्यों को बिना बात इसमें अन्तर्ग्रस्त किया गया है।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : इसमें जो कठिनाई पैदा होगी वह यह है कि साधारण जनता को अन्य दुग्ध-डिपुओं पर दुग्ध नहीं मिल रहा है और क्योंकि वे जानते हैं कि नार्थ तथा साउथ एवन्यु के दुग्ध डिपुओं पर दूध मिल जाता है इसलिये वे वहां चले आते हैं। अपने तौर पर तो मैं यह भी जानता हूं कि कई बार हमें उन बच्चों को भी एक बोतल दूध देना पड़ता है जिन्हें दूध नहीं मिला हो। आखिर नौकरों के क्वार्टरों में रहने वाले लोगों को भी अपने बच्चों के लिये दूध नहीं मिल रहा है, उन्हें भी दूध मिलना चाहिये। संसद् सदस्यों को ही तो कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होने चाहियें। मंत्री महोदय को पूछे गये प्रश्न का उत्तर देना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने आरंभ में ही कहा है कि यह प्रश्न एक सामान्य प्रश्न था और इसका संसद् सदस्यों से कोई संबंध नहीं है ।

**श्री एस० एम० बनर्जी :** मुख्य प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है । मंत्री महोदय मुख्य प्रश्न का उत्तर दें ।

**वनस्पति में चोरबाजारी**

†*365. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वनस्पति तेल या घी के मूल्य समय-समय पर बढ़ाये जाने पर भी 16½ किलोग्राम के टीन का मूल्य नियंत्रित मूल्य से लगभग 10 रुपये अधिक है; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि या तो सरकार द्वारा मूल्य नियंत्रित न हों या निर्धारित मूल्य सस्ती से लागू किया जाये ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :** (क) ऐसी रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आयी हैं ।

(ख) राज्य सरकारों को इस विषय में लिखा गया है और नियन्त्रित मूल्यों के प्रभावी प्रवर्त्तन के लिए उनसे पग उठाने का अनुरोध किया गया है । उद्योग ने अपने आप राज्य सरकारों को उचित मूल्य की दुकानों से वितरण करने के लिए अपना समूचा उत्पादन देने की पेशकश की है ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** मंत्री महोदय ने यह कहा है कि वनस्पति उद्योग ने सारा उत्पादन राज्य सरकारों को देने का प्रस्ताव किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कार्यवाही क्यों नहीं की गई है और इस बारे में समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई है ?

**प्रो० शेर सिंह :** महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने इसे क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है । मैंने अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी पत्र लिखे हैं, जिनमें उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्य में उत्पादित वनस्पति को अपने नियंत्रण में ले लें और अपने हिस्से का वनस्पति अपने पास रखकर अतिरिक्त वनस्पति को अन्य राज्यों को दे दें और इस बात को सुनिश्चित करें कि नियन्त्रित कीमतों पर राज्यों में उनका उचित वितरण होता है ।

**श्री एस० सी० समन्त :** वनस्पति नियन्त्रण आदेश, 1947 के अनुसार मूल्य का निर्धारण हर पखवाड़े किया जाता है । अगर ऐसा है, तो मेरे प्रश्न में उठाई गई बात कैसे हुई, जिसे सरकार ने भी स्वीकार किया है अर्थात् 16½ किलोग्राम के हर टीन पर नियन्त्रित मूल्य से 10 रुपये अधिक वसूल किये जा रहे हैं ?

**प्रो० शेर सिंह :** जैसा कि मैंने प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में स्वीकार किया है कि हमें इस प्रकार की सूचनायें मिली हैं कि चोर बाजार की कीमतें वसूल की गई हैं । इसलिए हमने राज्य सरकारों को लिखा है और उद्योग से भी अनुरोध किया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि जब कभी वे वनस्पति को किसी विशेष जिले में भेजें, तो उस जिले के सिविल सप्लाई अधिकारी और जिलाधीश को जानकारी दें । हमने राज्य सरकारों से इस बारे में सतर्क रहने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वनस्पति की कीमत नियन्त्रित मूल्य से अधिक न की जाये ।

**श्री राजा कुलकर्णी**: उचित मूल्यों को छोड़कर, क्या कृत्रिम अभाव से कीमतों पर कुप्रभाव नहीं डाला जा रहा है ? क्या बम्बई शहर से, जहां वनस्पति का उत्पादन होता है, सरकार को इस आशय की गंभीर शिकायतें मिली हैं कि वहां कतई वनस्पति सप्लाई नहीं किया जाता ?

**प्रो० शेर सिंह**: हर प्रकार के पैकेज के लिए थोक और खुदरा मूल्य निश्चित किये जाते हैं। सभी कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। यहीं कीमतें वसूल होती हैं। जो व्यक्ति अधिक कीमत वसूल करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के लिए हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया।

**Shri B. P. Maurya** : Mr. Speaker, Sir I would like to know from the honourable Minister whether he has received certain complaints from Modinagar to the effect that the Vanaspati produced there on a large scale is sold in black market ? (*Interruption*) I have sent it myself. I would like to know whether he has received such complaints and if so, what action has been taken thereon ?

**Prof. Sher Singh** : No complaint has been brought to my notice. But I will find out about it. If there be any complaint, I would get it enquired.

**Shri Madhu Limaye** : Nowadays, the control prices of many a items have been fixed, but there is no proper distribution arrangement for Vanaspati, Cloth and yarn. As a result of this, the actual prices charged are higher by 50, 75 and 100 per cent than the control prices fixd by Government but the receipt is issued only of the controlled prices. No tax is paid over this additional income. Why is there any sort of control until there is no proper distribution machinery and whether there would be proper distribution machinery ?

**Prof. Sher Singh** : As the questions pertains to Vanaspati, I said that efforts were made earlier also with the State Governments, and the industry was pursuaded and got prepared to hand over 70 per cent of the production to the State Governments and the latter would arrange its distribution. Some of the States took over the distribution from that time and it went on smoothly.

**Shri B. P. Maurya** : Why only 70 per cent and why not cent per cent ?

**Prof. Sher Singh** : 30 per cent of the production was not taken over, because it was earmarked for those who purchase in bulk such as sweatmeat sellers and others. The rest of the production was earmarked for distribution to the common people and it was implemented. Later on, the industry requested that entire production would be handed over to the state Government, and they would ensure its proper distributon. It has been decided. Wherever it has not been implemented, we have asked the industry to inform the Directorate, collector and District Supply Officer about the dealers to whom the Vanaspati has been sent so that they may have a watch.

**Shri Madhu Limaye** : Sir, My question has not been replied to. I had said that black money is being created by having a difference between actual price charged and the fixed price and no tax is being paid on that money. What steps are being taken to check it ?

**Prof. Sher Singh** : I have already submitted that steps have been taken to sell the product at the control prices and to ensure that the dealers do not charge more.

**Shri A. P. Sharma** : I would like to know as to how many cases have been brought to the notice of the Government where higher price has been charged and what action has been taken by the Government ?

**Prof. Sher Singh** : Mr. speaker, Sir. I do not have figures for all the states, but I would like to furnish the figures for Delhi. During the last three months there have been 89 cases of violation of Hydrogenated Vegetable oil Dealers Licencing order. Cases have also been registered against two licences The licences of one whole sale dealer and one retailer have been cancelled and their security deposits worth Rs. 1,000/- and Rs. 200/- respectively have been forfeited. The investigation is going on in other cases.

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि मूंगफली के तेल की कीमत अधिक होने के कारण वनस्पति निर्माता सरसों के तेल का प्रयोग कर रहे हैं और इसके परिणाम-स्वरूप सरसों के तेल की कीमतें इतनी अधिक हो गई हैं कि सामान्य आदमी उन्हें खरीद नहीं सकता।

**प्रो० शेर सिंह** : अभी हाल ही में हमने वनस्पति के उत्पादन में सरसों के तेल का प्रयोग करने की अनुमति दी है। इसके लिए हमें 15 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है..... (**व्यवधान**)।

## दिल्ली की मार्कीट में आने वाले सामान्य नमक का अशुद्ध होना

*366. **श्री पी० गंगादेव** :

**श्री० श्रीकिशन मोदी** :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने जुलाई, 1973 में (राजस्थान द्वारा भेजे गये) दिल्ली मार्किट में आने वाले 25 वैगन सामान्य नमक को खाने के अयोग्य घोषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नमक में मिली गन्दगी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू)** : (क) 18 जून से 9 अगस्त, 1973 की अवधि के दौरान राजस्थान के मारवाड़ बलिया रेलवे स्टेशन से लाहौरी गेट, दिल्ली के माल गोदाम में साधारण नमक के वैगन पहुंचे। इन कुछेक वैगनों में से 11 नमूने लिये गये। विश्लेषण के बाद यह पाया गया कि ये नमूने विहित मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) घटिया किस्म के नमक की सप्लाई करने के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

**श्री पी० गंगादेव** : इस तथ्य को जानते हुए कि केवल कुछ नमूनों की ही जांच की गयी है, ऐसी संभावना है कि बेईमान लोगों द्वारा ऐसे नमक को रखा और बेचा जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसे नष्ट करने के लिये कुछ कार्यवाही की हैं और बेसन जैसी अन्य वस्तुओं जिनके बारे में भी यह बताया गया है कि वे मानव उपयोग के उपयुक्त नहीं हैं, के संबंध में किस सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाता है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर)** : दिल्ली के सिविल सप्लाई कमिश्नर को यह पता लगाने के लिये कहा गया हैं कि क्या घटिया किस्म के नमक को चमड़ा बनाने वालों को दिया जा सकता है, क्योंकि उसका वह लोग उपयोग कर सकते हैं। उसका उपयोग हानिकर नहीं है और इसलिये इसको पूरी तरह नष्ट करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

**श्री पी० गंगादेव** : क्या सरकार ने इस मामले में किसी व्यक्ति को दंड दिया है और यदि हां, तो इनमें ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली वस्तुओं की सप्लाई करने के लिये उत्तरदायी थे और उनको अब तक दंड दिया गया है और इन अपराधियों को किस प्रकार का दण्ड दिया गया है।

**श्री आर० के० खाडिलकर** : यह बात सही नहीं है कि यह नमक घटिया किस्म का है और इसका उपयोग हानिकर है और यह उपयोग करने योग्य नहीं है। जहां तक कानूनी कार्यवाही का संबंध है, हम दिल्ली के सिविल सप्लाई कमिश्नर की सलाह से कार्यवाही कर सकते हैं। यह नमक इस समय रेलवे रोड में पड़ा हुआ है।

**Shri Shrikishan Modi** : I want to know from the Minister, whether there any arrangement has been made to check the salt at the time of loading so that such standard salt should not be loaded ? May I know whether the Minister knows that these arrangements are existing at the place of loading to check the standard of the salt.

**श्री आर० के० खाडिलकर** : मुझे नोटिस दिया जाना चाहिये। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि लदान करते समय वहां पर कोई एजेंसी इसकी जांच करती है।

**श्री आर० वी० बड़े** : क्या आपको कोई शिकायत मिली है कि बाजार में इस समय बेचे जा रहे नमक में सोपस्येन और चूना पत्थर का चूर्ण मिला होता है।

**श्री आर० के० खाडिलकर** : ऐसे मामलों की जानकारी हमें नहीं है।

**श्री पीलू मोदी** : क्या यह बात सच है कि वैगनों की कमी के कारण सौराष्ट्र और अन्य स्थानों में नमक के भण्डार जमा हो रहे हैं और बाज़ार में कमी का यह प्रमुख कारण है? इस मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के साथ मिल कर इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या पग उठाये हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह एक अच्छा प्रश्न है, किन्तु यहां यह संगत नहीं है।

**श्री पीलू मोदी** : मैं इसे संगत बना देता हूं। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि नगरों को नमक पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं किया जा रहा है, और कमी को पूरा करने के लिये नमक में काफ़ी अपमिश्रण किया जा रहा है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सौराष्ट्र और अन्य स्थानों से, जहां वैगनों की कमी से यह जमा होता जा रहा है, और पर्याप्त मात्रा में इसको सप्लाई करने के लिये आप ने क्या पग उठाये हैं।

**श्री आर० के० खाडिलकर** : वास्तव में हमें पता चला है कि नगरों में इसकी सप्लाई कम हो रही है। किन्तु जहां तक अशुद्धि का संबंध है, हमें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। किन्तु इस पर नज़र रखेंगे।

**Shri Sukhdeo Prasad Verma** : I want to know from he Minister that he has stated that when salt wagons were received in Delhi from various places, samples were taken

and checked. What is the arrangement for checking from the place, where the salt was loaded in the wagons ? Why this salt was not checked there ?

**Mr. Speaker :** This same question was asked by Shri P. Gangadeb and has been answered by the Minister. Now I will take next question.

## Performing of Lumping Puncture for Research

*367. **Shri Darbara Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is the general practice in the world including Russia that 'Lumping Puncture' (taking out water from beneath the backbone) on a child is perfromed only once for research;

(b) whether Government propose to impose similar restriction in India also; and

(c) if not, whether Government propose to maintain a regular record and to study the after-effects of every lumping puncture which is performed ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर)** (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) लम्बर पंक्चर न कि लम्पिग पंक्चर का रिकार्ड अस्पतालों में आम तौर पर रखा जाता है ।

**श्री दरबारा सिंह :** क्या उन्होंने इस विषय पर कोई अनुसंधान किया है तथा इस रोग के कारणों का पता लगा सके हैं ?

**श्री आर० के० खाडिलकर :** दुर्भाग्य से, माननीय सदस्य ने कटि-छेद (लुम्बर पंक्चर) के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया है । विशेष रूप से शिशु में मोनेन्जाइटिस का पता लगाने के लिये प्राय: कटि से जांचार्थ कुछ द्रव निकाला जाता है । इस से अधिक, एक या दो बार लेने पर भी, इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, अत: इस संबंध में अनुसंधान का तो प्रश्न ही नहीं उठता है ।

## National Highways Constructed Statewise

*369. **Shri Chiranjib Jha :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the kilometres of National Highways, State-wise, constructed so far in the country;

(b) the kilometres of National Highways proposed to be constructed during the Fifth Five Year Plan; and

(c) the extent to which the problem of transport would be solved in the backward areas thereby ?

**Minister of Shipping and Transport**

**Shri Rajbahadur** : (a) to (c) A statement giving the required information is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (c) The National Highway Scheme came into being on 1-4-1947. The total length of roads forming part of the N.H. system at that time (1-4-47) stood at 21,440 Kms. which has since been increased to 28,819 Kms. at present. The attached statement shows the State-wise break-up of this total length of 28,819 Kms.

Most of these roads already exist. But they needed to be developed further to bring them on to proper NH standard by removing deficiencies like missing links, low grade sections, unbridged river crossings, weak/narrow pavements/structures, inadequate geometrics, congested/narrow road stretches etc. This is being attended to according to availability of fund.

Proposals for adding about 40,000 Kms. to the existing NH system in the 5th Five-Year Plan have been received from various states, Local Administrations and other authorities.

The extent to which it would be possible to meet this requirement in the 5th Plan will depend upon a number of factors *e.g.* the funds which the Planning Commission may provide for this purpose in the 5th Plan, the *inter-se* priorities of individual schemes among themselves on an all-India basis, and the extent to which individual roads satisfy the criteria laid down for declaring roads as National Highways.

National Highways are planned and developed keeping in view the requirements of the country as a whole and not on any regional or area-wise basis. While therefore, National Highways, also serve, *inter alia* the backward areas falling along the National Highway routes, it is not possible to quantify in precise terms the extent to which the problem of transport would be solved in the backward areas with the development of existing National Highways and the likely addition of new roads to this system in the 5th Plan except to say that an improved and expanded NH system will certainly go a longway in breaking the isolation of the backward areas and bringing them into the mainstream of the national life.

| Sl. No. | Name of state | Length at the beginning of the 4th Plan *i.e.* 1-4-69 | Length added during 4th Plan | Total length in Km. | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Andhra Pradesh . . . | 2299 | — | 2299 | |
| 2. | Assam . . . . | 1190 | 462 | 1652 | 243 Kms. with BRDB |
| 3. | Bihar . . . . | 1867 | 250 | 2117 | |
| 4. | Chandigarh . . . . | — | 24 | 24 | |
| 5. | Delhi . . . . | 72 | — | 72 | |
| 6. | Goa . . . . . | — | 229 | 229 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Gujarat | 1082 | 270 | 1352 | |
| 8. | Haryana | 729 | — | 729 | |
| 9. | Himachal Pradesh | 398 | 232 | 630 | 306 Kms. with BRDB |
| 10. | Jammu & Kashmir | 541 | — | 541 | with BRDB |
| 11. | Kerala | 416 | 317 | 733 | |
| 12. | Madhya Pradesh | 2670 | — | 2670 | |
| 13. | Maharashtra | 2379 | 482 | 2861 | |
| 14. | Manipur | 211 | — | 211 | |
| 15. | Meghalaya | 161 | — | 161 | |
| 16. | Mysore | 1306 | 690 | 1996 | |
| 17. | Nagaland | 110 | 3 | 113 | |
| 18. | Orissa | 1363 | 286 | 1649 | |
| 19. | Punjab | 448 | 417 | 865 | |
| 20. | Rajasthan | 1251 | 906 | 2157 | |
| 21. | Sikkim | 62 | — | 62 | with BRDB |
| 22. | Tamil Nadu | 1698 | 51 | 1749 | |
| 23. | Tripura | — | 200 | 200 | with BRDB |
| 24. | Uttar Pradesh | 2328 | — | 2328 | |
| 25. | West Bengal | 1419 | — | 1419 | |
| | TOTAL : | 24000 | 4819 | 28819 | 1352 Kms. with BRDB |

**Shri Chiranjib Jha** : The statement put by the hon. Minister says that the National Highways, besides other things serve those backward areas also which occur on their routes. But it is not possible to specify precisely as to how far the traffic problems of the backward areas would be solved as a result of the development of existing highways and the construction of additional highways under the five year plan.

Whenever there is a point on economic and agricultural developments of backward areas. It is always said that the industries cannot be set up there and agricultural development is also blocked up for want of traffic facilities. I therefore, want to know that since the Planning Commission has declared the names of backward districts. Why then it is not possible to specify easily as to how long National Highways pass through which districts and in which states ? It is only because of non availability of transport, facilities that neither the industries can be set up there nor can there be development of agriculture. So, do you propose to undertake the development of National Highways in the backward areas duri^g the five year plan period ?

**Shri Raj Bahadur** :

The hon. Member wanted to know how far can the transport problem of the backward areas will be solved as a result of the constructions of National highways. The constructions of National Highways only cannot remove the backwardness of any areas; for that we need link roads also to link the villages and also we have to remove the descrepancies in respect of small left over road pieces,.....cross bridges of bridge-less rivers etc. etc. only that way we can secure traffic facilities. But since all these things are the subject of the states, we can keep a contract only with them.

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर
## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### Discussions Between Representatives of Uttar Pradesh, Orissa, Madhya Pradesh and Government of India for New Highways

*362. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether on the 29th and 30th January 1971, the representatives from Uttar Pradesh, Orissa, and Madhya Pradesh and representatives from the concerned Departments of Government of India held a meeting in New Delhi to discuss the proposals for new National Highways passing through the South-Eastern part of India including the eastern part of Madhya Pradesh;

(b) whether the Chief Director (Road Development) state in that meeting that some of the roads proposed by Madhya Pradesh were suitable for being declared as National Highways; and

(c) whether these roads have not been declared National Highways so far; if so, the reasons therefor ?

**The Minister of Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur)** : (a) to (c) Presumably the Member is having in mind the special meeting of the Transport and Communications Committe of the Joint Planning Board set up by the Planning Commission for formulating a regional plan for the South East Resources region comprising parts of Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh and Orissa. The meeting held at Delhi on the 29th and 30th January 1971 was attended by representatives of the Governments of Bihar, Madhya Pradesh, Orissa and Uttar Pradesh as also of the concerned Ministries and Departments of the Government of India. A number of subjects were discussed at that meeting including "proposals for new National Highways in the area".

2. At the meeting a number of roads in the four States were projected for inclusion in the National Highway system. Commenting on the eligibility of these roads for inclusion in the National Highway system the Director General (Road Development) had indicated that only some of the roads from out of those projected were eligible for being taken up for consideration for their addition to the National Highway system. Only those roads which fulfilled the prescribed criteria for inclusion in the Natonal Highway network are taken up for further examination along with similar other roads from all the other States in the country and the declaration of a particular road as a National Highway

depends on a number of factors viz. *inter se* priorities of various proposals, limitations of financial resources etc. The roads about whose eligibility an opinion had been expressed by the Director General (Road Development) could not finally be included in the National Highway system during the Fourth Plan due to financial constraints and higher claims of other roads from out of total proposals from all States for approx. 32,000 Kms.

**वन्य पशुओं और उनकी खालों आदि के निर्बाध व्यापार पर रोक लगाना**

*364. **श्री एम० रा.म गोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन्य पशुओं और उनकी खालों आदि के निर्बाध व्यापार पर रोक लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) जी हां, लेकिन केवल वन्य पशु (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 तक में निर्दिष्ट मामलों में।

(ख) यह वन्य पशुओं को बचाने के लिये किया गया है।

**दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध प्राप्ति क्षेत्र (मिल्क शैड एरिया) का सीमांकन**

*368 **श्री ईन्द्रजीत मलहोत्रा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक लेखा समिति के 57वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिश के अनुसार वर्तमान दुग्ध उत्पाद कारखानों तथा दिल्ली दुग्ध योजना के बीच दुग्ध प्राप्ति क्षेत्रों (मिल्क शैड एरिया) का सीमांकन करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) दिल्ली दूग्ध योजना के लिए दुग्ध एकत्र करने हेतु कौन-कौन से क्षेत्रों का सइ समय सीमांकन किया हुआ है;

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने अतिरिक्त क्षेत्रों की मांग की है; और

(घ) कौन से अतिरिक्त क्षेत्रों का आवंटन किया जा चुका है अथवा आवंटित किये जाने के लिए विचाराधीन है और किये गये अध्ययन के निष्कर्ष क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) लोक लेखा समिति ने दुग्ध प्राप्ति क्षेत्रों के सीमांकन की सिफारिश नहीं की है। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की प्राप्ति बढ़ाये जाने संबंधी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए एक उपाय यह किया गया है कि दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध प्राप्ति क्षेत्रों के दुग्ध उत्पाद कारखानों के लिए दुग्ध प्राप्ति के क्षेत्रों का सीमांकन कर दिया जाये। इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों और औद्योगिक विकास मंत्रालय से कहा जा रहा है जो कि इन्हें लाइसेंस देता है।

(ख) आपरेशन फलड कार्यक्रम के अनुरुप दिल्ली दुग्ध योजना के लिए सीमांकन दुग्ध प्राप्ति क्षेत्र ये हैं—1. उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, मुज्जफरनगर और बुलन्दशहर, 2. हरियाणा में गुड़गांव, करनाल और रोहतक, 3. पंजाब में फिरोजपूर, जालंधर, भटिंडा, लुधियाना और गुरदासपुर, 4. राजस्थान में अलवर और बीकानेर।

(ग) जी नही ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**Scheme for development of Library of Nagari Pracharini**

*370. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Education, Social, Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the outlines of the scheme for the development of the library of Nagari Pracharini as a National Hindi library; and

(b) the concrete steps taken by Government to make this scheme successful and the work done this year in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav)** : (a) and (b) Government have under consideration a proposal to assist in the development of the library of the Nagari Pracharini Sabha, Varanasi during the Fifth Plan period. The tentative scheme, to which the agreement of the Nagari Pracharini Sabha will be necessary before it could be implemented, envisages expansion of accommodation and reference and reading room facilities. Funds will also be provided after a final decision has been taken by Government, for acquistion of books, classification and cataloguing, printing of catalogues, preservation of manuscripts microfilming of rate materials etc. The scheme has been included in the Fifth Five-Year Plan proposals of the Ministry of Education and Social Welfare. These proposals are under the consideration of the Planning Commission. Owing to constraint of resources it has not been possible to provide substantial financial assistance to the library during the current Five Year Plan.

**Misappropriation of Fertilizer in Faizabad, U.P.**

*371. **Shri R.V. Bade:**

**Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether misappropriation of Rs. 90 lakhs in Fertilizers has come to light in Faizdabad (Uttar Pradesh); and

(b) if so, the persons responsible for the same and action taken against the culprits?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde)** (a) The Uttar Pradesh State Government have intimated that a case of suspected misappropriation of fertilisers at the State Government Regional Buffer Godown at Faizabad was reported. However, the amount, alleged to have been misappropriated was Rs. 32,26,883.74 and not Rs. 90 lakhs as referred to by the Hon'ble Member. The State Government have further reported that as a result of detailed scrutiny of the relevant documents, accounts for Rs. 28,75,912.47 have been reconciled. Investigation regarding the balance amount is in progress.

(b) The Incharge of the Regional Buffer Godown Faizabad, has been placed under suspension and departmental proceedings have already been intiated against him. He has also been arrested after complaint has been registered with the police. The matter has been referred for detailed investigation by the State Government to the Special Police (CID) Investigation Cell of the Agriculture Department. In addition, three former Deputy Directors of Agriculture Faizabad are being charge sheeted.

**पिछड़े क्षेत्रों में डेरी परियोजनाओं को विशेष रियायतें देने की योजना**

*372. **श्री इ० वी० विख्पे पाटिल :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों में डेरी परियोजनाओं को विशेष रियायतें/सुविधायें देने के लिए कोई योजना चला रही है या चलाना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :** (क) तथा (ख) डेरी योजनाओं के लिए क्षेत्रों का चयन शहरी उपभोक्ताओं की दूध की आवश्यकताओं और उस क्षेत्र में विद्यमान क्षमता के आधार पर किया जाता है। सामान्यतः ये योजनाएं विशेष रुप से पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए नहीं बनाई जाती, लेकिन अलग अलग राज्य कम विकसित क्षेत्रों में डेरी के विकास को तरजीह और प्राथमिकता देते हैं।

**हरित क्रान्ति को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता**

*373. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरित क्रान्ति को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर विचार किया गया है; और

(ख) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) जी हां।

(ख) ऐसी किस्मों के विकास की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया गया है जिन पर कीटों और रोगों का असर न हो, जिनमें उपभोक्ताओं की रुचि के अनुकूल बेहतर किस्म के दाने पड़ते हैं और जिन्हें वर्षा पर आश्रित कृषि के लिए अपनाया जा सकता है तथा जो देश में विभिन्न कृषि तथा जलवायु संबंधी परिस्थितियों में बारानी खेती के अनुकूल बनाई जा सकती हैं।

2. अनुसंधान, विस्तार और किसानों के बीच की खाई भरने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 1971 से चावल का एक 'मिनीकिट प्रोग्राम' हाथ में लिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्ग हाल में निर्मुक्त और निमुक्ति पूर्व किस्मों का किसानों के खेतों और जिला फार्मों में बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जाता है। किसानों के सहयोग से बिस्तार कार्यकर्ता नई किस्मों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं और इन परीक्षणों के परिणाम विभिन्न कृषि और जलवायु संबंधी परिस्थितियों के लिये उपयुक्त किस्मों का चुनाव करने में सहायक होते हैं।

3. विशेषतौर पर चावल के मामले में भूमि और जल प्रबन्ध की तकनीकों की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

4. उपर्युक्त उपायों के अलावा सिचाई जल के अधिकतम प्रयोग के फसल जल्दी पैदा करना तथा फसलों की उत्पादिता बढ़ाने की दृष्टि से कमांड क्षेत्र विकास को उच्च प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है ।

**Survey to Start Water Transport from Patna to Ayodhya in Ghagra River**

*374. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) for how long the survey has been going on to start water transport service from Patna to Ayodhya in Ghagra river and the time by which it would be completed; and

(b) the exact date by which water transport service would be started in Ghagra river on the basis of the said survey ?

**The Minister of Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur)** : (a) & (b) The Uttar Pradesh Government had been requested to conduct a detailed hydrographic and traffic survey for preparation of a scheme for running river services on the river Ghagra between Chapra and Dhorighat in September, 1972. The State Government has also been offered necessary assistance and guidance in the preparation of a detailed project report in September, 1972. The question of water transport service will be considered after the results of the survey have been made available by the State Government. It is not possible at this stage to indicate by what time the transport service will be started on Ghagra river.

**भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के माध्यम से वित्त-पोषित अनुसंधान कार्यों की उपयोगिता का मूल्यांकन**

*375. **श्री पो० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के माध्यम से वित्त पोषित अनुसंधान कार्यों की उपयोगिता का मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य किस प्रकार के हैं तथा इनकी उपयोगिता क्या है और वर्ष 1972-1973 के दौरान इत्येक अनुसंधान कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

**आगामी तीन वर्षों में स्थापित किये जाने वाले शिपयार्ड**

*376. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :**

**श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शिपयार्डों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनके देश में आगामी तीन वर्षों में स्थापित किये जाने की सम्भावना है,

(ख) तत्संबंधी मुख्य बात क्या है, और

(ग) इस प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि नियत की गई है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग) विभिन्न समुद्रों राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में नये शिपायार्डों की स्थापाना के लिए प्रस्ताव भेजे हैं । राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थानों का मूल्याकन करने के लिए एक तकनीकी-आर्थिक कार्य दल की स्थापना की गई है ।

नये शिपयार्डों की स्थापना और नियक किये जाने वाले धन संबंधी प्रस्ताव भी योजना आयोग को भेज दिए गए हैं और इस समय उन पर विचार किया जा रहा है । नये शिपयार्डों की स्थापना के बारे में अन्तिम फैसला, पांचवीं योजना के विषय वस्तु जानने के बाद ही किया जाएगा और उनके स्थान

के संबंध में निर्णय तकनीकी-आर्थिक दल और हल्दिया में शिपयार्ड की स्थापना संबंधी कार्यदल की सिफारिशों के प्रकाश में किया जायेगा ।

**अन्तराष्ट्रीय पर्वतारोहियों की बैठक की विरुद्ध समाचार पत्रों में आलोचना**

*377. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

क्या **शिक्षा, समाजा कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान, हाल में दारजीलिंग में हुई अन्तर्राष्ट्रीय पर्वतारोहियों की बैठक के बारे में पश्चिम बंगाल के समाचार पत्रों में की गई आलोचना की ओर दिलाया गया है ;

(ख) किन कार्यक्रमों में भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया और क्या कोई ऐसे कार्यक्रम भी थे जिनमें भारतीय प्रतिनिधियों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) 19 मई, 1973 को आनन्द बाजार पत्रिका में प्रकाशित एक लघु अग्रलेख की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ।

(ख) भारतीय पर्वतारोही संस्था द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जिसने कि बैठक का आयोजन किया था, बैठक के लिये कार्यक्रम में सेमिनार/सम्मेलन, फिल्म शो, भाषण, प्रश्न तथा उत्तर सम्मिलित थे । बैठक में उपस्थित भारतीय प्रतिनिधियों ने इन सभी अवसरों पर भाग लिया तथा पर्वतारोहण के विभिन्न पहलुओं पर लेख भी पढ़े ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**भारत-पाकिस्तान-ब्रिटेन महाद्वीपीय सम्मेलन में लिये गये निर्णय**

*378. **श्री वीरभद्र सिंह :**

**श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, पाकिस्तान और ब्रिटेन के महाद्वीपीय **नौवहन** प्रतिनिधि मण्डलों ने अखिल भारतीय जहाज मालिक परिषद् के साथ भाड़े में वृद्धि के प्रस्ताव पर चर्चा की थी, और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं, और चर्चा के क्या परिणाम निकले ।

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां ।

(ख) भारत-यू० के० सम्मेलन का मूल प्रस्ताव भारत से यू० के०/महाद्वीपीय पत्तनों तक भाड़ा दरों में 22.8 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि थी । उन्होंने 30 सितम्बर, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए और 31 जनवरी, 1973 को समाप्त होने वाली 16 महीने की अवधि के लिए अपने व्यय और आय का विस्तृत लेखा दिया था । भाड़ा दरों में ऐसी वृद्धि के विरुद्ध आल इण्डिया शिपर्स कौंसल ने सक्रिय रूप से विरोध किया था । व्यापक विचार विमर्श के बाद, सम्मेलन ने अब भारत से यू० के०/

महाद्वीपीय पत्तनों तक 12.5 प्रतिशत की सामान्य भाड़ा वृद्धि और 7.5 प्रतिशत की प्रतिकूल वृद्धि दोनों 1-10-1973 से प्रवृत्त होंगे । सूक्ष्म वस्तुओं के लिए रिआयत देने हेतु भी वे सहमत हो गए हैं और जिसके संबंध में सम्मेलन ने, आल इण्डिया शिपर्स कौंसल की सूची भेजने के लिए अनुरोध किया है ।

**चौगुले बंधुओं के स्वामित्व वाली कोंकण यात्री सेवाओं का सरकारीकरण**

*379. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि : क्या चौगुले बंधुओं के स्वामित्व वाली और उनके द्वारा संचालित कोंकण यात्री सेवाओं के सरकारीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : कोंकण तटीय यात्री नौवहन सेवाओं के कार्यकुशल और मितव्ययी परिचालन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

**कालिज तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतन ढांचे पर सेन समिति का प्रतिवेदन**

*380. **श्री राजराज सिंह देव** :

**श्री बनग्रली पटनायक** :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालिजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन ढांचे की जांच करने के लिये नियुक्त की गई सेन समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो कालिज तथा विश्वविद्लालय के शिक्षकों के वेतन ढांचे के सम्बन्ध में सेन समिति ने क्या मुख्य सिफारशें की हैं तथा क्या विचार व्यक्त किये हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) से (ग) : विश्वविद्यालयों और कालिजों के अध्यापकों के वेतन-मानों के संबंध में सेन समिति की रिपोर्ट पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों की सरकार जांच कर रही है ।

**स्थायी प्राथमिक अध्यापकों और स्थायी पदों की संख्या में अन्तर**

3572. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक स्कूल अध्यापक अपनी नियुक्ति के 2-3 वर्ष बाद स्थायी बना दिये जाते हैं जबकि केवल पांच वर्षों के बाद इन अध्यापकों के स्थायी पदों की संख्या पर निगम द्वारा पुनर्विचार किया जाता है जिसके कारण स्थायी प्राथमिक अध्यापकों और स्थायी पदों की संख्या में अंतर रह जाता है, और

(ख) यदि हां, तो 5 सितम्बर, 1971 और 5 सितम्बर, 1972 को स्थायी प्राथमिक अध्यापकों और स्थाई पदों की संख्या क्रमशः कितनी थी ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) नगर निगम के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को 2 अथवा 3 वर्षों की सेवा के बाद स्थायी किया जाता है । बशर्ते कि उनके विरुद्ध कोई आपत्तिजनक बात न हो, और स्थायी पद उपलब्ध हों । निगम ने ऐसा

संकल्प भी पारित किया है कि चौथी आयोजना अवधि के दौरान बनाये गये पदों को, तीन वर्ष पूरे हो जाने पर, स्थायी घोषित कर दिया जायेगा । पांच वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षण किया जाता है ।

(ख) 5 सितम्बर, 1971 तथा 5 सितम्बर, 1972 को स्थायी पदों की कुल संख्या 10,015 थी और उनके विरुद्ध स्थाई किए गए अध्यापकों की कुल संख्या 9719 है ।

**दिल्ली नगर निगम के स्थाई प्राथमिक अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड देना**

3573. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने 15 प्रतिशत स्थाई प्राथमिक अध्यापकों अथवा 5 सितम्बर, 1971 को जितने स्थाई पद थे उनके 15 प्रतिशत अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड दिया है ।

(ख) क्या ऐसे प्राथमिक अध्यापकों को, जो 5 सितम्बर, 1971 के बाद स्थाई पदों के 15 प्रतिशत में आने के पात्र बन सकते थे, सिलेक्शन ग्रेड देने के प्रयोजन से 5 सितम्बर, 1971 बाद स्थायी प्राथमिक अध्यापकों की सूचियों पर कोई पुनर्विचार नहीं किया गया, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 5 सितम्बर, 1971 के बाद सिलेक्शन ग्रेड के पात्र अध्यापकों की सूची पर पुनर्विचार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) दिल्ली नगर निगम ने 5-9-1971 को कुल स्थायी पदों के 15 प्रतिशत अध्यापकों को प्रवरण (सिलेक्शन) ग्रेड दिया है ।

**(ख) और (ग)** : 5-9-1971 के पश्चात् प्रवरण ग्रेड के पात्र अध्यापकों की सूची का पुनरीक्षण करने के लिये निगम द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

**दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का उल्लंघन**

3574. **श्री मोहन राज** : क्या **कृषि** मंत्री दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का उल्लघन करने के बारे में 16 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7112 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी श्रेणी और इस बीच तीसरी श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदोन्नत कर्मचारियों से सम्बन्धित केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और अन्य केन्द्रीय सेवा नियम और विनयमों का उल्लघन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन-किन नियमों का उल्लंघन किया गया और उक्त सम्बन्धिता कर्मचारी किन पदों पर हैं जिनकी विरुद्ध 1972-73 के दौरान कार्यवाही की गई थी अथवा करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) उक्त अधिकारियों के विरुद्ध आरम्भ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : **(क) तथा (ख)** अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

**दिल्ली में वनस्पति घी/तेल बनाने वाले एककों की स्थापना के लिए लाइसेंस देना**

3575. **श्री मोहन राज :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में गैर-सरकारी क्षेत्र में 100 टन तथा इससे अधिक क्षमतावाले वनस्पति घी/तेल बनाने वाले एककों की स्थापना हेतु लाइसेंस जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा यह इस समय किस चरण पर है, और

(ग) किन पार्टियों ने इस संबंध में पहले ही आवेदन-पत्र दिये हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

**आस्ट्रियाई सरकार की छात्रवृत्तियां देने के लिए अभ्यार्थियों का चयन**

3576. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रियाई सरकार की वर्ष 1973-74 की छात्रवृत्तियां देने के लिए बिना इंटरव्यू लिए अभ्यार्थियों का चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अभ्यार्थियों के चयन में अपनाये जाने वाले प्रक्रिया मापदंड क्या है,

(ग) चयन किए गए अभ्यार्थियों के नाम और उनकी अर्हताएं क्या हैं; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है कि विभिन्न विदेशी छात्रवृत्तियां देने की योजनाओं के अन्तर्गत समान प्रक्रिया का पालन किया जाये ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) और (ख) आस्ट्रियाई सरकार की 1973-74 की छात्रवृत्तियों के लिये उम्मीदवारों का चयन, इस प्रयोजन के लिये नियुक्त प्रवरण समिति द्वारा उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के आधार पर किया गया है । सामान्यतः कुछ (संक्षिप्त सूची के) उम्मीदवारों को आगे साक्षात्कार के लिये बुलाया जाना परन्तु समय की कमी के कारण इस वर्ष चयन आवेदन पत्रों की जांच करके ही करना पड़ा था वरना छात्रवृत्ति के प्रस्तावों की अवधि समाप्त हो गई होती ।

(ग) विवरण संलग्न है ।

(घ) विदेशों द्वारा पेश की गई छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिये एक एकरूप पद्धति तैयार की गई है । ये छात्रवृत्तियां विज्ञापित करके उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किया जाता है जिनकी जांच विशेषरुप से नियुक्त एक प्रवरण समिति द्वारा की जाती है । चुने हुए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जाता है जिसके बाद प्रवरण समिति के निर्णयों को अंतिम रूप दिया जाता है उच्च विशिष्ट प्रकार की छात्रवृत्तियों के मामले में आवेदन पत्र संस्थाओं के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं जो विशेषरूप से उस विषय से सम्बन्धित हों ।

**विवरण**

**आस्ट्रियाई सरकार की छात्रवृत्ति योजना 1973-74 के अन्तर्गत प्रवरण समिति द्वारा चुने गए उम्मीदवारों की सूची**

| क्रम संख्या उम्मीदवार का नाम | योग्यता | विषय |
|---|---|---|
| **खनिज खोज, अनुसंधान आर खनन** | | |
| 1. श्री वी० के० बोरदिया | बी० एस० सी० खनन इंजीनियरी | खनन और अनुसंधान |
| 2. श्री वी० एन० पांडे | बी० इंजीनियरी (खनन) | वही |
| 3. श्री पी० एम० मूर्ति | एम० एस० सी० (भू-विज्ञान) | भू-विज्ञान |
| 4. श्री एस० एस० रतन | एम० एस० सी० (भू-विज्ञान) | वही |
| 5. श्री राजनारायण सिंह | एम० एस० सी० (भू-भौतिकी) | वही |
| 6. श्री पी० वी० विश्वनाथ | एम० एस० सी० (भू-विज्ञान) | वही |
| **चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा** | | |
| 7. डा० के०के० अग्रवाल | एम० एस० (आंख,नाक,गला) | घ्राण-विज्ञान तथा कर्ण-विज्ञान |
| 8. डा० एम० के० मित्तल | एम० डी० (सामान्य औषधि) | तन्त्री विज्ञान |
| 9. डा० आर० आर० एस० कोठारी | एम० एस० (नेत्रविज्ञान) | नेत्र औषधि तथा शल्य |
| 10. डा० वी० एन० सिंह | एम० डी० (नेत्रविज्ञान)<br>एम० ए० एम० एस० (वही) | नेत्र-विज्ञान |
| 11. डा० (कु०) के० कर्वे | एम० डी० (बालरोग) | बालरोग |
| 12. डा० एम० गोविन्दाराजन | एम० डी० (रेडियो-निदान) | रेडियो-विज्ञान |
| 13. डा० पूरन प्रकाश | एम० एस० (सामान्य शल्य चिकित्सा) | शल्य चिकित्सा |
| **होटल प्रबन्ध तथा पर्यटन** | | |
| 14. श्री पी० ओ० चेरियन | विशेष होटल प्रबन्ध में डिप्लोमा, प्लाजा होटल, बम्बई में कार्य कर रहे, अनुभव 2 वर्ष से अधिक | होटल प्रबंध |
| 15. श्री अरविन्द सागर | होटल प्रबंध में डिप्लोमा, ओबेराय इंटरकान्टिनेन्टल होटल में कार्य कर रहे, अनुभव 2 वर्ष से अधिक | वही |

| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | योग्यता | विषय |
|---|---|---|---|
| 16. | श्री एन० के० पिपलानी | होटल प्रबन्ध, भोजन प्रबन्ध और पौष्टिक खाद्य में डिप्लोमा होटल अशोका बंगलोर में कार्य कर रहे, अनुभव 2 वर्ष से अधिक | होटल प्रबन्ध |
| 17. | श्री पी० के० मुखर्जी | होटल प्रबंध, भोजन प्रबंन्ध प्रौद्योगिकी तथा प्रयुक्त पौष्टिक खाद्य में डिप्लोमा, खाद्य भोजन प्रबंध संस्थान लखनऊ में कार्य कर रहे अनुभव 6 वर्ष से अधिक | वही |
| 18. | श्री एन० बी० पटेल | होटल प्रबंध तथा भोजन प्रबंध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा भारतीय होटल क० लि० में कार्य कर रहे हैं । अनुभव लगभग 2 वर्ष | वही |
| 19. | कु० एम० आर० वाटलीवाला | होटल प्रबंध तथा भोजन प्रबंध में डिप्लोमा । होटल प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ताज महल होटल में कार्य कर रही है अनुभव 2 वर्षों से अधिक | वही |
| 20. | श्री वी० अलबुक्यूरक्यू | होटल प्रबंध तथा भोजन प्रबंध में डिप्लोमा । विशिष्ट होटल प्रबंध में डिप्लोमा जलपानगृह तथा काउन्टर सेवा में प्रमाण-पत्र । होटल-स्वागत तथा पुस्तक-लेखन में कौशल पाठ्यक्रम सन-एन-सैन्ड होटल में कार्य कर रहे, अनुभव 2 वर्षों से अधिक | वही |

| क्रम सं० | उम्मीदवार का नाम | योग्यता | विषय |
|---|---|---|---|
| | | **पर्यटन** | |
| 21. | श्री डी० भार्गव | एम० एल० सी०<br>भारतीय पर्यटन विकास निगम,<br>यूनिट अशोका होटल में<br>कार्य कर रहे,<br>अनुभव 3 वर्ष | पर्यटन |

**महिलाओं का दर्जा संबंधी समिति द्वारा विभिन्न संस्थाओं से भेंट**

3577. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं का दर्जा संबंधी समिति ने अपनी नियुक्ति के समय से अब तक किन-किन संस्थाओं से भेंट की है ;

(ख) क्या यह समिति नारी कल्याण केन्द्र, जो मंत्रिमडल सचिवालय द्वारा चलाई जा रही है, में भी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो महिला कल्याण केंद्र, नई दिल्ली में काम करने वाली महिला कर्मचारियों और दस्तकारी अध्यापिकाओं के बारे में समिति के निष्कर्ष क्या हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) भारत में स्त्रियों की हैसियत से सम्बद्ध समिति द्वारा भेंट की गई संस्थाओं की एक सूची संलग्न है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**विवरण**

भारत में स्त्रियों की हैसियत से सम्बद्ध समिति द्वारा भेंट की गई संस्थाओं के नाम

1. महिला आश्रम, करनाल, हरियाणा ।
2. औद्योगिक स्कूल, करनाल, हरियाणा ।
3. कस्तुर्बा बालवाडी केन्द्र, मंडी, हिमाचल प्रदेश ।
4. आश्रम स्कूल, बस्तर, मध्य प्रदेश ।
5. पुलिसवालों के परिवारों के लिए कल्याण केन्द्र, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
6. नारी निकेतन, बम्बई, महाराष्ट्र ।
7. तम्बारम सर्विसिस होम, मद्रास, तामिल नाडु ।

8. निराश्रित स्त्रियों और बच्चों के लिए गिल्ड सर्विस कम्पलैक्स, मद्रास, तामिल नाडु ।

9. निर्मला निकेतन, बम्बई, महाराष्ट्र ।

10. निराश्रित स्त्रियों के लिए राज्य गृह, मशोबरा, हिमाचल प्रदेश ।

11. बाल आश्रम, मशोबरा, हिमाचल प्रदेश ।

12. मंडी हायर सेकेण्डरी स्कूल, हिमाचल प्रदेश ।

13. शिक्षा, मंदिर, वार्ली, बम्बई, महाराष्ट्र ।

14. महाराष्ट्र सहकारी उद्योग, बम्बई, महाराष्ट्र ।

15. हरिजन सेवक, संघ दिल्ली ।

16. सरस्वती साखी संघम, दरया गंज, दिल्ली ।

17. श्री महिला गृत उद्योग, बम्बई, (महाराष्ट्र) ।

18. दादर भगिनी समाज, बम्बई (महाराष्ट्र) ।

19. औद्योगिक सहकारी सोसाईटी, बंगलूर ।

(केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा प्रयोजित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का सहायक एकक)

20. कन्या पाठशाला, जावन, अलीगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश ।

21. लड़कों के लिए जूनियर हाई स्कूल, जावन, उत्तर प्रदेश ।

22. आदिवासियों के लिए ग्राम प्राइमरी स्कूल, चिवकूट और जगदलपुर के बीज, मध्य प्रदेश ।

23. बुरजेस स्कूल, बिलासपुर, मध्य प्रदेश ।

24. लड़कियों के लिए हायर सेकेण्डरी स्कूल, रेवा, मध्य प्रदेश ।

25. लड़कियों के लिए हायर सेकेण्डरी स्कूल, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश ।

26. कान्वेन्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल, इटारसी, मध्य प्रदेश ।

27. वयस्क शिक्षा, विभाग (एक्सटेन्शन), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।

**Demand to Fix Procurement Price on the Basis of Production cost of Crop**

3578. **Shri Chandu Lal Chandrakar:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have received any demand from the Indian Farmers' Union and other Farmers Organisations that procurement price by Government should be fixed on the basis of production cost of the crop;

(b) if so, the extent to which Government had agreed to it; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :** (a) Representations to that effect have been received.

(b) & (c) : Taking the cost of production and other relevant factors into account, the support prices of kharif cereals for 1973-74 season have been fixed at a level much higher than for 1972-73.

**Accumulated Stock of Urea in Central Government Godown in Meerut, Uttar Pradesh**

3579. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether about 8,000 tons of urea is lying unused in a godown of Central Government in Meerut, U. P., while the farmers are in difficulty about fertilizers;

(b) whether a bag of fertilizers costing Rs. 48/- is available for Rs. 70 in the black market ;

(c) the detailed position in this regard; and

(d) the action being taken for making fertilizers available to the farmers on reasonable price ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde)** : (a) No Sir. The date from which 8,000 tonnes of Pool Urea was supposed to be in the Meerut Centre of the U.P. State Warehousing Corporation has not been indicated in the Question. However, according to the weekly stock position received from the U. P. State Warehousing Corporation, the maximum quantity of Pool Urea that has been held in the Meerut Centre of the U. P. State Warehousing Corporation recently, *i.e.* from 1st June, 1973 onwards has been 5,459.350 tons on 14th July, 1973. All this fertiliser is already alloted to the U. P. Government and has been in the process of lifting and despatch. On 16-8-1973 only about 2705 tonnes of Pool Urea was left in the Meerut Centre of U.P. State Warehousing Corporation.

(b) There are some reports of blackmarketing in the State but there is no specific information about the actual prices charged from the farmers in these cases.

(c) Since April, 1973, action against 21 dealers of Meerut District has been taken so far for indulging in mal-practices. Out of these, registration certificates of 6 dealers have been cancelled, cases against 3 dealers are under investigation by the Police and 12 dealers have been charge-sheeted.

(d) Imported fertilisers constitute nearly half of the total amount of fertilisers consumed in India. A retail price discipline is maintained through statutory retail price fixation, both for imported and indigenous, of Sulphate of Ammonium, Urea and Calcium Ammonium Nitrate, which account for nearly 60% of the fertilisers sold in India. Also maximum retail prices are advised to the States in the case of other fertilisers supplied by the Central Government. The imported fertilisers are routed through State Governments who make arrangements for their distribution. Potash, which is wholly imported, constitute 12% of the fertiliser consumption in India and its retail price is regulated by the Government of India. Price of Superphosphate, which constitutes about 8% of total nutrients consumed in the country, is also regulated at the factory level by the Fertiliser Association of India, according to a formula approved by Government. This formula permits increase

in prices and compels reduction therein in accordance with fluctuations in prices of the principal raw materials—rock phosphate and sulphur.

Though the prices of other fertilisers about 20% of those used in the country are not controlled/regulated directly, the predominent role played by the Central Pool supplies, especially of DAP and NPK fertilisers, induces a price discipline amongst indigenous producers, conditioned only by their cost of production.

The price situation in the country is thus influenced by the issue prices of imported fertilisers, which have not registered any appreciable increase during the last five years except those necessitated by certain central levies. To check mal-practices and irregularities, the State Governments have been given adequate powers under the Essential Commodities Act and the Fertiliser Control Order to make checks, seize stocks and prosecute black-marketeers in three most important fertilisers whose prices are controlled. Recently the Government of India has also declared that offences under the Essential Commodities Act can be tried under the Summary Procedure which should expedite the prosecution of offenders, avoiding dilatory procedures required for normal trials.

**केरल को राज्य में सामूहिक कृषि फार्म की स्थापना के लिये केन्द्रीय सहायता**

3580 **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में राज्य संचालित अथवा सामूहिक कृषि फार्मों की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सामूहिक अथवा राज्य के स्वामित्व में फार्मों की स्थापना के लिये कोई विशेष सहायता नहीं मांगी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**निकोबार द्वीप के निवासियों को बसाने के लिए लिटल अन्डामान्स में जंगलों को साफ किया जाना और उनसे प्राप्त आय**

3581. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकोबार द्वीप के निवासियों को बसाने के लिए लिटल अन्डामान्स में 6000 एकड़ जंगलों को साफ किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में कुल कितनी इमारती लकड़ी प्राप्त हुई है और उससे कुल आय कितनी प्राप्त हुई है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : **(क) तथा (ख)** सूचना अन्डमान प्रशासन से मांगी गई है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**कोचीन बंदरगाह पर माल चढ़ाने-उतारने की सुविधाओं का उपलब्ध न होना**

3582. **श्री वयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोचीन बंदरगाह में निर्यातकों को माल चढ़ाने-उतारने की सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण वहां बड़ी मात्रा में माल जमा हो गया है और इससे उस बंदरगाह से निर्यात बहुत कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो माल चढ़ाने-उतारने की सुविधाओं की अत्यधिक कमी के क्या कारण हैं, और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख)** जून, 1973 के दौरान कोचीन पत्तन पर दो हड़तालें हुई। एक स्टीमर पर्यवेक्षक/नौभरण प्रबंधक और दूसरी गोदी श्रमिकों द्वारा की गई जिसके कारण निर्यात माल के पोत लदान में विलम्ब हुआ और पत्तन पर भारी मात्रा में माल जमा हो गया। लगभग सभी जमा हुआ माल ढोया जा चुका है और पत्तन पर माल की धराउठाई की सुविधाओं में कमी के कारण से अब कोई जमाव नहीं है।

**कृषि सेवा परराष्ट्रीय गोष्ठी**

3583. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि सेवा के बारे में नई दिल्ली में मई, 1973 में कोई गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें किसानों के लिये पैकेज सेवा आरम्भ करने का निर्णय लिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सुझाव स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) उक्त गोष्ठी में और क्या सुझाव दिये गये ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) जी हां।

(ख) विचार-गोष्ठी ने सिफारिश की थी कि कृषि सेवा केन्द्र को फार्म मशीनरी की मरम्मत भाड़ा संबंधी कार्य के अतिरिक्त उर्वरकों, फालतू पुर्जों, कीटनाशियों, ईंधन और स्नेहक-तेल तथा बीज आदि आदानों की परचून बिक्री का कार्य भी करना चाहिये।

(ग) विचार-गोष्ठी की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(घ) विचार-गोष्ठी के अन्य महत्वपूर्ण सुझावों से संबंधित एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

18 और 19 मई, 1973 को हुई कृषि सेवा संबंधी विचार-गोष्ठी की अन्य सिफारिशों का सार:--

1. प्रोत्साहन संबंधी उपाय के रूप में उद्यमियों को प्रथम पांच वर्षों के लिए बिक्रय-कर और आयकर की अदायगी से छूट दी जाए।
2. राज्य कृषि-उद्योग निगमों को कृषि सेवा केन्द्रों की कार्यनिष्पति का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करना चाहिए।
3. तमिलनाडु और उड़ीसा की सरकार कृषि सेवा केन्द्रों की योजना का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए।

4. चयन करने के मामले में संबंधित उद्यमकर्त्ता के व्यक्तित्व, ग्रामीण और यांत्रिकी क्षमता, कृषि संबंधी पृष्टभूमि और ग्रामीण परिस्थितियों में अनुकूलता पर बल दिया, जाना चाहिए।

5. उपस्कर, शिक्षण संबंधी सहायता और कर्मचारियों की सुविधाओं के बारे में मौजूदा प्रशिक्षण, सुविधाओं के आवर्ती व्यय और भावी मार्गदर्शन की सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए। उद्यमकर्त्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण अनुसूची में प्रबन्ध कार्य, ग्रामीण मनोविज्ञान, शिक्षा और विस्तार को भी शामिल किया जाना चाहिए।

6. बैंकों द्वारा किसी कृषि सेवा केन्द्र को व्याज पर वित्तीय साहाय्य प्रदान करने के लिए 2.5 लाख रुपए के ऋण की वर्तमान सीमा की फिर से संवीक्षा की जाए और उसे बढ़ाकर लघु उद्योगों की 7.5 लाख रुपए की ऋण-सीमा के बराबर किया जाना चाहिए।

7. समस्त बैंकों द्वारा ऋण का भुगतान शुरू करने की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर ऋण की तारीख से एक वर्ष या दो वर्ष कर दी जाए और पूर्ण भुगतान करने की अवधि को बढ़ा कर पांच वर्ष से सात वर्ष कर दिया जाए।

8. बैंकों को उद्यमियों से लाभ, गारंटी देने वालों के संबंध में और अन्य ज़मानतें प्राप्त करने के मामले में उदारता बर्तनी चाहिए और आवश्यकतानुसार इनमें छूट दी जानी चाहिए।

9. कृषि सेवा केन्द्रों को कम से कम दो ट्रैक्टर दिए जाने चाहिए और कृषि सेवा केन्द्रों को प्राथमिकता के आधार पर भारत में बने ट्रैक्टर आंबंटित करने के विषय में भी विचार किया जाना चाहिए।

10. सरकार को आयातित ट्रैक्टरों पर लगे आयात शुल्क में कमी करने के बारे में विचार करना चाहिए।

11. सड़क-कर, विक्रय-कर आदि के विषय में समस्त राज्यों में समान नीति अपनाई जानी चाहिए।

12. कृषि सेवा केन्द्र को उर्वरक, फालतू पुर्जों, कीटनाशियों, ईंधन और स्नेहक-तेल व बीज आदि आदानों के परचून विक्रेता के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए।

**संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा दी गई सहायता का उपयोग**

3584. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के 30 देशों के कार्यकारी बोर्ड ने मई, 1973 में भारतीय बच्चों के लिए विभिन्न सेवाओं हेतु चौथी योजना के अन्तिम वर्ष के लिए 42 लाख डालर की नई सहायता देने का अनुमोदन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह धनराशि भारत सरकार को दे दी गई है; और

(ग) भारत सरकार ने कितनी धनराशि का उपयोग किया है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) जी, हां।

**(ख) और (ग) :** कार्य संचालन की विस्तृत योजनाओं के अनुसार इस सहायता का उपयोग किया जा रहा है। आशा है कि 1973-74 में इसका पूरा उपयोग हो जाएगा।

**गुजरात की वन सम्पदा को सुधारने के लिये कार्यवाही**

3585. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में वन सम्पदा बहुत ही असंतोषजनक स्थिति में है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में वन सम्पदा की असंतोषजनक स्थिति के कारणों का पता लगाने हेतु विशेषज्ञों की सेवाएं मांगी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो राज्य में वन सम्पदा को सुधारने के लिये केन्द्रीय सरकार किस प्रकार की सहायता देने पर विचार कर रही है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** । (क) जी हां ।

(ख) सिचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप जलमग्न होने और प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के कारण अच्छे वन क्षेत्र समाप्त हो गए हैं । इसके लिये जिम्मेदार अन्य कारण ये हैं : भूमि प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के कारण अनधिकृत रूप से खेती तथा राज्य में बहुत कम वन क्षेत्र होने के कारण जंगलों में तथा जंगलों के आसपास रहने वाले व्यक्तियों द्वारा वृक्षों की अवैध कटाई ।

(ग) राज्य में वन सम्पदा की खराब स्थिति के कारणों की जांच करने के लिये राज्य सरकार ने विशेषज्ञों की सेवाओं के लिये केन्द्र से अनुरोध नहीं किया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**भारत-ब्रिटेन महाद्वीप सम्मेलन के प्रतिनिधि-मण्डल द्वारा दिये गये संचालन संबंधी लागत के आंकड़े को स्वीकार किया जाना**

3586. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाज कंपनियों ने, भारत, ब्रिटेन महाद्वीप सम्मेलन के प्रतिनिधिमण्डल के संचालन संबंधी लागत के आंकड़ों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है जो अखिल भारतीय जहाज कंपनी परिषद को दिए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ।

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : **(क) और (ख)** : आल इण्डिया शिपर्स कौंसल ने निम्नलिखित कारणों से सम्मेलन द्वारा दिये गये परिचालन लागत के आंकड़ों को स्वीकार नहीं किया :

(1) उन्होंने महसूस किया कि लागत और राजस्व का अनुमान जहाजों की पूरी यात्रा पर आधारित होना चाहिए , नाकि एक तरफ यात्रा पर ।

(2) अपनी आस्तियों के चालू मूल्य पर सम्मेलन द्वारा मांगे गए प्रतिस्थापन भत्ते की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । मूल्य ह्रास की केवल पुस्तक मूल्य पर ही अनुमति होनी चाहिए ।

(3) जहाजों के लिखित पुस्तक मूल्य के $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत पर दावा किये गये पूंजी भत्ता की अनुमति केवल अपनी पूंजी के लिए ही दी जाए न कि उधार ली गई पूंजी के लिए और जिसके लिए वास्तविक प्रदत्त ब्याज ही निर्णायक तत्व होना चाहिए ।

(4) 11.11 प्रतिशत मुद्रा समंजन तत्व, लागत में वास्तविक वृद्धि पर आधारित होना चाहिए, जिसकी मुद्राओं के पुनर्संरेखण के कारण कम होने की आशा है।

(5) स्वेज अधिभार, 13.5 प्रतिशत से घटाकर 11.5 प्रतिशत कर दिया जाए।

इस क्षेत्र, अर्थात, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बंगालादेश में पोत बणिकों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों पर विचार करने के बाद सम्मेलन ने लंदन में 30 जुलाई, 1973 को हुई अपनी बैठक में भारत-यू० के०/महाद्वीप व्यापार में 12.5 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि की औपचारिक घोषणा की और मुद्रा समंजन तत्व का 11.11 प्रतिशत ही रखा गया।

**मैसूर में भूमिगत जल**

**3587. श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में ऐसी भूमि का क्षेत्रफल कितना है जहां सिंचाई कार्यों के लिए भूमिगत जल भी उपलब्ध नहीं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करने का है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. शेर सिंह) :** (क) मैसूर में ऐसी भूमि का क्षेत्रफल जिसकी सिंचाई के लिए भूमिगत जल उपलब्ध नहीं है, उस राज्य में भूमिगत जल संबंधी सर्वेक्षण कार्य समाप्त होने के बाद ही ज्ञात हो सकेगा।

(ख) भूमिगत जल संसाधनों के विकास के लिए मैसूर सरकार ही जिम्मेदार है और वह यथा-संभव अधिकतम सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कदम उठा रही है, बशर्ते कि उसके लिए जल संसाधन और आवश्यक वित्तीय साधन आदि उपलब्ध हों।

**सहकारी गृह निर्माण समिति के शेयर का हस्तान्तरण अथवा इसमें नये सदस्यों का नामांकन**

**3588. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी गृह निर्माण समिति के शेयरों का हस्तान्तरण करने अथवा अपना शेयर समर्पण करके सहकारी गृह निर्माण समिति को छोड़ने वाले व्यक्तियों के स्थान पर नये सदस्यों को नामांकित करने में कोई कानूनी बाधा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मुख्य कठिनाइयां क्या हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) **और** (ख) यह प्रश्न कि क्या सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी के हिस्सों का हस्तान्तरण करने अथवा अपना हिस्सा समर्पण करके सहकारी गृह निर्माण समिति को छोड़ने वाले व्यक्तियों के स्थान पर नये सदस्यों को नामांकित करने में कोई कानूनी बाधा है, विभिन्न राज्यों के अपने-अपने सहकारी सोसाइटी अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों और साथ ही प्रत्येक राज्य की सहकारी गृह निर्माण सोसाइटियों की अपनी-अपनी उप-विधियों के प्रावधानों पर निर्भर करेगा।

**अरालम कृषि फार्म, केरल पर हुआ व्यय**

3589. **श्री रामचन्द्रन कड़नापल्ली** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अरालम कृषि फार्म पर कुल नियोजित व्यय कितना किया गया है; और

(ख) उस पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) अनुमान लगाया गया था कि अरालम (केरल) में केन्द्रीय राज्य फार्म की स्थापना पर 4.79 करोड़ रुपये की रकम व्यय होगी जिसमें 12,000 एकड़ अर्जित भूमि की लगभग 30 लाख रुपये की कीमत भी शामिल है। फार्म पर यह रुपया पांच वर्षों की अवधि में व्यय होगा।

(ख) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान पूंजी तथा राजस्व के रूप में कुल खर्च 70.69 लाख रुपये की रकम व्यय हुई है जिसमें 18.42 लाख रुपये का वह खर्च भी शामिल है जो अब तक 7408 एकड़ भूमि अर्जित करने पर हुआ है।

**ठंडा पेय पदार्थ में अन्य वस्तु पाये जाने के बारे में "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित समाचार**

3590. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जुलाई, 1973 के नवभारत में प्रकाशित समाचार पत्र के अनुसार हाल ही में ठण्डा पैय पदार्थ में कोई अन्य वस्तु पायी गई थी ;

(ख) ठण्डा पैय पदार्थ बनाने वाली सम्बन्धित कंपनी का नाम क्या है ;

(ग) क्या पहले भी इस कंपनी पर जुर्माना किया गया था और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि भविष्य में ठण्डा पैय पदार्थ में कोई अन्य वस्तु न पाई जाए और इस पेय पदार्थ को बनाने वाली कंपनी में सफाई का कड़ाई से पालन किया जाए :

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु)** : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली बौटलिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड, नजफगढ़।

(ग) जी हां,। इस कम्पनी पर 22 जून, 1973 को ही 2000 रुपये का जुर्माना किया गया था।

(घ) इस बौटलिंग कंपनी को अपने यहां सफाई व्यवस्था ठीक करने के लिए हिदायत दे दी गई है। आगे भी निरीक्षण किये जायेंगे। इस मामले में फर्म के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया है।

**बेरोजगार डाक्टरों की ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति करने संबंधी योजना**

3591. **श्री सतपाल कपूर :**

**श्री सी० के० जाफेर शरीफ:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगार डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के त्रियान्वयन में हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) तथा (ख)** विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के प्रशिक्षित चिकित्सकों को नियुक्त करके देहात के लोगों को इलाज और स्वास्थ्य सुधार की सुविधाएं देने के विचार से गांवों के लिए प्रयोगात्मक आधार पर एक मार्गदर्शी स्वास्थ्य योजना चलाने का विचार है। यह योजना अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में यादृच्छिक आधार पर 30 उप केन्द्र छांट कर उनमें चलाई जाएगी।

**जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पुनर्गठन**

3592. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का पुनर्गठन करने हेतु आयोग नियुक्त करने का है, और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) :** (क) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**दिल्ली में पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के कब्जे में दिल्ली विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों की बिक्री**

3593. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में सब्जी मण्डी और पहाड़गंज में पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के कब्जे में गत 20–25 वर्षों से पड़ी दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि/सम्पति को पट्टे के आधार पर इनके मालिकों को बेचने का है ताकि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार मकानों का निर्माण कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) :** सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**कलकत्ता में प्राइमरी शिक्षा**

3594. **श्री मधु लिमये** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता में प्राइमरी शिक्षा में तेजी से सुधार करने के लिये जैसा कि जे० पी० नायक के 1965 के प्रतिवेदन में स्थिति का दुखद उल्लेख किया गया है, क्या कार्यवाही की है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : प्राथमिक शिक्षा राज्य सरकारों के क्षेत्र अधिकार में होने के कारण इस मामले में केन्द्रीय सरकार की कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं है । ऐसी स्थिति होते हुए भी शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने तथा प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार की योजना के अन्तर्गत 1971-72 के दौरान 17,30,500 रुपये तथा 1972-73 के दौरान 84,03,000 रुपये के अनुदान पश्चिम बंगाल की सरकार को मंजूर किए थे । योजना के वास्तविक लक्ष्य इस प्रकार थे :

| | 1971-72 | 1972-73 |
|---|---|---|
| (1) प्राइमरी स्कूल शिक्षकों की संख्या | 4,100 | 4,000 |
| (2) स्कूल निरीक्षकों की संख्या . . | 32 | 32 |
| (3) कार्य अनुभव शिक्षकों की संख्या . . . . | 124 | 124 |
| (4) उन बच्चों की संख्या जिन्हें निशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा लेखन सामग्री प्रदान की गई थी . . . . | 1,20,510 | 1,20,510 |
| (5) उन बच्चों की संख्या जिन्हें मध्याह्न भोजन दिया गया था | 1.20,510 | 1.20,510 |
| (6) संस्वीकृत कक्षा-कमरों की संख्या . | 670 | 3,918 |

इन कार्यक्रमों को 1973–74 के दौरान भी जारी रखा जाएगा । इसके अतिरिक्त, योजना आयोग द्वारा चलाए जा रहें "5 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के कार्यक्रम" के अन्तर्गत 1973–74 के लिए पश्चिम बंगाल को 3,680 शिक्षक संस्वीकृत किए गए थे ।

**इंडियन पोटास लिमिटेड में अधिकांश शैयर सरकारी उपक्रमों और सहकारी समितियों के होना**

3595. **श्री लुतफुल हक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन पाटास लिमिटेड में अधिकांश शेयर संयुक्त रुप से सरकारी उपक्रमों और सहकारी समितियों के हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इण्डियन पोटास लिमिटेड को सरकारी कम्पनी बनाने का है जिसकी लेखा परीक्षा भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा की जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

**राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये राजस्थान द्वारा भेजी गई योजना**

3596. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये राजस्थान सरकार ने एक व्यापक परियोजना विकास योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं और इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता राशि का ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) तथा (ख) : जी नहीं । तथापि, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं के आधार पर योजनाओं की मंजूरी दी गई है और 1970-71 से 1973-74 तक की अवधि के लिये लगभग 13.31 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध की जायेगी । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के 10 जिले बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, चुरु, डूंगरपुर, जैसलमैर, जालौर, जोधपुर, नागौर और पाली आते हैं । रेगिस्तान विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बाड़मेर और जैसलमेर के जिले आते हैं । इसके लिए 117.25 लाख रुपये की अनुमानित लागत की योजनाओं की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने भी सूखाग्रस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत बाड़मेर और जोधपुर के जिलों के समेकित विकास के लिये योजनायें तैयार की हैं ।

**राष्ट्रीय कृषि उद्योग निगम, दिल्ली के कार्यकारी निदेशक के विरुद्ध आपराधिक मामले :**

3597. **श्री अम्बैश** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो (अपराध) अम्बाला डिवीज़न द्वारा राष्ट्रीय कृषि उद्योग निगम, 58 बस्ती हरफूल सिंह, दिल्ली के कार्यकारी निदेशक और अखिल भारतीय ग्रामीण युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के विरुद्ध आपराधिक मामले में जांच की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका अपराध क्या है और वह भारतीय दंड प्रक्रिया की कौन सी धारा के अन्तर्गत आता है और जांच के क्या परिणाम निकले ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) तथा (ख) : जी हां। अभी इस मामले की जांच की जा रही है ।

**उत्तर प्रदेश के किसानों को उर्वरक और ट्रैक्टर खरीदने के लिये दिया गया ऋण**

3598. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रैक्टरों और उर्वरकों जैसे उपकरणों की खरीद के लिये कृषि विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के ऐसे किसानों को कितना ऋण दिया गया है जिनका देनदारी का समय आ गया है परन्तु जिन्होंने इसे अभी तक नहीं चुकाया है ;

(ख) किसानों को संकट के समय तकाबी के रूप में कितना ऋण दिया गया है तथा कितना अभी वसूल किया जाना है ; और

(ग) बड़ी जोत वाले किसानों पर करों की कितनी राशि बकाया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) से (ग) : उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**उड़ीसा वाणिज्यिक परिवहन निगम का कार्यकरण**

3599. **श्री बसंत साठे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जुलाई, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में 'डाउन दि सौरी ट्रेल आफ और ट्रेलर्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) :** (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा वाणिज्यिक परिवहन निगम उड़ीसा सरकार के नियंत्रण में है । अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा

**कपास अनुसंधान परियोजनाओं द्वारा प्राप्त अच्छी सफलताएं**

3600. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास अनुसंधान परियोजनाओं से अच्छी सफलता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कपास के उत्पादन में दस राज्यों में कपास विकास तथा अनुसंधान संस्था द्वारा चलाये जा रहे 18 केन्द्रों में उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) वर्ष 1971–72 की तुलना में इन केन्द्रों में कपास का कितना अतिरिक्त उत्पादन हुआ ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) : वर्ष 1972-73 के दौरान भारतीय कपास मील फैडरेशन, कपास विकास और अनुसंधान संस्था की कपास विकास परियोजनायें 9 मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के 13 केन्द्रों में चल रही थी । संस्था ने सूचित किया है कि आसन्न क्षेत्र की तुलना में परियोजना क्षेत्रों के अन्तर्गत उपज में 38 से 124 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है । भारतीय कपास मील फैडरेशन, कपास विकास और अनुसंधान संस्था द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं में वर्ष 1971-72 की तुलना में 1972-73 के दौरान अतिरिक्त उत्पादन के आंकड़े संस्था द्वारा संकलित नहीं किए गए हैं ।

**1972-73 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी**

3601. **श्री एम० कतामुत्तु :**

**श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972–73 में आंध्र प्रदेश में तम्बाकू की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी हुई है

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) राज्य में तम्बाकू के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) से (ग) : तम्बाकू के विषय में 1972-73 के अखिल भारतीय अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं, अतः इस सम्बन्ध में पक्की जानकारी देना सम्भव नहीं है । फिर भी तम्बाकू के 1972–73 के अखिल भारतीय प्रथम अनुमानों के आधार पर लगाए गए कच्चे अनमानों के अनुसार वर्ष 1971-72 के 215.3 हजार

हैक्टार क्षेत्र की तुलना में आन्ध्र प्रदेश में गत वर्ष लगभग 199.2 हजार हैक्टार क्षेत्र में तम्बाकू बोया गया था । इससे प्रतीत होता है कि क्षेत्र में 16.1 हजार हैक्टार या 7.5 प्रतिशत की कमी हुई है । इस कमी का कारण बुवाई के समय सूखे की स्थिति का मौजूद होना बताया जाता है ।

(घ) उन्नत तकनीकों को अपनाकर तम्बाकू की उपज और पत्तियों की किस्म में सुधार लाने हेतु तम्बाकू विस्तार योजनाओं के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादकों को दी जा रही आवश्यक सहायता के अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश में हल्की मिट्टी वाले नए क्षेत्रों में वर्जीनिया फ्ल्यू क्योर्ड तम्बाकू विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है और कीटनाशियों, हाथ से चलने वाले फुहारों, पौदों, खलिहानों के निर्माण, कुओं की खुदाई और छिड़काव, सिंचाई एकक स्थापित करने के लिए सहायता देकर प्रोत्साहन दिया जाता है ।

**दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध कालेजों में ट्रस्ट के नामांकित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के बारे में प्रस्ताव**

3602. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय का ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसके अनुसार संबद्ध कालेजों में ट्रस्ट के नामांकित व्यक्तियों की संख्या को कम करके उनके प्रतिनिधित्व को बहुत ही अल्पमत में किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :** (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् ने 2 अगस्त, 1973 को हुई अपनी बैठक में कालेजों के अधिशासन से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के संविधि 30 के संशोधनों को अनुमोदित किया । इन संशोधनों से अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक कालिज अथवा संस्थान की अपनी एक नियमित रूप से गठित प्रबन्ध समिति होगी जिसमें कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित 12 व्यक्ति होंगे जिनमें से 3 व्यक्ति कालिज/संस्थान के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी न्यास के प्रतिनिधि होंगे ।

विश्वविद्यालय का प्रस्ताव हाल ही में कुलाध्यक्ष को अनुमोदनार्थ भेजा गया है तथा उसकी जांच की जा रही है।

**खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों, उत्पादकों और थोक व्यापारियों को दंड देने के लिये कानून**

3603. **श्री देवेन्द्र सिंह गरेचा :**

**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के केन्द्रीय नागरिक परिषद् ने सरकार को यह सिफारिश की है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों, उत्पादकों और थोक व्यापारियों के विरुद्ध कानूनों को सख्त बनाया जाये तथा दंड को और अधिक कठोर बनाया जाये जैसा कि अमरीका, रुस और ब्रिटेन में किया गया है ; और

(ख) क्या इस संबंध में तत्काल कुछ कार्यवाही की जाएगी क्योंकि वर्ष 1964 में संशोधित कानून में केवल मामूली दंड देने की व्यवस्था है जिसके परिणामस्वरूप समाज के विरुद्ध ऐसे घृणित अपराध में वृद्धि हुई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु)** : (क) जी हां।

(ख) 1964 में यथा संशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन दोषी व्यक्तियों को कम से कम छः मास किन्तु जो छः वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है की कैद और कम से कम एक हजार रुपया जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है। किन्तु कतिपय मामलों में न्यायालय को पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका फैसले में उल्लेख किया जाना होता है, 6 महीने से कम अवधि की कैद अथवा एक हजार रुपये से कम जुर्माने अथवा दोनों दण्ड देने की शक्तियां प्राप्त हैं। फिर भी इस मामले की जांच की जा रही है।

**Forcible Realisation of Levy from Farmers in Madhya Pradesh**

3604. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether levy is being forcibly realised from the farmers of Madhya Pradesh (Shahdole District) ;

(b) if so, whether the Central Government have given order to the effect that the levy should be realised from these farmers at their doors by forcibly auctioning their belongings; and

(c) if so, the gist thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :**

(a) The required information is being collected from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

**Loans and Grants to Super Bazar, Connaught Place, New Delhi**

3605. **Shri Hukum Chand Kachwai :** will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the total amount of loans and grants given so far to the Supper Bazar in Connaught Place by the Government of India and Delhi Administration ;

(b) the amount of loans repaid by Super Bazar to the Central Government and Delhi Administration so far ; and

(c) the amount of loan repayable by Super Bazar at present ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :**

(a) A total amount of Rs. 77.43 lakhs has been given as loan, and Rs. 7.22 lakhs as grant, by the Government of India, either through the Delhi Administration or directly, since the inception of the Super Bazar in 1966.

(b) The Store has so far repaid a sum of Rs. 17.28 lakhs as per schedule of repayment.

(c) No loan instalment repayable is due at present. The total amount of loan outstanding is Rs. 60.15 lakhs.

**ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों की बेतरतीब विकास से रक्षा करने के लिये कार्यवाही**

3606. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों के आस-पास बेतरतीब विकास को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) आगामी पांच वर्षों में स्मारकों और स्थलों के प्राकृतिक रुप के संरक्षण के लिये यदि कोई योजनाएं हैं, तो उनकी रुपरेखा क्या है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन)** : (क) क्योंकि स्मारकों की संरक्षित सीमाओं के बाहर का क्षेत्र या तो निजी स्वामित्व के अधीन या राज्य सरकारों के अधीन हैं, 1971 में सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को लिखा गया था कि वे संरक्षित स्मारकों के नजदीक निर्माण/विकास आदि के सभी प्रस्तावों की जांच करने के लिए समितियां स्थापित करें ताकि बेतरतीब और अनियमित विकास को रोका जा सके । कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने इस प्रकार की समितियां स्थापित कर दी हैं।

पर्यटन तथा नगर विमानन मंत्री ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह सुनिश्चित करने के लिये लिखा है कि स्मारकों के आस-पास की भूमि को किसी भी तरह खराब न किया जाए और स्मारकों के नजदीक निर्माण के सभी मामलों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से परामर्श किया जाए ।

स्मारकों के आस-पास के क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए निर्माण व आवास मंत्रालय के नगर व देहात आयोजन संगठन द्वारा एक माडल बिल भी तैयार किया जा रहा है ।

(ख) पर्यटन विभाग द्वारा पांचवीं योजना में 10 पुरातत्व समूहों का विकास शामिल किया गया है । इसके अन्तर्गत मास्टर प्लान तैयार करना शामिल है, जिसके अधीन स्मारकों के आस-पास के क्षेत्र का वास्तविक नक्शा (फिजिकल ले-आउट) बनाना शामिल है ताकि स्मारकों के निकट-वर्ती स्थानों को सुरक्षित रखा जा सके और नियोजित विकास की सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

**मद्यनिषेध लागू करने के कारण तमिलनाडु को मुआवजा**

3607. **श्री एस० ए० गुरूगनन्तम**

**श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु सरकार ने मद्य निषेध फिर से लागू करने का निर्णय किया है और राज्य से मद्य निषेध लागू किये जाने के परिणामस्वरूप हुई हानि को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :**

(क) जी हां । तामिलनाडु सरकार राज्य में फिर से धीरे-धीरे मद्य निषेय लागू करना चाहती है । उनका पहला कदम 1 सितम्बर, 1973 से 'ताड़ी' की दुकानों को बंद करने का है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार इस निर्णय का स्वागत करती है, परन्तु वह वित्तीय सहायता नहीं दे सकती है। 1968 में घोषित की गई नीति में यह साफ-साफ कहा गया है कि उन राज्यों सरकारों को क्षतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी, जो 1 अप्रैल, 1968 के बाद मद्यनिषेध को समाप्त करती हैं और उनके बाद उसे फिर से लागू करने का निर्णय करती हैं। नामिलनाडु में मद्यनिषेध को 1971 में समाप्त कर दिया गया था ।

**भारत शुगर मिल्स, सिंघबालिया, बिहार द्वारा कर्मचारियों में चीनी वितरित न करना**

3608. **श्री मधुलिमये :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी और वनस्पति निदेशालय को भारत शुगर मिल्स, सिंघबालिया सिवान (बिहार) के प्रबन्धकों द्वारा चीनी मिल के कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 2 किलो की दर से चीनी वितरित न करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त चीनी अधिकारियों के घर पहुंच जाती है अथवा काले बाजार में बेची जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं। शिकायत प्राप्त होने पर, शर्करा एवं वनस्पति निदेशालय के एक अधिकारी को स्थल पर ही जांच करने के लिए भेजा गया था । यह देखा गया था कि कारखाने का प्रबन्ध कारखाने के कर्मचारियों की समिति के परामर्श से गेट पर बिक्री के लिए चीनी का मासिक कोटा वितरित कर रहा है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) मास के दौरान रोल पर दर्ज प्रत्येक कर्मचारी को, जिसको कारखाने के श्रम कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है, प्रत्येक मास 1-1/2 किलोग्राम चीनी दी जाती है।

(2) कर्मचारियों के लाभ के लिए कारखाने के परिसर में स्थित कैन्टीन को चलाने के लिए, जहां चाय और काफी बहुत कम मूल्यों पर बेची जाती है।

(3) कर्मचारियों के परिवारों और उनके आश्रितों की शादियों और अन्य समारोहों से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

(ग) तथापि, कारखाने को सलह दी गई है कि मास के दौरान कारखाने के रोल-पर खर्च सभी कर्मचारियों को गेट पर बिक्री के लिए चीनी के मासिक कोटे को बराबर-बराबर दिया जाए।

**दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड के मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल को दिया गया ज्ञापन**

3609. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाऊज बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड की प्रबन्धक समिति ने सोसायटी के बारे में दिल्ली के उपराज्यपाल को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में क्या-क्या मुख्य बातें उठाई गई हैं; और

(ग) इस बारें सरकार ने क्या कार्यवाही की है

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे) :** (क) सोसायटी के कुछ सदस्यों की ओर से, जो स्वयं को इसकी प्रबन्धक समिति का सदस्य कहते हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था;

(ख) ज्ञापन में उठाई गई मुख्य बातें सोसायटी की भूमि की ले-आउट, योजना, आमसभा की बैठक और सोसायटी के चुनाव, सोसायटी के कार्य में बाधा और कुछ व्यक्तियों द्वारा जो, स्वयं को इसके पदाधिकारी बताते हैं सोसायटी की भारी धनराशि का अपव्यय, जांच अधिकारी को सोसायटी के रिकार्डों को न दिखाना, आदि से सम्बन्धित थीं;

(ग) चूंकि सोसायटी के संविधान, कार्यकरण और उसकी वित्तीय स्थिति की जांच की जा रही है अतः दिल्ली प्रशासन द्वारा इस ज्ञापन को जांच अधिकारी के पास इस अनुरोध के साथ भेज दिया है कि जांच के दौरान ज्ञापन में निहित बातों की जांच की जाए।

**आगरा में ताज के निकट "मूनलिट गार्डन" बनाना**

3610. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में आगरा में ताज के निकट एक "मूनलिट गार्डन" बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर कितनी लागत आयेगी ?

**संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :** **(क) तथा (ख)** सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**Amount Provided to Madhya Pradesh for Construction of Roads in Fourth Five Year Plan**

3611. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a provision of rupees 30 crores was made for Madhya Pradesh for the construction of roads in the Fourth Five Year Plan, while the amount provided for this purpose in all the plans of Madhya Pradesh was Rs. 450 crores.

(b) whether the amount provided was paid in full to Madhya Pradesh; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana) :** **(a) to (c)** Fourth Plan outlay for roads under the State Plan is Rs. 25.50 crores only against the total outlay of Rs. 393 crores approved for all sectors taken together. The State Government, however, anticipate a total expenditure of Rs. 35.04 crores on roads under the State Fourth Plan. As the Fourth Plan does not provide or any "earmarked" central financial assistance for State Plan Road Schemes, the question of the Central Government paying this amount to the State Government does not arise and the expenditure involved has to be met by the State Government from their sectoral plan allocations (own resources).

**एन्ड्रयूज गंज मार्किट, नई दिल्ली के दुकानदारों के लिये बने बनाए मकान / प्लाट**

3612. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन्ड्रयूज गंज मार्किट नई दिल्ली के दुकानदारों को बने बनाए मकान/प्लाट देने संबंधी योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें प्लाट/बने बनाए मकान कब तक आबंटित कर दिए जायेंगे ?

**संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :**
(क) अभी नहीं।
(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**एंड्रयूज गंज मार्किट, नई दिल्ली के लिये पक्की सड़कें**

3613. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एंड्रयूज गंज मार्किट को जाने वाली तथा उससे सम्बद्ध सड़कों के सुधारने तथा मार्किट की अत्यन्त अलाभकारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां कुछ मूल नागरिक सुविधायें प्रदान करके सामान्य रूप से स्थल का सुधार करने हेतु एंड्रयूज गंज मार्किट, नई दिल्ली के लिये पक्की सड़कें बनाने की कोई योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित की जायेंगी ?

**संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :** जी, हां। एंड्रयूज गंज मार्किट के लिए पक्की सड़कें बनाने का एक प्रस्ताव है। तथापि, कोई अन्य सुविधायें देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) पक्की सड़कें बनाने का कार्य निधियों के उपलब्ध होने पर शुरू किया जायेगा।

**भारतीय खाद्य निगम पर व्यय**

3614. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

**श्री प्रबोध चन्द्र :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय **खाद्य** निगम के व्यय में प्रतिवर्ष भारी वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग)** पिछले वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम का विभिन्न मदों की लागत पर खर्चा बढ़ा है जो कि भारतीय खाद्य निगम के कार्यों और जिम्मेदारियों के विस्तार के अनुरूप है। तथापि, निगम कार्यचालन संबंधी लागत को कम करने के लिए बराबर प्रयत्न कर रहा है।

**नार्थन रीजनल इंस्टीट्यूट आफ प्रिन्टिंग टैक्नोलोजी इलाहाबाद में अप्रयुकत आयातित मशीनें**

3615. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री नार्थन रीजनल इंस्टीट्यूट आफ प्रिंटिंग टैक्नोलोजी के बारे में 9 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6612 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या स्थान के अभाव के कारण कीमती आयातित मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और इनमें जंग लग रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन)** : (क) नार्थन रीजनल इंस्टीट्यूट आफ प्रिंटिंग टैक्नोलोजी, इलाहाबाद में स्थान के अभाव के कारण कोई भी उपकरण बेकार नहीं पड़ा है और न ही उस में जंग लग रहा है। तथापि, फोटो-सेटर उपकरण की स्थापना की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**भूमि तल के नीचे जल के भंडारों का पता लगा कर सूखे से मुकाबला करने संबंधी योजना**

3616. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूमि तल के नीचे जल के भंडारों का पता लगा कर सूखे से मुकाबला करने संबंधी एक योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वायु तापमान और भूमि के निकट दवाब में परिवर्तनों से हुए अपवर्णनों (डिस्कलेरेशन) से भूमि तल के नीचे जल के विद्यमान होने का पता लग सकता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या अब तक इस प्रकार के किसी भूमि तल के नीचे के जल का पता लगाया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) देश के विभिन्न भागों में भूमिगत स्थानीय जलसंसाधनों का अनुमान लगाने के लिये केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड अन्वेशण तथा सर्वेक्षण कर रहा है। इस संबंध में चिरकाल से सूखा प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस प्रकार के 54 सूखा प्रभावित जिलों संबंधी विशेष जिलावार रिपोर्ट तैयार करने का निश्चय किया गया है। इनमें से कुछ रिपोर्ट पहले ही तैयार करके सभी संबंधित प्राधिकारियों को भेज दी गई है और शेष तैयार की जा रही हैं। इन रिपोर्टों में संबंधित जिलों में भूमिगत जल संसाधनों का आगे और विकास करने की संभावनाएं दी गई हैं।

कुछ वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) की सहायता से एक विशेष परियोजना हाथ में ली गई थी और इसके अन्तर्गत राजस्थान में जोधपुर, जालौर और जैसलमेर के जिलों के हिस्सों का सर्वेक्षण किया गया था। इस समय इस प्रकार की एक अन्य परियोजना चल रही है जिसके अन्तर्गत गुजरात में मेहसाना और बनासकांथा और राजस्थान में बीकानेर, झुंझनूं, सीकर और नागौर के जिले हैं।

खासकर पीने के पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए भूमिगत जल का अनुमान लगाने के लिये हाल ही में महाराष्ट्र में अस्मानाबाद और आंध्रप्रदेश में महबूबनगर के जिलों में विशेष भूमिगत जल सर्वेक्षण का काम भी हाथ में लिया गया है। ये सर्वेक्षण भूमिगत जलबोर्ड राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान के सहयोग से कर रहा है।

केन्द्रीय कृषि विभाग ने राज्य सरकारों पर अपने समस्त क्षेत्र में विस्तृत जांच और सर्वेक्षण के लिये अपने-अपने भूमिगत संगठन स्थापित करने पर जोर दिया है। ऐसे संगठन स्थापित करने के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की एक योजना भी विचाराधीन है।

(ग) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड को इस प्रकार की किसी वैज्ञानिक विधि की जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**राष्ट्रीय अकादमियों के कार्यकरण का पुनर्गठन**

3618. **श्री पी० गंगादेव :**

**श्री के० लकप्पा :**

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय राष्ट्रीय अकादमियों का पुनर्गठन कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पुनर्गठन योजना में संगीत, नृत्य चित्रकला आदि के क्षेत्र में कला के वर्तमान रूपों का संर्वेक्षण और समंकन शामिल है;

(ग) क्या प्रत्येक जिले में कला और संस्कृति की स्थापना और राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर थियेटरों की स्थापना संबंधी योजना उनके मंत्रालय की योजनाओं में से एक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) न्यायमूर्ति श्री जी० डी० खोसला की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति ने अकादमियों के कार्यकरण में सुधार करने तथा संगठन की एक उपयुक्त सरंचना के लिए कई सिफारिशें की हैं। सरकार ने अकादमियों से उनके अपने-अपने विचार मांगें थे। उनकी टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं और सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) संगीत नृत्य तथा चित्रकला के क्षेत्रों में कला के वर्तमान रूपों का संरक्षण तथा उन्हें सुदृढ़ बनाना संगीत नाटक अकादमी, नाटक तथा ललित कला अकादमी की सामान्य गतिविधियां हैं।

(ग) और (घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की योजनाओं के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रमों पर विचार किया जा रहा है।

**कृषि मूल्य आयोग के कर्त्तव्य**

3619. **श्री पी० गंगादेव :**

**श्री के० लकप्पा :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) कृषि मूल्य आयोग के कर्त्तव्य क्या हैं; और

(ख) क्या आयोग की रचना में कोई परिवर्तन किया गया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) कृषि मूल्य आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं :—

(1) कृषि जिन्सों विशेषकर धान, चावल, गेहूं, ज्वार , बाजरा, मक्का, चने तथा अन्य दालें, गन्ना, तिलहन, कपास तथा पटसन की मूल नीति के संबंध में सलाह देना ताकि अर्थव्यवस्था के संबंध में और उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित तथा समेकित मूल्य ढांचे को विकसित किया जा सके ।

(2) आयोग मूल्यों के अलावा ऐसे अन्य उपायों के बारे में भी सुझाव देगा जो उपर्युक्त (1) में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होते हैं ।

(2) विभिन्न जिन्सों के संबंध में मूल्य नीति को प्रभावी बनाने के विषय में समय-समय पर सुझाव देना ।

(3) आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रदेशों में मौजूदा पद्धतियों और कृषि जिन्सों के विपणन की लागत पर विचार करना, विपणन की लागत कम करने के लिये उपाय सुझाना और विपणन की विभिन्न अवस्थाओं के लिये उचित मूल्यों की सिफारिश करना ।

(4) बदलती हुई मूल्य स्थिति का पुनरीक्षण करना और समग्र मूल्य नीति के ढांचे को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार उचित सिफारिशें प्रस्तुत करना ।

(5) मूल्य नीति संबंधी अध्ययन करना, कृषि मूल्यों तथा अन्य सम्बद्ध आंकड़ों के बारे में जानकारी एकत्रित करने की व्यवस्था की जांच पड़ताल करना और उनमें सुधार करने के लिए सुझाव देना ।

(6) कृषि मूल्यों और उत्पादन संबंधी उन समस्याओं पर सलाह देना जो समय-समय पर सरकार द्वारा आयोग के सामने रखी जायेंगी ।

(ख) आयोग का एक अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव है । चूंकि इस समय अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाले हुए है अतः अन्य सदस्यों की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

**सबसे बड़े 20 नगरों में दूग्ध की पूर्ति में प्रगति**

3620. **श्री इन्द्र जीत मल्होत्रा** : क्या कृषि मंत्री सबसे बड़े 20 नगरों में दुग्ध की मांग व पूर्ति के बारे में 7 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9360 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार ने उनकी शेष 66 प्रतिशत मांग को पूरा करने तथा इनकी और इन बीस बड़े नगरों के अतिरिक्त अन्य नगरों की जनसंख्या में वृद्धि के कारण बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अगले तीन-चार वर्षों में कोई चरणवार कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) सभी प्रमुख ग्राम योजनाओं, नसल सुधार योजना, खाद्य पदार्थ तथा चारा विकास कार्यक्रम के विशेष संदर्भ में दुग्ध उत्पादों में वृद्धि करने के लिए विभिन्न योजना में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में गहन ढोर विकास परियोजना की प्रगति क्या है; और

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दुग्ध क्षमता वाले क्षेत्रों में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है और यदि बैंकों ने पूंजी लगाई है तो उनकी क्या स्थिति है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) जी हां।

संकर प्रजनन पर विशेष बल देते हुए तथा सघन पशु विकास परियोजनाओं जैसे चालू कार्यक्रमों को सुदृढ़ तथा विस्तृत करके दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने एक क्रमिक कार्यक्रम तैयार किया है। सका उद्देश्य यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। वर्ष 1973-74 में दूध का उत्पादन 235 लाख मीटरी टन तक बढ़ने की संभावना है। पंचम पंचवर्षीय योजना में पशु पालन तथा डेरी उद्योग के विकास के लिए उपलब्ध होने वाले वित्तीय आवंटन के अंतर्गत और प्रौद्योगिकी या संभाव्यताओं को दृष्टि में रखते हुए, पांचवीं योजना के अंत तक लगभग 300 लाख मीटरी टन दूध के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 80 प्रतिशत दूध का उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। अतः सहकारी प्रयासों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने तथा लघु एवं सीमांत कृषकों तथा कृषि श्रमिकों को दूध उत्पादन बढ़ाने के मामले में प्रोत्साहन देने के विषयं में काफी बल दिया जा रहा है। पशुओं की गर्भावधि काफी लंबी होती है और उनके दूध उत्पादन की अवस्था तक पहुंचने में समय लगता है। अतः दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में काफी समय लगता है।

संगठित क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ यह भी प्रस्ताव है कि शहरी क्षेत्रों के 20 बड़े शहरों में स्थित वर्तमान डेरी संयंत्रों को कारगर बनाया जाये और आवश्यकतानुसार उनका विस्तार किया जाये। जिन क्षेत्रों में इस समय परिसंस्करण की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं वहां उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। इस समय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। उस पर अंतिम निर्णय होने पर ही उनकी निश्चित संख्या का पता चल सकेगा।

(ख) दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की उपर्युक्त योजनाओं की प्रगति निम्नलिखित पैरों में दी गई है:—

**आदर्श ग्राम योजना** : आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत पशु विकास के सब पहलु आते हैं, जिसमें सुसंहत तथा समीपवर्ती क्षेत्र में प्रजनन योग्य 10,000 गायों/मादा भैंसों की उन्नत नस्ल, उचित आहार, रोग नियंत्रण, खाद्य तथा चारा विकास तथा विपणन की व्यवस्था शामिल है। इस समय 560 आदर्श ग्राम ब्लाक हैं, जिनके अंतर्गत लगभग 57 लाख प्रजनन योग्य गाय/भैंसे हैं। इन ब्लाकों के अंतर्गत 105 शहरी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा 47 विस्तार केन्द्र स्थापित किये गये हैं। प्रतिवर्ष औसतन 63 लाख निकम्मे सांड / अवांछित युवा बछड़े बधिया किये जा रहे हैं। छूत की साधारण बीमारियां रोकने के लिए 98 लाख टीके लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिवर्ष औसतन 204 खाद के गड्ढ़ों का निर्माण करने के अलावा 63 लाख चारे की पौधें तथा 1.53 लाख कि० ग्रा० चारे के बीज बोये गये।

**संकर प्रजनन कार्यक्रम** : आदर्श ग्राम ब्लाकों के क्षेत्रों तथा दुग्ध सप्लाई योजनाओं से सम्बद्ध सघन पशु विकास परियोजनाओं के क्षेत्रों में इस समय संकर प्रजनन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। और ये परियोजनायें इंडो-स्विस, इंडो-डैनिस आदि विदेशी सहयोग से क्रियान्वित की जा रही ह। इन क्षेत्रों में संकर प्रजनन कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए अब तक विभिन्न नस्लों के 3,344 विदेशी पशु आयात किये जा

चुके हैं। केरल के मुन्नर नामक स्थान पर इंडो-स्विस परियोजना 1963 से चालू है और इस परियोजना ने उस क्षेत्र की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त पशुओं के संकर नस्ल के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। पीरामेदु में एक विस्तार केन्द्र तथा अल्वे में एक सघन पशु विकास परियोजना भी शुरू की गई है। पंजाब में इंडो-स्विस परियोजना के अंतर्गत पटियाला में एक बेस फार्म स्थापित किया गया है और करार के अनुसार स्वीटजरलैंड से विदेशी पशु आयात किये गये हैं। पटियाला में एक अवशीतित वीर्य बैंक भी स्थापित किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत कार्यक्रम के अनुसार कार्य किया जा रहा है। इंडो-डेनिश परियोजना के अन्तर्गत डेनमार्क से आयातित 90 रेट डाने ओसरों तथा 11 सांडों की सहायता से हेसरघट्टा में एक बेस फार्म स्थापित किया गया है। केन्द्र के आस-पास के चार तालुकों में विस्तार कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मुनीराबाद तथा कुड़िगी में परियोजना के उप-केन्द्र स्थापित किये गये हैं। मंडी (हिमाचल प्रदेश) में इंडो-जर्मन परियोजना भी अपने क्षेत्र में अधिक उत्पादनशील पशुओं के विकास के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

**आहार तथा चारा विकास कार्यक्रम** : चौथी योजना के दौरान चारा मिश्रित उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वर्ष 1972 में कुक्कुट-चारा सहित चारा मिश्रित संयंत्रों की संख्या लगभग 184 है। वर्ष 1972 में भारतीय मिश्रित पशु आहार विनिर्माता संघ ने 52 संयंत्रों में प्रति वर्ष 3.7 लाख मीटरी टन पशु-आहार के उत्पादन का अनुमान लगाया था, जबकि उनकी क्षमता 9.9 लाख मीटरी टन थी। इन संयंत्रों के अतिरिक्त, 1972 में सघन कुक्कुट पालन विकास परियोजनाओं तथा सहकारी क्षेत्र, आदि के अंतर्गत 12.7 लाख मीटरी टन की अधिष्ठापित क्षमता के 132 मिश्रित आहार एककें थीं।

चारा विकास गतिविधियां, सघन पशु विकास तथा आदर्श ग्राम कार्यक्रमों के रूप में प्रारंभ की गई हैं। उच्च कोटि के बीजों की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों में चौथी योजना के अन्त तक चारे के 23 बीज उत्पादन फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है। चौथी योजना के अन्तर्गत चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन के लिए 7 प्रादेशिक केन्द्र भी स्थापित किये जा रहे हैं ; जो हिसार (हरियाणा), कल्याणी (पश्चिमी बंगाल), अंकलेश्वर (गुजरात), मामी दिपल्ली (आंध्र प्रदेश), अलामधी (तमिलनाडु), शेहमा (जम्मू तथा कश्मीर) तथा सूरतगढ़ (राजस्थान) में स्थित होंगे। इन प्रादेशिक केन्द्रों में अधिक उत्पादनशील किस्मों के बीज तैयार किये जाएंगे और उन्हें राज्य की विभिन्न एजेन्सियों तथा प्रगतिशील कृषकों को उपलब्ध किया जाएगा।

(ग) प्रजनन योग्य / लाख गायों/भैंसों की सघन पशु विकास परियोजना के अन्तर्गत पशु विकास के सब महत्वपूर्ण पहलू शामिल किये गये हैं, जिनमें नियंत्रित प्रजनन, पर्याप्त आहार, ग्रामीण डेरी विस्तार क्रियाकलापों की सहायता से प्रभावशाली रोग नियंत्रण तथा नियोजित एवं समन्वित ढंग से दूध की व्यवस्था तथा विपणन करना शामिल हैं। इस समय 58 सघन पशु विकास परियोजनाएं हैं, जिनके अंतर्गत प्रजनन योग्य 66 लाख गाय/भैंसें हैं। इस योजना के अन्तर्गत 45 वीर्य बैंक, 270 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा 3754 स्टाकमेन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा प्रतिवर्ष औसतन 13.69 लाख पशुओं का प्रजनन हुआ हैं और 3.69 लाख निकम्मे सांडों तथा अवांछित युवा बछड़ों को बधिया किया गया है। सामान्य छूत की बीमारियों की रोकथाम के लिए 101.37 लाख टीके लगाये गये। इसके अतिरिक्त, किसानों के खेतों में 48,378 चारा प्रदर्शन प्लाटों का आयोजन किया गया। 89,480 क्विन्टल चारे के बीजों का वितरण किया गया तथा 243 कुट्टी की मशीनों तथा खाद के 46 गड्ढों के लिए आर्थिक सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त 1,791 दुग्ध सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं।

(घ) जी, हां। ऐसी योजनाएं तैयार होने तथा उनके उपयुक्त सिद्ध होने पर वाणिज्यिक बैंक दुग्ध उत्पादन योजनाओं के लिए ऋण देते हैं। पांचवीं योजना की अवधि में क्रियान्वित करने के लिए तैयार की जा रही समेकित पशु तथा डेरी विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दूध के सम्भाव्य क्षेत्रों में विनियोजन करने के लिये प्रोत्साहन देने का विचार है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अब तक किये गये विनियोजन के विषय में सही-सही जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**Closure of Biscuit Factories in Bombay due to Scarcity of Maida**

3621. **Shri Chiranjib Jha :**

**Shri Vasant Sathe :**

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether two major biscuit factories in Bombay have been closed due to the scarcity of Maida;

(b) if so, the further period for which these factories would have to remain closed as a result of the scarcity of Maida; and

(c) the action being taken by Government to remove this scarcity ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :** (a) to (c) : Parle Biscuit Company, Bombay was closed partially for a day and Britannia Biscuit Company, Bombay and Shalimar Biscuit Company, Bombay were each closed for 4 days during July, 1973. The position has improved with the resumption of supply of wheat to Roller Flour Mills in Bombay for manufacture of Maida.

**फ्लैटों को खाली न करने वाले भूतपूर्व संसद सदस्य तथा भूतपूर्व मंत्री**

3622. **श्री मधु लिमये :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी लोक-सभा की अवधि से फ्लैटों को कब्जे में किये हुए भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा भूतपूर्व मंत्रियों से सरकारी क्वार्टर खाली कराने के संबंध में कितनी सफलता मिली है;

(ख) ऐसे भूतपूर्व संसद सदस्य तथा मंत्रियों संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) प्रथम श्रेणी के उन भूतपूर्व सरकारी अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने स्थानान्तरण अथवा सेवा निवृत्ति के पश्चात् भी अपने क्वार्टर खाली नहीं किये हैं और उनमें अनधिकृत रूप से रह रहे हैं; और

(घ) भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित लोगों को क्वार्टरों से निकालने अथवा उनसे मकान खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क) तथा (ख) फिलहाल, एक भूतपूर्व उप-मंत्री तथा 6 भूतपूर्व संसद सदस्य सरकारी मकानों के दखल में हैं। इनमें से, भूतपूर्व उप-मंत्री तथा दो भूतपूर्व संसद सदस्य चौथी लोक सभा के समय से मकानों के दखल में हैं। अन्य चार संसद सदस्य वर्तमान (पांचवीं) लोक सभा के दौरान की तारीखों से मकानों के दखल में हैं। पांच भूतपूर्व संसद सदस्यों के मामले

में नियमितिकरण या उन्हें आगे के लिए रहने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। भूतपूर्व उप-मंत्री के विरुद्ध बेदखली के आदेश दे दिये गए हैं परन्तु वास्तविक बेदखली की अवधि 31-8-73 तक रोकी गई है। अन्य मामलों में संसद सदस्य की विधवा को वह मकान खाली करने का अनुरोध किया गया है जो उस के पति को उस की मृत्यु से पूर्व अलाट किया गया था।

(ग) पात्र सरकारी कर्मचारियों को सामान्य पूल वास का आवंटन विभिन्न टाइपों के लिये उन की पात्रता के अनुसार किया जाता है जो उनकी परिलब्धियों के आधार पर निर्धारित की जाती है, न कि उन की तैनाती के पदों की श्रेणी के आधार पर। अतः प्रथम श्रेणी की सेवा के अधिकारियों के बारे में सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) वे व्यक्ति, जो लगातार सामान्य पूल वास का अनधिकृत दखल बनाए रहते हैं उन पर लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। अधिनियम के अधीन तथा प्राकृतिक न्याय के हित में यह आवश्यक दखलकार को सरकारी मकान से अन्ततः बेदखल करने से पूर्व पर्याप्त अवसर दिया जाये।

**Meters of Three Wheeled Scooters in Delhi**

3623. **Shri Chiranjib Jha** : Will the Minister of **Shipping & Transport** be pleased to state :

(a) the number of three wheeled scooters in the Capital which are still being run without meters;

(b) the action taken to replace the old meters by new meters in the scooter rickshaws; and

(c) the time by which all such old meters would be replaced by new meters ?

**The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana)** : (a) to (c) : 5,000 scooter rickshaws are fitted with meters which do not conform to the prescribed specifications. The question of replacement of these meters by fare meters, conforming to the specifications laid down, and introduction of bench tests for the meters is being examined by the Delhi Administration.

**Rubbish Dumps causing Health Hazards in Old Delhi**

3624. **Shri M.C. Daga :**

**Shri Panna Lal Barupal :**

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether there are rubbish dumps at many places in the thickly populated areas inside old Delhi which give out dirty smell all around a distance of about 200 yards and are serious danger to the health of the people ;

(b) if so, the names of the places where are such rubbish dumps and the number thereof in old Delhi area; and

(c) the action being taken or proposed to be taken by Government to remove these rubbish dumps from Delhi city keeping in view the serious danger for health of the people and the difficulties of the public ?

**The Minister of Works and Housing (Shri Bhola Paswan Shastri)** : (a) to (c) The Municipal Corporation of Delhi has stated that no rubbish dumps are present in thickly populated areas of the city. Whenever a refuse dump comes to their notice the Corporation takes necessary action to remove the same under the Delhi Municipal Corporation Act 1957. However, there are 56 dalaos and 90 masonary enclosures in the congested areas of old Delhi. A fleet of vehicles and conservancy staff has been engaged to clean these dalaos and masonary enclosures regularly.

**Nationalisation of Transport between Karhal and Kachauraghat Road**

3625. **Shri M. C. Daga :**

**Shri Prabodh Chandra :**

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a big market is put up on every Wednesday and Saturday in Jaswant Nagar Town of Etawah District where about 80 thousand farmers and small shopkeepers buy and sell goods, vegetables, foodgrains but face a great difficulty for lack of transport facilities ;

(b) whether the public is experiencing much inconvenience because the private bus-owners, who have been given permits for bus operations, ply most of their buses from Karhal to Jaswant Nagar but not from Karhal to Kachauraghat; and

(c) whether Government propose to nationalise the transport between Karhal and Kachauraghat Road in view of the great inconvenience being experienced by thousands of farmers of this area and run at least eight Government buses daily on this road ?

**The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana)** : (a) to (c) The information required is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

**Compensation to Persons killed in a D.T.C. Bus Accident on 9th June, 1973.**

3626. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether three persons were killed in a Delhi Transport Corporation bus accident on the 9th June, 1973 and if so, the names thereof and whether they have been compensated by money or otherwise; and

(b) if so, the amount thereof and if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana)** :

(a) and (b): Yes, Sir. The following three persons died as a result of this accident :—

(i) Shri Roshan Lal.
(ii) Shri Lok Nath.
(iii) Shri Jugal Kishore.

Payment of compensation to the families of the deceased persons will be considered on receipt of claims from their legal heirs. No such claim has been received so far.

**कम कीमत पर किसानों को रूसी ट्रक्टर दिये जाने की पेशकश**

3627. **श्री आर० बी० बड़े :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन विदेशों से ट्रैक्टरों का आयात किया जाता है;

(ख) क्या रूसी टी-25 और हर्ष टी-25 ट्रैक्टरों को किसानों को आयातित मूल्य से बहुत अधिक कम मूल्य पर दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो रूसी ट्रैक्टरों के लिए यह रियायत देने के क्या कारण हैं ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया, रूस, पोलैण्ड, यूगोस्लाविया, यूनाइटेड किंगडम तथा पश्चिमी जर्मनी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**चीनी उद्योग जांच आयोग का प्रतिवेदन**

3628. **श्री ई० बी० बिखे पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग जांच आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप दे दिया गया है और उसने प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रतिवेदन सर्वसम्मतियुक्त है या उस पर कोई विमति टिप्पणी भी दी गई है; और

(ग) बहुमत और अल्पमत प्रतिवेदनों में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :** (क) चीनी उद्योग जांच आयोग ने अभी तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, इसने दो अंतरिम रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिनमें से (1) गन्ना-मूल्य नीति, चीनी कारखानों को गन्ने की सप्लाई का स्थिरीकरण और (2) चीनी उद्योग के यूनियनों और कारगर संगठन के बारे में हैं ।

(ख) और (ग): पहली अंतरिम रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ मुख्य सिफारिशें, अर्थात गन्ने के मूल्य के लिए उपलब्धि का मूल्य स्तर और पूर्ण आनुपातिकता के आधार पर गन्ने के मूल्य का निर्धारण करने सम्बन्धी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है। शेष सिफारिशों पर भारत सरकार के संबंधित विभागों और राज्य सरकारों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है । दूसरी अंतरिम रिपोर्ट जोकि काफी वृहद है, में की गई सिफारिशों मुख्यतः चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण से संबंधित हैं। वे सरकार के विचाराधीन हैं। उस पर निर्णय लेते ही सभा को उससे अवगत किया जाएगा।

**महाराष्ट्र में अभाव सहायता कार्यों में लगे श्रमिकों को दी जाने वाली मंजूरी संबंधी हिदायतें**

3629. **श्री मधु दंडवते :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को उन श्रमिकों की दैनिक मजूरी में की गई 50 पैसे की वृद्धि बंद करने के अनुदेश दिये हैं जो अभाव राहत कार्यों में लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को मजूरी में की गई इस वृद्धि को बंद करने पर जो न देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) राज्य सरकार ने भारत सरकार से परामर्श करके राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की दैनिक मजदूरी में 50 पैसे की वृद्धि को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

**सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कृषकों को दिये गए ऋण को माफ करना**

3630. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जिन कृषकों ने बैंकों/सरकारी वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया था वे लगातार सूखे की स्थिति तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों के कारण उस ऋण को चुकाने की स्थिति में नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कृषकों को कुछ राज सहायता देने अथवा ऋण माफ करने के बारे में किसी योजना पर विचार किया है अथवा कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषकों को राज-सहायता देने/ऋण माफ करने की कोई खास योजनाएं नहीं हैं । राज्य सरकारें समुचित मामलों में सरकारी ऋण माफ करने पर विचार कर सकती हैं, समुचित मामलों में, प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित क्षेत्रों में स्वीकृत किये गए अल्पावधि ऋण को मध्यावधि ऋण में परिणत करने के लिए सहकारिता प्रणाली में व्यवस्था है। व्यावसायिक बैंक भी समुचित मामलों में ऋण चुकाने की अवधि में परिवर्तन करने पर विचार कर सकते हैं ।

**भोपाल के निकट प्रागैतिहासिक चित्र विधि की खोज**

3631. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** :

**श्री हुकुम चन्द कछवाय** :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल के समीप पाषाणभुज के मानव की कलात्मक उपलब्धियों का चित्रण करने वाली एक प्रागैतिहासिक चित्र विधि का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इससे भारत के इतिहास पर क्या प्रकाश पड़ेगा ।

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन)** : (क) 1957 से अब तक की खोजों और 1972-73 की खुदाइयों से मध्य प्रदेश में जिला रायसेन के शहर हिमबेटका में लगभग 630 शिलाओं का पता चला है। इनमें से लगभग 500 शिलाओं पर दीवारों तथा छतों पर, चित्रकारी की गई है ।

(ख) चित्रकारियों, जो लाल, सफेद तथा हरे रगों में हैं, जंगली-जानवरों, शिकार-दृश्यों, नृत्यों, सुसज्जित घोड़ों तथा हाथियों आदि का चित्रण करती हैं। प्रारंभिक अध्ययनों से पता चला है कि जंगली जानवरों, आखेट-दृश्यों तथा नृत्यों आदि को दर्शाने वाले चित्र इस समूह के सबसे अधिक पुराने हैं और खुदाईकर्ताओं के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि ये चित्र उस मध्य पाषाण युग से संबंधित हैं, जो कालक्रमानुसार 10,000 ईसा पूर्व के लगभग माना जा सकता है। कुछ चित्र पूर्व ऐतिहासिक काल में ही बनाए गए प्रतीत होते हैं।

(ग) पूर्ण रूप से जांच तथा अध्ययन हो जाने के पश्चात इन खोजों से मध्य पाषाण युग से लेकर ऐतिहासिक काल के प्रारंभ तक के भारत में समकालीन जीवन तथा कला की परम्पराओं पर प्रकाश पड़ने की संभावना है।

**Health Department of Uttar Pradesh**

**3632. Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the changes made in the Health Department, Uttar Pradesh ;

(b) whether the Civil Surgeons have been barred to see the patients thereby ;

(c) whether the doctors of Government Health Department have been disallowed to have private practice; and

(d) whether the doctors went on strike in protest thereof ; and Government's reaction thereto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku):** (a) to (d) The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the table of the Sabha in due course.

**Report of Enquiry Commission on Bharat Sevak Samaj**

**3633. Shri Chandrika Prasad :**

**Shri Arjun Sethi :**

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Commission appointed to enquire into the working of Bharat Sevak Samaj has submitted its report ; and

(b) if so, the main recommendations thereof and the reaction of Government thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) :** (a) Yes, Sir.

(b) The Report of the Commission of Inquiry is being examined.

**Water Transport Scheme from Patna to Ghazipur and Patna to Allahabad**

**3634. Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the reasons for not making the temporary water transport service from Patna to Ghazipur a permanent one so far; and

(b) the time by which a water transport service from Patna to Allahabad would be started and the scheme in that regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana) :** (a) & (b) The experimental-cum-promotional river service on the river Ganga between Patna and Chunar has been extended upto 30-6-1974 for the present. The question of running the service on a permanent basis and of its extension will be considered after watching the results of operation of the service during this period.

**Construction of Bridge Across Ganga for connecting Ballia and Buxar**

**3635. Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the time by which the inter-State bridge being constructed across Ganga for connecting Ballia (Uttar Pradesh) and Buxar (Bihar) would be completed ;

(b) the amount of expenditure to be incurred thereon ; and

(c) whether there is any scheme under consideration to construct a rail-cum-road bridge also ?

**The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana) :** (a) Presumably, the Hon'ble Member is referring to the bridge being constructed across the river Ganga at Buxar in Bihar. This bridge is likely to be completed by June, 1974.

(b) Rs. 221.00 lakhs.

(c) No, Sir.

**शिक्षा डिग्री का पात्र बनने के लिए छात्रों के लिए कृषि भूमि पर कार्य करने और सैनिक प्रशिक्षण लेने संबंधी प्रस्ताव**

3636. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को ऐसा प्रस्ताव मिला है कि शिक्षा डिग्री का पात्र बनने के लिए छात्रों को एक वर्ष के लिए कृषि भूमि पर कार्य करने के लिए और एक वर्ष के लिए सैनिक प्रशिक्षण लेने के लिए भी कहा जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) और (ख) प्रथम डिग्री प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित अवधि की राष्ट्रीय सेवा को पूर्व-शर्त बनाने का एक प्रस्ताव, सरकार के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव के संबंध में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

**Discovery of Coins and Idols during Digging of Sipra River**

**3637. Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether 150 coins and 30 attractive idols have been found in June, 1973 near big bridge during digging of Sipra river in Ujjain (M.P.); and

(b) if so, the period to which these coins belong and how old these idols are as well as the complete details in this regard ?

**The Minister of Education, Social welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) :** (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the table of the House when received.

**Foodgrains looted from Chaddia Tehsil of Varanasi**

**3638. Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether about 100 quintals of foodgrains were looted from the Chaddia Tehsil of Varanasi during three days after 20th July, 1973 ; and

(b) if so, the facts in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :** (a) & (b) No looting of foodgrains in Chaddia Tehsil of Varanasi during 3 days after 20th July, 1973 has been reported. However, the State Government has intimated that looting of 175 maunds of foodgrains in the said Tehsil was reported on 19th July, 1973. A case under Section 395 I. P. C. was registered, 10 persons surrendered before the court and the police recovered 15 maunds of looted foodgrains.

**वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के वातानुकूलित कमरे**

3639. **श्री राज राजेंसिह देव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 मई, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के कमरों के वातानुकूलन के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समाचार का अध्ययन किया है, यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :** (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने ध्यान से गौर करने के बाद यह स्वीकार किया है कि कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय वातानुकूलन आवश्यक है जो कि अत्यन्त किफ़ायती तथा सन्तोषजनक प्रबन्ध है। निधियों के उपलब्ध होने पर बहु-मंजिले-कार्यालय-भवनों के वातानुकूलन का कार्य प्रावस्थाक्रम से आरम्भ करने का निर्णय किया गया है।

**अनाज का मासिक कोटा बढ़ाने के लिए बिहार द्वारा अनुरोध**

3640. **श्री चिरंजीव झा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने अपनी हाल की बैठक में, संकट का सामना करने तथा प्रभावित जनता को सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिए केन्द्रीय सरकार से बिहार के अनाज के मासिक कोटे को 50,000 मीटरी टन से बढ़ाकर, 1,50,000 मीटरी टन करने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) और (ख) जी हां। राज्य सरकार ने अगस्त, 1973 के लिए 1,50,000 मीटरी टन की मांग की है।

बिहार सरकार को चालू मास के लिए केन्द्रीय पूल से पहले 40,000 मीटरी टन गेहूं का आवंटन किया गया था। तथापि, आवंटन में 5000 मीटरी टन की वृद्धि की गयी है। इसके अलावा, राज्य सरकार को पंजाब राज्य से राज्य के आधार पर 10,000 मीटरी टन मक्का खरीदने का अधिकार भी दिया गया है ।

**कालेज आफ नर्सिग, दिल्ली**

3641. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली स्थित कालेज आफ नर्सिग के अध्यापन कर्मचारियों में उनके वर्तमान ढांचे के सम्बन्ध में, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अन्य कालेजों के अध्यापकों के बराबर नहीं हैं, असंतोष है ;

(ख) यदि हां, तो अध्यापकों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है;

(ग) क्या नर्सिग कालेज के अध्यापकों के प्रतिनिधयों को वेतन आयोग के समक्ष अपना मामला रखने का अवसर दिया गया था, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों को दिल्ली विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत अन्य कालेजों के स्तर पर लाकर इस कालेज का दर्जा बढ़ाए जाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) :** (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय वेतनमान दिये जाने के बारे में नर्सिग कालेज के शिक्षकों की मांग पर तीसरे वेतन आयोग ने विचार किया था और उसने सिफारिश की है कि भरती, योग्यताओं, काम और जिम्मेवारियों को ध्यान में रखते हुए इस कालेज के शिक्षकों की मांग जायज नहीं है। वेतन आयोग की इस सिफारिश पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) आयोग ने अपनी रिपोर्ट (खण्ड 1) के अध्याय 2 के पैरा 18 में यह कहा है कि विभिन्न व्यावसायिक वर्गों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए काफी मौका देने की वांछनीयता को तथा इसके लिए उनके पास उपलब्ध समय को ध्यान में रखते हुए वेतन आयोग को कर्मचारियों की यूनियनों और संघों को बुलाने में चयन का सहारा लेना पड़ा। नर्सिग कालेज के शिक्षकों के प्रतिनिधियों को मौखिक साक्ष्य के लिए नहीं बुलाया गया।

(घ) और (ङ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तीसरे वेतन आयोग ने इस मामले पर पहले ही ध्यानपूर्वक विचार किया है, इस समय अलग से किसी अन्य ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

**विश्वविद्यालयों और माध्यमिक बोर्डों के अधीन परीक्षाओं की प्रणाली को समाप्त करना**

3642. **श्री एन टोम्बी सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्वविद्यालयों और माध्यमिक बोर्डों के अधीन होने वाली परीक्षाओं की वर्तमान प्रणाली, विशेषकर परीक्षार्थियों की श्रेणियां निश्चित करने के लिए अंक देने की प्रणाली, समाप्त करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक समाप्त कर दिया जाएगा, यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि अंक देने की प्रणाली से छात्रों को विश्वविद्यालय बदलने पर बहुत कठिनाई होती है, जिनके अंक देने के मानदण्ड भिन्न-भिन्न होते हैं ;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक ही श्रेणी की परीक्षा के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लागू परीक्षा के भिन्न-भिन्न मानदण्डों से होने वाली कठिनाइयों की जांच कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन)** : (क) से (घ) विवरण संलग्न है ।

**विवरण**

परीक्षा सुधार के संबंध में सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड इत्यादि द्वारा गठित विभिन्न समितियों की रिपोर्टों की जांच करने के लिए शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ने एक कार्य दल की नियुक्ति की थी। दल ने "परीक्षा सुधार-कार्रवाई योजना" नामक अपनी अन्तिम रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण सामान्य सिद्धांत सुझाये हैं, जिन पर परीक्षाओं की नई अथवा वांछनीय पद्धति आधारित होनी चाहिए। दल ने, विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं तथा प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों की परीक्षाओं में सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। आन्तरिक मूल्यांकन, अंक और श्रेणियां, राष्ट्रीय परीक्षा और प्रश्न बैंक जैसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। कार्य दल की रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों को इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक संशोधन करने के पश्चात, तात्कालिक कदम उठाने के लिए परिचालित कर दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस दल द्वारा की गई सिफारिशों को सामान्य रूप से अनुमोदित कर दिया है और उन्हें विश्वविद्यालयों और कालेजों को उनके मार्गदर्शन के लिए भेज दिया है। आयोग ने इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने हेतु एक परीक्षा सुधार कार्यान्वयन समिति भी नियुक्त की है।

यह आशा की जाती है कि दल और कार्यान्वयन समिति द्वारा सुझाई गई रूपरेखाओं के अनुसार परीक्षा सुधार के कार्यान्वयन से परीक्षाओं को उचित रूप से आयोजित करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी ।

**मणिपुर लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया अप्राधिकृत व्यय**

3643. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मणिपुर लोक निर्माण विभाग ने गत वित्तीय वर्ष में बिना उचित मंजूरी और प्रक्रियाएं अपनाएं बहुत बड़ी रकम अधिक खर्च की; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जिम्मेदारी निश्चित करेगी और दोषी व्यक्ति को दण्ड देगी ?

**संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :** (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**देश में नर्स प्रशिक्षण स्कूलों की आवश्यकता**

3644. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में विशेषकर उत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में नर्स प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या वास्तविक आवश्यकता से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों ने अपने क्षेत्रों में और अधिक नर्स प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के बारे में विशिष्ट सहायता के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और प्रत्येक राज्य में कितनी नर्सों की आवश्यकता है तथा कितनीं नर्सें उपलब्ध हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) :** (क) जी नहीं। ऐसी कोई कमी नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता। राज्यवार कितनी नर्सों की आवश्यकता है और कितनी उपलब्ध हैं, ये आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

**छात्रावासों के प्रबन्ध के कारण बनारस हिन्दू विश्वविद्यालव के छात्रों को असुविधा**

3645. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि खानपान के मामले में छात्रावासों के प्रबन्ध के कारण बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों को असुविधाएं हो रही हैं और कि ठीक समय पर परीक्षाएं शुरू न करने का एक कारण यह है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) :** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**बड़े पैमाने पर नकल करने तथा अनुचित उपाय प्रयोग में लाने के विरुद्ध उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पैनल**

**3646. श्री जी० वाई० कृष्णन :**

**श्री धर्मराव अफ्जलपुरकर :**

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर नकल करने तथा अनुचित उपाय प्रयोग में लाने के विरुद्ध उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत और श्री लंका के अन्तर्वाश्विविद्यालय बोर्ड का संयुक्त पैनल नियुक्त किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और प्रतिवेतन के कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री एस० नुरूल हसन)** : (क) जी, हां।

(ख) पैनल की रिपोर्ट को अगले छः मासों में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

**बीज प्रविधि के अनुसंधान केन्द्र की स्थापना और तकनीकी कर्मचारियों का प्रशिक्षण**

**3647. श्री जी० वाई० कृष्णन :**

**श्री सी० के० जाकर शरीफ :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीज प्रविधि के अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने और तकनीकी कर्मचारियों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता संबंधी किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) इस विषय पर कोई नया प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है तथापि बीज प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के दृढ़ आधार और तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता स्वीकार की गई है।

(ख) बीज प्रोद्योगिकी, जो कि अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1968 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में बीज प्रोद्योगिकी के एक डिवीजन की स्थापना की थी। इस नये डिवीजन के मुख्य उद्देश्य बीज प्रोद्योगिकी के व्यापक क्षेत्र में अनुसंधान का दृढ़ आधार तैयार करना और इसके स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं का विकास करना है।

केन्द्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, बीज प्रोद्योगिकी डिवीजन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राज्य बीज प्रयोगशालाओं के विश्लेषकों के लिए बीज परीक्षण के क्षेत्र में अल्पकालीन प्रशिक्षण कोर्स चला रहे हैं। राष्ट्रीय बीज निगम भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सहयोग से सेवारत व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए अल्पकालिक कोर्स चला रहा है। इसके साथ-साथ निजी तौर पर बीज का काम करने वाले व्यक्तियों को बीज उत्पादन और परिसंस्करण के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

विभिन्न एजेन्सियों और संगठनों के सहयोग से विभिन्न संगठनों के स्टाफ के कुछ व्यक्तियों को विदेशों में प्रशिक्षण दिया गया है।

**गेहूं और चावल के वसूली और विक्रय मूल्य निर्धारित करना**

3648. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं और चावल के वसूली तथा विक्रय मूल्य केन्द्रीय सरकार निर्धारित करती है या राज्य सरकारें;

(ख) क्या ये मूल्य विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस समय वे क्या हैं और मार्च, 1973 से उनमें कैसे परिवर्तन किये गये हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) :** (क) गेहूं और चावल का अधिप्राप्ति मूल्य और केन्द्रीय पूल से राज्य सरकारों को देने के लिए उनके निर्गम मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा समान आधार पर निर्धारित किए जाते हैं लेकिन उपभोक्ताओं को बेचने के लिए उनके बिक्री मूल्य सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) तथापि, ये बिक्री मूल्य प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हैं।

(ग) दो विवरण संलग्न हैं (विवरण 1 और 2) जिन में गेहूं और चावल के अधिप्राप्ति मूल्य और उनके निर्गम मूल्य दिए गए हैं।

**विवरण I**

**गेहूं के अधिप्राप्ति तथा निर्गम मूल्य बताने वाला विवरण**

| किस्म | अधिप्राप्ति मूल्य | रु० प्रति क्विंटल निर्गम मूल्य |
|---|---|---|
| | रु० | रु० |
| देशी लाल . . . . . | 71 से 74 | 78 |
| देशी साधारण सफेद और अन्य मैक्सिकन किस्में | 76 | 78 |
| विशिष्ट बढ़िया किस्में . . . . . | 82* | 84† |

*29-3-73 को निर्धारित

†29-5-73 को निर्धारित

**विवरण II**

**मानक किस्मों के चावल के वसूली मूल्य और निर्गम मूल्य दर्शाने वाला विवरण**

(क) **वसूली मूल्य**

| क्रम संख्या | राज्यों का नाम | चावल की मानक किस्म | वसूली मूल्य (प्रति क्विंटल रुपया) |
|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | अकुल्लू | 83.37 |
| 2. | आसाम | विंटर साली | — |
| 3. | बिहार | घटिया | 95.25 |
| 4. | गुजरात | साठी | *90.00 |
| 5. | हरियाणा | बेगमी | *91.80 |
| 6. | केरल | पालघाट मट्टा | 85.88 |
| 7. | मध्य प्रदेश | गुरुमेनिया | *86.30 |
| 8. | महाराष्ट्र | घटिया | 83.00 |
| 9. | मैसूर | घटिया (कच्चा) | — |
| 10. | उड़ीसा | कामन | — |
| 11. | पंजाब | बेगमी | *91.80 |
| 12. | राजस्थान | सुथेर सौल | — |
| 13. | तमिलनाडु | कट्टाइसांबा | — |
| 14. | उत्तर प्रदेश | ग्रेड III | 92.00 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | कामन | 91.20 |

*बोरी की लागत सहित

(ख) **निर्गम मूल्य**

| | निर्गम मूल्य (प्रति क्विंटल रुपये) |
|---|---|
| घटिया | 100.00 |
| मध्यम | 111.00 |
| बढ़िया | 120.00 |
| बहुत बढ़िया | 128.00 |
| सबसे बढ़िया | 150.00 |

**टिप्पणी** : मार्च 1973 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

**मोटे अनाजों के लाने ले जाने से प्रतिबन्ध हटाया जाना**

3649. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कि गुजरात राज्य में मोटे अनाजों के मूल्यों में वृद्धि की गई है;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार देश में मोटे अनाजों के लाने ले जाने से प्रतिबंध हटाने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रबी के मोटे अनाजों के संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, खरीफ के मोटे अनाजों के संचलन पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है।

**इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स्ड् स्टडीज़, शिमला, के भवन पर ब्रिटिश राज्य का चिन्ह**

3650. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स्ड स्टडीज़, शिमला के भवन पर अभी भी ब्रिटिश राज्य चिन्ह लगा है; और

(ख) उस चिन्ह को हटाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन)** : (क) और (ख) राष्ट्रपति निवास शिमला के अग्रभाग पर जिसमें भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान स्थित है एक का ब्रिटिश प्रतीक उत्कीर्ण है। इस प्रतीक को हटाकर उसके स्थान पर अशोक प्रतीक लगाने का निर्णय किया गया है । उसके हटाये जाने तक ब्रिटिश प्रतीक को ए० सी० शीटों से ढक दिया गया है ?

**सौन्दर्यकरण शुल्क और ग्राम पुनर्विकास शुल्क**

3651. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 2 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2774 के उनर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी गृह निर्माण समितियों के साथ किये गये करार उन तारीखों से लागू होंगे जिनको समितियों की भूमि का कब्जा दिया गया है चाहे करारों की तिथियां कुछ भी क्यों न हों और इस प्रकार समितियों के अधिकार और दायित्व करार के लागू होने की तिथि से शुरू होंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या उन समितियों से, जिनके साथ दिल्ली प्रशासन द्वारा, किये गये विलम्ब के कारण, करार नहीं किये गये थे, सौन्दर्यकरण शुल्क और ग्राम पुनर्विकास शुल्क वसूल करना उचित है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार दिल्ली प्रशासन को ऐसे मामलों पर पुनर्विचार करने का अनुदेश देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता)** : (क) तथा (ख) जिस सहकारी गृह निर्माण समिति को दिल्ली प्रशासन द्वारा अविकासित भूमि आवंटित की जाती है, वह सर्वेक्षण के लिए भूमि पर आने जाने के लिए, ले आउट प्लान तैयार करने तथा स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार भूमि का विकास करने के लिए लाइसेंस के रूप में एक करारनामे

का निष्पादन करती है। सौंदर्यकरण शुल्क तथा ग्राम पुनर्विकास प्रभार उन समितियों से वसूल किए जा रहे हैं जिनके साथ लाइसेंस रूपी करारनामों पर इन प्रभारों को लागू करने वाले आदेशों के जारी होने की तारीख के बाद हस्ताक्षर किए गए थे ।

(ग) तथा (घ) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

**केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकों को सुविधाएं**

3652. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकों को वही सुविधाएं (जैसे आवास और चिकित्सा सुविधा आदि) देने का है जो नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो वे सुविधाएं किस तिथि से दी जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव)** (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा तथा सामान्य पूल से सरकारी आवास के आवंटन के हकदार नहीं हैं। तथापि वे केन्द्रीय अंशदायी योजना (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के अनुसार चिकित्सा खर्चे की प्रतिपूर्ति तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किए जाने वाले आदेशों के अनुसार मकान-किराया-भत्ता पाने के अधिकारी हैं ।

**गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेसों में जनरल मैनेजर के पद**

3653. **श्री एम० कतामुतु :**

**श्री एम० कल्याणसुन्दरम् :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया प्रेस, के० एस० राय रोड, कलकत्ता तथा मिन्टो रोड, नई दिल्ली में जनरल मैनेजर के पदों का, योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण, दर्जा घटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन पदों को सीधी भर्ती के आधार पर क्यों नहीं भरा गया है जैसा कि तत्संबंध भर्ती नियमों के अधीन किया जा सकता है;

(ग) क्या ज्वाइण्ट डाइरेक्टर (प्रिंटिंग) सहित अन्य सभी पदों पर तदर्थ नियुक्तियां कर दी गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो जनरल मैनेजर के ग्रेड में ऐसी नियुक्ति क्यों नहीं की गयी है ?

**संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :** (क) मिन्टो रोड प्रेस के महाप्रबन्धक के पद को आस्थगित रखा गया है तथा प्रबन्धक ग्रेड-I का एक अस्थायी पद बनाया गया है। इस पद पर ग्रेड-I का एक प्रबन्धक कार्य कर रहा है। के० एस० राय रोड प्रेस में केवल प्रबन्धक ग्रेड-I का एक पद है।

(ख) भर्ती नियमों के अनुसार यह पद पदोन्नति द्वारा भरा जाना है, परन्तु ऐसा न होने पर यह सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है। पदोन्नति का प्रश्न विचाराधीन है। यदि पदोन्नति का तरीका असफल रहा तो सीधी भर्ती का दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है।

(ग) प्रबन्धक-काडर में कई पद तदर्थ आधार पर भरे गए हैं।

(घ) तदर्थ नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है।

**बेरोज़गारी के बारे में प्रायोगिक गहन ग्रामीण परियोजना (पायलेट इंटेंसिव रूरल प्रोजेक्ट)**

3654. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोज़गारी की समस्यायों तथा उसकी व्यापकता और उसके स्वरूप के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करने के लिए एक प्रायोगिक गहन ग्रामीण परियोजना (पायलट इंटेंसिव रूरल प्रोजक्ट) बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की रूपरेखा क्या है; और

(ग) उन 15 चुने हुए "ब्लाकों" के नाम क्या हैं तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें वे स्थित हैं, जहां यह परियोजना लागू की जायेगी।

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :** (क) और (ख) जी हां। प्रायोगिक गहन ग्राम रोजगार परियोजना 15 राज्यों के 15 चुने खण्डों में आरम्भ की गई है। इस परियोजना का लक्ष्य अंत में 15–59 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त शारीरिक-श्रम वाला रोज़गार उपलब्ध कराना है, जिसे रोज़गार की जरूरत है। प्रायोगिक गहन ग्राम रोज़गार परियोजना चुने खण्डों में प्रयोगात्मक आधार पर पूर्ण रोज़गार उपलब्ध करने का एक प्रयास है। जब यह परियोजना 3 वर्ष की अवधि में पूरे तौर पर कार्यान्वित की जाएगी, तब इस उद्यम की लागत और साथ ही चुने खण्डों में बेरोज़गारी के स्वरूप एवं परिमाण का पता चलेगा। इस परियोजना को कार्यान्वित करने में एकत्र किए आंकड़ों और प्राप्त हुए अनुभव से उपयुक्त ग्राम रोज़गार नीतियां तैयार करने में सहायता मिलेगी। प्रायोगिक गहन ग्राम रोज़गार परियोजना तीन वर्षीय परियोजना है। प्रथम वर्ष में औसतन 10 लाख रुपये प्रति खण्ड व्यय करने की परिकल्पना की गई है। रोज़गार चाहने वाले सभी व्यक्तियों को तीसरे वर्ष रोजगार प्रदान किये जाने की उम्मीद है। इस परियोजना का सारा परिव्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना है। रोज़गार प्रदान करने के अलावा इस परियोजना का लक्ष्य परियोजना के काम में लगाए गए कुछेक मज़दूरों को नये कौशल सिखाना भी है। इस परियोजना से स्थायी स्वरूप की परिसंपत्तियों का निर्माण भी होगा।

(ग) एक विवरण, जिसमें 15 चुने खंडों के नाम और उन राज्यों के नाम जिनमें वे स्थित हैं दिये गए हैं सभा-पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

**ग्राम रोजगार की प्रायोगिक गहन परियोजनाओं के लिये चुने गये जिलों/खण्डों की सूची**

| राज्य | खण्ड का नाम | जिले का नाम |
|---|---|---|
| 1. आंध्र प्रदेश | शादनगर | महबूब नगर |
| 2. असम | पश्चिम नलवाड़ी | कामरूप |
| 3. बिहार | मुसाहरी | मुजफ्फरपुर |
| 4. गुजरात | तलाला | जूनागढ़ |
| 5. हिमाचल प्रदेश | सदर | बिलासपुर |
| 6. जम्मू तथा काश्मीर | केल्लेर | अनन्तनाग |
| 7. केरल | त्रितला | पालघाट |
| 8. मध्य प्रदेश | अलिराजपुर जनजातीय विकास खंड | झबुआ |
| 9. महाराष्ट्र | करजा | वर्धा |
| 10. मैसूर | हरिहर | चित्रदुर्गा |
| 11. उड़ीसा | अस्का | गंजम |
| 12. राजस्थान | बुखिया | बंसवाड़ा |
| 13. तमिलनाडु | मंगलूर | साउथ अरकाट |
| 14. उत्तर प्रदेश | बंसदिह | बलिया |
| 15. पश्चिम बंगाल | नयाग्राम | मिदनापुर |

**छात्रों और अध्यापकों के बीच असन्तोष की समस्या पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति**

3655. **श्री नारायणचन्द पाराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनी सितम्बर, 1970 की वार्षिक बैठक में पारित संकल्प के अनुसरण में छात्रों और शिक्षकों के बीच असंतोष की समस्या की जांच करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने कोई समिति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते हुए असंतोष की गंभीर समस्या पर विचार करने के लिए समिति ने अभी तक अपनी कोई बैठक की है, और

(ग) यदि नहीं, तो बैठक कब तक होने की आशा है और अभी तक कोई बैठक न होने के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :** (क) से (ग) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने छात्रों और अध्यापकों में असंतोष की समस्या की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। समिति का प्रारंभिक कार्य पूरा होने जा रहा है और समिति की एक बैठक शीघ्र ही बुलाई जाएगी ।

**अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की विद्यार्थी यूनियन का निलम्बन**

3656. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण** और **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की विद्यार्थी यूनियन को विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा निलम्बित कर दिया गया है अथवा उसकी मान्यता रद्द कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो यूनियन को निलम्बित करने अथवा उसकी मान्यता रद्द करने का निर्णय किस तारीख को किया गया था;

(ग) यूनियन को कब से निलम्बित किया गया है अथवा उसकी मान्यता कब से रद्द की गई है; और

(घ) निलम्बन तथा मान्यता रद्द को किस तारीख से समाप्त किया जायेगा ताकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थी यूनियन में प्रजातन्त्रात्मक रूप से भाग ले सकें ?

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :** (क) से (घ) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति ने 22 अप्रैल, 1973 को यह आदेश जारी किया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ के सभी कार्यकलाप तत्काल से अगले आदेशों तक स्थगित रहेंगे ।

**किसी उत्पाद को औषधि के रूप में मान्यता देने के लिये प्रक्रिया**

3657. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी उत्पाद को "औषधि" मानने के लिए सरकार क्या प्रक्रिया अपनाती है; और

(ख) क्या सरकार "औषधि" शब्द को व्यापक तथा निश्चित और सही समझती है जिससे इसके अन्तर्गत डाक्टरों द्वारा औषधियों के रूप में उपयोग में लाई जाने वाले सभी वास्तविक उत्पादों को सम्मिलित किया जा सके तथा औषधि के रूप में अन्य उत्पादों को उपयोग में लाये जाने की संभावनाओं को दूर किया जा सके ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) :** (क) किसी पदार्थ को ड्रग्स एन्ड कास्मैटिक्स एक्ट में यथा परिभाषित औषधि मानने की नीति यह देखना है कि गोया यह पदार्थ मनुष्यों अथवा पशुओं के रोगों का निदान करने, उनकी रोकथाम करने, इलाज करने और उनका शमन करन के लिए प्रयुक्त हो रहा है। सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे अन्य पदार्थ भी खाद्य से भिन्न जो मानव शरीर के ढांचे अथवा उसकी किसी क्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं अथवा जो मनुष्यों या पशुओं में रोग पैदा करने वाले कीड़े-मकोड़ों को नष्ट करने हेतु प्रयुक्त किये जाने के लिए हैं "औषधि" माने जाते हैं ।

(ख) जी हां। यह परिभाषा इतनी विस्तृत तो है ही कि इसमें वे सभी प्रमाणित उत्पाद आ जाएं जो चिकित्सा व्यवसाय द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा इससे किसी अन्य उत्पाद के अनुचित रूप में औषधि समझे जाने की संभावना नहीं रहती है ।

**बर्दवान के समीप सदरघाट पर दामोदर नदी पर पुल बनाने के लिए सहायता**

3658. **श्री सोम नाथ चटर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दामोदर नदी पर बर्दवान के समीप सदरघाट पर पुल बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की सहायता मांगी है तथा केंद्रीय सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना)** : (क) और (ख) जी हाँ। अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के भाग के रूप में पांचवी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में 130 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाला प्रस्तावित पुल भी शामिल है । साधनों की उपलब्धता और ऐसी सहायता के लिए पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों द्वारा प्रस्तुत इसी प्रकार की विभिन्न योजनाओं की परस्पर प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप देते समय इस पर उचित रूप से विचार किया जाएगा । चूंकि पांचवी योजना अभी तैयार की जा रही है, अतः इस समय प्रस्तावित पुल के लिए किसी रकम की मंजूरी का प्रश्न नहीं उठता है ।

**Construction of Houses for Landless Labourers and Harijans in Rural Areas during 1973-74**

**3659. Shri G. P. Yadav :**

**Shri Ramavtar Shastri :**

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Government of Bihar has submitted a scheme to the Central Government regarding the construction of houses for landless labourers and Harijans in rural areas during 1973-74,

(b) the amount demanded by the Bihar State for this scheme, and

(c) the amount given by the Central Government for the said scheme ?

**The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta)** : (a) to (c) Yes, Sir. The Government of Bihar have forwarded to the Ministry of Works and Housing a copy of the scheme drawn up by them for construction of cheap houses for the rural landless families belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in selected villages under a Special Employment Programme, involving an expenditure of Rs. 1.85 crores for 1973-74. This Ministry have not introduced any Scheme for providing Central assistance for the purpose. However, Ministry of Agriculture (Department of Community Development) have introduced a Scheme called 'Crash Scheme for Rural Employment' under which Central assistance is admissible for various employment oriented programmes in the rural areas. The State Government have been informed of this position.

A sum of Rs. 50 lakhs has been sanctioned by the Ministry of Home Affairs to the State Government for 1973-74, for construction of houses for Harijans in selected Jayanti

villages on the house-sites developed under the Central Sector Scheme for provision of house-sites to landless workers in rural areas.

**Cracks in Main Gate of Stupa of Sanchi**

3660. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the main gate of the Stupa of Sanchi has developed cracks at a number of places and it can collapse any time;

(b) whether Government propose to carry out repairs to the cracks in the main gate as also at other places; and

(c) If so, the steps being taken by Government in this regard ?

**The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) :**

(a) No, Sir; the main gate has not developed any crack that might cause its collapse.

(b) & (c) Does not arise in view of the reply at (a) above.

**चीनी का खुला बाजार मूल्य कम करने के लिए चीनी उद्योग से अनुरोध**

3661. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**

**श्री वी० मयावन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन में काफी वृद्धि होने के उपरान्त भी चीनी के मूल्य में कोई कमी आने के बजाय, गत चार महीनों में मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या उन्होंने भारतीय चीनी निर्माता संघ की सामान्य वार्षिक बैठक में भाषण करते हुए चीनी उद्योग से चीनी के खुले बाजार मूल्य में कमी करने का अनुरोध किया; था और

(ग) यदि हां, तो चीनी उद्योग की क्या प्रतिक्रिया रही और मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है तथा सरकार चीनी के मूल्य कम करने के लिए अपनी ओर से क्या कदम उटाने का विचार कर रही है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शर सिंह) :** (क) इस वर्ष चीनी के उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद भी चीनी की समूची उपलब्धता में बढ़ोतरी नहीं हुई क्योंकि पिछले वर्ष का बहुत ही कम स्टाक बचा था। जुलाई, 1973 से खुले बाजार में भावों 3.30 रुपये और 3.80 रुपये प्रति किलो के बीच चल रहे हैं जबकि अप्रैल-जून, 1973 के दौरान ये भाव 3.32 रुपये से लगभग 4.00 रुपये प्रति किलो के बीच चल रहे थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) अब तक इसका मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

सरकार का 1973-74 में आंशिक नियन्त्रण की नीति को जारी रखने का विचार है और सरकार नई लाइसेंसशुदा फैक्ट्रियों को चालू करने के अलावा गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टि से गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रही है। इन उपायों के परिणामस्वरूप 1973–74 में कुल उत्पाद

42 लाख मी० टन के आस-पास होने की संभावना है जबकि 1972–73 मौसम में यह उत्पादन लगभग 38.7 लाख मी० टन था। आशा है कि इन उपायों को कार्यरूप देने से खुले बाजार में मूल्य उपर्युक्त स्तर पर बने रहेंगे। लोगों की आवश्यक जरूरतें लेवी चीनी से, पहले की तरह, पूरी की जाएंगी जोकि देश भर में निर्धारित मूल्य पर बेची जाती रहेगी।

**काश्मीर तथा अन्य राज्यों में चावल के लिये दी गई राजसहायता**

3662. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा काश्मीर को सप्लाई किया गया चावल 40 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर बेचा जा रहा है और यह मूल्य कब से चल रहा है;

(ख) चावल किस मूल्य पर सप्लाई किया जा रहा है और इसमें राजसहायता की कितनी राशि होती है और दूसरे राज्यों को सप्लाई किए जाने वाले चावल पर दी जाने वाली राजसहायता की तुलना में इसकी स्थिति क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में समता लाने का है और यदि हां, तो इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) जम्मू और कश्मीर में जम्मू और श्रीनगर के शहरों के कम आय वर्ग के लिए चावल का विक्रय मूल्य 40 रुपये प्रति क्विंटल. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50 रु० और शहरों के लिए 80 रु० का एक सा मूल्य है। इस मूल्य को पिछले तीन वर्षों से बनाए रखा जा रहा है।

(ख) और (ग) जम्मू तथा कश्मीर सहित राज्य सरकारों से लिए जा रहे निर्गम मूल्य और उसमें सम्मिलित राजसहायता का अंश देश भर में समान है। वर्तमान निर्गम मूल्य मोटे चावल के लिए 100 रु० प्रति क्विंटल, मध्यम के लिए 111 रु०, बढ़िया के लिए 120 रु०, सुपर फाइन के लिए 128 रु० और बहुत बढ़िया किस्मों के लिए 150 रु० हैं।

राज्य सरकारों द्वारा उपभोक्ताओं की चावल की बिक्री पर राजसहायता दी जा रही है और इसलिए इस संबंध में समानता लाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

**खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का लागू किया जाना**

3663. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम देश पर्यन्त लागू है;

(ख) यदि हां, तो कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्य में इस अधिनियम पर रोक लगा दी है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और किन आधारों पर ऐसी रोक के लिए अनुमति मांगी गई और केन्द्र ने अनुमति दी?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री श्री (ए० के० किस्कू)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**गालिब की हस्तलिपि की चोरी से पाकिस्तान ले जाये जाने के बारे में जांच**

3664. **श्री एस० ए० शमीम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 30 जुलाई, 1971 को तारांकित प्रश्न सख्या 1496 के उत्तर में मंत्री महोदय ने कवि गालिब की दुर्लभ हस्तलिपि को जिन परिस्थितियों में चोरी से पाकिस्तान ले जाया गया था, उनकी जांच कराने के बारे में सभा को आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले?

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :** (क) और (ख) पुलिस से मामले की जांच करने के लिए कहा गया था। अभी तक कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं और अब भी जांच पड़ताल चल रही है।

**गन्ने के मूल्य को चीनी प्राप्ति प्रतिशतता से जोड़ने संबंधी वर्तमान फार्मूले को समाप्त करना**

3665. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ने के मूल्य को चीनी प्राप्ति की प्रतिशतता से जोड़ने सम्बन्धी वर्तमान फार्मूले को समाप्त किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :** (क) जी, नहीं।

(ख) गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए इसे जारी रखा जा रहा है ताकि गन्ने की किस्म में सुधार को सुनिश्चित किया जा सके जिसका सुक्रोज की मात्रा से पता चलता है।

तथापि, आंशिक नियंत्रण की नीति के अन्तर्गत सभी चीनी कारखाने गन्ने के न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य दे रहे हैं जिससे चीनी की पैदावार में वृद्धि करने में मदद मिली है।

**सरकारी ऋण से अपने मकान बनाने वाले कर्मचारियों द्वारा सरकारी क्वार्टर रखने संबंधी वर्तमान नीति का पुनर्विलोकन**

3666. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपनी वर्तमान नीति का पुनर्विलोकन कर रही है जिसके अन्तर्गत उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जो सरकारी ऋण में अपने मकान बना लेते हैं अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण से बने बनाये फ्लैट खरीद लेते हैं अपने सरकारी क्वार्टर रखने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि यदि इस नीति को बदला गया तो अनेक ऐसे कम आय वाले सरकारी क्वार्टरों के अलाटियों को सरकारी ऋण की मासिक किस्त का भुगतान करने में तथा सम्बन्धित व्यय जैसे कि गृह-कर, भूमि का किराया और बीमा प्रीमियम देने में बड़ी कठिनाई होगी क्योंकि छोटे फ्लैटों तथा मकानों के भाग को किराये पर देना असम्भव है; और

(ग) क्या कोई निर्णय लेने से पूर्व सरकार ऐसे मामलों का सर्वेक्षण करायेगी?

**संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ओम मेहता)** : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) इस मामले में कोई निर्णय लेने से पूर्व सभी सम्बन्धित पहलुओं पर ध्यान दिया जायेगा।

**सहकारी ऋणों का विकास**

3667. **श्री राम भगत पासवान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी ऋणों के विकास में काफी कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विकास की गति को तेज करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) सहकारी सोसायटियों द्वारा 1968–69 (चौथी योजना का आरम्भ होने से पहिले का वर्ष) और 1971–72 (अन्तिम वर्ष जिसके बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं) में दिए गए अल्प तथा मध्य-कालीन ऋणों के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। दस राज्य, अर्थात्, असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहकारी ऋण के मामले में कमजोर माने जाते हैं। इनमें से असम, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मामले में बाधायें रही हैं।

(ख) इन राज्यों में बाधाओं/धीमी प्रगति के मुख्य कारण ये हैं—छोटी तथा कमजोर प्राथमिक सोसायटियों का बहुत बड़ी संख्या में विद्यमान होना, अत्यधिक अतिदेय होना, प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण परिवारों का कम संख्या में शामिल किया जाना, सोसायटियों तथा केन्द्रीय बैंकों की अपनी निजी निधियां कम होना, इन संस्थाओं द्वारा कम मात्रा में जमाराशियां एकत्र किया जाना और उत्पादन अभिमुख ऋणदायी नीतियों का न अपनाया जाना। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में शुरू किए जा चुके उपचारी उपायों में ये शामिल हैं—प्राथमिक ऋण सोसायटियों का मजबूत तथा आत्मनिर्भर यूनिटों के रूप में पुनर्गठन कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों की पुनः स्थापना, राज्य सरकारों द्वारा इन संस्थाओं की अंशपूंजी में उदार अंशदान और सोसायटियों तथा केन्द्रीय बैंकों की प्रबन्ध कुशलता में सुधार। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के एक विशेषज्ञ दल द्वारा पश्चिमी बंगाल की सहकारी ऋण संस्थाओं के कार्यकरण का अध्ययन किया गया था। इस दल ने पश्चिमी बंगाल में ऋण ढांचे को पुनः स्थापित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं और राज्य सरकार द्वारा उनके आधार पर आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की गई है। इसी प्रकार के अध्ययन अन्य कमजोर राज्यों में भी शुरू किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश में सहकारी ऋण का विकास करने के लिए एक वृहद् योजना भी तैयार की गई थी और वह राज्य सरकारों को भेजी गई थी।

चूंकि इन राज्यों में सहकारी सोसायटियों के मार्ग में आने वाली मुख्य समस्या संसाधनों की कमी तथा अत्यधिक अतिदेय हैं, इसलिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारें अतिरिक्त ऋण सहायता की व्यवस्था करें, जिससे कि सहकारी संस्थाओं के संसाधनों में वृद्धि की जा सके और वे किसानों को अल्पकालीन ऋण देने में प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त कर सकें।

## सहकारी सोसायटियों द्वारा दिए गए अल्प तथा मध्यकालीन ऋण

(लाख रु० में)

| राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र | 1968–69 | 1971-72 (अनन्तिम) |
|---|---|---|
| 1 2 | 3 | 4 |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 2589 | 2875 |
| 2. असम | 287 | 116 |
| 3. बिहार | 1250 | 1560 |
| 4. गुजरात | 6526 | 8525 |
| 5. हरियाणा | 1218 | 1925 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 328 | 472 |
| 7. जम्मू तथा काश्मीर | 289 | 318 |
| 8. केरल | 2045 | 3500 |
| 9. मध्य प्रदेश | 4036 | 5653 |
| 10. महाराष्ट्र | 9257 | 11050 |
| 11. मणिपुर | 17 | 28 |
| 12. मेघालय | अप्राप्य | अप्राप्य |
| 13. मैसूर | 3247 | 4262 |
| 14. नागालैण्ड | अप्राप्य | 18 |
| 15. उड़ीसा | 1130 | 1070 |
| 16. पंजाब | 6195 | 6139 |
| 17. राजस्थान | 1456 | 974 |
| 18. तमिलनाडु | 4373 | 5778 |
| 19. त्रिपुरा | 14 | 77 |
| 20. उत्तर प्रदेश | 5450 | 5125 |
| 21. पश्चिम बंगाल | 579 | 527 |
| केन्द्रशासित क्षेत्र | 111 | 151 |
| अखिल भारत | 50397 | 60143 |

**मेजा, इलाहाबाद के यमुना पार गावों में भूख से मृत्यु**

3668. **श्री राम भगत पासवान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इलाहाबाद के मेजा सब-डिवीजन के यमुना पार गांवों में भूख से हुई चार मौतों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में भूखमरी की स्थिति को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में भूखमरी से कोई मौत नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**उत्तर प्रदेश में लगान का बट्टे खाते डाला जाना**

3669. **श्री राम भगत पासवान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में किसानों से वसूल किये जाने वाले लगान को बट्टे खाते डाल दिया गया है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) तथा (ख) यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में किसानों से वसूल किये जाने वाले लगान को बट्टे-खाते में डाल दिया गया है।

**बम्बई में आटा मिलों को गेहूं की अनियमित सप्लाई**

3670. **श्री नवल किशोर सिंह** । क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई में आटा मिलों को गेहूं की अनियमित सप्लाई के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या रोलर आटा मिलों को गेहूं की अनियमित सप्लाई के कारण ये मिलें वेकिरियों को सप्लाई के लिए मैदे का उत्पादन नहीं कर सकी है जिसके परिणामस्वरूप बिस्कुट तथा डबल रोटी बनाने वाले मुख्य एकक बन्द हो गए हैं ;

(ग) क्या इस कारण आम जनता को बहुत कठिनाई उठानी पड़ रही है; और

(घ) रोलर आटा मिलों को गेहूं की नियमित तथा सामान्य सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) से (घ) जी हां । बम्बई की रोलर फ्लोर मिलों ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की अनियमित सप्लाई के बारे में राज्य सरकार से शिकायत की थी। रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं की सप्लाई न होने से वेकरियों और बिस्कुट निर्माताओं को सप्लाई करने के लिये वे यथा-समय मैदा तैयार न कर सकीं थीं। इस कारण जुलाई, 1973 के दौरान पारले बिस्कुट कम्पनी, ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी और शालीमार बिस्कुट कम्पनी क्रमशः एक

दिन, चार दिनों और चार दिनों तक बन्द रहीं। रोलर फ्लोर मिलों को अब गेहूं की सप्लाई मिलनी शुरू हो गई है।

**विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम**

3672. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने तथा किन राज्यों में विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम लागू हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में कम से कम एक विश्वविद्यालय में पड़ाचार पाठ्यक्रम लागू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इन पाठ्यक्रमों को कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन)** : (क) आन्ध्र और श्री वेंकटेश्वर (आ० प्र०), बम्बई (महाराष्ट्र), दिल्ली (दिल्ली संघीय क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश (हि०प्र०), मदुरै (तमिलनाडु), मेरठ (उ०प्र०), मैसूर (मैसूर), पंजाब (चण्डीगढ़ संघीय क्षेत्र), पंजाबी (पंजाब) और राजस्थान (राजस्थान) विश्वविद्यालयों ने कुछ पूर्व-स्नातक/उत्तर-स्नातक पाठयक्रमों में पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ किए हैं।

(ख) और (ग) पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करना विश्वविद्यालयों पर निर्भर करता है। तथापि, पूर्व-स्नातक स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय को चार वर्ष की अवधि हेतु 5 लाख रुपये तक का अनुदान देता है ? आयोग का विचार है कि इन पाठ्यक्रमों के प्रसार के लिये उन्ही विश्वविद्यालयों को समर्थन दिया जाना चाहिये जो क्षेत्रीय भाषाओं के जरिये उन्हें लागू करें। पांचवी योजना की अवधि के दौरान आयोग का प्रस्ताव उन क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का विस्तार करने का है जहां ये अभी तक प्रारम्भ नहीं किए गए हैं। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति ने भी सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक विश्व-विद्यालय को पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने चाहिये।

**बिहार में सूखा के कारण मौतें**

3673. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में बिहार राज्य में सूखा से कुछ मौतें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने बिहार राज्य में सूखाग्रस्त व्यक्तियों को राहत देने के लिये क्या कार्य-वाही की है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) बिहार की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में भुखमरी से कोई मौत नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने राज्य में सूखे की स्थिति का स्थल पर अध्ययन करने के लिये 12 से 15 अगस्त् 1973 तक राज्य का दौरा किया था। केन्द्रीय दल की सिफारिशों की दृष्टि में राज्य सरकार को आवश्यक केन्द्रीय सहायता दी जायेगी।

**गेहूं के चोकर की चोर बाजारी**

**3674. श्री नवल किशोर सिंह :**

**श्री विविध चौधरी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गेहूं के चोकर की जो नियंत्रित वस्तु है, बड़े पैमाने पर हो रही चोर बाजारी की ओर दिलाया गया है, जिसने लाइसेंस मिल-द्वार पर ही चोकर निकालने वाली आटा मिलों को बेच दिए जाते बताते हैं जो इसे महीन पीस कर बढ़िया मैदे और आटें में मिला देती है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को जिनके पास गेहूं लाइसेंसों का प्रशासन है, कहा है कि वे सावधानी की कार्यवाही करें; और

(ग) क्या गेहूं-चोकर घोटाले के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे) :** (क) और (ख) गेहूं के पदार्थों को चोर बाजारी और अनाधिकृत ढंग से बेचने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं। राज्य सरकारें, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। वे इस मामले की ओर ध्यान दे रही हैं।

(ग) पश्चिमी बंगाल में गेहूं की भूसी की कथित चोर बाजारी के 70 मामले पुलिस के पास रजिस्टर कराए गए हैं। पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है।

**महाराष्ट्र गो नाइट्रोजन उर्वरक का आबंटन और उसकी वास्तविक सप्लाई**

**3675. श्री अण्णासाहिब गोटखिड़े :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी से जुलाई, 1973 के दौरान महाराष्ट्र राज्य को नाइट्रोजन उर्वरकों का कुल कितना आवंटन किया गया, उक्त अवधि में उक्त उर्वरकों की वास्तव में कितनी सप्लाई की गई ;

(ख) क्या जुआरी एगरो कैमिकल, गोआ ने अपना निर्धारित सप्लाई का लक्ष्य पूरा नहीं किया है और क्या उक्त सम्भावना बम्बई में 8 मार्च, 1973 को हुए जोनल उर्वरक सम्मेलन में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जानकारी में लाई गई थीं;

(ग) क्या राज्य सरकार की इस दलील को कि जुआरी से प्राप्त होने वाले उर्वरक की सप्लाई को पूरा करने के लिये पूल से अतिरिक्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस कमी को आगे ले जाने की अनुमति देगी जिससे पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों के प्राप्त न होने का कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव न पड़े ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे) :** (क) फरवरी-जुलाई 1973 के दौरान राज्य को 70,160 मीटरी टन नाइट्रोजन पूरक उर्वरक आवंटित किया गया था। राज्य को इस अवधि के दौरान लगभग 52,564 मीटरी टन नाइट्रोजन उर्वरक प्राप्त हुआ ।

(ख) जी हां । मैसर्स जुआरी एगरो कैमीकल्स, गोआ कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण (जिनके परिणाम-स्वरूप कारखाना विलम्ब से शुरू हुआ) अपने वायदे के अनुसार उर्वरकों की पूर्ति नहीं कर सके । 8 मार्च, 1973 को बम्बई में हुए उर्वरकों के पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मैसर्स जुआरी एगरो कैमीकल्स के सभी ढंग से कार्य करने की क्षमता के बारे में सन्देह व्यक्त किया था । योजना जुआरी एगरो कैमीकल्स की वचन वद्धता तथा विनिर्माता फर्म व पैट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय के पक्के अनुमानों के आधार पर तैयार की गई थी ।

(ग) भारत सरकार राज्य सरकार के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकी कि क्योंकि जुआरी यूनिट से कम सप्लाई हुई है । अतः उस कमी को पूल से पूरा किया जाना चाहिए ।

(घ) खरीफ, 1973 मौसम (फरवरी-जुलाई) समाप्त हो चुका है, अतः खरीफ, 1973 की मांग में से अब राज्य को उर्वरक की पूर्ति नही की जाएगी । 26 और 27 जुलाई, 1973 को बम्बई में हुए पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन में रबी 1973-74 के लिए राज्य की उर्वरकों की मांग का निर्धारण किया जा चुका है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे कि इस मौसम के लिए राज्यों को उर्वरक सम्बन्नी मांग को पूर्णतया पूरा किया जाए ।

**महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग**

**3676. श्री अण्णासाहिब गोटखिड़े :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पूर्ण रुप से राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्य की देख रेख के लिये एक अलग राजमार्ग विंग बनाया है,

(ख) वर्ष 1972–73 के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान यह निर्माण कार्य पूर जोर शोर से हो रहा है;

(घ) इन निर्माण कार्यों के लिये राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि की मांग की गई है, और

(ङ) क्या निर्माण कार्यों में बाधा न पड़ने की दृष्टि से सरकार का विचार मांगी गई पूरी राशि को मंजूर करने का है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) :** (क) जी हां। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी कार्यों को देखने के लिये अलग मुख्य इंजीनियर है।

(ख) 1972–73 में किया गया व्यय निम्नलिखित बताया गया है :–

| | |
|---|---|
| मूल कार्य | 1386.00 लाख रुपये |
| अनुरक्षण एवं मरम्मत | 123.90 लाख रुपये |

(ग) जी हां। यह बताया गया है कि कार्य चालू है।

(घ) राज्य सरकार ने वर्ष 1973–74 के लिये अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिये 182.34 लाख रुपये तथा मूल कार्यों के लिये 2100.11 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था।

(ङ) चालू वर्ष के बजट में 10.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

**अनाज के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में वृद्धि करना**

**3677. श्री बनमाली पटनायक :**

**श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973–74 तक अनाज का उत्पादन लक्ष्य 1150 लाख टन प्राप्त करने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में 1000 लाख हैक्टर वृद्धि करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) राज्यवार कितने क्षेत्र को कृषि के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) से (ग) वर्ष 1971–72 के दौरान 1222.1 लाख हैक्टर क्षेत्र में खाद्यान्न उगाया गया 1973–74 के दौरान यह बढ़ कर 1262.5 लाख हैक्टर हो जाने की सम्भावना है। इसमें से 812.5 लाख हैक्टर क्षेत्र में खरीफ के चालू मौसम में तथा 450 लाख हैक्टर क्षेत्र में रबी के मौसम में बुवाई की जाएगी।

इस कार्यक्रम की रूपरेखा नीचे दी जा रही है :—

(i) अधिक उत्पादनशील किस्मों की बुवाई के क्षेत्र में वृद्धि करना, तथा

(ii) अधिक उत्पादन की क्षमता वाले ऐसे चुनीदा क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना जहां अभी तक अधिक उत्पादनशील किस्मों को सफलतापूर्वक नहीं उगाया गया है।

खरीफ, 1973 के दौरान खाद्यान्नों की बुवाई के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। रबी के मौसम के विषय में ऐसे ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

**विवरण**

**खरीफ, 1973 के दौरान खाद्यान्नों की बुवाई के अंतर्गत आने वाला अनुमानित क्षेत्र**

(लाख हैक्टर)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कुल क्षेत्र |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 64.90 |
| 2. असम | 20.84 |
| 3. बिहार | 69.04 |
| 4. गुजरात | 43.86 |
| 5. हरियाणा | 16.73 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 4.65 |
| 7. जम्मू तथा कश्मीर | 5.96 |
| 8. केरल | 8.31 |
| 9. मध्य प्रदेश | 103.96 |
| 10. महाराष्ट्र | 77.45 |
| 11. मणिपुर | 1.57 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 12. मेघालय | 1.15 |
| 13. मैसूर | 50.40 |
| 14. नागालैण्ड | 0.60 |
| 15. उड़ीसा | 49.84 |
| 16. पंजाब | 11.36 |
| 17. राजस्थान | 88.98 |
| 18. तमिलनाडु | 48.68 |
| 19. त्रिपुरा | 2.90 |
| 20. उत्तर प्रदेश | 89.90 |
| 21. पश्चिम बंगाल | 48.46 |
| 22. अरुणाचल प्रदेश | 0.60 |
| 23. दादर तथा नगर हवेली | 0.01 |
| 24. दिल्ली | 0.18 |
| 25. गोवा, दमन तथा दीव | 0.06 |
| 26. मिजोरम | 0.01 |
| 27. पांडिचेरी | 0.36 |
| अखिल भारत | 812.44 |

**दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों से सप्लाई की जा रही चीनी की मात्रा बढ़ाने की मांग**

3678. **श्री राम कंवर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों से प्रति व्यक्ति कितनी चीनी सप्लाई की जा रही है;

(ख) क्या ऐसी मांग की जा रही है कि यह मात्रा कम है और उपभोक्ताओं के लिए चीनी की इस मात्रा को बढ़ाया जाना चाहिये; **और**

(ग) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) 900 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास।

(ख) जी हां।

(ग) 1971 की जनगणना 1967–68 और 1968–69 के दौरान खपत का पैटर्न जबकि लेवी चीनी और खुले बाजार की चीनी के बीच का अन्तर बहुत अधिक था, और चीनी के स्टाक की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों को युक्तियुक्त आधार पर लेवी चीनी आवंटित की जा रही है। चीनी के स्टाक की सीमित उपलब्धता के कारण, लेवी चीनी की मासिक निर्मुक्ति की मात्रा में वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है और इसलिए दिल्ली सहित राज्यों के मासिक कोटे में वृद्धि नहीं की जा सकी थी।

**बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए विशेष वार्ड की व्यवस्था**

**3679. श्री पीलू मोदी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अहाते में स्थित अस्पताल में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए विशेष वार्ड की व्यवस्था करने तथा उनको निःशुल्क उपचार देने की कोई मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) :** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस तथा अस्पताल कर्मचारियों के बारे में कार्यकारी परिषद् का संकल्प**

**3680. श्री पीलू मोदी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस तथा विश्वविद्यालय के अहाते में स्थित अस्पताल में काम कर रहे व्यक्तियों को तकनीकी व्यक्ति नहीं माना जाता;

(ख) क्या कार्यकारी परिषद् द्वारा इस आशय का संकल्प पास किया गया था या कि हिन्दु विश्वविद्यालय प्रेस के कर्मचारियों को दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस के समान समझा जाये और अस्पताल के कर्मचारियों को वही लाभ दिये जायें जो कि मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, दिल्ली के कर्मचारियों को दिये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संकल्प को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

**बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में न्यायालयों में कानूनी मामले**

**3681. श्री पीलू मोदी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न न्यायालयों में लगभग 100 कानूनी मामलो में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अन्तर्ग्रस्त है और इन में से अधिकांश मामले विश्वविद्यालय तथा इसके चौथी श्रेणी के कर्मचारियों सहित अन्य कर्मचारियों के बीच है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई ऐसी सिफारिश की गई थी कि उप-कुलपति को ऐसे मामलों को निपटान तथा जहां सम्भव हो कुछ समझौता कर विवादों को हल करने के लिए एक समिति बनानी चाहिए, और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ।

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

**पब्लिक स्कूलों की क्षेत्रीय भूगोल की पाठ्यपुस्तकों में काश्मीर के बारे में पक्षपात तथा पूर्वाग्रह का दिखाया जाना**

3682. **श्री बसंत साठे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पब्लिक स्कूलों की क्षेत्रीय भूगोल की पाठ्यपुस्तकों में कश्मीर के बारे में पक्षपात तथा पूर्वाग्रह दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या पाठ्यपुस्तक समिति के पुनर्गठन तथा इसके कार्य में आवश्यक सुधार करने पर सरकार विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) से (घ) आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा प्रकाशित क्षेत्रीय भूगोल की एक पाठ्यपुस्तक तथा जो मलेशिया से आयात की गई थी कुछ पब्लिक स्कूलों में उपयोग में लाई जा रही थी। इस पुस्तक में काश्मीर से संबंधित आपत्तिजनक कुछ अनुच्छेद थे। उक्त पुस्तक प्रकाशकों द्वारा हटा ली गई है। पब्लिक स्कूलों में तथा अन्य अंग्रेजी माध्यम वाले गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में उपयोग में लाई जा रही पाठ्य पुस्तकों के पुनरीक्षण का एक तात्कालिक कार्यक्रम रा० शि० अ० प्र० प० द्वारा हाथ में लिया गया है। ऐसे स्कूलों में उपयोग में लाई जा रही पाठ्यपुस्तकें राज्य पाठ्य-पुस्तक बोर्डों द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् जिससे पब्लिक स्कूलों में से कुछ स्कूल सम्बद्ध है, से यह अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपने स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करने की अपनी पद्धति की जांच करें।

**छोटे फार्म प्रबन्ध में परिवर्तन**

3683. **श्री एम० एम० जोजफ :**

**श्री आर० वी० स्वामिनाथन :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के निदेशक ने छोटे फार्म प्रबन्ध में परिवर्तन का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक चावल, ज्वार, गन्ना आदि फसलों के विषय में ऐसी छोटी जोतों के सहकारी प्रबंध के विकास पर बल देते रहे हैं जहां ये सहकारी कार्य वैज्ञानिक जल-प्रबन्ध, उर्वरक प्रयोग तथा कीट नियंत्रण जैसी प्रभावी पद्धतियों को किसानों द्वारा अपनाए जाने में सहायक सिद्ध होते हैं।

(ख) भारत सरकार की नीति यह है कि कृषि सहकारी समितियों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कृषि तथा पशु चिकित्सा स्नातकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना भी तैयार की है ताकि वे स्नातक जल प्रबन्ध, जल निकास, कीट नियंत्रण आदि के बारे में गांव या स्रावण क्षेत्र में सामूहिक प्रयास के लिए प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें। यह योजना इस ढंग से चलाई जाएगी जिससे लघु तथा सीमांत कृषक एजेंसियों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के किसानों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि हो सके।

**सर्वहितकारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, नई दिल्ली**

3684. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1961-62 के दौरान जोन एफ-2 बहापुर पूर्वी कैलाश (दक्षिण दिल्ली) स्थित 23.27 एकड़ भूमि का नियतन सर्वहितकारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, नई दिल्ली को किया गया था, और यदि हां, तो किस दर पर;

(ख) इस जमीन के विकास किये जाने तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा इसका नक्शा स्वीकृत न किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) समिति के सदस्यों को प्लाट दिये जाने की कब तक संभावना है और विकसित भूमि की प्रति वर्ग गज अनुमानित लागत क्या होगी ?

**संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता)** : (क) आवंटन 1963-64 में किया गया था। अब तक ली गई राशि लगभग 5.60 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से है।

(ख) समिति ने ठीक ढंग से ले-आउट प्लान प्रस्तुत नहीं किया जिसमें सारी भूमि का स्वामित्व/पट्टा अधिकार दिखाया गया हो। सामुदायिक सुविधाओं के संबंध में भी समिति का प्लान बृहत्त योजना/जोनल प्लान की शर्तों को पूरा नहीं करता था।

(ग) समिति द्वारा अनुमोदित ले-आउट/सर्विसिज प्लान के अनुसार भूमि का विकास किए जाने के बाद ही केवल प्लाटों का आवंटन किया जा सकेगा। विकास की वह लागत बताना संभव नहीं है जो समिति द्वारा स्वयं खर्च की जानी है।

**दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड के चुनाव स्थगित करना**

3685. **श्री एम० एम० जोजफ**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, दिल्ली ने सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह 20 मई, 1973 को हुए चुनाव के पर्यवेक्षण के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय से किसी वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करें;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रयोजन हेतु किसी अधिकारी को नियुक्त किया था और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या चुनाव निर्धारित समय के अनुसार हुए थे और परिणाम के बारे में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली को सूचित कर दिया गया था, और यदि हां, तो चुने गये पदाधिकारियों के नाम क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) सोसायटी का ज्वाइंट सेक्रेटरी बताने वाले एक व्यक्ति की ओर से यह अनुरोध प्राप्त हुआ था कि 20 मई, 1973 को निर्धारित चुनावों का पर्यवेक्षण करने के लिये एक इंस्पेक्टर को नियुक्त किया जाए;

(ख) चूंकि सोसायटी के संविधान, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति ,की जांच की जा रही है तथा सदस्यता सूची के बारे में विवाद है, दिल्ली प्रशासन ने सोसायटी को यह सलाह दी थी कि इस स्थिति में चुनाव न कराए जाएं। अतः किसी अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं था;

(ग) इस संबंध में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, दिल्ली प्रशासन को प्राप्त तार की शब्दावली नीचे उद्धृत है :—

"यूनेनीमस इलेक्शन आफ़ दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी (स्टाप) नो पोलिंग आन ट्बैटियेथ में (स्टाप) लिस्ट आफ इलैक्टिड आफिस बेयरर एन्ड मैम्बर्स फालोज

कांति स्वरूप शर्मा, सेक्रेटरी,

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव

154 हरी नगर आश्रम, नई दिल्ली-14"

**डिपार्टमेंन्ट आफ टीचिंग एड्स के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता**

3686. **श्री एम० एम० जोसफ** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिपार्टमेंट आफ टीचिंग एड्स (शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्) नई दिल्ली के कर्मचारियों को वेतन का 15 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है जबकि शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् के अन्य विभागों के कर्मचारियों को जोकि नई दिल्ली में हैं, इस आधार पर वेतन के 25 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है कि डिपार्टमेंट आफ टीचिंग एड्स का कार्यालय श्रीएरोबिन्दो मार्ग स्थित शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् की मुख्य इमारत में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने तथा शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् के सभी कर्मचारियों को समान दर में मकान किराया भत्ता देने के लिए मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) और (ख) महरौली मार्ग (श्री अरविन्द मार्ग) पर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के कैम्पस का विकास हो जाने पर सारी दिल्ली में जगह जगह स्थित राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्न विभागों को, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के कैम्पस में स्थानान्तरित कर दिया गया था। इसके फलस्वरूप कर्मचारियों को, विशेष रूप से, कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को काफी असुविधा हुई क्योंकि निकटवर्ती इलाकों में उनके लिए सस्ते रिहायशी मकान उपलब्ध नहीं थे। और न ही उन्हें सरकारी आवास मिलने की कोई संभावना

थी। इसलिए कैम्पस में स्थानान्तरित किए गए विभागों के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते के रूप में वेतन के 25 प्रतिशत की संस्वीकृति प्रदान की गई थी। किन्तु यह छूट केवल 12-5-1971 तक भर्ती किए गए स्टाफ के लिए ही अनुमत्य थी।

2. इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में स्थित शिक्षण सहायता विभाग और दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र (कैम्पस) में स्थित केन्द्रीय शिक्षा संस्थान के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते के रूप में वेतन के 15 प्रतिशत की दर से राशि मिलती रही क्योंकि उनके कार्यालय अथवा आवासीय स्थान का कोई स्थानान्तरण न करके उनके आवासीय स्थान में कोई फेर बदल नहीं हुआ था जैसा कि रा० शि० सं० और सचिवालयीय कर्मचारियों के संबंध में हुआ था।

3. केन्द्रीय शिक्षा संस्थान के स्टाफ ने इस विषय में दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। न्यायालय के आदेशों की प्रतीक्षा है।

**पायलट भूमि कालोनाइजेशन परियोजनायें**

3687. **श्री ए० क० एम० इसहाक**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें पायलट भूमि कालोनाइजेशन परियोजनायें स्थापित की जायेंगी ;

(ख) किसी राज्य के विशेष गांव/क्षेत्र में पायलट लैंड कालोनाइजेशन परियोजना किस आधार पर स्थापित की जायेगी; और

(ग) प्रथम पायलट लैंड कालोनी बनाने की लक्ष्य तिथि क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) भारत सरकार लाभप्रद रोजगार देने की दृष्टि से भूमि कालोनाइजेशन की पायलट परियोजनायें हाथ में लेने की संभावनाओं की जांच कर रही है, इसके लिये फिलहाल आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में अस्थायी तौर पर स्थानों का चुनाव कर लिया गया है।

(ख) जिन प्रमुख बातों को ध्यान में रखा गया है वे इस प्रकार हैं :—

(1) पायलट परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये संबंधित राज्य सरकार की सहमति;

(2) संहत खंडों में लगभग 1200 एकड़ भूमि का उपलब्ध होना;

(3) कम से कम प्रयास और समुचित लागत से भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने की संभावना।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों से चुने गये स्थानों पर परियोजनायें शुरू करने के लिये ठोस ब्यौरेवार योजनायें तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस प्रकार की योजनायें अभी प्राप्त होनी हैं और उन पर आगे विचार किया जायेगा।

**गुलाल, सिंदूर, सुर्मा तथा नलकों में से पेय जल के सुबह के नमूने में काफी मात्रा में पाया गया सीसा**

3688. **श्री ए० के० एम० इसहाक**: क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि गुलाल, सिन्दूर, सुर्मा और एक नल से लिए गये पेय जल के सुबह के नमूने में काफी मात्रा में सीसा पाया जाता है जिससे खून में जहर फैल सकता है और दिमाग को क्षति हो सकती है;

(ख) क्या औद्योगिक तथा नागरिक वातावरण में रहने वाले व्यक्तियों को इसका खतरा है क्योंकि औद्योगिक वातावरण में अधिक मात्रा में सीसा पाया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस अस्वास्थ्यकर स्थिति को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू)** : (क) गुलाल, सिंदूर और सुरमा तथा पीने के पानी के नमूनों में अधिक मात्रा में सीसा होने के हानिकारक प्रभाव के बारे में मार्च, 1973 में छपे समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था।

**(ख) और (ग)** भारतीय आयु विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने अहमदाबाद में भारी यातायात वाले ऐसे खास-खास क्षेत्रों में मिट्टी और वायु में सीसे की मात्रा का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शी अध्ययन किया। इस अध्ययन के अन्तर्गत वायु, मिट्टी और व्यक्तियों के पेशाब के जिन नमूनों की जांच की गई उनमें भिन्न-भिन्न मात्रा में सीसे के होने का पता चला है। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद में इस पर आगे सविस्तार अन्वेषण किया जा रहा है।

## मूंगफली की पैदावार में वृद्धि की योजना

3690. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनस्पति घी के उत्पादन में कमी का मुख्य कारण मूंगफली के तेल की कमी रही है;

(ख) यदि हां, तो मूंगफली की पैदावार में वृद्धि करने संबंधी किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस योजना के अधीन सफल कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के जयपुर और सवाई माधोपुर जिलों को सम्मिलित करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) वनस्पति घी के उत्पादन में कमी कुछ तो इसलिये हुई है कि 1972-73 के दौरान मूंगफली के उत्पादन में काफी कमी आई है और कुछ इसलिए कि कमी को पूरा करने के लिए आयात होने वाले तेल की मात्रा कम और उसके मूल्य ऊंचे रहे हैं। कई राज्यों में बिजली की कमी होने के कारण भी वनस्पति घी के उत्पादन में कमी हुई है।

(ख) सुनिश्चित वर्ष तथा सिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत सघन खेती के उपायों को अपना कर महत्वपूर्ण मूंगफली उत्पादक राज्यों में मूंगफली के उत्पादन को अधिकतम बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना जारी है।

(ग) मूंगफली के उत्पादन को अधिकतम बढ़ाने के लिए राजस्थान में 1968-69 से केन्द्रीय प्रायोजित योजना चालू है, इस योजना को 1972-73 से जयपुर और अजमेर डिवीजन के सवाई माधोपुर जिलों में भी लागू कर दिया गया है। यह योजना 1973-74 में भी चालू रखी जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**Reason for one Door Buses Under D.T.C.**

3691. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether there is only one door for entrance and exit for the passengers in all the buses run under Delhi Transport Corporation which causes too much inconvenience to the passengers;

(b) whether there are two doors, one for entrance and the other for exit of the passengers in other States of India; and

(c) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana)** : (a) to (c) Some buses have only one door for entrance and exit. Some buses purchased since 1970 have two doors. However, the practice is to keep one door closed as every bus has only one conductor. Some Corporations in other States have some vehicles with two doors.

**Reported Instructions to Ministers and its Employees having Agricultural Land to sell Wheat to Government**

3692. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have given instructions to its Ministers and its employees having agricultural land that they should sell their wheat to Government only; and

(b) if so, the number of persons who have sold their wheat to Government in accordance with these instructions and the quantity of wheat sold by them to Government, separately ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde)** :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Facilities and Relaxation to Farmers for selling Wheat to Government**

3693. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the facilities and the relaxation given by the various States of India to the farmers selling wheat direct to Government for making the nationalisation of wholesale trade of wheat successful ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde)** : In the main wheat producing States farmers are being supplied some of the essential commodities like fertilisers, sugar, vanaspati, cement and diesel at controlled rates depending on the over-all availability of these commodities. Other incentives offered by the different State Governments to farmers are payment of transport charges in addition to the purchase price, reimbursement of octroi, toll tax and ferry dues and cleaning and mandi charges. An incentive bonus scheme relatable to level of procurement has also been announced by the Government of India for the wheat procuring States to subsidise agricultural inputs, etc. for farmers who help in procurement.

**Study of Functioning of Co-operatives in Adivasi Areas**

3694. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether according to the study conducted by his Ministry, the functioning of Co-operatives in the Adivasi area does not correspond to the situation prevailing there;

(b) whether his Ministry's attention has been drawn to the misuse of huge amounts in these areas, as loans have been shown as given to adivasis though they were not actually given loans, and in cases where the adivasis have paid back the loans, these have not been struck off from the records and they are thus being victimised unnecessarily;

(c) the schemes being undertaken by the Central Government under the Fifth Five Year Plan to improve the situation in this regard, so that the Adivasis are able to derive benefits from these co-operative schemes; and

(d) whether some special allocations have not been made in regard to co-operatives for the adivasi areas under the Fifth Five Year Plan ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :**

(a) Studies in reorganisation of the co-operative structure in the Tribal Development Agency project areas in four States, namely, Andhra Pradesh (Srikakulam), Bihar (Singhbhum), Madhya Pradesh (Dantewada and Konta) and Orissa (Ganjam and Koraput) were conducted by a Study Team constituted by the Ministry of Agriculture. The Study Team did not find the functioning of the co-operatives in all these project areas to be unsatisfactory. The Study Team has observed that the Girijan Co-operative Corporation in Srikakulam district in Andhra Pradesh has played a pre-dominant role in the three strategic areas of the Girijan economy, namely, provision of credit, marketing of minor forest produce and supply of consumer goods, which constitute three basic areas of exploitation of the tribals by middlemen and money-lenders. The structure of co-operatives in many of the other Adivasi areas, however, needs to be remodelled and their functioning streamlined in order to make them more effective in catering to the needs of the tribals.

The main theme of the Study Team's recommendations is that tribals should not be required to approach too many institutions for assistance. The primary society which deals with individual tribals should, therefore, provide all the important services required by them namely, provision of short and medium term production credit and consumption credit to be recovered from sale of minor forest produce, distribution of inputs and consumer goods, marketing of minor forest and agricultural produce, etc. In designing a structural pattern of co-operatives in these areas, the existing structure, wherever it is functioning fairly satisfactorily, should be utilised. New organisations should be set up only when it is considered that the existing structure can not be depended upon to cope with the demands of the emerging situation. The Team has made detailed recommendations regarding the structure of co-operatives in each of the project areas.

(b) The Study Team did not make any investigation of misuse of funds meant for, for recovered from, the Adivasis. It has, however, observed in its Report on one of the T.D.A. projects that, according to reports there were instances where, due to inadequacies of management and supervision, the amounts repaid by some members, particularly the tribals, were not credited to their respective accounts. No other instances of the nature

referred to in part (b) of the Question have come to the notice of this Ministry. To ensure adequate flow of funds to the tribals in these areas and also to create in the tribals a confidence in the co-operative institutions meant for them, the Study Team has made a number of specific recommendations.

(c) The scheme of re-organisation of co-operatives in tribal areas during the Fifth Plan has not been finalised yet. However, the experience to be gained from the implementation of the recommendations of the Study Team, on re-organisation of the co-operative structure in the pilot Tribal Development Agency project areas, will be useful in determining the policy in this respect, during the Fifth Plan period.

(d) Proposals for the Fifth Five Year Plan in this respect are yet to be finalised.

**मध्यप्रदेश में कृषि मण्डियों का विकास**

3694 **श्री धनशाह प्रधान :**

**श्री रणबहादुरसिंह :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने इस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य में विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी मण्डियां प्रायोजित की हैं;

(ख) क्या केन्द्र से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह 23.60 करोड़ रुपये की मण्डी विकास योजना, जो राज्य में 106 कृषि मण्डियों की व्यवस्था हेतु विश्व बैंक से ऋण लेने हेतु उसे प्रस्तुत की गई थी, में शीघ्र कार्यवाही करें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) राज्य सरकार की सिफारिशों पर वर्ष 1972-73 के दौरान नियमित बाज़ारों के विकास के लिए केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में दो मण्डियों (उज्जैन तथा रायपुर) को सहायता देने पर विचार किया गया है।

(ख) **तथा** (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए कुल 23.6 करोड़ रुपये के परिव्यय से 106 मण्डियों के विकास की एक परियोजना तैयार की थी। भारत सरकार ने परियोजना की जांच करने के पश्चात कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में संशोधन करने की सलाह दी है। राज्य सरकार से संशोधित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

**दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति की प्रबंधक समिति के सदस्यों को सहयोजित करने का उपबन्ध**

3696. **श्री वर्के जार्ज :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति लिमिटेड, दिल्ली के उप-नियमों में यह उपबन्ध है कि यदि कोई सदस्य वर्ष के दौरान त्यागपत्र दे देता है तो उसके स्थान पर प्रबन्धक समिति में अन्य सदस्य को अपने में से चुन सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) समिति के उप-नियमों में पद प्रबन्ध किस तारीख को किया गया था?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सोसायटी के संविधान, कार्यकरण, और इसकी वित्तीय स्थिति की जांच पूरी होने के पश्चात् जिसका दिल्ली प्रशासन ने आदेश दे दिया है, वास्तविक तथ्यों का पता लगेगा।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, इसके भाग (ग) का प्रश्न नहीं उठता।

**पांचवी योजना के परिव्यय में प्रौढ़ शिक्षा के लिए कमी करना**

3697. **श्री वेकारिया** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का पांचवीं योजना के परिव्यय में प्रौढ़ शिक्षा के लिये कमी करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) इसका प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) से (ग) : प्रौढ़ शिक्षा की योजनाओं के लिये योजना आयोग से 50 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया था। योजना आयोग अभी पांचवीं योजना की रूपरेखा तैयार कर रहा है और प्रौढ़ शिक्षा जैसे किसी क्षेत्र/उप-क्षेत्र के लिये ठीक- ठीक परिव्यय को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिये, फिलहाल प्रौढ़ शिक्षा के लिये परिव्यय को बढ़ाने/घटाने का प्रश्न नहीं उठता।

**विदेशों में भेजे गए शैक्षणिक शिष्टमंडल**

3698. **श्री वेकरिया :**

**श्री अरविन्द एम० पटेल :**

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 और 1972–73 के दौरान विदेशों में कितने शैक्षणिक शिष्टमंडल भेजे गये ; और

(ख) प्रत्येक शिष्टमंडल में कितने व्यक्ति थे, उनके नाम क्या हैं और वे किस-किस राज्य के थे ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी यादव)** : (क) और (ख) : 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा भेजे गये शैक्षणिक शिष्टमंडलों का विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5442/73]**

**सरकारी संग्रहालयों का पुर्नगठन**

3699. **श्री वेकारिया :**

**श्री अरविन्द एम० पटेल :**

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सरकारी संग्रहालयों का पुनर्गठन करने के बारे में विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी यादव) :** (क) तथा (ख) : केन्द्रीय संग्रहालय पुनरीक्षण समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं । तथापि, किसी भी खण्ड को एक संग्रहालय से दूसरे संग्रहालय में स्थानान्तरित करने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

**बड़े नगरों में वायु तथा जल दूषण को समाप्त करनें सम्बन्धी योजना**

3700. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

**श्री संकरराव सावन्त :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के बड़े नगरों में वायु तथा जल दूषण को समाप्त करने के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :** (क) तथा (ख) जी, हां । जल दूषण की रोकथाम के लिए एक केन्द्रीय विधेयक 1969 में राज्य सभा में पेश किया गया था तथा इसके शीघ्र ही पास होने की संभावना है । वायु-दूषण के नियन्त्रण के लिए विधेयक सम्बन्धित अधिकारियों के परामर्श से इस मंत्रालय के विचाराधीन है तथा अंतिम रूप दिए जाने पर इसको संसद् में पेश कर दिया जायेगा । प्रस्तावित कानून के उपबन्धों को लागू करने के लिये जल दूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण के विधेयक में केन्द्रीय तथा राज्य बोर्डों की स्थापना की व्यवस्था हैं ।

**ग्रामीण स्वास्थ्य योजना पर चालू वर्ष के बजट में कटौती का प्रभाव**

3701. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य कार्यक्रमों के चालू वर्ष के बजट में कटौती करने से ग्रामीण स्वास्थ्य योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :** (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

**दिल्ली विकास प्राधिकार को बहु-मंजलीय फ्लैटों के लिए स्टाम्प शुल्क का भुगतान**

3702. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

**श्री आर० वी० बड़े :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये बहु-मंजलीय भवनों में फ्लैटों के अलाटियों को फ्लैटों को अपने नाम में रजिस्टर कराने के लिए स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है जो मध्य आय वर्ग ग्रुप के फ्लैटों के लिए लगभग 3000/- रुपये बनता है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि स्टाम्प शुल्क की ऊंची दर से ऐसे अलाटियों को बड़ी कठिनाई होती है और सरकार के आवास कार्यक्रम में बहुत बड़ी बाधा होगी; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार के फ्लैटों के अलाटियों की विभिन्न कल्याण संस्थाओं ने अधिक स्टाम्प शुल्क लेने के विरोध में अभ्यावेदन दिया है और उन्होंने अनुरोध किया है कि सरकारी अभिकरणों द्वारा बनाये गये फ्लैटों तथा मकानों के लिए स्टाम्प शुल्क के भुगतान में ढील दी जाये और विकल्प के रूप में स्टाम्प शुल्क केवल उस की लागत भूमि पर लगाया जाये जिस पर बहु-मंजलीय फ्लैट बनाये गये हैं ?

**संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :**

(क) जी, हां। शुल्क मूल्य के अनुसार 8% की दर पर लगाया जाता है।

(ख) तथा (ग) स्टाम्प ड्यूटी से हुई कठिनाइयों के बारे में वेल्फेयर एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। शुल्क में छूट देने के लिए अथवा इसे केवल भूमि की लागत पर ही लगाने के प्रश्न पर दिल्ली प्रशासन को लिखा गया था, परन्तु वे इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए।

**अखिल भारतीय अनाज व्यापारी संघ द्वारा अनाज की वसूली में सहयोग**

3703. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

**श्री पी० ए० स्वामीनाथन :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय अनाज व्यापार संघ ने यह अनुरोध किया है कि सरकार अनाज की वसूली और वितरण कार्य में व्यापारियों का सहयोग प्राप्त करे और लैवी प्रणाली के अन्तर्गत, व्यापारियों द्वारा 50 प्रतिशत खरीदा गया गेहूं सरकार को निर्धारित वसूली मूल्य पर दिया जाये और बाकी को खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बारे में प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने सिफारिशों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) गेहूं का थोक व्यापार लेने की सरकारी योजना के अधीन गेहूं की अधिप्राप्ति राज्य सरकारों, भारतीय खाद्य निगम, राज्य विपणन सहकारी संघों और अन्य सरकारी एजेंसियों जिन्हें इस प्रयोजन के लिए निजी व्यापारियों को छोड़ कर, नियुक्त किया जाता है, द्वारा की जाती है। सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण किया जाता है।

**भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कृषि मंत्रालय का एक विभाग बनाना**

**3704. श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

**श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् संबंधी जांच समिति की एक सिफारिश यह है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को केन्द्रीय मंत्रालय का ही एक विभाग बनाया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया;

(ग) समिति ने अन्य क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति ने यह सिफारिश की है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के रूप में परिणत कर दिया जाए।

(ख) से (घ) यह रिपोर्ट 3 अगस्त, 1973 को सभा-पटल पर रख दी गई है इस समिति ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वर्तमान संगठनात्मक ढांचे में कुछ मूल परिवर्तनों के सुझाव भी दिए हैं। भारत सरकार देश में वैज्ञानिक संस्थानों के संगठन और प्रबन्ध के संदर्भ में इन सिफारिशों पर विस्तृत विचार करके निर्णय लेगी। तदनुसार मंत्रिमण्डल ने कृषि मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक दल नियुक्त किया है जोकि इस मामले के सभी संबंधित पहलुओं की जांच करेगा, ताकि विस्तृत और व्यापक सिफारिशों के संबंध में निर्णय लिया जा सके। मंत्रियों के इस दल की सलाह पर कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय ले लिया गया है। कृषि मंत्री ने एक अगस्त, 1973 को लोकसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में वक्तव्य देकर इसकी घोषणा कर दी थी।

**केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा गठित सहकारी आवास समितियों को केन्द्रीय सहायता**

**3705. श्री बी० के० दास चौधरी :**

**श्री आर० एन० बर्मन् :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का मंत्रालय केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा जिलों, कस्बों तथा नगरों में अपने मकानों के निर्माण हेतु बनाई गई आवास सहकारी समितियों की सीधी सहायता कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके नियम तथा प्रक्रिया क्या हैं और प्रत्येक सहकारी समिति को ऋण के रूप में कितनी पूंजी दी गई है और उसके भुगतान की शर्तें क्या हैं ?

**संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता)** : (क) तथा (ख) इस समय ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अधीन यह मंत्रालय केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों की सहकारी आवास-समितियों को सीधे सहायता कर सकें। सामाजिक आवास योजनाओं के अधीन ऐसी सहायता जहां कहीं यह दी जा सकती है, राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत की जाती है जो वस्तुतः उन योजनाओं का कार्यान्वयन करती हैं।

**राज्यों को लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए धनराशि**

3706. **श्री बी० के० दास चौधरी**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय की उन राज्यों को धनराशि देने की योजना है जो लघु सिंचाई कार्यक्रम के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पीछे है; और

(ख) देश के सब राज्यों में लघु सिंचाई और कार्यक्रमों की कितनी प्रगति हुई है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) देश में लघु सिंचाई कार्यक्रम की प्रगति का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

(हजार हेक्टार)

| क्रम संख्या | राज्य का नाम | चौथी योजना में लक्ष्य | 1969-70 से 1972-73 तक की अवधि की उपलब्धियां (अनुमानित) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 400.00 | 199.44 |
| 2. | आसाम | 140.00 | 161.30 |
| 3. | बिहार | 800.00 | 584.20 |
| 4. | गुजरात | 500.00 | 441.00 |
| 5. | हरियाणा | 250.00 | 280.00 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 10.00 | 12.56 |
| 7. | जम्मू और काश्मीर | 60.00 | 24.48 |
| 8. | केरल | 80.00 | 75.50 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 620.00 | 446.00 |
| 10. | महाराष्ट्र | 600.00 | 433.00 |

| 1 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 11. मनीपुर . . . . . | 17.00 | 14.20 |
| 12. मेघालय | 10.00 | 7.00 |
| 13. मसूर | 220.00 | 188.00 |
| 14. नागालैंड | 8.80 | 7.90 |
| 15. उड़ीसा | 100.00 | 101.00 |
| 16. पंजाब | 600.00 | 558.00 |
| 17. राजस्थान . | 300.00 | 302.50 |
| 18. तमिल नाडू . | 500.00 | 420.00 |
| 19. त्रिपुरा | 4.00 | 10.40 |
| 20. उत्तर प्रदेश | 2400.00 | 2048.00 |
| 21. पश्चिम बंगाल | 250.00 | 334.60 |
| कुल राज्य | 7869.80 | 6650.02 |
| कुल संघ राज्य क्षेत्र | 33.06 | 10.77 |
| अखिल भारतीय . . . . . | 7902.86† | 6660.79 |

†अखिल भारतीय लक्ष्य 7200 हजार हैक्टार का है।

1. इस विवरण के आंकड़ों में नई सिंचाई (बिना मूल्य ह्रास की कटौती किए बिना) के अलावा वह वर्तमान क्षेत्र भी शामिल है जिसे सिंचित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां कि सिंचाई सुधरी हुई है तथा वह क्षेत्र जिसे जल निकास और बांध योजनाओं से लाभ पहुंचा है।

**सिंदरी में उत्पादित उर्वरक को अन्य राज्यों में ले जाने पर प्रतिबंध**

3707. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

**श्री आर० एन० वर्मन :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंदरी उर्वरक कारखाने, बिहार में उत्पादित किये अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट को आन्ध्र तथा इसके जैसे कुछ अन्य राज्यों को भेजने पर प्रतिबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में उक्त प्रतिबन्ध लगाये गये हैं; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एक राज्य से दूसरे राज्य को उर्वरक ले जाने पर रोक लगाने के क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णाहिब पी० शिन्दे) :** (क) और (ख) जी नहीं उर्वरक कारखानों से उर्वरक ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उर्वरक कारखानों से रेल द्वारा उर्वरक ले जाने के लिये अग्रता तभी दी जा सकती है जबकि उर्वरक को कृषि मंत्रालय और रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत किए हुए वितरण क्षेत्र में ले जाया जाए। सिन्दरी कारखाने से अग्रता के आधार पर रेल से उर्वरक ले जाने के लिये निम्न प्रकार से वितरण क्षेत्र बनाया गया है :—

पश्चिमी बंगाल (वीजी), उत्तरी बिहार (वीजी/एमजी), उड़ीसा (वीजी), मध्य प्रदेश (वीजी), आन्ध्र प्रदेश (तटीयक्षेत्र वरास्ता वालटेयर से नेलोर तक)

(ग) जैसा कि ऊपर बताया गया है, उर्वरक कारखानों से उर्वरक ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उर्वरकों के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-लेजाने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले उर्वरक संचलन नियंत्रण आदेश के अनुसार भी विनिर्माताओं द्वारा कारखानों से उर्वरक लेजाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। रेल से उर्वरक लाने-लेजाने में अग्रता प्रदान करने के लिये संभवत: कुछ उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे। उर्वरकों के व्यर्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेजाने से बचने के लिये परिवहन क्षमता का प्रभावशाली रूप से प्रयोग करना आवश्यक है। इससे उर्वरकों के शीघ्र और सुचारू रूप से लाने-लेजाने में सहायता मिलेगी और अन्य आवश्यक जिन्सों के परिवहन पर अनावश्यक कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।

**ग्रामीण तथा नागरिक पेय जल सुविधायें**

3708. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सुविधाओं की व्यवस्था करने की तथा अर्ध-तापीय तथा उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर्याप्त संख्या में लोग रहते हैं पेय जल सप्लाई करने के लिये वाटर वर्क्स बनाने की उनके मंत्रालय की कोई योजना है ?

**संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता)** : चतुर्थ योजना की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में जलपूर्ति की योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए राज्य योजनाओं में 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। व्यय की प्रगति को देखते हुए चतुर्थ योजना के अन्त तक ग्रामीण जलपूर्ति की योजनाओं पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय हो जाने की आशा है जिसमें केन्द्रीय सरकार के ग्रामीण जल पूर्ति के त्वरित कार्यक्रम के अधीन 34 करोड़ रुपये का व्यय शामिल होगा।

जलपूर्ति राज्य क्षेत्र में हैं, तथा यह निर्णय करना राज्य सरकारों का काम है कि अर्ध-शहरी और ग्रामीण मार्किट क्षेत्रों आदि में योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए किस-किस योजना को कैसी प्राथमिकता दी जाए।

**Power Shortage in Delhi Hospitals**

3709. **Shri Bharat Singh Chowhan** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether there has been a power shortage in Delhi Hospitals during the months of June and July, 1973; and

(b) if so, the effects thereof on the patients and the steps taken so that the patients are not affected by this shortage of power?

**The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku)** : (a) & (b) So far as Central Government Hospitals *viz.* Safdarjang and Willingdon Hospitals are concerned, the information is given in the statement attached.

Information in respect of other Delhi Hospitals will be furnished in due course.

**Statement**

SAFDARJANG HOSPITAL

(a) Yes.

(b) No serious problems were faced as most of the essential and vital areas were covered by emergency lighting system provided by Diesel Generators. The other areas were all provided with Hurricane Lanterns.

WILLINGDON HOSPITAL

(a) Yes.

(b) (i) There is a generator for electricity in this hospital from which the following areas were fed during the period of power shortage :—

1. X-ray Room
2. Room No. 7 O.P.D. (Medical)
3. Sub-station circuits S/S
4. Main Gate light L&P
5. 360 bedded block
6. Blood Bank
7. Operation Theatre 1st Floor (L&P)
8. Operation Theatre Ground Floor (L&P)
9. All lifts
10. Casualty 1st Floor and Casualty Ground Floor (L&P)

(ii) The other departments which are not given electricity from the generator are provided with Hurricane lanterns and candles.

**Setting up Model Farm for Various Crops**

3710. **Shri M.S. Purty** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Government model farms for various crops set up so far in the States during the last two years; and

(b) their number in proportion to the cultivable land in the country and the details of the progress made by them in each State ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde)** :

(a) The details of the Central State Farms set up during the last two years and the crops grown thereon are given below :—

| S. No. | Name of the Farm | Crops grown |
|---|---|---|
| 1. | Ladhowal (Punjab) . . . . | Paddy, Maize, Moong, Groundnut, Cowpea, Sunflower, Wheat, Guar, Potato etc. |
| 2. | Chengam (Tamil Nadu) . . | Sunflower, Moong, Bajra, Arhar, Groundnut, Blackgram, Ragi, Cotton, Castor, Cholam etc. |
| 3. | Kokilabari (Assam) . . . . | Jute, Paddy, Wheat, Mustard etc. |

(b) The present total area and the cultivable area in these farms is as under :—

| Name of the Farm | Total area (in acres) | Cultivated area |
|---|---|---|
| 1. Ladhowal (Punjab) | 2746 | 2500 |
| 2. Chengam (Tamil Nadu) | 9811 | 8000 |
| 3. Kokilabari (Assam) | 5000 | 4500 |
| | 1,7557 | 1,5000 |

The cultivated area in India during 1969-70 (Provisional) as on 31-10-72 is 151,138,000 hectares.

**Request for Technical help from Australia for Development of Rajasthan Desert**

3711. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether India has asked for technical assistance from Australia for the development of Rajasthan desert; and

(b) if so, the nature thereof and the extent to which success has been achieved in this effort ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde)**

(a) No request has been made for technical assistance from Australia for the development of the Rajasthan desert. However, the Australian Government have assisted in the development of the Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur, by way of financial and technical assistance support are also assisting by way of supply of some equipments.

(b) Does not arise.

**Reservation of Post for S.C. and S.T. in Social Welfare Department**

3712. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of Class I, II and III posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Social Welfare Department during 1970-71 and the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons recruited against these posts during the said period; and

(b) how Government propose to fill the gap ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam)**

(a) The information is as under :

| Year | Class | Reserved | | Recruitment | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SC | ST | SC | ST |
| 1970-71 | I | — | — | — | — |
| | II | — | — | — | — |
| | III | 2 | 2 | 2 | 1 |

(b) One Class III post reserved for Scheduled Tribe candidate and not yet filled up has been carried forward.

**Use of Bridges Across Betwa River**

3713. **Dr. Govind Das Richhariya** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that even after the construction of the entire Barua Sagar Dhamna road, it has not yet been opened for traffic due to the non-construction of two small bridges and the expenditure incurred thereon has, therefore, proved to be of no use and the entire traffic of Garotha Tehsil is unable to utilise not Ghat bridge across Betwa river;

(b) the time by which sanction in regard to these bridges would be accorded and the time by which they would be ready; and

(c) the time by which Uttar Pradesh Government would construct these bridges?

**The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana)** : (a) to (c) The required information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

**Road Constructed in Jhansi District of Bundelkhand**

3714. **Dr. Govind Das Richhariya** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of roads constructed so far in Jhansi District of Bundelkhand area;

(b) the length in kilometres of the roads which would be completed upto the end of the Fourth Five Year Plan;

(c) the target fixed in regard to construction of roads for Jhansi district during the Fifth Five Year Plan; and

(d) the amount earmarked therefor?

**The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana)** : (a) to (d) The required information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha in due-course.

**अरालम फार्म, केरल का कार्य**

3715. **श्री वयालार रवि :**

**श्री रामचन्द्र कडनापल्ली :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 13 जुलाई, 1973 के दैनिक समाचार 'मलायला मनोरम' में अरालम (केरल) राज्य फार्म के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या फार्म के निदेशक ने उक्त समाचार पत्र को आगे विज्ञापन न देने की धमकी दी थी ?

**कृषि मन्त्रालय में राज मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) जी हां।

(ख) केरल राज्य में अरालम फार्म के प्रबन्ध के बारे में शिकायतों की भारत सरकार जांच कर रही है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**मनचाहे काश्तकारों और बटाईदारों के लिये एक समान विधान**

3716. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने जोत की सुरक्षा की गारंटी देने और मनचाहे काश्तकारों और बटाईदारों से भूमि खाली करा लेने के विरुद्ध सुरक्षास्वरूप काश्तकारी संबंधी विधान बनाये हैं और विशेषतया भूमि खाली करा लेने की रोक के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिय क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) क्या सब राज्यों में मनचाहे काश्तकारों और बटाईदारों के लिये एक समान विधान बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही की गई है अथवा की जायगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**कृषि मंत्रालय में राज मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) जोत की सुरक्षा की गारंटी देने और बटाईदारों और अन्य काश्तकारों की बेदखली को रोकने के लिये आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात (गैर सौराष्ट्र क्षेत्र), हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मनीपुर मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में व्यवस्था मौजूद हैं। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में बटाईदारी की अनुमति नहीं है। कानूनों को लागू करने और बटाईदारों के हितों की सुरक्षा के लिये राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(ख) से (घ) : मौजूदा काश्तकारी कानूनों में समरूपता लाने के लिय पंचवर्षीय योजनाओं में काश्तकारी सुधार के लिये नीति निर्धारित की गई है। भारत सरकार इस नीति को तेजी से लागू कराने के लिये राज्य सरकारों से सक्रिय रूप से पत्र व्यवहार कर रही है।

**केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विए समान विधान**

3717. **श्री भोगेन्द्र झा :**

**श्री डी० के० पंडा :**

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए, उनका ऐतिहासिक स्वरूप सुरक्षित होते हुए, शैक्षिक जीवन को और लोकतंत्रीय तथा धर्मनिर्पेक्ष बनाने हेतु समान विधान बनाने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन )** : (क) और (ख) "विश्वविद्यालयों के अभिशासन" के संबंध में गजेन्द्रगडकर समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में सामान्यतः संशोधन कर दिया गया है। संशोधित अधिनियम में विश्विद्यालय के ऐतिहासिक स्वरूप को कायम रखा गया है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

**किसानों की ऋण ग्रस्तता और गांवों में ब्याज की दर**

3718. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या कृषि मंत्री पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा छोटे किसानों की ऋण-ग्रस्तता के बारे में 23 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 119 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में किसानों की ऋण-ग्रस्तता लगभग उतनी ही सीमा और अंशों तक विद्यमान है जितनी कि सर्वेक्षण में पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन सभी ऋणों को रद्द कर देने का है, जहां कि ब्याज सहित मूल से दुगूनी राशि का भुगतान किया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) किसानों की ऋण-ग्रस्तता के संबंध में हाल ही में अखिल भारतीय आधार पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है। अतः यह बता सकना संभव नहीं है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण की तुलना में किसानों में कितनी सीमा और अंशों में ऋणग्रस्तता विद्यमान है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**Shortage and Blackmarketing of Bread and Butter in the Country**

3720. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there is a shortage of bread and butter in Delhi, Bombay, Patna and all other big cities of the country ;

(b) whether there is blackmarketing of these commodities on a large scale in the said cities ;

(c) if so, the reasons for the shortage ; and

(d) the action taken by Government to check their shortage and blackmarketing ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde)** : (a) to (d) Reports of supply of bread and butter falling short of demand in Delhi, Bombay and some other places in the country have been received.

Shortage of bread is mainly due to lesser allocations by the State Governments of wheat products to the bakeries in view of the pressing demands on the available supplies of wheat for other more important purposes.

Shortage of butter is due to seasonal fall in production of milk during the lean summer months and recent increase in demand.

Due to the comparative shortage of supply of bread and butter in the market, their prices have risen.

The State Governments are making efforts to improve the supply position consistent with other demands for wheat supply, and are also taking steps to check the rise in prices, such as requiring dealers to display prices of bread and butter and not to refuse sale on demand, etc.

**Grants of Cultural Organisations Constructed in States**

**3721. Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government gives grants to the cultural organisations set-up in the States ;

(b) if so, whether Government has also given grants to such organisations set-up in Bihar ;

(c) if so, the names of the organisations which received grants from Government in 1972-73 indicating the amount of grant received by them ; and

(d) whether the Bihar Jan Natya Sangh and Patna Jan Natya Sangh were not given any kind of grant, and, if so, the reasons therefor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) :** (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A statement giving the information for the year 1972-73 is attached.

(d) No, Sir. The two organisations did not apply for any grant during 1972-73.

STATEMENT

Amount of grant sanctioned to the Cultural Organisations in the State of Bihar during the year 1972-73, by the Sangeet Natak Akademi, New Delhi.

| S. No. | Name of the Organisation | Amount Sanctioned | Purpose |
|---|---|---|---|
| | | Rs. | |
| 1. | Vindhya Kala Mandir, Patna. | 4,000/- | For research and training (salaries of teachers, stipends and cost of training and research material) |
| 2. | Vaishali Sangh, Muzaffarpur. | 3,000/- | For holding a festival of folk arts (fees to the performing parties and organisational expenses) |
| 3. | Bihar Art Theatre, Patna. | 5,000/- | For cost of production. |

**Supply of Milk, Butter and Ghee to M.Ps From DMS Stall in Parliament House**

3722. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether there is a stall in Parliament House of Delhi Milk Scheme for supply of milk, butter and ghee to the Members of Parliament ;

(b) if so, whether the Members are being supplied neither butter nor ghee from the said stall inspite of the commencement of the present Parliament session and, if so, the reasons therefor and action taken by Government to remove those causes ;

(c) whether tins of one kilo and 2 kilos were supplied to Members of Parliament previously, but the same were later on stopped and at present tins of ghee of four kilos only are being supplied which everybody cannot purchase; and

(d) if so, whether Government propose supply tins of one kilo and two kilos of ghee again ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh)** : (a) Yes, Sir.

(b) The primary objective of the D.M.S. is to collect, process and distribute fluid milk to the citizens of Delhi. It manufactures and sells milk products including ghee and butter only when it receives surplus supplies of milk. The availability of milk decreases substantially in the summer and rainy seasons and the surplus milk is available mainly in the winter season. Therefore, when the stocks of ghee and butter produced in the winter season are exhausted the D.M.S. is not able to offer these products for sale. Due to the severe and prolonged summer this year the availability of milk in the D.M.S. milk-shed area has been particularly below normal. The D.M.S. has found it difficult to meet even the fluid milk requirements of the city. It has, therefore, not been possible for it to manufacture any butter or ghee since last winter.

Arrangements were made by the D.M.S. with the approval of the House Committees of the Rajya Sabha and Lok Sabha to supply ghee to all Members of Parliament at the rate of 4 kg. per month during the months from April to August 1973. The Members of Parliament were requested by the Lok Sabha and Rajya Sabha Sectts. to obtain their supplies accordingly for the months of July and August, 1973 by 7th July and ghee was supplied to all Members of Parliament who visited the Parliament House Stall of D.M.S. upto this period. Disposal of the ghee by 7th July became necessary as the shelf-life of pure ghee is limited to about four months even under cold store conditions and therefore the ghee which had been manufactured in the last winter had to be disposed of by the Ist week of July in order to allow the customers some time to consume the product before its quality began to deteriorate.

It was for this reason that the D.M.S. had to discontinue supplies of ghee beyond the first week of July at the Parliament House Stall. The manufacture and sale of ghee will be resumed when sufficient quantities of surplus milk become available after meeting the fluid milk requirements of the Delhi citizens.

(c) & (d) D.M.S. packs ghee in tins of 1 kg., 2 kg. and 4 kg. The ghee manufactured during the last winter was packed in all three sizes; but the one and two kgs. tins were exhausted within a few months and only 4 kg. tins were left for sale during the later months. Ghee will be sold in all the three packings whenever the D.M.S. re-commences its sale.

**रोपड़-होशियारपुर-पठानकोट सड़क को राष्ट्रीय राजपथ बनाना**

3723. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार रोपड़-होशियारपुर-पठानकोट सड़क को राजपथ बनाने का है ;

(ख) क्या मौके पर भेजे जाने हेतु इस सड़क के लिये सभी कर्मचारी पहले ही नियत किये जा चुके हैं ;

(ग) क्या इस सड़क पर अभी तक कार्य इसलिये आरंभ नहीं हुआ है कि सरकार ने गत कई वर्षों से इसके लिये धनराशि मंजूर नहीं की है ; और

(घ) इस परियोजना पर कार्य शीघ्र आरम्भ कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना)** : (क) से (घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई सड़कों को शामिल करने के लिये पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ रोपड़-होशियारपुर-पठानकोट सड़क भी शामिल है। दसूहा-पठानकोट खंड पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ए का भाग है । नरैना होकर दसूहा से रोपड़ तक की शेष सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग नोट की गई है और पांचवीं योजना के लिये प्रस्ताव अन्य राज्यों से प्राप्त होने पर अन्य समान प्रस्तावों के साथ विचार किया जायेगा जो अन्य बातों के अलावा इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रत्येक परियोजना की अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता क्या है और राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने के लिये यह सड़कें निर्धारित कसौटी किस हद तक पूरी करती हैं।

इस बीच टांडा-होशियारपुर-गढ़शंकर-बलाचोर पूपाड़ मार्ग पर टांडा से रोपड़ का वर्तमान मार्ग को चौड़ा करने और सशक्त करने के लिये राज्य सरकार को चौथी योजना में सहायता अनुदान के लिये व्यवस्था उपलब्ध है। टांडा से रोपड़ की इस राज्य सड़क को चौड़ा और सशक्त करने का यह कार्य तभी मंजूर किया जा सकता है जब कुछ मांगों के बारे में मांगे गये कुछ आंकड़े और राज्य सरकार से शेष अनुमान प्राप्त हो जायेंगे और भारत सरकार द्वारा जांच कर ली जायेगी। इस समय कर्मचारियों को नियत करने का प्रश्न समय पूर्व होगा।

**पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 'कलाई दाल का बेकार हो जाना**

3724. **श्री झारखण्डे राय** :

**श्री समर गुहा** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बार-बार सूचना दिये जाने के बावजूद खाद्य निगम ने लगभग 5 लाख रुपये के मूल्य की 7500 मीटरी टन 'कलाई दाल' को, जोकि राज्य में पश्चिम दिनाजपुर, ओकालडा और कूच बिहार क्षेत्रों में स्थित विभिन्न गोदामों में पड़ी थी, रासायनिक धुंआ नहीं दिया है ;

(ख) यदि तत्काल रासायनिक धुंआ नहीं दिया जाता है तो भंडार में रखी समस्त दाल खाने योग्य नहीं रह जायेगी; और

(ग) यदि हाँ, तो दाल के भंडार को बिना विलम्ब रासायनिक धुंआ देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे)** : (क) कलाई दाल राज्य सरकार और उसके एजेंटों के गोदामों में रखी है। राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से इस स्टाक को धूपन देने के लिये अनुरोध करने पर निगम ने पूरा-पूरा सहयोग प्रदान किया है। तथापि, इन गोदामों में अवैज्ञानिक तरीकों से भंडारण करने के कारण सारे स्टाक को धूपन नहीं दिया जा सका। एक केन्द्र पर जहां धूपन देना संभव था, वहां धूपन दिया गया है।

(ख) और (ग) खाद्य निगम क्षति को रोकने के लिए वैकल्पिक संभव उपचार कर रहा है।

**उत्तर प्रदेश के बांदा जिल में भूख से मौतें होने का आरोप**

3725. **श्री झारखंडे राय** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो महीनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले को भूख के कारण मौतें होने के आरोप लगाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन आरोपों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) से (ग) राज्य सरकार ने बांदा जिले में भुखमरी से हुई मौतों की रिपोर्टों के बारे में जांच की है और उन्होंने सूचित किया है कि इस जिले में भुखमरी से कोई मौत नहीं हुई है।

**Amount Given to States by Social Welfare Department**

3726. **Shri Panna Lal Barupal** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the amount given to the various States by the Social Welfare Department (Centre) during 1970-71 and the amount given to Rajasthan State?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam)** : The total grant in 1970-71 to the States/Union Territories for Social Welfare Programmes was Rs. 549.86 lakhs. Out of this, the grant given to Rajasthan was Rs. 15.37 lakhs.

**उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को दिया जाने वाला अनुदान बंद करना**

3727. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने हाल ही में उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को आगे से अनुदान देना बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**कैंसर असेसमेंट कमेटी की सिफारिशें**

3728. **श्री अर्जुन सेठी :**

**श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री 23 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7711 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कैंसर असेसमेंट कमेटी की सिफारिशों की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो देश के किन-किन स्थानों में कैंसर अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) अन्य सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू ) :** (क) से (ग) कैंसर असेसमेंट कमेटी की सिफारिशों की सरकार अभी जांच कर रही है।

**व्यापारी जहाजों की संख्या और उनका टनभार**

3729. **प्रो० एस० एल० सक्सेना :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय व्यापारी जहाजों की कुल संख्या कितनी है और उनका टनभार क्या है ;

(ख) हमारे व्यापारी जहाजों के इस टनभार से देश की नौवहन संबंधी आवश्यकताएं कितने प्रतिशत पूरी होती है; और

(ग) हमारे देश की नौवहन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कब तक पर्याप्त व्यापारी जहाज उपलब्ध होंगे और इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) पहली अगस्त, 1973 को 27.62 लाख जी०आर०टी० के 261 व्यापारी जहाज थे।

(ख) फिलहाल, भारतीय जहाज देश के समुद्र पार व्यापार का पांचवां भाग, कुल तटीय सूखा माल व्यापार और तट पर तेल यातायात का लगभग आधा वहन करते हैं।

(ग) हमारा लक्ष्य यह है कि भारतीय जहाज समुद्र पार व्यापार का 50 प्रतिशत और तटीय व्यापार का 100 प्रतिशत वहन करें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त नौवहन टनभार प्राप्त करने के लिये आवश्यक व्यवस्था का पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सुझाव दिया गया है, जोकि इस समय योजना आयोग के सक्रिय विचाराधीन है।

**खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के अधीन दण्डित की गई फर्मों के नाम**

3730. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 में राजधानी में संबंधित प्राधिकारियों ने खाद्य तेलों, घी और मसालों जैसी खाद्य वस्तुओं के नमूने लिये हैं;

(ख) क्या देश में आम लोगों का स्वास्थ्य खराब होने का मूल कारण आवश्यक खाद्य वस्तुओं में मिलावट है ;

(ग) मिलावट करने के लिये कितने मुकदमें चलाये गये हैं ; और

(घ) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित अवधि में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन किन-किन फर्मों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये और प्रत्येक ऐसी फर्म को क्या दण्ड दिया गया और उन फर्मों का ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं।

(ग) दिल्ली में 1-1-73 से 31-7-73 तक 107 मुकदमें दायर किये गये।

(घ) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए संख्या एल० टी०** 5443/73]

## दार्जिलिंग में हुई अन्तर्राष्ट्रीय पर्वतारोहियों की बैठक

3731. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दार्जिलिंग में अन्तर्राष्ट्रीय पर्वतारोहियों की कोई बैठक हुई थी और यदि हां, तो इसमें कितने विदेशी तथा भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया ;

(ख) बैठक के उद्देश्य क्या थे और ये उद्देश्य किस सीमा तक पूरे हुए ;

(ग) बैठक पर कुल कितना व्यय आया और उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(घ) बैठक के दौरान किस प्रकार के कार्यक्रम हुए और इसमें भारतीय प्रतिनिधियों का क्या योगदान रहा ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : प्रश्न के भाग (क) से (घ) तक के संबंध में, भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, जिसने बैठक का आयोजन किया था एकत्र की गई सूचना इस प्रकार है :—

(क) पर्वतारोहियों की अन्तर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान द्वारा 14 से 21 मई 1973 तक दार्जिलिंग में किया गया था। इस बैठक में 35 विदेशी प्रतिनिधियों तथा 59 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(ख) बैठक की अवधि इस प्रकार तय की गई थी कि यह एवरेस्ट की भारतीय चढ़ाई की 8वीं वर्षगांठ, भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान की 15वीं वर्षगांठ तथा ऐवरेस्ट की प्रथम चढ़ाई की 20 वीं वर्षगांठ एक साथ हो। इस बैठक का उद्देश्य विभिन्न देशों के विख्यात पर्वतारोहियों को, एकत्र होने विचार नथा पर्वतारोहण तथा चट्टानों पर चढ़ने में पेश आने वाली विभिन्न बर्फीली परिस्थितियों तथा आरोहण के शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक पहलुओं, और नवीनतम तकनीकों व बचाव पद्धतियों के अनुभवों के संबंधों में विचारों का आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करना था। विचारों के आदान-प्रदान तथा सूचना के अतिरिक्त, भारतीयों को, विश्व के कुछ प्रसिद्ध पर्वतारोहियों द्वारा, प्रशिक्षित भी किया गया था।

(ग) भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान ने बताया है कि किए गए व्यय की कुल राशि अभी तक संकलित नहीं की गई है। फिर भी, उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह व्यय 1 लाख रुपये से कुछ अधिक होगा।

(घ) कार्यक्रम में, सेमिनार/सम्मेलन, फिल्म शो, भाषण, प्रश्न तथा उत्तर शामिल थे। इन सभी विषयों में भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा पर्वतारोहण के विभिन्न पहलूओं के संबंध में निबंध भी पढ़े थे ।

**Repair of Bridge Near Dhaulpur on Chambal River**

3732. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the bridge on Chambal river near Dhaulpur has not yet been repaired ;

(b) whether lot of inconvenience is being experienced in transportation as a result thereof ; and

(c) if so, the alternative steps taken by Government ?

**The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana) :** (a) to (c) A portion of the bridge on river Chambal near Dhaulpur on Delhi—Bombay road, National Highway No. 3, collapsed in April, 1973. Earlier when some damage to a portion of this bridge was noticed all traffic on the bridge was closed from 24th February, 1973 and the traffic had inevitably to be diverted with certain inconvenience to the users through alternative routes.

(i) Indore-Kota-Jaipur-Delhi.

(ii) Shivpuri-Kota-Jaipur-Delhi.

(iii) Shivpuri-Jhansi-Kalpi-Bhognipur and then west to Agra or east to Kanpur.

(iv) Gwalior-Bhind-Etawah for light traffic not exceeding 5 tonnes on account of limited capacity of the Pontoon bridge across Chambal near Etawah on this road.

2. The Government of Rajasthan, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh were requested to allow the road users all reasonable facilities for passing over the alternative routes, specially that they should not be required to pay extra taxes and/or obtain permits to ply on the diverted routes.

3. All the State Public Works Departments were requested to install proper notice boards at suitable locations warning the traffic of the closure of the bridge and guiding the traffic to the alternative routes.

4. In order to facilitate traffic across the river at the bridge site an Army flying ferry was commissioned there on 27th March, 1973 for transporting vehicles and passengers. This was discontinued only after the pontoon bridge had been erected at site through the Public Works Department of Uttar Pradesh and opened to traffic on the afternoon of 25th April, 1973. This had been catering to traffic upto a gross laden weight of 10 tonnes, which was the maximum safe carrying capacity of the pontoon bridge. This pontoon bridge was in service till 18th June, 1973 when it had to be dismantled on account of anticipated floods in the Chambal river. The bridge will be erected again after the flood season sometime in October/November, 1973. From 18th June, 1973 three marboats have been commissioned at the bridge site for ferrying the traffic across the river. Two more marboats

are expected to be put into operation very shortly. The ferry service is being further augmented by the addition of 4 RPL (ramped powered lighter) barges. These were transported from Calcutta to Farraka Barrage and out of these three have since left Farraka Barrage on 22nd July, 1973 on their way to Dhaulpur. These are expected to start operating at the Chambal bridge site by the end of August, 1973. The fourth RPL (Ramped Powered Lighter) is also likely to leave Farraka Barrage soon after the necessary repairs. After the commission of these RPLs (ramped powered lighters) fully loaded trucks will also be ferried across. Efforts are being made to get two more, tugs, with barges from Farraka at the bridge site to further augment the ferry services. After the extra ferrying fleet is put into operation it would be possible to cater to practically all the traffic plying over this route.

5. A technical committee of experts has also been set up which will *inter alia* recommend whether the existing bridge can be retained and the four collapsed spans reconstructed or a new bridge is to be provided keeping in view all aspects including suitability, economics etc. Only after receipt of the report of this Committee, the question of repair/reconstruction of the collapsed spans of the bridge or construction of a new bridge will be examined by the Government of India in the light of the Committee's recommendations.

**Publication of Report of Sugar Industry Enquiry Commission**

3733. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government received the report of the Sugar Industry Enquiry Commission on the 14th May, 1973 ; and

(b) if so, the reasons for not publishing it so far?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) :** (a) & (b) Yes, Sir. An interim report on Rational and Efficient Organisation of the sugar industry has been received from the Sugar Industry Enquiry Commission by the Government on 15th May, 1973. This report, being a voluminous one, is still under examination of the Government. As soon as decisions are taken thereon, the report will be laid on the Table of the Sabha.

**Target Fixed for Vasectomy under Family Planning Programmes in Madhya Pradesh**

3734. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the target fixed for vasectomy under Family Planning programme in Madhya Pradesh could not be achieved ;

(b) whether it has been stated by Madhya Pradesh Government that the amount provided by Central Government for this purpose is inadequate; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku) :** (a) Targets are not fixed separately for vasectomy operations. These are set

for sterilizations (vasectomy and tubectomy). A statement showing the targets fixed for sterilizations and the figures achieved by Madhya Pradesh from 1966-67 onwards is given below :

| Year | Targets fixed for Madhya Pradesh | Sterilizations actually done in Madhya Pradesh | | | Target achievement (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Vasectomy | Tubectomy | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1966-67 | 76,507 | 71,265 | 4,925 | 76,190 | 99.6 |
| 1967-68 | 114,312 | 169,492 | 6,656 | 176,148 | 154.1 |
| 1968-69 | 156,268 | 122,679 | 12,431 | 135,110 | 86.5 |
| 1969-70 | 197,072 | 107,083 | 19,013 | 126,096 | 64.0 |
| 1970-71 | 223,507 | 64,755 | 24,374 | 89,129 | 39.9 |
| 1971-72 | 172,602 | 63,871 | 31,077 | 94,948 | 55.0 |
| 1972-73 | 429,930 | 290,791* | 27,396* | 318,187* | 74.0 |

*Provisional

(b) No.

(c) Does not arise.

**Soyabean Produced and Soyabean Oil Imported During Last Three Years.**

3735. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantum of Soyabean produced in the country and the quantum of Soyabean Oil imported from foreign countries during the last 3 years ; and

(b) the steps taken already and being taken to boost the production of edible Oils ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :** (a) Commercial cultivation of Soyabean was taken up from 1971-72 under a Centrally Sponsored Scheme. Although no regular estimates of production of soyabean are being worked out, it is estimated that the likely production from the area covered under the Centrally Sponsored Scheme for Soyabean Development would have been as follows :—

| Year | Likely Production (Tonnes) |
|---|---|
| 1971-72 | 13,450 |
| 1972-73 | 18,900 |

Quantum of soyabean oil imported from foreign countries during the last three years is as under :—

| Year | Quantity (tonnes) |
|---|---|
| 1970-71 | 99,601 |
| 1971-72 | 80,311 + 50,554* |
| 1972-73 | 24,784 |

*(Relief supplies)

(b) The production of edible oils is being proposed to be increased in the country mainly through (i) increasing the production of various traditional as well as non-traditional oilseeds like soyabean and sunflower, (ii) encouraging larger utilisation of cottonseed and rice bran oils in vanaspati making, and (iii) promoting greater utilisation of minor oilseeds of tree origin in soap making etc. to relieve pressure on edible oils. In addition, steps have also been taken to augment the availability of edible oils in the country through imports of various oilseeds, oils etc. to the extent feasible from various sources.

**Production of Vanaspati Ghee During Last Three Years**

3736. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantum of annual production of Vanaspati Ghee during the last three years, separately ; and

(b) whether the production of Vanaspati Ghee increased or decreased during the said period and if it was decreased the reasons therefor and the action being taken by Government to increase production ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) :**

(a) :

| Year | Production (lakh tonnes) |
|---|---|
| 1970 | 5.21 |
| 1971 | 5.90 |
| 1972 | 6.02 |
| 1973 (upto July) | 2.71 |

(b) : The production of vanaspati had been steadily increasing during the last three years. However, during the current year, there has been an appreciable fall.

The reasons for the fall in the production of vanaspati in the current year and the action being taken by Government to increase production have been set out in the answer given to Unstarred Question No. 27 in the Lok Sabha on the 23rd July 1973. A further step since taken was to limit the production of refined oils by vanaspati factories after 16th August,' 73 to their average level of production of such oils during the preceding two years.

**Construction of Bridge on Dhasan River**

3737. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the traffic is closed during the rainy season on Agra-Jhansi-Mirzapur National Highway as there is no high bridge on Dhasan river ;

(b) whether this river forms the borders of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh and this bridge is more important due to its being in the category of inter-state Bridges and being situated on the National Highway ; and

(c) whether the Government would get it constructed at an early date in view of the utility of this bridge ?

**The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana) :** (a) to (c) : The intermediate portion from Gwalior to Rewa of Agra-Jhansi-Mirzapur detour is a State road and the river Dhasan crosses this road in this stretch of the road. The site of the proposed bridge lies at the border of the States of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Of the two States, only the U.P. Government have included the bridge in question in the proposals submitted by them for loan assistance under the Central Aid Programme of State roads of Inter-State or Economic Importance in the Fifth Plan. This proposal will be given due consideration along with similar proposals received from other States while finalising proposals for the Fifth Plan keeping in view the funds available for the purpose and the *inter se* priorities of the individual schemes among themselves on an all-India basis.

**महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में सहकारी चीनी कारखाने**

3738. **श्री के० सूर्यनारायण:**

**श्री एम० एस० संजीवी राव:**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में पहले से ही चालू अथवा निर्माणाधीन सहकारी चीनी कारखानों के नाम क्या हैं ;

(ख) प्रबन्ध निदेशकों अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की अर्हतायें क्या हैं और चीनी उद्योगों अथवा अन्य किसी उद्योग में उक्त अधिकारियों के अनुभव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अगर सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उक्त अधिकारियों की सेवायें सोसाइटी को दी गई हैं, तो उक्त अधिकारियों की सेवा की शर्तें क्या हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश के राज्य में चल रहे सहकारी चीनी कारखानों के नामों की सूची अनुबन्ध में दी गई है । [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 5444/73 ] इन राज्यों में निर्माणाधीन सहकारी चीनी कारखानों के नामों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और राज्य सरकारों से प्राप्त होते ही वह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख)व(ग) : राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

**दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा क्रीम की सप्लाई के लिये निजी स्वामित्व वाली डेरियों से करार**

3739. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना ने क्रीम की सप्लाई के लिये निजी स्वामित्व वाली डेरियों से कोई करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन डेरियों को कितनी मात्रा में क्रीम सप्लाई की जा रही है ;

(ग) क्या बाजार में बिक्री के लिये दिल्ली दुग्ध योजना का घी अनुपलब्ध होने का यह भी एक कारण है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**बंजर कृषि भूमि की खुदाई (डार्जिंग) और उसमें ट्रैक्टर चलाया जाना**

3740. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों में राज्य सरकारों के आग्रह पर बंजर कृषि भूमि की खुदाई और ट्रैक्टर चलाने का काम कराती है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना काम आरम्भ किया गया है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में राज्य सरकार के आग्रह पर काम आरम्भ किया गया था परन्तु बाद में छोड़ दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) से (घ) : आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**Survey by Agricultural Universities Regarding Utility of Mechanisation for Land Holdings**

3741. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the several Agriculture Universities have recently conducted a survey regarding utility of mechanisation for owners of small and the big land holdings and have submitted their report to Government thereon ;

(b) if so, the findings thereof ; and

(c) Government's reaction therto ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :** (a) No such survey has come to the notice of the Central Government.

(b) & (c): Does not arise.

**Per Hectare Availability of Power for Agriculture**

3742. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether only 0.02 horse power of electricity for hectare can be available for agriculture in the country; and

(b) if so, the reasons for this low percentage and the steps being taken by the Government to increase the percentage availability of electricity for agriculture ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh)** : (a) About 10.6% of the total power generated in the country is presently utilised for agriculture.

(b) The development of agricultural load has mostly come about in the recent years. Concerted efforts are now being made to step up the pace of energisation of pumpsets for agriculture under the rural electrification programme to the maximum extent possible, subject to the availability of financial resources. This would result in further increasing the percentage availability of electricity for agriculture.

**दिल्ली में छात्राओं के लिए छात्रावास की समस्या**

3743. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:**

**श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**

क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में छात्राओं के लिए छात्रावास की गम्भीर समस्या है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में छात्रावासों की कमी को पूरा करने के लिये क्या आवश्यक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी. यादव):** (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर, उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

**श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टल बनाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

3744. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में श्रमजीवी महिलाओं के लिये होस्टल बनाने हेतु वर्ष 1972-73 के दौरान किन-किन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता मंजूर की गई है ; और

(ख) प्रत्येक संगठन को कुल कितनी सहायता मंजूर की गई है तथा उक्त अवधि के दौरान कितने होस्टल बनाये गये हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) और (ख) श्रमजीवी स्त्रियों के होस्टलों /विस्तार हेतु निम्नलिखित संगठनों को वर्ष 1972-73 के दौरान सहायक अनुदान मंजूर किए गए :—

| संगठन का नाम | मंजूर की गई धन-राशि रुपए |
|---|---|
| 1. महिला ग्रेजुएट यूनियन, बम्बई . . . . | 4,00,000 |
| 2. गिल्ड आफ सर्विस (केन्द्रीय), मद्रास: . . . | 1,23,900 |
| 3. हिन्दू महिला उद्धार गृह सोसाइटी श्रद्धानन्द महिला आश्रम, बम्बई | 4,00,000 |
| 4. अखिल भारतीय महिला कांफ्रेंस, बम्बई . . . | 74,000 |

निर्माण के पूरा होने से सम्बद्ध रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

**खाद्यान्नों के पहुंचने का नियत समय**

3745. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) विदेशों से खाद्यानों के पहुंचने का नियत समय क्या है; और

(ख) इससे सम्बन्धित अन्य तथ्य क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) और (ख) : इस समय जो खाद्यान्न आयात किए जा रहे हैं सोपानवार उनके अगले महीने से पहुंचने की संम्भावना है । आमद अनुसूची, अन्य बातों के साथ-साथ सुपुर्दगी की रफ्तार, नौवहन आदि पर निर्भर करेगी ।

**मेधावी छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति नियमों का पुनरीक्षण**

3746. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय छात्रवृत्ति वही मेधावी छात्र पा सकते हैं जिनके अभिभावकों की मासिक आय 500 रुपये से कम हो और क्या इस नियम से मेधावी छात्र हतोत्साहित होते हैं;

(ख) क्या मंहगाई की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 500 रुपये की आय वाले अभिभावकों के लिये अपने आश्रितों की शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी कर पाना संम्भव नहीं है;

(ग) क्या मेधावी छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति नियमों का संशोधन किया जायेगा;

(घ) क्या अभिभावकों की आय सम्बन्धी कोई सीमा बांधे विना सभी मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां लेने की सुविधा दी जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों के अभिभावकों की आय-सीमा बढ़ा कर 1000 रुपये मासिक की जायेगी ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव)**: (क) से (ङ) : इस उद्देश्य से कि कोई प्रतिभाशाली छात्र निर्धनता के कारण अपना अध्ययन जारी रखने से वंचित न रहे, भारत सरकार ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत केवल योग्यता एवं आय के आधार पर छात्रों को मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । वर्तमान नियमों के अन्तर्गत केवल वे ही मेधावी छात्र जिनके अभिभावकों की मासिक आय 500/- रुपये या उससे कम है छात्रवृत्तियों के लिये पात्र होंगे। जिन मेधावी छात्रों के माता पिता की आय 500/- रुपये प्रति मास से अधिक हो उन्हें छात्रवृत्ति की एवज में 100 रुपये का एक राष्ट्रीय पुरस्कार और एक योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा । स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों के बारे में उम्मीदवार के माता पिता की आय की कोई सीमा नहीं है।

क्योंकि योजना मुख्यतः मेधावी गरीब छात्रों के लिए है ताकि वे वित्तीय सहायता के अभाव में अपना उच्च अध्ययन जारी रखने से वंचित न रह जाएं। इसलिए छात्रों के माता पिता की आय पर नियन्त्रण को हटाने का प्रस्ताव नहीं है और न ही आय की वर्तमान सीमा में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

**भारतीय खाद्य निगम और प्राइवेट एजेंसियों द्वारा वसूल की गयी गेहूं और वसूली का काम प्राइवेट एजेंसियों को हस्तान्तरित किया जाना**

3747. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधे और प्राइवेट ऐजेंसियों के माध्यम से कितना गेहूं वसूल किया गया;

(ख) क्या सरकार खाद्यान्न वसूली का अधिक से अधिक काम प्रइवेट एजेंसियों को हस्तांतरित कर रही है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे)** : (क) 14 अगस्त 1973 तक अधिप्राप्त किए गए 43.61 लाख मीटरी टन गेहूं में से, भारतीय खाद्य निगम और उसकी एजेंसियों ने 11,21 लाख मी० टन गेहूं अधिप्राप्त किया है । भारतीय खाद्य निगम ने अधिप्राप्ति के लिए किसी गैर सरकारी व्यक्ति/कम्पनी को अपने एजेन्ट के रूप में नियुक्त नहीं किया है । तथापि, सहकारी समितियों के माध्यम से कुछ मात्रा अधिप्राप्त की गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**देश में चावल के उत्पादन का अनुमान**

3748. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि समस्त देश में अगली बार कितना चावल पैदा होने का अनुमान है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे)**: 1973-74 के दौरान चावल की फसल के अनुमान के बारे में कुछ बता सकना अभी संभव नहीं है चावल पैदा करने वाले अधिकांश राज्यों में अबतक मौसम सामान्यतः फसल के लिए अनुकूल है । तथापि इस मौसम के शेष भाग में वर्षा पर बहुत कुछ निर्भर करेगा ।

**उर्वरक का अपर्याप्त वितरण और खाद्य उत्पादन पर उसका प्रभाव**

3749. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त मात्रा में उर्वरक का वितरण न होने पर के कारण खाद्य उत्पादन कम हो रहा है;

(ख) क्या उर्वरकों की कमी के कारण बड़े पैमाने पर चोर बाजारी होने के समाचार मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की चोरबाजारी को रोकने के उपाय किये गये हैं और उर्वरक के ऐसे कितने भ्रष्ट व्यापारी गिरफ्तार किये गये हैं; और

(घ) कमी वाले क्षेत्र में उर्वरकों के वितरण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे)**: (क) खाद्य उत्पादन वर्षा, सिंचाई उपर्युक्त आदानों की उपलब्धि फसल प्रबन्ध आदि अनेक बातों पर निर्भर करता है । उर्वरकों का भी

कृषि उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ता है । 1973 के खरीफ के मौसम के दौरान देश के कुछ भागों में उर्वरकों की उपलब्धि में कुछ कठिनाई अनुभव की हुई है । फिर भी कुछ क्षेत्रों में अन्य वस्तुएं दिए जाने पर भी जिस हद तक उर्वरकों की कमी रही उससे इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन उतना नहीं होगा जितना कि इन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध होने पर होना चाहिये ।

(ख) उर्वरकों की कमी के कारण कुछ राज्यों से उर्वरकों की चोर बाजारी की कुछ रिपोर्टें मिली हैं।

(ग) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1957 और अत्यावश्यक वस्तु, अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत उर्वरकों की चोर बाज़ारी करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं । हाल ही में भारत सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र ही कानूनी कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकारों को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अन्तर्गत अपराधों के संक्षिप्त विचारण का अधिकार दिया गया है । पहली जनवरी, 1973 से चोर बाज़ारी करने वाले दोषियों के विरुद्ध 8 मामलों में अभियोग लगाए गए हैं । दो मामलों में अपराधियों ने न्यायालय में अपराध मान लिया है । इसके अतिरिक्त अनेक मामलों में इन विक्रेताओं के विरुद्ध जांच पूरी होने तक विक्रेताओं के पंजीकरण प्रमाण पत्र विलम्बित कर दिए गए हैं।

(घ) कमी वाले राज्यों में उर्वरकों की मांग को पूरा करने को लिये भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।

(1) यथासम्भव अधिक से अधिक उर्वरक आयात करके उसे इन राज्यों को सप्लाई करने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(2) देश में उर्वरकों के कारखानों की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(3) उर्वरकों के लाने-लेजाने की कठिनाइयों को दूर करके और विनिर्माताओं को सहकारी संस्थाओं और राज्य अभिकरणों के माध्यम से यथासंम्भव अधिक से अधिक मात्रा में उर्वरक बेचने के प्रेरित करके वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिये भी कदम उठाए गए हैं।

**पश्चिमी बंगाल को दिये जाने वाले चावल के कोटे में वृद्धि**

3750. **श्री रानेन सेन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के सांविधिक राशन व्यवस्था बाले क्षेत्रों में चावल के कोटे में की गई कटौती संशोधित राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में भी लागू किये जाने की संम्भावना है, और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र द्वारा राज्य को दिये जा रहे चावल के कोटे में वृद्धि करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :** (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल के संशोधित राशन-व्यवस्था वाले क्षेत्रों में चावल के कोटे में कोई कटौती नही की गई है । केन्द्रीय पूल में चावल की समूची उपलब्धता और कमी वाले अन्य राज्यों की आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार को उनकी उपयुक्त जरूरतें पूरी करने के लिए यथा संम्भव अधिक से अधिक आवंटन किया जा रहा है ।

**अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में मानव प्रजनन के विषय में अनुसंधान विकास और अनुसंधान प्रशिक्षण सम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यक्रम**

3752. **श्री रानेन सेन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुसंधान विकास और अनुसंधान प्रशिक्षण के अपने विस्तृत कार्यक्रम के लिये 6 संस्थानों में से एक अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान की चुना है, और

(ख) यदि हां, तो इस संम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मिलने वाली सम्भावित सहायता क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु)** : (क) जी हां। विश्व स्वास्थ्य संगठेन ने इस प्रयोजन के लिए जिन चार संस्थानों को चुना है उनमें से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी एक है ।

(ख) यह आशा की जाती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले वर्ष में 200,000 डालर की धनराशि देगा ।

**धान का अधिक वसूली मूल्य निर्धारित करने के लिए मैसूर सरकार की मांग**

3753. **श्री सी० के० जाफर शरीफ:**

**श्री डी० बी० चन्द्रगौडा:**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 62 रुपये से 70 रुपये प्रति क्विंटल के बीच धान का वसूली मूल्य निर्धारित करने संम्बन्धी कृषि मूल्य आयोग के प्रस्ताव को जब से केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी दी है मैसूर अधिक वसूली मूल्य निर्धारित करने के लिये अनुरोध कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे)** : (क) और (ख) यह ठीक है कि 1973-74 के लिए खरीफ मूल्य नीति पर विचार करने हेतु जून, 1973 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में मैसूर के मुख्य मंत्री ने धान का अधिक मूल्य निर्धारित करने के लिए कहा था।

कटाई मौसम शुरू होने से पहले अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करने समय इस सुझाव को ध्यान को ध्यान में रखा जाएगा।

**प्राचीन स्मारकों का परिरक्षण**

3854. **श्री के० लकप्पा** :

**श्री पी० गंगादेव** :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक प्राचीन स्मारकों की हालत खराब है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें उचित ढंग से ठीक करने अथवा उनके परिरक्षण के लिए कोई कार्यवाई नहीं की जा रही है अथवा की गई है और यदि हां, तो क्यों; और

(ग) उनके परिरक्षण के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन):**

(क) अपर्याप्त धन के कारण सभी सरक्षित स्मारकों की मरम्मत करना संम्भव नहीं हो सका है।

(ख) और (ग) : वर्तमान वर्ष के दौरान अधिक संख्या में स्मारकों के परिरक्षण कार्य के लिये और ज्यादा धन की व्यवस्था की जा रही है। पांचवी पंच वर्षीय आयोजना के लिए एक योजना का प्रस्ताव किया गया है जिसके अन्तर्गत तत्काल मरम्मत चाहने वाले और अधिक स्मारकों की मरम्मत का काम शुरू किया जायेगा ।

**विदेशों में भेजे गए खाद्य मिशन**

3755. **श्री के० लकप्पा :**

**श्री पी० गंगादेव :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकान ने कुछ अधिकारियों को खाद्य मिशन से विदेशों में भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय से अधिकारियों को किस विशिष्ट उद्देश्य के लिये भेजा गया है;

(ग) क्या इस मिशन में सफलता प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे):** (क) से (घ) हाल ही में विदेशों में कोई खाद्य मिशन नहीं भेजा गया है ।

**करवार पत्तन का विकास**

3757. **श्री के० लकप्पा :**

**श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करवार पत्तन के विकास की योजना मंजूर न किये जाने के क्या कारण हैं बावजूद इसके कि करवार में सभी मौसमों के लिये पत्तन बनाये जाने के लिये पर्याप्त क्षमता है ;

(ख) क्या मैसुर सरकार ने मजूरी के लिये अपेक्षित सभी प्रकार का ब्यौरा नौवहन और परिवहन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर):** (क) से (ग) : कारवार पत्तन के विकासार्थ जनवरी, 1973 में मैसूर सरकार से प्राप्त संशोधित परियोजना रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ

खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा इस पत्तन से 10 लाख टन खनिज लोह के निर्यात के यातायात पर भी विचार किया गया है । निगम, जिसके साथ परामर्श किया गया था, ने कुछ प्रश्न उठाये, जिन पर मैसूर सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अब विचार विमर्श किया गया है। नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने तकनीकी दृष्टि से परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत कर दी है। वित्त मंन्त्रालय की सहमति प्राप्त होने पर आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति दी जायेगी ।

**पौधों, पशुओं, मिट्टी और जल का योजना-बद्ध तथा समेकित सुधार**

3758. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि स्थाई और लाभप्रद कृषि प्रणाली के लिए तथा खाद्यान्न के अभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिए देश को पौधों, पशुओं, मिट्टी और जल का योजनाबद्ध और समेकित सुधार करना होगा,

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अप्पासाहिब पी० शीन्दे)** : (क) कृषि विश्वविद्यालयों में दिए अपने अनेक भाषणों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक ने उन तकनीकियों को, जो पौधों, पशुओं, मिट्टी और जल के समेकित सुधार में सहायक सिद्ध हो सकती हैं, विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया है;

(ख) सरकार की नीति यह है कि मिश्रित फार्मिंग पद्धतियों को विकसित करके भूमि तथा जल को वैज्ञानिक आधार पर उपयोग में लाने की योजना को प्रोत्साहन दिया जाए; और

(ग) पांचवी योजना के दौरान कुछ चुने हुए क्षेत्रों में समेकित भूमि तथा जल उपयोग सम्बन्धी कुछ अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने का विचार है । पशु पालन कार्यक्रमों का भी प्रोत्साहित किया जाएगा और जल को कारगर रूप से उपयोग में लाने और भूमि संरक्षण के लिये कदम उठाए जाएगें । चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के इंदोर क्षेत्र में चावल सम्बन्धी समेकित कीट नियंत्रण परियोजनाएं और काली कपास वाली भारी मुद्रा के विषय में अनुसंधान परियोजना शुरू की जा रही है ।

**उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिए इनका अमरीका और पश्चिमी जर्मनी से आयात**

3759. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973-74 के 11.5 करोड़ टन के अनाज के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये समाजवादी देशों से अतिरिक्त उर्वरक आयात करने हेतु सरकार ने उर्वरकों की अनुमानित 14 लाख टन की कमी को पूरा करने के लिये अमरीका और पश्चिमी जर्मनी से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह अनुभव किया है कि इन दो देंशों में भी आयात की संभावनायें बहुत अच्छी नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने यह अनुभव किया है कि विश्व की मंडी में उर्वरकों की अत्याधिक कमी है, जैसाकि खाद्य मंत्री ने बताया है; और

(घ) यदि हां, तो यह कहां तक सही है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) जी नहीं। भारत सरकार ने अतिरिक्त उर्वरकों के आयात की व्यवस्था करने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी जर्मनी से कोई विशेष अनुरोध नहीं किया है। आवश्यकता तथा उपलब्धि के बीच अनुमानित अन्तर 14 लाख मीटरी टन से बहुत कम है।

(ख) से (घ) यह सच है कि विश्व बाज़ार में नाईट्रोजनी उर्वरकों, खासकर यूरिया की बहुत कमी है।

**सहकारी समितियों की संख्या कम करना**

3760. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समितियों की संख्या 1,70,000 से घटाकर 1,20,000 कर देने की सरकार की योजना सफल नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार का उद्देश्य प्राथमिक ऋण सोसायटियों को आत्मनिर्भर यूनिटों में पुनर्गठित करने का था। देश भर के लिये 1,20,000 आत्मनिर्भर तथा आत्मनिर्भर बनने की सम्भावना रखने वाली प्राथमिक ऋण सोसायटियों का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया था। यद्यपि, इस लक्ष्य के पूरा होने की सम्भावना नहीं है, तथापि, कुछ प्रगति हुई है और अनुमान है कि चौथी योजना अवधि के अंत तक ऐसी सोसायटियों की संख्या को घटाकर लगभग 1,50,000 तक किया जा सकता है;

(ख) इसमें धीमी प्रगति मुख्यत: इस वजह से हुई है कि वे सोसायटियां, जो आत्मनिर्भर नहीं हैं पास की सोसायटियों में मिलना नहीं चाहती हैं, कुछ राज्यों में अनिवार्य रूप से उन्हें मिलाने के लिए कानूनी प्रावधान नहीं है और कुछेक राज्य सभी वर्तमान सोसायटियों को बनाये रखना पंसद करते हैं।

(ग) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक सोसायटियों को आत्मनिर्भर यूनिटों में पुनर्गठित करने के लिए निश्चित कार्यक्रम शामिल करें।

**दिल्ली में कालेज के छात्रों के लिए बसें और उनके द्वारा बसों का अपहरण**

3761. **श्री शशि भूषण :**

**श्री डी० के० पण्डा :**

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में कालजों के छात्रों के लिए बसों की कुल आवश्यकता कितनी है ;

(ख) इस समय राजधानी में छात्रों के लिए कुल कितनी स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं ;

(ग) क्या जुलाई, 1973 के मध्य में कालेज खुलने के बाद कालेजों के छात्रों द्वारा दिल्ली परिवहन की बसें रोके जाने और अपहरण की जाने की अनेक घटनाएं हुई हैं; और यदि हां, तो इस वर्ष अब तक कुल कितनी बसों का अपहरण किया गया है और बसों को कितनी हानि पहुंचायी गयी है; और

(घ) छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में स्पेशल बसें सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की अवांछनीय स्थिति पैदा न हो ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना)** : (क) और (ख) इस समय दिल्ली परिवहन निगम विद्यार्थियों के लिए 700 विशेष फेरे लगा रहा है। विभिन्न इलाकों में से होकर चलने वाली सार्वजनिक सेवाओं से भी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। सामूहिक रूप से इस व्यवस्था से राजधानी में छात्र/छात्राओं की उचित आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं।

(ग) जी, हां। विद्यार्थियों के लिए विशेष सेवाओं और सार्वजनिक सेवाओं के बारे में 16-7-73 से अब तक की अवधि के लिए संबंधित ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :–

(1) रोकी गई बसों की संख्या 286

(2) अपहृत बसों की संख्या 24

(3) जुलाई, 1973 में निगम की बस को पहुंचाई गई क्षति के कारण हुआ कुल नुकसान 180 रुपये

(घ) विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही विशेष सेवाओं के संबंध में प्राप्त शिकायतें मांगों और सुझावों पर शीघ्र कारवाई के लिए निगम ने एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की है। निगम, दिल्ली विश्वविद्यालय और कालेज प्राधिकारियों से भी संपर्क बनाये हुए है। विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधाओं संबंधी मामलों के बारे में निगम के साथ बातचीत करने के लिए विश्वविद्यालय ने अपने यहां विद्यार्थियों के कल्याण के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति की है। वह विभिन्न कालेजों की ऐसी सभी मांगों के बारे में दिल्ली परिवहन निगम प्रबन्ध के साथ तालमेल स्थापित करता है।

## दिल्ली विश्वविद्यालय के सांध्य विधिकेन्द्रों में सीटें

3762. **श्री शशि भूषण : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के दो सांध्य विधि केन्द्रों में सीटों की कुल संख्या कितनी हैं ;

(ख) इन दोनों विधि केन्द्रों में दाखिले के लिए आवेदन पत्र भेजने वाले पात्र उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) दोनों विधि केन्द्रों में, केन्द्रवार दाखिल किये गये उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है ;

(घ) छात्रों की भीड़ का मुकाबला करने के लिए इस वर्ष दोनों केन्द्रों में, केन्द्रवार, कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं; और

(ङ) क्या राजधानी में एक तीसरा विधि केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं, और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** (प्रो० एस० नरुल हसन) : (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, भाग (क) से (घ) तक आंकड़े इस प्रकार हैं :–

| | केन्द्र I | केन्द्र II |
|---|---|---|
| एल० एल० बी०, प्रथम वर्ष में सीटों की संख्या (बढ़ाई गई सीटों सहित) | 656 | 428 |
| प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या | 1,886 | 1,156 |
| दाखिल किए गए छात्रों की संख्या | 656 | 428 |
| बढ़ाई गई सीटों की संख्या | 36 | 28 |

(ङ) विश्वविद्यालय के पास अपनी मौजूदा आवश्यकताओं के लिए ही पर्याप्त स्थान नहीं है, इसलिए विश्वविद्यालय में तीसरे विधि केन्द्र को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**Terms for providing Fertilizers to Wheat and Sugarcane Growing Farmers on Concessional Rates**

3763. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government would provide fertilizers at concessional rates to that farmer who has given wheat to the Government ;

(b) if so, whether the farmers sowing sugarcane would be deprived of fertilizers as a result of this rule ;

(c) whether Government have also received some complaints in this regard; and

(d) if so, whether Government propose to make some changes in this rule ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :** (a) Under the Incentive Bonus Scheme, recently announced by the Government of India a bonus is paid to the State Governments on quantities of wheat procured in excess of 25% of the target fixed for them and made over to the Central Pool. The amount of this bonus is required to be utilised for increasing agricultural production by subsidising the price of agricultural inputs like fertilizers etc. to the farmers.

(b) No, Sir. The State Governments, while framing the schemes under the Incentive Bonus Scheme, will of course, be keeping the interest of sugarcane growers in view.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

**News Item Regarding People Living on Grass and Tree Leaves in Varanasi (U.P.)**

3764. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government have been drawn towards a news-item published in "Hindustan" dated the 21st July, that the people of 3 tehsils (Chakia, Chandauli and Naugarh) of Varanasi District are living on grass and tree leaves due to famine and drought conditions ;

(b) if so, whether Government have taken immediate steps to help them ; and

(c) if so, the nature thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :** (a) According to the State Government, the allegations made are baseless and incorrect.

(b) & (c) Adequate and timely arrangements have been made for supply of food-grains to the areas affected by drought conditions. Apart from distribution under ration card system, supplies have also been made under gratuitous relief. Landless labour at Test Works and cultivators below one acre of land are also being given reasonable quantities of coarse grains.

**राजौरी गार्डन, नई दिल्ली में डी०डी०ए० (एम०आई०जी) फ्लैटों की कल्याण संस्था द्वारा दिया गया अभ्यावेदन**

3765. **श्रीमति शकुंतला नायर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजौरी गार्डन, नई दिल्ली में डी० डी० ए० (एम०आई०जी०) की कल्याण संस्था का कोई अभ्यावेदन डी० डी० ए० सरकार को मिला है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या बनाये गये फ्लैटों के निर्माण तथा फर्शों में प्रयुक्त सामग्री प्रचार के लिए लोगों को दिखाए गए नमूने के फ्लैट में प्रयुक्त सामग्री से घटिया है ; और

(ग) उक्त कल्याण संस्था ने सरकार से दिल्ली से बाहर के स्वतंत्र तकनीक लोगों से जांच कराये जाने की मांग की है और सामग्री तथा फिट किये गये सामान की किस्म के बारे में जिम्मेदारी निश्चित करने और परिणामस्वरूप इन फ्लैटों की कीमत घटाने की भी मांग की है ; यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता)** : (क) जी, हां । अभ्यावेदन में फ्लैटों के निर्माण में घटिया कारीगरी तथा घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया गया है । इसको दृष्टि में रखते हुए इसके फ्लैटों के मूल्य में कमी करने का सुझाव दिया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मूल्य के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक निष्पक्ष एजेन्सी नियुक्त करने का एक सुझाव प्राप्त हुआ है । संस्था ने नैशनल टेस्ट हाऊस, कलकत्ता में प्लास्टर के नमूनों की जांच के लिए 23-6-1973 को 25 रुपये जमा करवाये हैं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संस्था के प्रतिनिधियों के सामने नमूनों को एकत्रित करने के लिये 10-7-1973 की तारीख निर्धारित की थी । परन्तु संस्था के प्रतिनिधि उस दिन नहीं आये । नमूने लेने के लिए संस्था को सुविधाजनक समय तथा तिथि की सूचना देने के लिए 11-7-73 को पुनः अनुरोध किया गया था ।

**जनसंख्या वृद्धि के सम्बन्ध में परिवार नियोजन अभियान का जातिवार प्रभाव**

3766. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1951, 1961 तथा 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में हिन्दुओं (बौद्धों और जैनियों सहित) मुस्लमानों, क्रिश्चियनों, सिक्खों और पारसियों की जनसंख्या कितनी कितनी है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक जाति की जनसंख्या किस हिसाब से बढ़ रही है ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक जाति पर परिवार नियोजन अभियान का क्या प्रभाव पड़ा है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु)** (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना अनुलग्नक I में दी गई है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल०टी० 5445/73]

(ग) 1968-69 से आगे विभिन्न जातियों द्वारा नसबंदी अपनाने तथा लूप पहनने वालों की उपलब्ध सूचना का विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी० 5445/73] इससे पता चलता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम सभी जातियों द्वारा अपनाया जा रहा है ।

**महाराष्ट्र में फसल आने तक अभाव कार्यों के लिये केन्द्रीय सहायता का बनाये रखना**

3767. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अभाव कार्यों के लिये खरीफ की फसल आने तक केन्द्र से निरन्तर रूप से सहायता देते रहने के लिये अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सहायता कार्य पर कितनी धनराशि और व्यय होगी ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) राज्य सरकार ने भारत सरकार से चालू वर्ष में जब तक राहत कार्य जारी रखने की आवश्यकता है तब तक के लिए महाराष्ट्र को केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजने का अनुरोध किया है ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता देने की सिफारिश करने के लिए चालू वर्ष में एक केन्द्रीय दल महाराष्ट्र का दौरा करेगा।

**डी० डी० ए० के फ्लैटों/प्लाटों का आवंटन**

3768. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :**

**श्री शशि भूषण :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 7 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9278 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित भेदभाव को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) 200 वर्ग गज पर बने संयुक्त मकान में 75 गज से कम स्थान के कब्जे वाले व्यक्ति डी० डी० ए० के फ्लैटों या प्लाटों के आबंटन के लिये कब तक पात्र बनाये जायेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

**संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ओम मेहता)** : (क) से (ग) मामला विचाराधीन है

**Programme for Agricultural and Vocational Education**

3769. **Shri Chiranjib Jha :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the criteria adopted for giving financial assistance to the State Government for acquiring literature in various Indian Languages, under the programme of agricultural and vocational education scheme for distributing it to the neo-literates during 1973-74 and amount proposed to be given to the States, State-wise in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) :** There is no specific programme of agricultural and vocational education under which financial assistance is intended to be given to the State Governments for acquiring literature for distributing it to the neo-literates. However, a limited amount of assistance is proposed to be provided under the Scheme of Production of Literature for Neo-literates. All State Governments/Union Territory Administrations have been requested to send their proposals for 1973-74. On receipt of the same assistance to be given to each State/Union Territory will be decided.

**Houses Constructed with the Help of HUDCO**

3770. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state the number of houses constructed with the help of Housing and Urban Development Corporation so far together with the places where constructed ?

**The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) :** The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**सूर्यनगर, गाजियाबाद में बने बनाए मकानों को पट्टे पर बिक्री**

3771. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :**

**श्री के० नारायण राव :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद सुधार मंडल, उत्तर प्रदेश की सूर्यनगर सैक्टर-सात, हिंडन-पार क्षेत्र, गाजियाबाद में बने-बनाये मकान पट्टे पर बेचने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो ये मकान खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अलाटमेंट के लिए उक्त मंडल को आवेदन भेजे हैं और जिनके आवेदनों पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) क्या बिक्री के लिए पेश किये गये मकान अभी तक नहीं बनाए गए हैं, यदि हां, तो क्यों और उनका निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और वे कब तक इच्छुक क्रेताओं को अलाट कर दिए जाएंगे ?

**संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता)** : (क) जी, हां ।

(ख) इच्छुक खरीदारों की सूची संलग्न है ।

(ग) उक्त मकान निर्माणधीन हैं । निर्माण-कार्य सीमेन्ट के अभाव के कारण धीमा हो गया था तथा अब इसके अक्तूबर, 1973 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है । मकानों के पूर्ण हो जाने पर इच्छुक व्यक्तियों को अलाटमेन्ट कर दी जायगी ।

विवरण

| क्रम संख्या | नाम |
|---|---|
| | सर्वश्री |
| 1. | जनार्धन शर्मा |
| 2. | रामेश्वर दयाल गुप्ता |
| 3. | ईश्वर सहाय |
| 4. | योगेन्द्र पाल सिंह |
| 5. | प्रेम सिंह |
| 6. | यश पाल सिंह |
| 7. | महिपालसिंह |
| 8. | कोशल किशोर |
| 9. | कल्याण सिंह |
| 10. | सोहन लाल भोला |
| 11. | रामरखा मल |
| 12. | आर० एन० त्यागी |
| 13. | पी० एल० मदान |
| 14. | दलीप हजारा |
| 15. | बलराम |
| 16. | कृष्णस्वरूप अग्रवाल |
| 17. | जनक सुखेजा |
| 18. | रमेश चन्द्र गोयल |
| 19. | मुहम्मद अपक सिद्दिकी |
| 20. | गुरचरण सिंह |
| 21. | रतन लाल |
| 22. | सतेन्द्र कुमार त्यागी |
| 23. | कैलाश चन्द्र |
| 24. | जितेन्द्र कुमार भार्गव |
| 25. | श्रीमति रेणुका सेन |
| 26. | कैलाश चन्द्र |
| 27. | महावीर सिंह |
| 28. | योगेन्द्र कुमार अग्रवाल |
| 29. | के० जे० सेठी |
| 30. | राम मोहन शरण |
| 31. | बिशम्बर नाथ त्रिखा |
| 32. | जगदीश प्रसाद कौशिक |
| 33. | भान सिंह |
| 34. | हरबंस सिंह |
| 35. | श्रीमती सील यादव |
| 36. | एस० पाल |
| 37. | ओ० पी० अग्रवाल |
| 38. | अनिल कुमार चोपड़ा |
| 39. | भातेन्द्र नाथ |
| 40. | दीवान चन्द |
| 41. | दर्शन कुमार पाबे |
| 42. | श्रीमती राज भाटिया |
| 43. | लक्ष्मी नारायण पाठक |
| 44. | श्रीमती सुलोचना कुमारी भाटिया |
| 45. | शशि कान्त दीक्षित |
| 46. | कृष्ण कुमार बंसल |
| 47. | शिवनारायण गौढ़ |
| 48. | जे० आर० सेठी, मेजर |
| 49. | के० सी० अग्रवाल |
| 50. | राम सिंह |
| 51. | ओंकार नाथ त्यागी |
| 52. | दलीप कुमार सेन |
| 53. | एम० कृष्णराज |
| 54. | सत्य नारायण |
| 55. | मुहम्मद जुवर |
| 56. | बी० बी० सिंह |
| 57. | एस० एन० अग्रवाल |
| 58. | श्रीमती मीरा टंडन |
| 59. | गोपाल कष्ण कटारिया |

# अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
# CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

## देश के कई भागों में बाढ़ के कारण हुआ भारी विनाश

**अध्यक्ष महोदय**: ध्यानाकर्षण. श्री गंगादेव ।

**श्री पी० गंगादेव (अंगुल)** : मैं सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान. .

**श्री बूटासिंह** (रोपड़) : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं हैं। नियम 197 (2) के अधीन चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या केवल 5 तक ही सीमित है। मेरा कहना यह है कि केवल ध्यानाकर्षण सूचना में उल्लिखित राज्य ही बाढ़ों से प्रभावित नहीं हैं। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। मेरी प्रार्थना है कि देश की बाढ़ स्थिति पर पूरी चर्चा की जानी चाहिये। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्थगित किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय को सभा-पटल पर एक वक्तव्य रखना चाहिये। बाद में देश की बाढ़ की स्थिति पर पूरी चर्चा की जानी चाहिये।

**श्री पीलू मोदी** (गोधरा) : ध्यानाकर्षण सूचना में देश के अन्य भागों का उल्लेख है। अतः इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा देश में कहीं भी बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की जा सकती है। मेरी धारणा है कि केवल इसलिये कि केवल पांच सदस्य ही चर्चा कर सकते हैं, ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि वे केवल अपने राज्यों के बारे में ही कहेंगे। सदस्य सभी भागों में बाढ़ों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। निस्संदेह इससे बाढ़ों पर पूरी चर्चा हो सकती है। (**व्यवधान**)

**श्री एस० ए० शमीम** (श्रीनगर) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जानी चाहिये।

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को गृहीत करने लिये आपका कृतज्ञ हूं। किन्तु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बाढ़ों पर पूरी चर्चा की जानी चाहिये। कुछ राज्यों में बड़ी ही गम्भीर स्थिति है। (**व्यवधान**)

**श्री आर० बी० बड़े** (खरगोन) : कार्यमंत्रणा समिति में हम ने बाढ़ों पर चर्चा करने के लिये भी तिथि निश्चित करने का निर्णय किया था।

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया)** : मैं सभा के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझता हूं। यदि हम माननीय सदस्य को आगामी सप्ताह तक उसे स्थगित करने के लिये मना सकें, तो हम गुरुवार को बाढ़ों की स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं।

**Shri Sat Pal Kapur** (Patiala) : This calling attention should be discussed so that the problem may be highlighted.

**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का संबंध है, यह तो आ ही चुका है। मैं गत दो दिन पंजाब का दौरा करता रहा हूं। वहां बाढ़ की स्थिति बहुत ही गम्भीर है। मैं सदस्य होने के नाते यह चाहता हूं कि इस पर कुछ चर्चा हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आगामी सप्ताहों में किसी दिन शाम को लगभग $1\frac{1}{2}$ घंटा इस चर्चा के लिये समय निश्चित कर दिया जाये।

श्री पी० गंगादेव ।

**श्री पी० गंगादेव** : श्रीमान्, मैं सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

**"जम्मू काश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य भागों में हाल की भीषण बाढ़ के कारण हुआ भारी विनाश।"**

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव)** : यह वक्तव्य बहुत लम्बा है, क्या मैं इसे पढ़ूं या इसे सभा-पटल पर रख दूं ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं।

**डा० के० एल० राव** : राज्य सरकारों से 20 जुलाई तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर देश में बाढ़ स्थिति पर एक विवरण 24 जुलाई को सभा-पटल पर रखा गया था। इसके पश्चात् मानसून विशेषतः समस्त उत्तरी भारत में सक्रिय हो गया। 8 अगस्त को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान वर्षापात असम और निकटवर्ती राज्यों, पंजाब तथा जम्मू व कश्मीर में सामान्य से काफी अधिक रहा 15 अगस्त को समाप्त होने वाले सप्ताह में मानसून विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में जहां पर वर्षा-पात सामान्य से आठ गुणा था और पंजाब में सामान्य से दुगना था, बड़ा तेज रहा। उत्तर प्रदेश के भागों में भी भारी वर्षापात हुआ। इसके परिणामस्वरूप बाढ़ से असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में काफी क्षति पहुंची और/अथवा जन हानि हुई। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर इन राज्यों में बाढ़ स्थिति संक्षेप में निम्नलिखित है :

**असम**

ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों में, जो कि जून के अंत में चेतावनी स्तर से नीचे आ गई थीं, जुलाई के अंतिम सप्ताह में फिर से बाढ़ें आ गई, जोकि अगस्त के प्रथम सप्ताह तक रहीं। ब्रह्म-पुत्र नदी डिब्रुगढ़, नियामाटी, गौहाटी और धुवरी में चेतावनी स्तर को पार कर गईं। यह चेतावनी स्तरों से लगभग 60 से 80 सैंटीमीटर अधिकतम स्तरों तक पहुंच गईं। पगलाडिया और मनास भी चेतावनी स्तरों से क्रमशः 25 सैंटीमीटर और 87 सैंटीमीटर तक ऊंची हो गईं।

बाढ़ों से लगभग समस्त ब्रह्मपुत्र घाटी प्रभावित हुईं। धोमाजी, जोरहाट, गोलाघाट, नवगांग और मरीगोआं उपमंडल बुरी तरह प्रभावित हुए। धोमाजी उपमंडल में मुख्य ब्रह्मपुत्र तटबंध में एक दरार आ गई और सहायक नदी तटबंधों में चार दरारें आ गईं। नवगांग मण्डल में सिलघाट जोखोलाबंध सड़क टूट गई। नई प्रतिरोपित धान की विशिष्ट फसल और जूट की फसल को भी क्षति पहुंची। प्राथमिक प्राक्कलन से पता चलता है कि 17000 हैक्टेयर से ऊपर फसलें क्षतिग्रस्त हुईं। 9 लोगों की जानें गईं। राज्य सरकार द्वारा हाल की बाढ़ों के कारण क्षति विस्तृत मूल्यांकन बाढ़ों के पूर्णतः उतर जाने के पश्चात् किया जाएगा।

अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के चेतावनी स्तरों से नीचे हो जाने के साथ-साथ बाढ़ स्थिति में सुधार हो रहा है।

सहायता कार्य जारी है। अनुग्रह-पूर्वक सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा 23 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। क्षति का मूल्यांकन करने और राहत तथा मरम्मत कार्यों के लिए अपेक्षित सहायता की सीमा निर्धारित करने के लिए एक केन्द्रीय दल प्रतिनियुक्त करने के लिए अनुरोध किया गया है और केन्द्रीय दल के शीघ्र राज्य का दौरा करने की संभावना है।

**हिमाचल प्रदेश**

बाह्यक्षेत्र में भारी वर्षा से नालागढ़ उपमण्डल के सिरसा नाला और इसकी उप-शाखाओं में 25 जुलाई को भारी बाढ़ें आईं, जिसका किनारों पर रहने वाले लोगों को आभास भी नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 168 पनचक्कियां बह गईं और 187 परिवार प्रभावित हुए। 24 लोगों की जानें गईं। राज्य सरकार ने उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को जिसके रोजी कमाने वाले सदस्य की जान गई है, 1100 रु० और पनचक्की मालिकों के प्रत्येक परिवार को 500 रु० अनुग्रह-पूर्वक राहत स्वीकृत की। 34000 रुपये की धनराशि राहत उपायों पर खर्च की गई। घरों के लिए आर्थिक सहायता की भी

व्यवस्था की जा रही है। भविष्य में ऐसी विपदाओं के कारण क्षति को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उपाय किए जा रहे हैं।

**जम्मू और कश्मीर**

5 और 9 अगस्त के मध्य जेहलम, चिनाव और तवी के जल-ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण इन नदियों में काफी बड़ी बाढ़ें आई थीं। संगम में जेहलम नदी में बाढ़ 1959 के पिछले सबसे अधिक रिकार्ड से लगभग 4 सैंटीमीटर अधिक थी। कंडीझाल के प्रतिप्रवाह की ओर जेहलम तटबंध में एक दरार पड़ गई जिसके कारण कृषि क्षेत्र जलप्लावित हो गए और राजपथ पर संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई। बूलर झील में पानी बढ़ जाने से उसके आस-पास के कृषि क्षेत्र प्रभावित हुए। अनंतनाग और बारामूला के जिले सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए। यह एक अच्छी बात थी कि बाढ़ें आने के समय बूलर झील में जल का स्तर निम्न था। जम्मू में तवी, चिनाव और रावी में आई बाढ़ों ने सिंचाई कार्यों तथा सड़कों को क्षति पहुंचाई। सड़क संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी। चिखनोर क्षेत्र में चिनाव के प्रभाव में कुछ परिवर्तन हुआ जिसमें कृषि योग्य भूमि बालू से भर गई। सिंचाई और सड़क कार्यों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। 64 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई जिनमें से 42 जम्मू क्षेत्र में अधिकतर मकानों के गिर जाने से हुई।

राज्य सरकारों ने सेना प्राधिकारियों की सहायता से बचाव और राहत उपाय किए। सेना के हैलीकोप्टरों को असहाय संकटग्रस्त लोगों को निकालने तथा खाद्य सामग्री डालने के लिए भी उपयोग किया गया था। किए गए तथा प्रस्तावित राहत कार्यों के अंतर्गत 400 रुपये से 1000 रुपये तक की गृह निर्माण सहायता मृत व्यक्तियों के परिवारों को 500 से 2000 रुपये तक अनुग्रह-पूर्वक सहायता और निःशुल्क राशन की सप्लाई तथा चिकित्सा व्यवस्था का प्रावधान भी शामिल है। 14 और 17 अगस्त के बीच एक केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया।

अद्यतन सूचना के अनुसार नदियों में बाढ़ें कम हो रही हैं।

**पंजाब**

सतलज और उसकी सहायक नदियों तथा रावी और व्यास नदियों में अगस्त के द्वितीय सप्ताह में बहुत अधिक बाढ़ें आईं। मैदानों में हुए भारी वर्षापात से स्थिति और अधिक गंभीर हो गई थी। लुधियाना डिवीजन में सतलज से धुसी बंध लगभग एक किलोमीटर की लम्बाई में कट गया जिसके परिणामस्वरूप 5 गांव बाढ़ ग्रस्त हो गये। चक बडाला गांव के निकट धुसी बांध में एक अन्य दरार पड़ गई थी। नरोत जयमल सिंह और पामा हाजिउ के निकट बाढ़ सुरक्षा तटबंध रावी में आई बाढ़ों से बह गए जिसके कारण गुरदासपुर डिवीजन में 30 गांव असहाय हो गए थे। बाढ़ों और जल निकास संकुचन कुल मिलाकर 510 गांव प्रभावित हुए। 13 व्यक्तियों की जानें गईं।

राज्य सरकार ने सेना प्राधिकारियों की सहायता से 17000 से अधिक असहाय संकटग्रस्त व्यक्तियों को निकालकर अधिक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया तथा उन्हें राहत कैम्पों में रखा गया। प्रत्येक क्षतिग्रस्त मकान के लिए 75 से 300 रुपये तक का गृह-निर्माण का अनुदान, 75 रुपये से लेकर 450 रुपये तक पशु अनुदान तथा रोजगार कमाने वाले मृत्यु-ग्रस्त व्यक्तियों के परिवारों के लिए 1500 रुपये की दर से विशेष अनुदान दिया जा रहा है। चारा सहायता भी दी जा रही है। राहत उपायों के लिए राज्य सरकार द्वारा 20.5 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

तटबंधों में हुई दरारों को भरना आरंभ कर दिया गया है और इस कार्य में सेना सहायता कर रही है। बाढ़ें कम हो रही हैं और प्रभावित क्षेत्रों में काफी सुधार हो रहा है।

**उत्तर प्रदेश**

जुलाई के अंतिम सप्ताह में गंगा, रामगंगा और यमुना में बाढ़ों से अनेक पश्चिमी जिले प्रभावित हुए। मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, बरेली, और बदाऊं जिले सर्वाधिक प्रभावित हुए । जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त के प्रथम सप्ताह में घागरा और राप्ती में आई बाढ़ों से गोरखपुर, फैजाबाद, बस्ती, बालिया और बाराबंकी जिले प्रभावित हुए। पहाड़ों में भारी वर्षा से टिहरी, पिथोरागढ़ और चमोली जिलों में क्षति पहुंची। बाढ़ों द्वारा 41 लाख की जनसंख्या प्रभावित हुई । 45 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । इनमें घर गिरने और भू-स्खलनों से 20 मृत्यु हुईं।

रामगंगा परियोजना में बाढ़ ऋतु के दौरान विद्युत-घर और पैनस्टाक पर कार्य चालू रखने को सुविधापूर्वक बनाने के लिए विद्युत्-घर और स्टिलिंग बेसिन को अलग करने हेतु 8 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण 25 जुलाई तक पूर्ण कर लिया गया था। तत्काल ही एक रिटायरड बांध को बनाया गया परन्तु विद्युत्-घर क्षेत्र में जल-स्तर के बढ़ाने के फलस्वरूप उसमें भी दरार आ गई थी । बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से व्यक्तियों और उपस्कर को निकालने के लिए परियोजना प्राधिकारियों द्वारा बचाव उपाय किए गए थे। तदनुसार कोई जन-हानि नहीं हुई और अधिकांश उपस्कर को सुरक्षित स्थान में पहुंचा दिया गया । जल-स्तर के कम हो जाने के बाद प्रभावित क्षेत्र के एक बांध के द्वारा, जिसका निर्माण 7 अगस्त को पूरा हो गया था, अलग कर दिया गया । पानी को निकालने के लिए प्रबंध किए गए हैं और आशा है कि विद्युत्-घर में स्क्रौल केस और पैनस्टाक पर कार्य आरंभ करने के लिए सामान्य स्थितियां अगस्त के अंत तक बहाल हो जाएंगी

बरेली जिले में 10 अगस्त की रात्रि को बेगुल बांध में पाईपिंग दिखाई दी थी और बांध के लगभग 46 मीटर में धसान के लक्ष्य दिखाई दिए । एक दरार दिखाई दी थी । प्रभावित लम्बाई में एक रिंग बांध बनाने के लिए तत्काल उपाय किए गए थे जिसके कारण निस्यन्द (सोपेज) को कम करने में सहायता मिली । 12 अगस्त तक स्थिति पर काबू पा लिया गया था ।

बड़ी गंडक द्वारा कटाव के कारण 15 अगस्त को पिपरासी के निकट बिहार बांध में संभावित दरार ने देवरिया जिले के क्षेत्र को भयभीत किया । एक ठोकर बुरी तरह प्रभावित हुई और उसका अग्रभाग का लगभग 25 मीटर कट गया । ठोकरों को ठीक करने के लिए तत्काल कार्यों का प्रबंध करने के लिए अध्यक्ष गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को स्थल पर भेजा गया था । यह सूचित किया गया है कि कार्य बिहार के अभियंताओं द्वारा उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की सहायता से जिन्होंने बितौनी क्षेत्र से पत्थरों के आरक्षित भंडार को उपलब्ध किया, प्रारंभ किया गया है। स्थल पर जल-स्तर नीचे चला गया है जिसके कारण तत्कालिक कार्यों को क्रियान्वित करने में मदद मिली।

राज्य सरकार ने मुरादाबाद, रामपुर और चमौली जिलों में बचाव और सहायता कार्यों में सेना की सेवाएं प्राप्त कीं।

अद्यतन रिपोर्टों से पता चलता है कि अधिकांश सभी नदियों में बाढ़ें उतर रही हैं और स्थिति में सुधार हो रहा है।

**बाढ़ क्षति**

उपर्युक्त राज्यों में तथा देश के अन्य भागों में बाढ़ों द्वारा हुई क्षति का विस्तृत मूल्यांकन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है । अब तक प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि 54 लाख हैक्टेयर क्षेत्र जिसमें 15 लाख हैक्टेयर फसली क्षेत्र शामिल है और 99 लाख की जनसंख्या प्रभावित हुई, 238 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। कुल क्षति लगभग 46 करोड़ रुपये है जिसमें से फसल की क्षति लगभग 38 करोड रुपये की है ।

राज्यवार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

**1973 के दौरान बाढ़ क्षति का विवरण** (19-8-1973 तक सूचित)

| राज्य का नाम | प्रभावित क्षेत्र लाख है० में | प्रभावित जनसंख्या लाखों में | फसलों की क्षति | | मकानों की क्षति | | पशु हानि संख्या | मृत व्यक्ति सं० | जन-सम्पत्तियों की हानि लाख रुपए | फसलों, मकानों और जनसम्पत्तियों की कुल हानि (कालम 5-7-10) लाख रु० में | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | क्षेत्र लाख है० में | मूल्य लाख रुपयों में | सं० | मूल्य लाख रु० में | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. असम | 24.4 | 21.1 | 1.9 | 1131.0 | 21523 | 30.4 | 1053 | 15 | 1.3 | 1163.2 | |
| 2. बिहार | 2.9 | 14.9 | 1.7 | 107.4 | 658 | मू०न० | 27 | 3 | मू०न० | 107.4 | |
| 3. गुजरात | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 14.9 | 1278 | 4.7 | 700 | 10 | 26.5 | 46.1 | |
| 4. हिमाचल प्रदेश | नगण्य | — | — | 3.0 | 187 | मू०न० | 33 | 24 | 8.0 | 11.0 | |
| 5. जम्मू और काश्मीर | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 500.0 | 12000 | मू०न० | 10000 | 64 | 450.0 | 950.0 | |
| 6. केरल | मू०न० | मू०न० | 0.1 | 68.4 | 2648 | 6.7 | मू०न० | 31 | 208.4 | 283.5 | |
| 7. महाराष्ट्र | नगण्य | 0.2 | नगण्य | नगण्य | 738 | 1.9 | 240 | 14 | 1.7 | 3.6 | |
| 8 मध्य प्रदेश | 1.0 | 0.5 | नगण्य | 3.3 | 279 | 0.8 | 3 | कुछ नहीं | नगण्य | 4.1 | |
| 9. उड़ीसा | 6.7 | 11.8 | 2.2 | 7.00 | 14815 | 9.0 | 3426 | 10 | 5.8 | 21.8 | अपूर्ण मूल्यांकन |
| 10. पंजाब | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 62.0 | 8101 | मू०न० | 5 | 13 | मू०न० | 62.0 | |
| 11. त्रिपुरा | 0.3 | 5.0 | 0.3 | 1159.2 | 10393 | मू०न० | मू०न० | 9 | मू०न० | 1159.2 | |
| 12. उत्तर प्रदेश | 15.7 | 41.0 | 8.5 | 644.2 | 47400 | 58.2 | 54 | 45 | मू०न० | 702.4 | |
| 13. प० बंगाल | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 64.0 | 3505 | 4.4 | 9 | मू०न० | 0.6 | 69.0 | |
| योग | 53.9 | 99.3 | 15.0 | 3764.4 | 123525 | 116.1 | 15550 | 238 | 702.8 | 4583.3 | |

मू० न०—मूल्यांकन नहीं

मृत व्यक्तियों में वह संख्या भी शामिल है जिनकी मृत्यु बिजली गिरने, भूस्खलनों तथा मकानों के गिरने के कारण हुई है ।

**श्री पी० गंगादेव :** मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को, जो बहुत ही लम्बा है, पढ़ लेने के पश्चात् मैं बाढ़ों की व्यापकता की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बाढ़ों के कारण प्रभावित लोगों को राहत देने का उत्तरदायित्व समाज और सरकार पर है। प्रतिवर्ष देश के किसी न किसी भाग में बाढ़ों से काफी कठिनाई होती है और सम्पत्ति की क्षति होती है। बाढ़ों से प्रतिवर्ष 60 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है और प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि बाढ़ों अथवा सूखे का प्रकोप सदैव बना ही रहता है।

चालू मानसून में काश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रायः सभी राज्यों में बाढ़ें आयी हुई हैं। इन बाढ़ों को रोकने के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा क्या किया गया है ?

आज के समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि राजस्थान में पुल वह गये हैं और गाड़ी भी घिर गयीं है और यात्री हेलीकोप्टर द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

यदि सीमेंट की पर्याप्त मात्रा निर्माण कार्य के लिये दी गयी होती, तो बांध आदि नष्ट न हुए होते। और क्या यह समय यह सुनिश्चित करने का नहीं है कि बाढ़ संरक्षण के लिये निर्माण कार्य की अधिक प्रभावी ढंग से देख-रेख हो ताकि कर दाताओं का धन ठेकेदारों और भ्रष्ट अधिकारियों की जेबों में न जाये ?

अब मैं एक अन्य पहलू का उल्लेख करता हूं जो बाढ़ पीड़ितों को राहत के सम्बन्ध में है मैंने अपने राज्य उड़ीसा में सूखा बाढ़, और तूफान की विभीषिकाओं को देखा है। आजकल जम्मू तथा कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बाढ़ों के प्रकोप से लाखों व्यक्तियों के कष्टों में इजाफा हुआ है। अतः आजकल बार-बार बाढ़ आना अधिकारियों के लिये अपेक्षित मात्रा में नदी प्रशिक्षण कार्य आरंभ करने के लिये पर्याप्त कारण है। राष्ट्रीय स्तर पर राहत प्रदान करने के लिये समन्वित प्रयासों के लिये एक ऐसी केन्द्रीय एजेन्सी होनी चाहिये जो इन प्रयासों के लिये उत्तरदायी हो। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से कुछ बातें जानना चाहूंगा : बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिये किन-किन दीर्घावधि उपायों पर सरकार ने विचार किया है ? अमरीका जैसे बहुत से देशों को, जिन्होंने बाढ़ नियंत्रण के प्रभावी ढंग विकसित किये हैं, ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने उस विदेशी तरीकों का अध्ययन किया है, यदि हां, तो उन्हें हमारे देश में क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

**डा० के० एल० राव :** वर्ष 1954 से सरकार बाढ़ नियंत्रण के उपाय करती आ रही है और जहां तक संभव हुआ है उनमें थोड़ी सफलता भी मिली है। फिर भी इस दिशा में अभी बहुत काम करना होगा। माननीय सदस्य ने दीर्घावधि उपायों के बारे में पूछा है। बहुत से दीर्घावधि उपाय किये गए हैं। उड़ीसा का ही उदाहरण लीजिए। कटक डेल्टा पर हीरा कुंड बांध बना कर और वहां जल एकत्र कर के बाढ़ से संरक्षण दिय गया है। इसी प्रकार हम ब्राह्मणी और बेतरणी पर नियंत्रण करने के उपाय कर रहे हैं। हमने रेंगाली बांध के लिये एक परियोजना को मंजूरी दी है। इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में दीर्घावधि उपाय किये जा रहे है। माननीय सदस्य ने एक प्रश्न कार्मिकों के बारे में पूछा है। हमने एक अच्छा संगठन विशेषकर गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन में बनाया है। एक चीफ इंजीनियर और एक सदस्य, जो बाढ़ नियंत्रण का प्रभारी होगा इन मामलों की जांच करेंगे। भारत में बहुत-सी नदियां हैं और इन उपायों को सभी नदियों पर लागू करने में 10-20 वर्ष और लगेंगे।

**Shri S. A. Shamim** (Srinagar) : The purpose of this Call Attention Notice was to secure information regarding the situation created by floods in the country in general and in the State of Jammu and Kashmir in particular, but the hon. Minister has not been able to furnish even as much information as has been already published in the Newspapers or as has been collected by me privately. He has not cared to gather it from the State authorities as to how much loss and damage has been done to roads, houses and crops; neither there is any estimate in this behalf. It is wrong to say that Baramula has been affected most. On the other hand, Anantnag and Srinagar are the worst sufferers.

To add to the knowledge of the hon. Minister, let me state that about 1,10,000 acres of land has been affected by flood, of which 80 per cent is irrigated land. All the standing crops have been ruined. It was the worst ever flood since 1903.

It is very surprising that not even the number of villages affected by the floods in Srinagar has been mentioned by the Government. As per the information cited by the Newspapers and also the Chief Minister of the State, more than 1000 villages have been hit by the floods and 75 lives lost. The Government had come to know that there would be very disastrous floods in the State but even then they did not take appropriate steps. The House was kept completely in dark about the damage and loss as a result of floods. According to an estimate, about 12,000 houses collapsed rendering more than 50,000 families homeless. There has been a loss to the tune of Rs. 5 crores. This time the floods came in the month of August and the affected people will have no food for the next six months. Thus there is every danger of famine in those areas. The Central Government has not indicated as to what steps they would take to remedy the situation. On the other hand, they continue to praise the State Government for the efforts made by the latter. But let me quote Newspaper 'New Wave' of August 19, 1973 to show what the State Government did in this behalf :

"What is shocking is that even when the threat of floods became imminent the authorities did not put the administrative machinery on a war footing. An operational headquarters was set up only after the rivers in spate had risen above the danger levels. The authorities confess that this time the danger of floods could have been at least partially foreseen since the weather office had given ample warnings. But no precautionary measures were taken till the damage had been done.

Not only that.

"At the ministerial level, fairly elaborate plan had been drawn up to meet the contingency, but these were not implemented.

* * * *

"These distressed victims were seen demonstrating against the government in most of the affected areas. On the bundh a chinar tree was falling on a houseboat. Its owner was crying for help but no official would come forth."

Then the Editorial goes on today :

"It was a sight to see officials making merry in the operational room when Srinagar city itself was confronted with a serious flood threat. The room looked

like a recreation hall, with officials relating and sipping tea as if nothing serious had happened."

Some engineers were seemingly rejoicing perhaps on the fact that the government would make generous allocations for relief works from which they would have their usual cut. Incidentally, in Kashmir, engineers have acquired such notoriety for their corrupt practice. It is hard to find an engineer here who does not own a car and property worth lakhs of rupees."

The most distressing thing was that rescue teams and supplies were rushed immediately to only those areas which had very influential MLAs.

To quote one instance;

"Another factor that hampered efficient execution of relief and rescue operations was string-pulling by politicians in power. Relief agencies would rush to a place from where a minister or an influential MLA hailed. The result was that the worst affected areas were given less or no attention. For instance, of the 180 boats meant for Srinagar district, about 50 were sent to Lasjan, a minister's village which had yet to see flood waters. As against this, no boat was pressed into service in Quarwari, a suburb of Srinagar even when people there were fleeing for shelter".

The hon. Minister here is singing the praise of the State Government whereas the saviours were either the Jawans of our army or many other individuals; but he has made little mention thereof.

Though ration is being given on subsidised rates in the flood affected areas but people there have no purchasing power at the moment. What steps do the Government propose to taken in this behalf ? Also, I want to know as to what measures are proposed to be take to ensure that flood protection works prove effective and that the allocations made therefor are utilised appropriately ?

May I know whether the State Government has made any request to the Centre to help in compensating and making up this loss of Rs. 5 crores ? It is very painful to note that the Prime Minister has sanctioned only Rs. one lakh against a loss of Rs. 5 crores. This shows that the Central Government are having no estimate or knowledge of actual loss in the State.

Besides, huge stocks of wood have been washed away into Pakistan by floods. May I know whether any talks are being held with them for the recovery of that wood ?

I would like to know the various schemes prepared by the Government in respect of flood protection. What steps are being taken to instal Warning Machinery in various flood-prone areas ?

**डा० के० एल० राव**: विवरण में दी गई जानकारी राज्य सरकार की ओर से प्राप्त जानकारी के आधार पर दी गई है । हम समाचार पत्रों पर आधारित नहीं बाद के सरकारी स्रोतों पर आधारित जानकारी देते हैं ।

इस विवरण में बताया गया है कि जम्मू व कश्मीर में लगभग 9 1/2 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। इसी प्रकार जन तथा सम्पत्ति की हानि का विवरण भी इस में दिया गया है। हमारी सूचना के अनुसार 64 मौतें हुई हैं और हमें इतनी जन हानि पर बहुत ही खेद हुआ है। परन्तु यह भी याद रखना है कि अबकी बार श्रीनगर में तथा जम्मू घाटी में सामान्य से कई गुणा अधिक वर्षा हुई है। लोगों की मृत्यु नदियों में बह जाने से नहीं बल्कि मकानों के नीचे दबकर मरने से हुई है। अतः यह मामला गृह निर्माण संबंधी है कि बाढ़ अथवा वर्षा से सुरक्षित रहने वाले मकान कैसे बनाये जाने चाहियें।

मुझे प्रसन्नता है कि जम्मू व कश्मीर के लिये किये गये बाढ़ सुरक्षा उपाय बड़े ही सफल रहे हैं। पहला कार्य तो श्रीनगर तक एक दर्रा बनाने का है ताकि नगर में पानी प्रवेश न कर सके जैसा कि पहले हो जाया करता था। इसी प्रकार वूलर लेक के नीचे भी कार्य आरंभ किया गया है। वहां हमने झेलम नदी में इस पुल की जल निकास क्षमता को बढ़ाकर 25,000 क्युसैक कर दिया है और हम इसे 40,000—50,000 क्यूसैक तक करना चाहते हैं। आज ऐसा न होता तो बारामूला तथा अन्य क्षेत्रों को और भी अधिक नुकसान होता।

राज्य सरकार को राहत देने के बारे में एक केन्द्रीय दल राज्य में गया था और हम उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा में हैं। उसके प्राप्त होने के बाद हमें आशा है कि वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग राहत कार्यों के लिये अपेक्षित निधि देंगे।

**श्री पी० एम० मेहता** (भावनगर) : मंत्री महोदय के वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि बाढ़ तो दैवी प्रकोप से आती है और यह सरकार के नियंत्रण से बाहर की बात है।

इस देश में प्रतिवर्ष नियमित रुप से बाढ़ और अकाल की विभिषिकायें आती हैं और वर्ष प्रतिवर्ष उससे होने वाली क्षति में वृद्धि ही होती जा रही है। वर्ष 1953 से 1968 के बीच बाढ़ से 70 करोड़ रुपये की औसत क्षति हुई थी जबकि वर्ष 1972 में 627 करोड़ रुपये की क्षति हुई। इससे सिद्ध होता है कि बाढ़ों पर नियंत्रण के सभी प्रकार के आयोजन असफल रहे हैं। उपरोक्त क्षति का सबसे बड़ा कारण राज्यों में चेतावनी देने की व्यवस्था तथा बाढ़ों की पूर्वानुमान व्यवस्था का न होना है। इसके फलस्वरूप लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, कितनी ही सम्पत्ति का विनाश होता है तथा अनेक पशुओं तथा लोगों की जानें जाती हैं। संचार व्यवस्थाओं तथा अनिवार्य सेवाओं के अस्त-व्यस्त हो जाने से बाढ़ के पश्चात भी लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। सरकार थोड़ा बहुत सुरक्षा और राहत व पुनर्वास का अभियान चलाकर संतुष्ट हो जाती है। मंत्री महोदय ने 10 वर्ष के लिये 540 करोड़ रुपये की बाढ़ नियंत्रण योजना बनाई है अर्थात प्रतिवर्ष सारे देश के लिये केवल 54 करोड़ रुपया। मैं जानना चाहूंगा कि क्या हाल ही में बाढ़ग्रस्त हुए राज्यों में कोई कमी हुई है अथवा क्या राज्यों ने योजनानुसार अपनी-अपनी परियोजनाओं को कार्यान्वित कर दिया है और क्या उन्हें अपेक्षित सहायता दी गई थी ?

गुजरात में हाल ही में अतिवृष्टि हुई थी और अब वह बाढ़ग्रस्त हुआ है तथा वहां 46 करोड़ रुपयं की क्षति हुई है। अतिवृष्टि के समय केन्द्र ने गुजरात को 14 करोड़ रुपया दिया था और कहा था कि वर्ष 1973-74 में उसे और कोई राशि नहीं दी जायेगी। अब फिर गुजरात बाढ़ग्रस्त है तथा वहां क्षति का सही अनुमान लगाने के लिये पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बाढ़ से संतप्त होने वाले क्षेत्रों में चेतावनी यंत्र लगाये गये हैं तथा क्या उक्त प्रणाली ठीक से कार्य कर रही है। दूसरे क्या बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये दी गई धनराशि का राज्य सरकार ने पूरी तरह उपयोग किया है ?

नर्मदा नदी संबंधी विवाद के कारण इस पर बनाये जाने वाले बांधों का निर्माण कार्य रुका पड़ा है जिसके फलस्वरूप गुजरात के लोगों को क्षति उठानी पड़ रही है। मंत्री महोदय इस संदर्भ में क्या उपाय कर रहे हैं?

**डा० के० एल० राव** : चेतावनी प्रणाली अर्थात बाढ़ की पूर्वसूचना देने वाली प्रणाली ठीक से कार्य कर रही है। इसके फलस्वरूप बहुत सी जानें बची हैं। जिन मौतों के समाचार मिले हैं वे अधिकांशतया भूस्खलन, मकानों के गिरने तथा बिजली गिरने आदि के कारण हुई हैं। इसका एकमात्र हल अच्छे मकानों का निर्माण करना है। राज्य सरकारें बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये दिये गये धन का पूरी तरह उपयोग करती रही हैं तथा तत्संबंधी कार्यों में उनकी रुचि है। पांचवीं योजना में भी हमने बहुत बड़ी धनराशि बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये रखी है। गुजरात में ताप्ती नदी की बाढ़ को उकाई बांध द्वारा नियंत्रित किया गया है। मेरा विचार है कि नर्मदा नदी पर भी इसी प्रकार के बांधों से उस क्षेत्र में बाढ़ पर काबू पाया जा सकेगा।

**Shri Satpal Kapur** (Patiala) : The statement of the hon. Minister was very lengthy and was not correct. The loss of lives and cattle and the estimate of the damage caused to property given by the Government is not correct. I want to know the manner in which it has been calculated.

Last year, the total loss to property in my district was Rs. 26 crores, whereas the government gave a relief of Rs. 3 crores only. That amount too has not been spent so far.

We have been trying to construct the in dam there to control floods. It was stated by the Centre last year that that dam would be constructed by the State concerned. An immediate decision should be taken in this regard—because Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Rajasthan are the worst sufferers from floods every year.

The Government had prepared a scheme for the construction of Ghaggar dam. But that scheme is still lying in the cold storage. The problems of floods and irrigation should be considered seriously. The Government spends crores of rupees on relief measures, but it is no solution of the problem. The proper solution is to make arrangements for the control of floods. The Government should look into this matter so that the people of Punjab may live without difficulty.

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव)** : थीन बांध का बाढ़ से कोई संबंध नहीं है। थीन बांध एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और हम इसके निर्माण के लिये उत्सुक हैं। चूंकि बांध के निर्माण कार्य पर आठ वर्ष लगेंगे अतः हम इस पर शीघ्र कार्य आरम्भ करना चाहते हैं। सिंचाई मंत्रालय ने उक्त परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यक तकनीकी स्वीकृति दे दी है।

इस सम्बन्ध में मंत्रालय बहुत उपयोगी कार्य कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पंजाब सरकार इस कार्य को बहुत अधिक महत्व दे रही है और इसने पांचवीं योजना में इसके लिये 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

**श्री एम० एम० बनर्जी** (कानपुर) : इंदौर और भोपाल में अनाज के सिलसिले में दंगे हुए हैं। कानून और व्यवस्था का मामला राज्य सरकार का विषय है। अनाज की समस्या का समाधान करने की बजाये सरकार लोगों पर गोली चला रही है। माननीय मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए कहूंगा।

**Shri Madhu Limaye** (Banka) : There is President's rule in Uttar Pradesh. Thousands of people have been arrested there under D.I.R. It was assured that D.I.R. would not be used against political opposition. The hon. Minister should make a statement in this regard.

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gwalior) : The Government has enacted an Act to punish a person insulting the National flag, but when thousands of persons tried to unfurl the national flag in Himachal Pradesh, they were arrested and the national flag was torn. The Lok Sabha should discuss that matter.

**श्री विक्रम महाजन** (कांगड़ा) : सरकार से अनुमति प्राप्त किये बिना रिज पर कोई जुलूस अथवा सभा नहीं की जा सकती। इस संबंध में कोई अनुमति नहीं ली गई थी और कानून का उल्लंघन किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ा नहीं गया था और ना ही उसका अपमान किया गया था।

---

## संसद भवन में रेलवे कैंटीन के बारे में

### RE: RAILWAY CANTEEN IN PARLIAMENT HOUSE

**श्री पीलू मोदी** (गोधरा) : मैं नियम 377 के अंतर्गत बोलना चाहता हूं। समाचार पत्रों में संसद को बदनाम करने का अभियान चल रहा है। अतः यह आवश्यक है कि संसद् में इस विषय पर चर्चा हो।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री वयालर रवि को नियम 377 के अन्तर्गत पहले ही बोलने की अनुमति दे चुका हूं।

**Shri Madhu Limaye** : The main problem is that there is lack of supervision over the managing committee of the Railway Canteen. There are serious irregularities in the accounts of the Canteen. I came to know from reliable sources that the reported loss of 4 lakhs will be reduced by Rs. 50,000 and if the prices are increased there would be no loss. I want to know why the Parliament should be brought to disrepute in this manner ? An enquiry committee should be appointed in this regard.

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी जांच करूंगा।

**श्री पीलू मोदी** : हम विशेषाधिकार नहीं चाहते लेकिन हमें संसद् में सेवाओं की आवश्यकता होती है और उनका व्यवस्था कम मूल्य पर की जानी चाहिए। इस संबंध में एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये जिसमें संसद् सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिये। इस समिति को इस बारे में प्रकाशित रिपोर्ट की जांच करनी चाहिये और भविष्य में इस प्रकार के घोटालों को रोकने की व्यवस्था करनी चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों से इस बारे में पूर्णतया सहमत हूं कि यह बहुत गंभीर मामला है। मैं इस मामले की जांच करूंगा और इस बारे में जांच करने के लिये एक छोटी समिति नियुक्त करूंगा। मैं इस बारे में माननीय सदस्यों से विचार विमर्श करूंगा। (**व्यवधान**)

**श्री श्याम नन्दन मिश्र** (बेगुसराय) : जब कभी ऐसे समाचार समाचार-पत्रों में प्रकाशित हों तो इस संबंध में संसद् में एक वक्तव्य जारी किया जाना चाहिये जिससे जनता को वास्तविक स्थिति का बोध हो सके।

इससे न केवल संसद् सदस्यों को लाभ होता है बल्कि कर्मचारियों को भी लाभ होता है।

**श्री पीलू मोदी** : समिति ने संसद् के उच्चपदाधिकारियों द्वारा दिये गये विशेष भोज का ब्यौरा मांगा था। इस बारे में बहुत ऊँचे आंकड़े दिये गये थे जिससे कैन्टीन का लाभ बहुत कम रह गया था। रेलवे के उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये भोज के बारे में समिति द्वारा मांगी गई व्यंजन सूची को उत्तर रेलवे ने सप्लाई करने से इंकार कर दिया।

दिल्ली-मुगलसराय के बीच चलाये जाने वाले भोजनयान की प्रतिदिन की बिक्री 900 रुपये है। एक गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा जन कल्याण की भावना से इसको चलाने से यह बिक्री 2000 रुपये हो गई। अतः इन दोनों के अन्तर को रेलवे अधिकारी हजम कर जाते थे।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस संबंध में एक छोटी समिति नियुक्त करूंगा।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : हमें सुविधायें चाहियें। हमें संसद् में काम करना होता है। यह किसी दल विशेष का मामला नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे प्रसन्नता है कि इस बारे में किसी दल विशेष का मामला नहीं उठाया गया है।

---

# नियम 377 के अधीन मामला
## MATTER UNDER RULE 377

### केरल में बैंकों का काम न करना

**श्री वयालर रवि** (चिरयिंकिल) : केरल राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वहां बैंक तथा विशेष रूप से निकासी गृह काम नहीं कर रहे हैं। वहां अब स्थिति यह है कि 30 से 40 करोड़ रुपये के चैकों का भुगतान नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार और वित्त मंत्री से इस बारे में अनेक शिकायतें की गई हैं लेकिन इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। या तो सरकार को कर्मचारियों की बात मान लेनी चाहिये या उसे कोई ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जिससे जनता के हितों की रक्षा की जा सके। इन चैकों का भुगतान किया जाना चाहिये और इन निकासी गृहों को यथाशीघ्र कार्य करने में समर्थ बनाना चाहिये।

**वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : निकासी गृहों का बन्द होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है लेकिन कार्मिक संघ निकासी गृहों पर दवाब डाल रहे हैं। यह मामला गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक से संबंधित है और उसका अपने कर्मचारियों से कोई विवाद है। श्रम मंत्रालय और उसके अधिकारी इस मामले पर

गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और रिजर्व बैंक आफ इंडिया से कहा गया है कि वह कर्मचारियों के साथ बातचीत आरंभ करें ।

**डा० हैनरी आस्टिन** (एरणाकुलम) : बातचीत आरंभ हुए लगभग दो महीने हो गये हैं। यदि कोई कारगर उपाय न किये गये तो स्थिति गंभीर रूप धारण कर लेगी। केरल में खाद्यान्न की भारी कमी है और इस कारण मूल्यों में वृद्धि हो गई है। मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जाये।

---

# सभा पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### आन्ध्र प्रदेश शहरी क्षेत्रों में खाली भूमि छूट नियम, 1972

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड-(ग) (तीन) के साथ पठित आंध्र प्रदेश शहरी क्षेत्रों में खाली भूमि (विक्रय-निषेध) अधिनियम, 1972 की धारा 9 की उपधारा (2) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश शहरी क्षेत्रों में खाली भूमि (छूट) नियम, 1972 की एक प्रति, जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या जी०ओ०एम० 878 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 5436/73]**

### आन्ध्र प्रदेश राज्य भाण्डागार निगम, हैदराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)**: मैं आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित भांडागार निगम अधिनियम 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश राज्य भाण्डागार निगम, हैदराबाद के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे सभा-पटल पर रखता हूं।

**[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5437/73]**

### आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा मोटर गाड़ी नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

**नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री एम० बी० राना)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा

133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) जी०ओ०एम० संख्या 496, जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून, 1973 में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा आंध्र प्रदेश मोटरगाड़ी नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(ख) जी०ओ०एम० संख्या 517, जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून, 1973 में प्रकाशित हुए थे और जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश मोटरगाड़ी नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०** 5438/73]

(2) (एक) उड़ीसा राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 3 मार्च, 1973 को जारी की गई उद्-घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तगत, उड़ीसा अधिसूचना सां०नि०आ० संख्या 602/73 की एक प्रति, जो उड़ीसा राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा उड़ीसा मोटर गाड़ी नियम, 1940 में कतिपय संशोधन कियें गये हैं।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०** 5439/73]

## भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास का वार्षिक प्रतिवेदन, 1971-72

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)**: मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता है।

**[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 5440/73]

---

# राज्य सभा से संदेश

## MESSAGES FROM RAJYA SABHA

**सचिव** : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:—

(एक) कि राज्य सभा ने 16 अगस्त, 1973 की अपनी बैठक में बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक 1973 पास किया है।

(दो) कि राज्य सभा ने 16 अगस्त, 1973 की अपनी बैठक में विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) संशोधन विधेयक, 1973 पास किया है।

---

# राज्य सभा द्वारा पास किये गये विधेयक

## BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

**सचिव** : मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये निम्नलिखित विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) बोनस भंदाय (संशोधन) विधेयक, 1973

(दो) विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) संशोधन विधेयक, 1973

---

# उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

## UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS BILL)

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं : —

"कि राष्ट्रपति को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने के विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

सभा को पता है कि राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में 13 जून, 1973 को उद्घोषणा जारी की थी। उसमें कहा गया था कि राज्य विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद् के प्राधिकार से किया जायेगा। संसद के दोनों सदनों का निर्धारित कार्य अत्यधिक होने के कारण राष्ट्रपति को उत्तर प्रदेश विधान मंडल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने का विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में एक परामर्शदात्री समिति गठित करने की व्यवस्था की गई है जिसमें संसद सदस्य शामिल होंगे। संसद् को संसद् द्वारा बनाई गई विधियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की भी शक्ति देने की व्यवस्था है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रपति को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने के विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

**श्री एस० पी० भट्टाचार्य** (उलुबेरिया) : यह बड़े दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश में शासक दल का बहुमत होने के बावजूद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है इसका कारण यह है कि हम मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, गरीबी आदि की समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ रहे हैं। संसद् को राष्ट्रपति शासन के कारणों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये जिससे अस्थिरता की स्थिति समाप्त हो और स्वतन्त्र भारत की यह संसद् राज्य की समस्याओं का वास्तव में समाधान कर सके।

**Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur)** : I support this Bill. The situation in Uttar Pradesh was getting deteriorated day by day. The Chief Minister has admitted this fact in his report submitted to the Governor. The backwardness of the state of Uttar Pradesh is increasing. The assistance given by the Central Government is much less keeping in view the population of the state. The handloom industry is facing crisis.

**अध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक का क्षेत्र सीमित है। यह एक तकनीकी मामला है। यह सामान्य वाद-विवाद नहीं है। हम पहले उद्घोषणा पर चर्चा कर चुके हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रपति को विधियां बनाने की शक्तियां दी जायें या नहीं।

**Shri Narsingh Narain Pandey** : The Advisory council likely to be constituted for Uttar Pradesh should pay special attention to our problems. I would like to point out that all the powers are vested in the District Magistrate according to the Financial Handbook. In fact they are so much busy with the file work that no attention is paid to the development of the state. I would suggest the Financial Handbook be changed and powers should be delegated to the elected council. District Councils should be set up which should consist of elected members and the Executive Councils should be delegated all the powers. The heads of the Departments should be the Secretaries of the councils and these secretaries should carry out all the business. We need extended democracy but not limited democracy. I welcome this Bill and suggest that all the laws be implemented at the district level.

**Dr. Govind Das Richhariya** (Jhansi) : I support this Bill. I would like to point out that per capital expenditure during the last five year plans has been lowest in Uttar Pradesh and this is the root cause of its backwardness. In view of this, I would request the Central Government to do justice with this State while finalising the Fifth Five Year Plan. Special attention should be paid towards Eastern Districts and hilly areas of Uttar Pradesh in order to living them at par with other parts of the state as well as the country.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER IN CHAIR]

Atomic power station has not been set up in Uttar Pradesh so far. This work should be expedited.

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे आशा है कि आप इन परामर्शदात्री समितियों में से एक समिति के सदस्य होंगे और आप इन सब बातों का वहीं उल्लेख कर देना।

**Shri Jharkhande Rai** (Ghosi) : Seven factors are responsible for the present state of affairs in Uttar Pradesh. They are non-implementation of land reforms, silence over the matter of nationalisation of sugar mills, student unrest, corruption, engineer's strike and last of all police revolt. The P.A.C. revolt was unprecedented in the history of free India. The Centre should conduct an enquiry into the causes of that revolt. It should also be enquired into as to whether any political party or ideology was behined this revolt. The Chief Secretary and Deputy Home Secretary should also have been removed from their present posts along with the U.P. Ministry. Some responsibility should have been put on I.G. and D.I.G. of Police. The arrested P.A.C. men should be freed and suppression activities should be stopped. D.I.R. should be used against anti-social elements and not against anti-Government people.

The President's rule cannot be a substitute for the popular Government. The Central Government should provide all facilities to the majority party in Uttar Pradesh for forming Ministry. If that is not possible, I will suggest that l egislative Assembly should be dissolved. I hope t he Central Government will do its duty.

**उपाध्यक्ष महोदय** : राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत कानून बनाने की शक्ति इस संसद को है हो सकता है संसद को समय न मिले, अत: इस विधेयक में यह मांग की गई है कि विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को दी जायें और वह इस सदन तथा दूसरे सदन के सदस्यों के परामर्श से ऐसा करेंगे। विधेयक का कार्यक्षेत्र इतना ही है । यदि आप लोग उत्तर प्रदेश में हो रही विभिन्न बातों का उल्लेख करना आरम्भ करेंगे तो यह सब असंगत होगा और इससे समय भी नष्ट होगा।

**Shri Madhu Limaye (Banka)** : I rise on a point of order. I want to draw your attention to Article 356 and 12. The Legislative Assembly of Uttar Pradesh has been suspended. We cannot discuss this Bill here unless the Legislative Assembly is dissolved.

In Article 356 of the Constitution, the expression "any body or authority in the state" has been used. I want to know whether it includes legislature ?

In Article 12, the definition of the State has been given. The word legislature has been used distinctly in this Article. It is, therefore, clear that the expression 'authority' does not include legislature. So long as legislature is there, we cannot deprive it of its right to enact laws. I want your ruling as to whether the expression 'body and authority' includes legislature or not. I also want to know whether it can be suspended or whether its rights can be taken over by the Parliament or not ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बल्कि संवैधानिक आपत्ति है। अत: इसका सभा के कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे। सभा द्वारा चर्चा के पश्चात् इस प्रश्न पर निर्णय दिया जायेगा।

अध्यक्षपीठ ऐसी संवैधानिक तथा कानूनी बातों पर निर्णय नहीं दे सकता। अत: चर्चा जारी रहेगी ।

**Shri Madhu Limaye** : You cannot continue the debate. Regarding point of order, rule 376(1) says that a point of order shall relate to the interpretation on enforcement of these rules on such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the speaker.

As I have said earlier, we cannot take over the law making authority of the Legislature unless it is dissolved. I want your ruling in this regard.

**Shri Narsingh Narain Pandey** : A similar point was raised by Shri U.N. Trivedi when the Punjab Legislative Assembly was suspended. The then speaker had said that he could not give any ruling on that because that was a constitutional matter and that could be challenged in the High Court or Supreme Court.

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : संविधान की विवेचना का कार्य न्यायालयों पर छोड़ा गया है। यह काम संसद् द्वारा नहीं किया जाता ; परन्तु इस मामले में संसद् उद्घोषणा का अनुमोदन पहले ही कर चुकी है। इस उद्घोषणा में ही यह कहा गया है कि विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग अब संसद् द्वारा किया जायेगा। अत: ऐसी शक्ति पहले ही संसद् को मिल चुकी है। अत: श्री मधु लिमये को अपनी बात उद्घोषणा के अनुमोदन के समय उठानी चाहिए थी। अब यह बात असंगत है।

**श्री बी० आर० शुक्ल** (बहराईच) : यह आपत्ति विधेयक के पुर: स्थापित किये जाने के समय उठायी जानी चाहिए थी। अब विधेयक के गुणों तथा अवगुणों के बारे में ही चर्चा की जा सकती

है। संविधान के अनुच्छेद 356(1)(ख) में यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा जारी किये जाने के पश्चात् विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग संसद् द्वारा किया जा सकता है। अब हम अनुच्छेद 357 की अवस्था पर पहुंच चुके हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में श्री लिमये ने आपत्ति करने में बहुत देर कर दी है। मंत्री महोदय, ने यह स्पष्ट कर दिया हैं कि उद्घोषणा में यह स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग संसद् द्वारा किया जायेगा। उद्घोषणा का सदन पहले ही अनुमोदन कर चुका है। यह यदि नियमित नहीं ह तो इसका निर्णय न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है।

दूसरे, जब मंत्री महोदय इसे विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे कि तो मेरे विचार में तब आपत्ति की जा सकती है। । अतः मेरे विचार में हम चर्चा जारी कर सकते हैं।

**Shri Bishwanath Roy** (Deoria) : I welcome this Bill. Consultative Committees should be set up even at the district level. The hon. Members of the Assembly, the Parliament and the heads of development blocks should be included in them. I, suggest that Legislative Assembly should not be dissolved. The consultative committees at district level are essential in as much as they can listen to the grievances of the villagers and remove them. These bodies should be allowed to continue to work unless new elections are held.

**Shri Maha Deepak Singh Shakya** (Kasganj) : The hon. Members sitting on the other side of the House could not explain as to why the Chief Minister with an absolute majority has been forced to resign. It is a clear case of his inability to run the Government. I fail to understand as to whether Uttar Pradesh was a police state or a democratic state. About twelve police men raided a house in Ramnagar and escaped with the looty worth 70 lakhs of rupees. Internal security was absolutely lacking in Uttar Pradesh. False cases have been registered against the people who refused to return the goods such as bicycles and caps to the police which were left over by them in haste.

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां देने के विरुद्ध हैं।

**Shri Maha Deepak Singh Shakya** : I feel that under the President's rule internal security cannot be maintained. Therefore, I oppose this Bill. The administration should be run smoothly keeping in view the internal security, land reforms and public health.

**Shri Krishna Chandra Pandey** (Khalilabad) : Population of U.P. is nine crores and the state is presently under President's Rule. I do not want to go into the reasons for imposing President's rule in the state but I want to request that we should go into the causes which led the P.A.C. to revolt. Was it due to inefficiency on the part of administrators ? Although the state Government has resigned yet high officials are working on their posts even after the P.A.C. revolt. To-day, P.A.C. is being re-organised, but the same set of officers are connected with this task under whom P.A.C. revolted.

It was feared that there were chances of the P.A.C. revolt spreading to other states. It is being claimed by P.A.C. personnel that they can make any Government step down. Has the government got any remedy for this ? The problem can not be solved merely by dismissing some personnel of P.A.C. Along with them, action should be taken against high officials also.

So far U.P. has been neglected to a great extent. The fifth Five Year Plan is being drafted and it is a matter of pity that there is no popular government in the state. Proposals sent by Uttar Pradesh Government with regard to state's development should be accepted and necessary funds allocated keeping in view the large population of the State. From Industrial point of view also, U.P. is backward.

Plans submitted for its industrialisation should also be accepted.

23 districts of the state have been declared backward and drought affected by the State Advisory Board. Although all the districts adjoining Basti, have been declared drought affected yet this has not been done in respect of Basti, which is a poor and neglected area.

An Adjournment Motion was moved in U.P. Assembly about a S.H.O. posted at Deoria. Now that man has been posted at Gorakhpur as S.H.O. and he has created a situation similar to Deoria in Gorakhpur also. Government should pay attention towards the problems of Engineers of U.P. Bureaucratic rule in U.P. should end and popular rule established at an early date.

**Shri Madhu Limaye** (Banka) : This Bill provides for an Advisory Committee to advise the President with regard to legislative measures for the State. Legislative Assembly of a State discusses various administrative and other problems related to the State. It should therefore, be provided in the Bill that President would seek advice of this Advisory Committee on all such matters also.

Meetings of such Committees should be held in the State Capital and public informed about it so that people may bring complaints before it. People should also be kept informed of the deliberations of this committee.

There are nine types of calamities faced by Uttar Pradesh at the moment. These include drought, floods, power crisis, yarn crisis, coal crisis, Price-rise, corruption oppression and uncontrolled rule by Congress Party at the Centre. I suggest that the first meeting of the Advisory Committee be held at Lucknow and these nine calamities discussed in the said meeting.

**श्री बी० आर० शुक्ल** (बहराईच) : हम आए दिन इस सदन में अफसरशाही की निन्दा करते हैं परन्तु फिर भी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 425 सदस्यों के सदन में स्थायी सरकार के होते हुए भी देश के सब से बड़े राज्य का शासन हमें तीन सलाहकारों के हाथ में देना पड़ा है। श्री कमलापति जी के शासन को समाप्त करके केन्द्रीय सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि केवल विरोधी दलों को ही गद्दी से हटाकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और हित के लिए किसी से भी शासन लिया जा सकता है। प्रांतीय सशस्त्र पुलिस का विद्रोह सारे देश में फैलने की आशंका थी। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा त्यागपत्र देना एक सराहनीय बात है।

इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि गठित की जाने वाली समिति मात्र सलाहकार न होकर प्रभावी रूप से कार्य करे इसके सदस्यों की बातों तथा विचारों को भी उतना ही महत्व दिया जाए जितना कि विधान सभा के सदस्यों के विचारों को दिया जाता है।

सलाहकार समिति की स्थापना के बारे में संविधान में कोई उपबन्ध नहीं है। अनुच्छेद 357 के अनुसार संसद राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को देती है और राष्ट्रपति किन्हीं शर्तों के अधीन यह अधिकार किसी को भी दे सकता है। अतः इस उपबंध की व्यवस्था करते समय इस दृष्टिकोण से भी इस विषय पर विचार कर लेना चाहिए।

राष्ट्रपति शासन से सभी कष्ट दूर नहीं हो गए हैं। वास्तव में अफसरशाही उन्नति की विरोधी है। अतः यदि आवश्यकता से अधिक अवधि तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा तो प्रगति के पहिये पीछे की ओर चलने लगेंगे।

**Shri Swami Brahmanandji** (Hamirpur) : It is necessary to have an Advisory Committee during President's rule. I would also request that the high officials should not be allowed to go scot free. If no action is taken against corrupt Ministers and officials there will be no use of having this committee. The Government can not eradicate corruption by taking action against ordinary people only. There are honest people in the Congress Party in U.P. and reigns of Government should be entrusted to them.

**Shri Chandrika Prasad** (Balia) : Uttar Pradesh is the largest State of the country and at present there is no popular government in that State. During the last two months there were floods and drought in the State. Had there been a popular Government in the State it would have worked differently than the present administration heeded by officials.

I support the setting up of a committee to give a democratic form to the administration. But I would request that District-wise Councils should also be set up. If it is not, possible to do so then region-wise committees, specially in backward pockets, should be set up. The popular government had set up Development Councils for these areas but they could not function. Now Consultative Committees should be set up for these neglected areas which may discuss the problems of the areas. These committees, could also co-operate with the officials in tackling problems relating to atrocities on Harijans, Drought, Floods, etc.

**श्री पीलू मोदी** (गोधरा) : इस विधेयक के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में कानन बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को ही दी जानी प्रस्तावित है। यह बहुत ही अजीब स्थिति है। एक ओर राज्य की विधान सभा भी है और दूसरी ओर राष्ट्रपति को भी वही अधिकार दिये जा रहे हैं। यदि सरकार का विचार चुनावों तक राज्य में राष्ट्रपति शासन रखना है तो राज्य विधान सभा को भंग किया जाए न कि उसे निलम्बित स्थिति में रखा जाये। एक ओर तो प्रतिदिन यह सुनने में आता है कि हमारे संसाधनों की स्थिति बहुत गंभीर है और गैर-उत्पादक प्रशासनिक व्यय को कम किया जा रहा है और दूसरी ओर दो विधान सभाओं को निलम्बन अवस्था में रख कर सदस्यों को पूरा भत्ता व अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इस प्रकार के कार्यों से सरकार की ईमानदारी पर शक उत्पन्न होता है।

यदि विधान सभा में किसी दल का बहुमत होते हुए भी वहां पर सरकार नहीं चल सकती तो विधान सभा को भंग किया जाना चाहिए। मुझे बहुत ही दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि केन्द्रीय सरकार ने लोगों के धन को लूटने का यह नया तरीका निकाला है। सरकार को यह समझना चाहिए कि इससे लोगों को भुलावे में नहीं डाला जा सकता।

वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु सारे देश में ही इस समय संवैधानिक संकट है। कांग्रेस दल को संसद में ही नहीं अपितु राज्य विधान सभाओं में भारी बहुमत प्राप्त हुआ परन्तु फिर भी दल अपने लोगों को संगठित रख नहीं पा रहा। बहुमत के होते हुए भी दल सरकार स्थायी बनाने में असमर्थ हो तो देखना होगा कि क्या यह बात लोकतन्त्र के हित में है। मैं समझता हूं कि विधान सभा को भंग करके नये चुनाव कराए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात आदि की घटनाओं से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस दल ने देश की जनता का विश्वास खो दिया है। मैं गृह मंत्री से अपील करता हूं कि देश की स्थिति अथवा देश की संवैधानिक प्रक्रियाओं को और अधिक न बिगाड़ा जाये ।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : इस चर्चा का विषय-क्षेत्र बहुत ही सीमित था परन्तु फिर भी कुछ सदस्यों ने राष्ट्रपति शासन लागू करने के गुण-दोषों, कांग्रेस के बहुमत में होते हुए भी सरकार बनाने में असमर्थ होने आदि का उल्लेख किया ।

वास्तव में इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि 272 का बहुमत होते हुए भी केन्द्रीय सरकार तथा राज्य के मुख्य मंत्री राष्ट्रपति शासन लागू करने से सहमत हुए। यह बात समझ में नहीं आती कि इस से राज्य में कांग्रेस दल के किस हित की पूर्ति हो रही है। राज्य के मुख्य मंत्री के सन्मुख केवल एक ही विचार था और वह था राष्ट्रीय हित का, जिसे ध्यान में रखकर उन्होंने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। केन्द्र में अथवा राज्य में किसी दल की सरकार हो उसके द्वारा इस प्रकार की परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित को देखते हुए यही कार्यवाही की जाती जो कि कांग्रेस सरकार ने की। विभिन्न सदस्यों ने भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किए हैं। मैं इनके विस्तार में नही जाना चाहता। लेकिन मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि राज्य सरकार ने गत आवश्यकताओं, वर्तमान आवश्यकताओं और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा है। परियोजनाओं को जारी रखने और पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के बारे में योजना आयोग से चर्चा की जा रही है।

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यदि उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है तो उससे राष्ट को भी हानि होती है। अतः इसके पिछड़ेपन को दूर करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

जिला स्तरीय परामर्शदात्री परिषदों की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। हम स्वयं चाहते हैं कि विधान सभा सदस्यों, संसद सदस्यों आदि की समितियां बनाई जाएं। जिला परिषदों के लिए चुनाव शुरू हो चुके हैं। जिला प्रमुखों का चुनाव हो चुका है । यदि गैर-सरकारी अध्यक्ष का चुनाव किया जाए तो इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।.

**श्री नरसिंह नारायण पांडे** : सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि गैर-सरकारी अधिकारी को अध्यक्ष बनाए जाए। संसद सदस्यों और विधान-सभा के सदस्यों का दर्जा जिला मजिस्ट्रेट से ऊपर है। इनके होते हुए जिला मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष पद क्यों दिया जाए ?

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : शिमला में मुख्य सचेतकों के सम्मेलन में यह मामला उठाया गया था और सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया था कि गैर-सरकारी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए ।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** माननीय सदस्य सामान्य स्थिति की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि किसी अन्य राज्य में जिला मजिस्ट्रेट . . . (**व्यवधान**) मैं तो केवल यह बता रहा था कि कुछ राज्यों की जिला परिषदों में जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष हैं। चौधरी चरण सिंह के कार्य-काल में उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही था। अब स्थिति यह है कि चुनाव अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। अतः किसका चुनाव किया जाए, यह एक समस्या है।

डा० रिछारिया ने आणविक विद्युत संयंत्र के बारे में पूछा था। इस संबंध में मुझे कहना है कि परियोजना के लिए आवंटन हेतु योजना आयोग से बातचीत की जा रही है और चालू कार्य को शीघ्र निपटाने के लिए विभाग प्रयत्नशील है।

जहां तक धागे और बुनकरों की समस्या का सम्बन्ध है, मुझे बताया गया है कि स्थिति आगे से अच्छी है।

भ्रष्टाचार, छात्रों और मूल्यों की समस्या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में संगत नहीं है। इन समस्याओं का क्षेत्र बहुत बड़ा है।

उत्तर प्रदेश में इंजीनियरों द्वारा "काम रोको हड़ताल" करने से मुझे आश्चर्य हुआ है। उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी है और यद्यपि वर्षा से पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधरी है फिर भी रिहन्द के जल-ग्रहण क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई। इस समय उनका यह कर्तव्य है कि वे बिजली के उत्पादन के लिए दिन रात एक कर दें। इंजीनियरों ने हड़ताल के लिए तर्क किया है कि सरकार ने पंजाब विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष को मुअत्तिल कर दिया है। मुझे इस तर्क में कोई औचित्य नजर नहीं आता। सभी माननीय सदस्यों द्वारा इस बात की भर्त्सना की जानी चाहिए।

पुलिस संघ के बारे में उल्लेख किया गया है। संघ बनाने का उन्हें पूरा अधिकार है। केवल पुलिस संघ के गठन की स्वीकृति सरकार द्वारा दी जानी है।

श्री मधु लिमये ने कहा है कि परामर्शदात्री समिति द्वारा आम मामलों पर चर्चा की जानी चाहिए। माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि आम मामलों पर चर्चा की जाती है परन्तु यह चर्चा परामर्शदात्री समिति करती है न कि विधायी समिति। श्री शुक्ल का कहना है कि इसमें संवैधानिक प्रश्न अन्तर्गस्त है। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं कि यह बता सकूं कि इसमें संवैधानिक प्रश्न अन्तर्गस्त है अथवा नहीं। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि परामर्शदात्री समिति गठित करने का संसद को पूरा अधिकार है। श्री लिमये ने यह सुझाव दिया है कि समिति का कार्यवाही-सारांश प्रकाशित किया जाना चाहिए। आमतौर पर यह प्रकाशित किया जाता है और यदि सदन को यह स्वीकार है कि समिति की प्रत्येक बैठक के अंत में प्रेस को इसकी कुछ जानकारी दी जाए, तो इसकी व्यवस्था की जा सकती है।

समाजवादी संघ द्वारा 'बंध' आयोजित करने का उल्लेख किया गया है। सच तो यह है कि यह 'बन्ध' असफल रहा है और देश में सभी 'बंध' असफल हो रहे हैं। इसके लिए केवल समाजवादी दल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

**Shri Madhu Limaye :** Whether there was **bandh** or not, it is better known to the public of U.P. May I know whether Government will release two thousand persons arrested under Defence of India Rules ?

**श्री पीलू मोदी** : जब बन्ध असफल रहा है तो 2,000 लोगों को जेल में क्यों रखा गया है ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : केवल 176 लोगों को जेल में बंद किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि बन्ध का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है। राज्य सरकारें मुनाफाखोरों, जमाखोरों आदि के विरुद्ध कार्यवाही कर रही हैं और लगभग 50,000 क्विंटल खाद्यान्न बरामद किया गया है। 'बंध' से सामान्य वितरण प्रणाली में बाधा पड़ती है। हम गांधीवादी हैं, मार्क्सवादी नहीं।

मेरे विचार में जिस उद्देश्य से विरोध प्रदर्शन किया गया था, वह पूरा हो चुका है। सशस्त्र पुलिस बल का पुनर्गठन किया जा रहा है, खुफिया विभाग पर भी निगरानी रखी जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य की मांग पर वहां भेजा जा रहा है। परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हरिजनों को भूमि उपलब्ध कराने का प्रश्न विचाराधीन है। हाल ही में हरिजनों पर अत्याचार किए जाने की घटनाएं सामने नहीं आई हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि सदन इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देगा।

**उपाध्याय महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने के विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3 और 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

**खंड 2, 3 और 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए**

**Clauses 2, 3 and 1, the Enacting Formula, and the Title were added to the Bill.**

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** (बेगुसराय) : अब यह स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्रपति शासन वस्तुतः शासक दल का शासन है। पुराने ढांचे को समाप्त नहीं किया गया है बल्कि उसे ज्यों का त्यों रखा गया है। गेहूं की वसूली के कार्य के लिए शासक दल के दस सदस्यों को वहां भेजा गया और उन्हें वसूली अभियान का प्रभारी बनाया गया है। सरकार ने यह नियम बनाया है कि प्रत्येक उत्पादक 20 क्विंटल और प्रत्येक उपभोक्ता को 8 क्विंटल गेहूं रखने का अधिकार है। परन्तु ये अधिकारी भ्रष्टाचारी तरीके अपना रहे हैं और आंतक फैलाकर अपनी जेबें गरम कर रहे हैं।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : राज्य सरकार के दो कर्मचारियों श्री पी० एन० सुकुल और श्री एस० के० मिश्र को अभी तक रिहा क्यों नहीं किया गया है और उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था ? उन्होंने भारत रक्षा नियमों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो केवल यह कहा था कि सशस्त्र पुलिस बल के कर्मचारियों की मांगें न्यायोचित और वैध हैं। उनकी रिहाई के लिए कई अभ्यावेदन भी सरकार को भेजे जा चुके हैं।

लखीमपुर में जमाखोरों का विरोध करने वाले 41 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया परन्तु जमाखोरों को गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा किया जाए ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि 'बन्ध' नहीं होने चाहिए। मेरा निवेदन है कि 'बंध' प्रजातंत्रात्मक प्रणाली के अनुकूल हैं और वैध भी हैं। उत्तर प्रदेश में घी, गेहूं, आटे का अकाल पड़ा हुआ है और ये ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं। लोग इस पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं स्वीकार करती हैं कि उचित उद्देश्य के लिए विरोध प्रदर्शन किया जाना चाहिए परन्तु जब ऐसा किया जाता है तो लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। मंत्री महोदय इसका उत्तर दें ।

**Shri Madhu Limaye :** The hon. Minister has not replied to my questions regarding drought, floods, shortage of coal and yarn.

I would like to raise one more point. After the President's Rule was discussed in the House, I had written a letter to the Home Minister regarding arrest of P.A.C. Jawan Shri Akhlaq Ahmed. Is it not a fact that he was arrested simply for the reason that he refused to reap grass for the animals of officers and refused to teach children of one officer free of charge ? No reply has been received to that. There is no legislature there now. What should we do ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : मैं स्वीकार करता हूं कि सशस्त्र पुलिस बल की कुछ कठिनाइयां हैं । उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इन सुविधाओं में कल्याण निधि, यात्रा भत्ते के नियमों में परिवर्तन, 9 घंटे से अधिक ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों को निःशुल्क भोजन प्रदान करना आदि शामिल हैं ।

**श्री मधु लिमये** : परन्तु स्वतंत्रता नहीं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत**: स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम दे सकें। प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी । मेरे विचार में यदि हम पुनः अनुशासन कायम नहीं करते तो सारा देश हमें कोसेगा। अनुशासनात्मक कार्यवाही किये बिना अनुशासन किस प्रकार कायम किया जा सकता है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपना कर्तव्य नहीं निभा पाते ।

सूखे की स्थिति के बारे में सलाहकार समिति में हम विस्तारपूर्वक विचार कर सकते हैं।

छापे मारने संबंधी कार्यों से गैर सरकारी लोगों का सम्बद्ध रहना उचित ही है और मेरे विचार में इस बारे में किसी प्रकार की शिकायतों का होना उचित नहीं है।

श्री बनर्जी ने श्री सुकुल और श्री मिश्र की गिरफ्तारी का जिक्र किया है। कर्मचारियों का नेता अधिक जिम्मेवार होता है और यदि उस नाते वह दोषी ठहराया जाता है तो निश्चय ही उसे दंड दिया जाना चाहिए। यह प्रश्न विचारणीय है।

ऊंचे दामों और बंधों की भी इन्होंने चर्चा की। बंधों द्वारा कीमतें नहीं घटेंगी। बंधों द्वारा वितरण व्यवस्था में बाधा ही पड़ती है।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : आप दिल्ली के जमाखोरों के विरुद्ध भारतीय सुरक्षा नियम लागू क्यों नहीं करते ? प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के लोगों के विरुद्ध क्यों करते हैं ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : भारतीय सुरक्षा नियम देश के अनेक भागों में जमाखोरों के विरुद्ध लागू किया गया है.....(**व्यवधान**)

इस प्रकार के समाज विरोधी तत्वों के लिये कोई स्थान नहीं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was adopted.**

---

# मणिपुर के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

## STATUTORY RESOLUTION RE: CONTINUANCE OF PROCLAMATION IN RESPECT OF MANIPUR

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)**: मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के सम्बन्ध में 28 मार्च, 1973 को जारी की गयी उद्घोषणा को 14 नवम्बर, 1973 से 6 महीने की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

मणिपुर की विधान सभा को भंग किया जा चुका है और लोकप्रिय सरकार केवल राज्य विधान सभा के लिए नये चुनावों को कराने के पश्चात ही पुनः स्थापित की जा सकती है । संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार यह अपेक्षित है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्यों के लिए लोकसभा में स्थानों के आवंटन को और प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को पुनः समायोजित किया जाये। चुनाव आयोग ने तदनुसार मणिपुर सहित सभी राज्यों में संसदीय और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का काम शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया इस वर्ष के दौरान पूरी हो जायेगी और आगामी वर्ष के शुरू में चुनाव कराये जायेंगे।

वह अवधि जिसके लिये सभा ने पहले स्वीकृति दी, 13 नवम्बर, 1973 को समाप्त हो जायेगी जब कि इस सभा का सत्र नहीं हो रहा होगा। अतः हम इस सभा के सामने यह प्रार्थना लेकर आये हैं कि राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा को और छः महीने की अवधि के लिए लागू रखा जाये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के सम्बन्ध में 28 मार्च, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा को 14 नवम्बर, 1973 से 6 महीने की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा पूर्व) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं । इस देश में कुछ राज्यों को छः महीने से अधिक के लिए राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत रखने की प्रथा बन चुकी है । एक बार जब सरकार एक विशेष राज्य को छः महीने के लिये राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत लाती है, तो अग्रेतर छः महीनों के लिये इसे लागू रखने की एक नियमित प्रथा भी बन जाती है और इस प्रकार उस राज्य के लोगों को अपनी लोकप्रिय सरकार के शासन से वंचित किया जाता है। मणिपुर के लोग अपनी सरकार को और इस प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं।

पिछले दो या तीन वर्षों से मणिपुर एक कमी वाला क्षेत्र बन चुका है। वर्षा के आरम्भ होने से बहुत पहले वहां खाद्यान्न का भंडार अनिवार्य रूप से बनाया जाना चाहिये क्योंकि वर्षा के आरम्भ होने पर अनाज उन क्षेत्रों में नहीं पहुंच सकता। यद्यपि मणिपुर ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गयी थीं किन्तु वे आदिवासी क्षेत्रों में किसी प्रकार का विकास नहीं कर सकी हैं। इन परिषदों को अनिवार्य रूप से पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिये।

हथकरघों पर कार्य करने वाली मणिपुर की हजारों महिलायें सूत की कमी के कारण दुखी हैं। सरकार द्वारा उन्हें जो सूत सप्लाई किया जाता है वह 120 काउंट का है जब कि हथकरघा बुनकर केवल 50 काउट तक के सूत इस्तेमाल कर सकता है। इस विशिष्ठ प्रकार के सूत को जिसका प्रयोग हथकरघा बुनकर कर सकते हैं, उनको सप्लाई किया जाना चाहिये।

**श्री एन० टोम्बी सिंह** (आंतरिक मणिपुर) : मैं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को जारी रखने संबंधी संकल्प का समर्थन करता हूं। राज्य के सामारिक महत्व के बारे में अतिश्योक्तिपूर्ण ढ़ग से नहीं कहा जा सकता है। यह बिलकुल उत्तर में है और बर्मा के साथ इसकी सीमा नहीं मिलती । राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा इसके औद्योगिक विकास की ओर भारत सरकार का अत्यधिक ध्यान जाना चाहिये।

मणिपुर में बाढ़ और सूखे की स्थिति पैदा होती रहती है। मैं यह सुझाव दूंगा कि नदी के स्रोत पर ही बांध बनाये जायें ताकि साल भर नौवहन की व्यवस्था हो सके और जलकी सप्लाई की जा सके। बांधों को बिजली के उत्पादन के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है।

आसाम राइफल्स को इम्फाल से बाहर कहीं भी स्थानांतरित किया जाना चाहिये। इस समय यह आर्ट पेलेस नामक नगर के बीच तैनात है। इस स्थान को असैनिक प्रयोजनों और प्रशासनिक कार्यालय चलाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे पर्यटकों और सार्वजनिक यात्रा के लिए भी खोला जा सकता है।

टेलीफोन का कार्य मणिपुर में बहुत ही असंतोषजनक है। इम्फाल और कलकत्ता के बीच जो टेलीफोन सम्पर्क हटाया गया था उसे पुन: जोड़ा जाना चाहिये। कानून और व्यवस्था तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार को यह कार्य गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिये।

राज्य की राजधानी में एक भी स्वचालित टेलीफोन केन्द्र नहीं है। भारत सरकार को यह मामला शीघ्र ही हाथ में लेना चाहिये।

राज्य में खेलकूद संबंधी सुविधायें बहुत ही कम है। बाहरी और भीतरी खेलों के लिए कोई स्टेडियम तथा हाकी, फुटवाल, टेनिस और अन्य खेलों के लिए कोई मैदान नहीं है। यह बड़ी गम्भीर शिकायत है और इसे दूर किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राजनीतिक आधार पर बनाया गया है। भ्रष्टाचार और निधि के दुर्विनियोग की बहुत सी रिपोर्टें मिली हैं। खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के अन्तर्गत सभी प्रकार का पक्षपात चल रहा है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये और बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना चाहिये।

राष्ट्रीयकृत बैंक मणिपुर में ऋण और सहायता के मामले में कृषकों और उद्योगपतियों के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं। मणिपुर में, विशेषकर ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में, राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य-निष्पादन की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों और उद्योगपतियों को लाभ मिल सके।

मणिपुर की चाय की किस्म बहुत अच्छी है। मैं नहीं जानता कि मणिपुर में कुछ चुनींदा क्षेत्रों में प्रौद्योगिक आधार पर कुछ चाय बागान लगाने की ओर चाय बोर्ड ध्यान क्यों नहीं देता।

गतवर्ष नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम आदि राज्यों की सेवार्थ प्रादेशिक मेडिकल कालिज चलाया गया। इन सभी राज्यों की आवश्यकताओं को इस कालिज द्वारा पूरा करना बहुत कठिन है। मंत्रालय को राज्य सरकार को अधिक विद्यार्थियों के लिये सीटों की व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करनी चाहिये ताकि हमें जो सीटों का कोटा आवंटित किया गया है वह मिलता रहे।

गोहाटी विश्वविद्यालय प्रवेश कार्यक्रम के आधार पर तैयार की गई प्रतीक्षा सूची को नये सिरे से तैयार करने के प्रश्न पर सरकार को पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत से विद्यार्थियों के नाम सूची में केवल इस कारण शामिल नहीं किए गये थे कि उन्होंने समय पर प्राप्तांक सूची प्रस्तुत नहीं की थी। उनको प्रवेश दिया जाना चाहिए।

**Shri Ramavatar Shastri** (Patna): I rise to oppose the resolution to extend the period of President's rule for six months in Manipur. Had Government been really interested in setting up popular government in Manipur the works like delimitation of constituencies and preparation of Voter Lists would have been completed out much earlier. I, therefore, demand that administration of the State should be given in the hands of the representatives of the people by holding election there as early as possible.

**[श्री एस०ए० कादर पीठासीन हुए]**

**[Shri S.A. Kadar in the Chair]**

The claim of the Government that they are developing democratic system in the country is false. Imposition of President's rule in Manipur has deprived the people of

their democratic rights. I feel that with this undemocratic measure, Government can never remove the backwardness of the State Government must be aware of arbitrary functioning of the bureaucrats. Therefore, Government should not leave the people at their mercy.

In view of the fact that Manipur is a backward State and is a border State and, therefore is a very sensitive area. Government should pay more attention towards its development. Various problems, like unemployment, economic crisis, lack of transport facilities, faced by the people there should be solved urgently. Certain projects should also be taken up there to provide employment opportunities to the sons of soil. I know that Government would get the extension resolution approved. During this period, they should try to remove the backwardness of the State.

I would also like to invite the attention of the Government to the need of financial assistance to be given for the promotion of glorious cultural heritage in Manipur. It is the responsibility of the Central Government to provide necessary financial assistance to Manipur for removing regional imbalance and backwardness.

In view of the fact that Manipur is a deficit State in the production of foodgrains, Government should ensure adequate and regular supply of foodgrains to save the people from starvation. Black marketing, hoarding, speculation and other such malpractices are prevalant in Manipur also, like other parts of the country. Government should take drastic steps to check them. Such anti-social elements should be dealt with under D.I.R. while concluding, I reiterate the demand of forming a popular Government in Manipur.

**श्री पाओकाई हाओकिप** (बाह्य मणिपुर) : मैं मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं क्योंकि अभी वहां पर स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। किन्तु मुझे आशा है कि 1974 के आरंभ में वहां चुनाव करा दिये जायेंगे।

मनीपुर में विशेषकर हाल के महीनों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब रही है। मणिपुर के बारे में सदन में पिछली बार जब चर्चा की गई थी तो उसमें उस घटना का भी उल्लेख किया गया था जिसमें छापामार विद्रोहियों तथा जवानों के बीच मुठभेड़ में 17 जवान तथा कुछ नागरिक मारे गये थे। वहां अब भी वही स्थिति है तथा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनता को हर समय आतंक बना रहता है।

इस सम्बन्ध में सरकार ने पर्याप्त कार्यवाही नहीं की है। मैंने अनेक बार सरकार से अनुरोध किया है कि सीमा रेखा पर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र सेना नियुक्त की जाए, जिससे समाज विरोधी तत्व इस प्रकार की कार्यवाहियां न कर सकें। यदि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया होता तो इस प्रकार की घटनाएं न घटी होती।

उत्तर देते हुये मंत्री महोदय कृपया इस बात का उल्लेख करें कि छापामारों के साथ मुठभेड़ में मारे गये जवानों तथा नागरिकों के संतप्त परिवारों को क्या सहायता दी गई है।

मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि मणिपुर राज्य में अब जो दो नये जिले बनाये गये हैं उनको पूरे जिले का दर्जा नहीं दिया गया। यदि मेरी यह जानकारी सच है तो मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इन दोनों जिलों को यथाशीघ्र पूर्ण जिलों का दर्जा दिया जाए जिससे जनता के कल्याण के लिये

वहां कार्य किया जा सके। पांच वर्ष पूर्व बर्मा से आये कुछ शरणार्थियों को सरकार ने अब तक कोई सहायता नहीं दी है जिससे उनकी स्थिति बहुत खराब है। सरकार को इस विषय पर भी विचार करना चाहिये।

गृह मंत्रालय और मणिपुर सरकार ने हाल में यह आदेश जारी किये हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में गांव के मुखिया तथा आदिवासी, सरकार को विरोधी तत्वों के आने की सूचना दें अन्यथा उनको दण्डित किया जायेगा।

मैं इस उपाय को उपयुक्त नहीं मानता क्योंकि सम्भव है कि सभी ग्रामवासियों को विद्रोहियों के आने का पता ही न लगे अथवा बाद में पता लगे। अतः सरकार को कोई प्रभावकारी कदम उठाना चाहिये तथा वहां तैनात सेना की संख्या में वृद्धि करनी चाहिये।

सरकार को यह भी पता लगाना चाहिये कि मणिपुर में पिछड़ापन वास्तव में है कहां? इम्फाल तथा घाटी में ही विकास कार्य किये जा रहे हैं तथा पहाड़ी क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है जहां पिछड़ापन अधिक है मेरा सुझाव है कि पहाड़ी क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जाए तथा वहां पर विभिन्न परियोजनाएं आरम्भ की जायें। मेरा सुझाव है कि वहां की प्रगति और विकास का पुनर्विलोकन करने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की जाए जिससे वहां गरीबी हटाई जा सके।

**Shri R.V. Bade** (Khargone) : I am opposed to the proposal of extending President's rule in Manipur for six months. President's rule has been imposed on Orissa and Uttar Pradesh, besides Manipur. It seems to me that the Government have become mad.

Manipur is a border State as well as a backward area, having tribal population. By imposing President's rule on Manipur, tribals are being forced to feel that they are being deprived of their democratic rights. In this situation, a day may come when these people will lose their faith in democracy.

We have no basis to hope that bureaucrats would like to develop various tourist centres and the cultural heritage of Manipur. Government have sought extension of President's rule for six months without giving solid reasons for that.

Food problem is as acute there as any where else in India. In the absence of means of communication in the hilly areas, supply of foodgrains by the Government is urgently required to save the people from starvation.

So far as corruption is concerned, no part of the country is immune from it. President's rule is not the proper answer to this problem. State of Manipur can not prosper and develop under the existing bureaucratic system. I, therefore, demand that a popular government should be formed there as early as possible.

**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** (गौहाटी) : मैं इस संस्था का समर्थन करता हूं। सामान्यतः राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, किन्तु वहां निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन का कार्य चल रहा है। अतः उससे पूर्व चुनाव कराना वहां के नागरिकों के अहित में होगा।

यह सच है कि मणिपुर एक पिछड़ा राज्य है तथा सीमावर्ती राज्य है। सामरिक महत्व को ध्यान में रखकर, इस राज्य तथा अन्य ऐसे राज्यों की समस्यायों की ओर अधिक ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिये।

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि विरोधी तत्व उस क्षेत्र में अव्यवस्था उत्पन्न करना चाहते हैं तथा विद्रोही नागाओं ने उस भाग में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। यदि वहां की सरकार इन समस्याओं पर काबू पाने में असमर्थ रही तो राष्ट्रपति शासन लागू रखने के अतिरिक्त सरकार के पास अन्य चारा क्या है? राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का अर्थ यह है कि केन्द्रीय सरकार अपने ऊपर अतिरिक्त उत्तरदायित्व ले रही है।

वास्तव में मणिपुर की तीन प्रमुख समस्याओं को सुलझाने की दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम नही उठाये गये हैं। ये तीन समस्याएं हैं पिछड़ी हुई कृषि प्रणाली, उद्योगों की भारी कमी तथा मूलभूत आवश्यक ढांचे की कमी। कृषि पुनर्वित्त निगम ने बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तथा अरुणाचल और मिजोराम संघ राज्य क्षेत्रों के लिये कृषि विकास के हेतु पांच करोड़ रुपये से भी कम धनराशि नियत की है जबकि पूरे भारत के लिये नियत राशि 500 करोड़ रुपया है। ऐसी स्थिति में जब पूरे उत्तरी क्षेत्र के लिये केवल एक प्रतिशत संसाधन दिये जाएं तो उस क्षेत्र का किस प्रकार विकास हो सकता है, आशा है मंत्री महोदय इस कार्य के लिये उस क्षेत्र को अधिक धनराशि देने का प्रयास करेंगे इसके अतिरिक्त, कृषि विकास के लिये आवश्यक तकनीकी जानकारी भी प्रदान की जानी चाहिये।

जहां तक उद्योगों का संबंध है, जब हम उस राज्य में उद्योग स्थापित करने की मांग करते हैं तो उत्तर दिया जाता है कि वहां मूलभूत आवश्यक ढांचा नहीं है और जब उस की मांग करते हैं तो कहा जाता है कि उसके लिए आवश्यक उद्योग नहीं हैं। अजीब स्थिति है। अब वहां की जनता का धैर्य समाप्त हो चुका है। अतः सरकार कों इस दिशा में शीघ्र ही कोई कदम उठाना चाहिए। मंत्री महोदय को वहां खेल कूद के लिए आवश्यक सामग्री दिए जाने की ओर भी ध्यान देना चाहिए जिससे वहां के युवक इनमें भाग ले सकें।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। पूरे उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में भावात्मक एकता का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप वहां ऐसे तत्व उभरते आ रहे हैं जो तोड़फोड़ की गतिविधियों में भाग लेते हैं। देश तथा विदेशों में विद्यमान. विद्रोही तत्व इन तत्वों को भड़काने का प्रयत्न करते हैं तथा उत्तरी क्षेत्र में असंतुलन की भावना उत्पन्न करते हैं।

आर्थिक अनिश्चितता के कारण यहां की जनता तथा विशेषकर नवयुवकों में भारी असंतोष है। नवयुवकों पर भावात्मक विवादों का शीघ्र प्रभाव पड़ता है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस क्षेत्र का यथाशीघ्र विकास किया जाए जिससे वहां भावात्मक एकता उत्पन्न हो तथा आर्थिक अनिश्चितता समाप्त हो सके। आर्थिक विकास न हो सकने का एक प्रमुख कारण यह है कि न जन प्रतिनिधियों में एकता है और न जनता में ही।

इन समस्याओं को हल करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की गई है किन्तु अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है जिससे समझा जाए कि उक्त परिषद् ने कोई ठोस कदम उठाया है। मंत्री महोदय इस परिषद के कार्यकरण के बारे में भी प्रकाश डालेंगे।

**श्री पी० जी० मावलंकर** (अहमदाबाद): निस्सन्देह मणिपुर में संवैधानिक संकट पैदा हुआ था और वहां पर वकल्पिक सरकार बनाना संभव नहीं था। अतः वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा था। लेकिन मंत्री महोदय ने राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा

निर्वाचक सूची आदि बनाने में समय लेने के अतिरिक्त अन्य कोई ठोस तर्क नहीं दिया है। मेरे विचार से निर्वाचक सूची का पुनरीक्षण सामान्य रूप से निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और यह राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का एक प्रमुख कारण नहीं हो सकता। इससे पता चलता है कि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक पद्धति समाप्त हो रही है।

मणिपुर बहुत छोटा लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस सीमावर्ती क्षेत्र की विशेषता और महत्ता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वहां के निवासी पहले ही आर्थिक दृष्टि से अल्प विकसित हैं। आर्थिक अल्प विकास के साथ-साथ वे राजनीतिक दृष्टि से भी अल्प-विकसित हैं तथा उन्हें अपने राज्य में अपनी लोकप्रिय सरकार बनाने के वैध अधिकार से वंचित रखा गया है।

मणिपुर के लोगों की आम शिकायत है कि जो कुछ भी उन्होंने अपने राज्य में चाहा वह या तो धन की कमी के कारण अथवा रुचि न लेने के कारण नहीं किया गया। जब ऐसा राष्ट्रपति शासन के रहते हुए भी नहीं हुआ तब यह शिकायत और भी बड़ी है। वहां के लोग यह अनुभव करते हैं कि वे भारत के अन्य लोगों के साथ राष्ट्रीय रूप से एकीकृत नहीं हैं। राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ने से मणिपुर के लोगों के स्वयं को राष्ट्र का एक अंग मानने की भावना में रुकावट आती है। गृह मंत्री इस पर विचार करें और तब उन्हें पता चलेगा कि यह केवल राजनीतिक और आर्थिक समस्या ही नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। मणिपुर के लोगों को ऐसा अनुभव नहीं होने देना चाहिए कि राजनीतिक रूप से एक होने पर भी वे हमसे अलग हैं अथवा उनकी उपेक्षा की जा रही है।

अब राष्ट्रपति शासन क्योंकि और छः महीनों के लिए बढ़ाया जा रहा है, अतः वहां के लोगों की समस्याओं पर सरकार को शीघ्र ही ध्यान देना चाहिए और इनकी समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। बुनकरों का प्रश्न है, सूत के मूल्यों और अनुपलब्धता की समस्या है, सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगीकरण तथा बर्मा से भारत आये भारत मूलक लोगों की समस्यायें भी हैं।

इम्फाल के युवा पत्रकारों को किसी कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। मंत्री महोदय इन मामलों की जांच करें क्योंकि कुछ गिरफ्तारियां केवल राजनीतिक विरोध के कारण की गई हैं। यदि किसी विशेष राज्य में लोकतंत्रात्मक पद्धति न चल सके तो उसका समाधान तानाशाही अथवा थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना नहीं है अपितु लोकतंत्र को अत्यधिक बढ़ावा देना है। जिससे लोग लोकतंत्रात्मक प्रतिक्रियाओं के जरिए सीख सकें।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त**: यह आवश्यक है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं में और अधिक रुचि ली जाये। इस क्षेत्र के लोगों को यह अनुभव होना चाहिए कि शेष देश के निवासी उनके कल्याण के प्रति सजग हैं। मुझे वहां के क्षेत्रों का दौरा करने का अवसर मिला है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों में प्रायः पृथकता की भावना विद्यमान नहीं है और उनमें वहां का निवासी होने की भावना लक्षित होती है।

यह सच है कि कुछ नागा लोग और कुछ मिजो लोग भूमिगत हैं। किन्तु भूमिगत आन्दोलन अब कम हो गये हैं। इन लोगों की संख्या अब बहुत कम हो गई है। इनके बहुत से बड़े नेताओं ने आत्म समर्पण कर दिया है। राज्यपाल के समक्ष एक समारोह में लगभग एक हजार ऐसे लोगों ने आत्म समर्पण किया था और हथियार समर्पित किये थे। मुझे आशा है कि शेष लोग जो अभी तक भूमिगत हैं वे भी अवसर का लाभ उठाकर निर्माण और विकास कार्य में लग जायेंगे। जहां तक मणिपुर राज्य

का सम्बन्ध है, वहां अब पृथकता की भावना नहीं है। वहां कुछ नागा लोग भी भूमिगत हैं जो अब भी तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां कर सकते हैं। उनके प्रति वहां की सरकार जागरूक है, और अपेक्षित कार्यवाही करती रहती है। (**व्यवधान**) इस समय यह बताना मेरे लिए संभव नहीं है कि नागाओं ने जो हथियार समर्पित किए थे वे कहां के बने हुए हैं। देश के उत्तर-पूर्वी भाग में कुछ भूमिगत नागाओं द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने और गोलियां चलाये जाने की जो घटनाएं हुई हैं, उन्हीं तक ही मैं अपने आपको इस समय सीमित रखना चाहता हूं। ऐसी दुर्घटनाओं से आम लोगों की रक्षा की जायेगी। सीमा-सुरक्षा की समस्या पर भी पूर्ण ध्यान दिया जा रहा है। जहां तक खाद्य स्थिति का संबंध है, मणिपुर में खाद्य स्थिति संतोषजनक है, क्योंकि वर्षा के दिनों में वहां अनाज के लाने ले जाने की कठिनाई होती है, इसलिये वहां कुछ स्थानों पर अनाज का भंडार करने के लिये लगभग 100 गाड़ियां लगा दी गई हैं।

श्री मावलंकर ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विरोध इस आधार पर किया है कि इसके लिये ठोस आधार न थे। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जब वहां पर संयुक्त सरकार का पतन हो गया तो कांग्रेस की सरकार बन सकती थी किन्तु हमने कुछ कारणों से राष्ट्रपति शासन को प्राथमिकता दी। जहां तक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण और मतदाता सूची तैयार करने का संबंध है, प्रत्येक जन-गणना के बाद ऐसा किया जाना आवश्यक है और इसमें कुछ समय लगना अनिवार्य है। फिर भी हमारा प्रयास यह है कि वहां पर निर्वाचन यथाशीघ्र हों। इस स्थिति में केन्द्रीय सरकार अथवा चुनाव आयोग को दोष देना उचित नहीं है।

मणिपुर में सूत के अभाव की स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। अब उपभोक्ताओं को उचित प्रकार का सूत मिल रहा है। श्री टोम्बी सिंह ने मणिपुर के विकास के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सूखे और पानी के अकाल की स्थिति का सामना करने के लिये प्रशासन की ओर से प्रयास किये जा रहे हैं। आसाम राइफल्स के बटालियन कार्यालय का उल्लेख किया गया। इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है। जहां तक मणिपुर में विकास कार्यों के लिये निधि आबंटित किये जाने की बात है, चालू वर्ष में 137.9 लाख रुपये की राशि इस कार्य के लिये रखी गयी है। मणिपुर के छात्रों के लिये मेडिकल कालेजों में स्थान सुरक्षित रखे जाने के लिये गृह मंत्रालय की सहायता मांगी गयी है। इस मामले पर मैंने व्यक्तिगत रूप से श्री खाडिलकर से बातचीत की है। श्री गोस्वामी ने वहां पर औद्योगिक वातावरण और औद्योगिक मूल ढांचा बनाने की बात कही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर मणिपुर से देश के अन्य भागों में औद्योगिक उत्पाद भेजने के लिये सड़कें आदि बनायी गयी हैं। योजना आयोग सरकार इस बात से सहमत है कि इस क्षेत्र में परिवहन खर्च में राजसहायता की व्यवस्था की जाये ताकि वहां औद्योगिक आधार तैयार हो। वहां पर इम्फाल-उकरल, इम्फाल-तमिंगलोंगो, इम्फाल-टिड्डिम और इम्फाल-सुगुन सड़कें बनायी जा चुकी हैं। औद्योगिक दृष्टि से यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। वहां लोगों में उद्यम-प्रवृत्ति नहीं है। वहां के लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना है, उन्हें उसके लिए प्रेरित करना है। जैसे ही कुछ उद्योग वहां स्थापित होंगे, तैसे ही अन्य लोग भी वहां उद्योग स्थापित करने के लिए तैयार हो जायेंगे। श्री टोम्बी सिंह ने सीमेंट और कागज उद्योग का उल्लेख किया है। सीमेंट निगम ने वहां पर सीमेंट का कारखाना स्थापित करने में कठिनाई अनुभव की है। जहां तक कागज उद्योग की स्थापना का सम्बन्ध है इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और पांचवीं योजना में मणिपुर में कागज उद्योग स्थापित किये जाने की पूरी सम्भावना है। मणिपुर में एक कताई मिल का कार्य प्रगति पर है।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि पूर्वोत्तर परिषद् का कार्य धीमा रहा है, किन्तु उसमें सचिव की नियुक्ति कर दिये जाने के बाद से उसके कार्य में तेजी आई है। अब पांचवीं योजना तैयार की जा रही है। जहां तक मणिपुर के सौन्दर्य आदि की बात है जब भी मुझे अवसर मिला है, मैंने मणिपुर के नृत्य और संस्कृति, वहां के सौन्दर्य आदि की सराहना की है।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के सम्बन्ध में 28 मार्च, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा को 14 नवम्बर, 1973 से 6 महीने की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted**

---

# उड़ीसा के सम्बन्ध में उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

# STATUTORY RESOLUTION RE. CONTINUANCE OF PROCLAMATION IN RESPECT OF ORISSA

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उड़ीसा के सम्बन्ध में 3 मार्च, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा को 26 सितम्बर, 1973 से 6 महीने की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

हमारी यह आकांक्षा है कि उड़ीसा विधान सभा के निर्वाचन शीघ्र से शीघ्र हों और उस राज्य में जन-राज्य शीघ्र स्थापित हो जाये। जनगणना के पश्चात् यह संवैधानिक आवश्यकता है कि मतदान सूचियां पुनः तैयार की जायें । निर्वाचन आयोग यह कार्य कर रहा है और अनुमान है कि उड़ीसा विधान सभा के चुनाव अगले वर्ष के आरम्भ में ही हो जायेंगे। इसी कारण वहां राष्ट्रपति शासन जारी रखने के लिए सभा के अनुमोदनार्थ यह संकल्प लाया गया है। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस संकल्प का अनुमोदन करे।

**सभापति महोदय**: निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया गया:

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उड़ीसा के सम्बन्ध में 3 मार्च, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा को 26 सितम्बर, 1973 से 6 महीने की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

साथ ही मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें क्योंकि निर्धारित समय 2 घंटे है और वक्ता अधिक हैं।

*श्री जगदीश भट्टाचार्य (घाटल) : सभापति महोदय, उड़ीसा राज्य का बजट पास करते समय भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। उड़ीसा में विधान सभा भंग करने के लिए यह तर्क दिया गया कि विरोधी दल वहां पर स्थायी सरकार नहीं बना सकेंगे। यह उचित तर्क नहीं है। यदि किसी राज्य में किसी दल विशेष को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो क्या यह मान लिया जाये कि वहां लोकतांत्रिक सरकार नहीं बनेगी ? यदि बहुमत प्राप्त दल कहीं पर सरकार नहीं बनाता तो अन्य दलों को अवसर दिया जाना चाहिए और किस दल को बहुमत प्राप्त है, यह निर्णय सभा द्वारा किया जाना चाहिए, सरकार द्वारा नहीं। अब समय की मांग यह है कि उड़ीसा में शीघ्र से शीघ्र निर्वाचन कराया जाये ताकि वहां जनप्रिय शासन शीघ्र स्थापित हो जाये। परन्तु जो कारण बताया गया है वह अधिक तर्क संगत नहीं है। यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि उड़ीसा विधान सभा के चुनाव कराने में क्या कठिनाइयां हैं। श्री पंत ने यह तर्क दिया है कि राज्य के विकास कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना आवश्यक है। यदि ऐसी बात है तो अन्य राज्यों की विधान सभाओं को बनाए रखने का क्या औचित्य है ? परन्तु स्थिति इससे विपरीत है, उड़ीसा में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में आशातीत वृद्धि हुई है। मुझे समाचार पत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि उड़ीसा को दी जाने वाली गेहूं की सप्लाई में आधी कटौती कर दी गई है। यह राष्ट्रपति शासन का लाभ है। क्या यह दावा किया जा सकता है कि उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन के दौरान उद्योग, कृषि, शिक्षा, रोजगार आदि किसी भी मामले में कोई प्रगति हुई है ? जनता में यह धारणा फैलती जा रही है कि सरकार उड़ीसा में तब तक चुनाव नहीं कराना चाहती जब तक स्थिति उसके अनुकूल नहीं हो जाती। वहां भुखमरी से मौतें हुई हैं परन्तु सरकार इससे इनकार कर रही है। मैंने व्यक्तिगत रूप से उड़ीसा में देखा है कि स्थिति कितनी गम्भीर हो गई है। वहां लोकप्रिय सरकार न होने से जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपनी शिकायतों को सामने नहीं रख सकती है। इसलिए मेरी मांग है कि उड़ीसा में यथाशीघ्र चुनाव कराएं जाएं। यह सच है कि इस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि का बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है, परन्तु अब इसे और आगे न बढ़ाकर चुनाव कराए जाएं।

उड़ीसा में विधान सभा भंग कर दी गई है। परन्तु आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में विधान सभाओं को स्थगित किया गया है। इससे यह धारणा फैलती है कि जहां बहुमत में होते हुए भी कांग्रेस दल सरकार बनाने में असमर्थ है वहां विधान सभा स्थगित कर दी जाती है और जहां विपक्षी दलों को सरकार बनाने का अवसर मिलता है वहां विधान सभा को भंग कर दिया जाता है। उड़ीसा की यह घटनाएं समूचे देश के लिए एक गलत उदाहरण बन रही हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उड़ीसा में ऐसी स्थिति को यथाशीघ्र समाप्त करे।

**श्री जगन्नाथ राव** (छतरपुर) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। उड़ीसा के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने पद त्याग करके राज्यपाल से विधान सभा भंग करने की सिफारिश की थी। राज्यपाल ने स्थायी वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए विपक्षी दलों से कहा। उनके ऐसा न कर सकने की स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था।

अब प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रपति शासन की अवधि छः महीने के लिए और बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं। मंत्री महोदय ने अवधि बढ़ाने के पक्ष में तर्क देते हुए अनुच्छेद 82 का हवाला दिया है और

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

बताया है कि जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण में काफी समय लगेगा तथा सीमा निर्धारण आयोग ने उड़ीसा में अपना कार्य अभी आरम्भ नहीं किया है।

[ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the chair ]

आयोग ने अभी विभिन्न राज्यों का दौरा करके संबंधित व्यक्तियों के विचारों को जानना है और फिर बाद में निर्णय लिया जायेगा। स्वभावत: यह कार्य अगले वर्ष तक समाप्त होगा। इसलिए इतनी अवधि तक के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाये जाने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह कहना गलत है कि नगरपालिका के चुनावों के होने से विधानसभा के भी चुनाव हो सकते हैं। विधान सभा के चुनाव सीमा निर्धारण के उपरान्त ही होंगे। यह निश्चित ही है कि चुनावों के बाद कांग्रेस दल बहुमत में आ जाएगी।

उड़ीसा में हमेशा राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान रही है। इसका मुख्य कारण वहां सामंतवादी शक्तियों का प्राबल्य है। उड़ीसा में कोई भी सरकार अधिक समय तक सत्तारूढ़ नहीं रह सकती है। वहां सरकारों का बनना तथा बिगड़ना और राष्ट्रपति शासन का लागू होना चलता रहता है।

उड़ीसा की जनता स्थायी सरकार की आंकाक्षी है। राजनीतिक स्थिरता से राज्य की उन्नति तथा विकास होता है। उड़ीसा में मिली-जुली सरकार का शासन सफल सिद्ध नहीं हो सका है। 1967 में स्वतंत्र दल और जन कांग्रेस की मिली-जुली सरकार तथा 1971 में स्वतंत्र और उत्कल कांग्रेस की मिली-जुली सरकार अल्प अवधि तक सत्तारूढ़ रही।

उड़ीसा में स्वतंत्र दल के साथ जो भी दल सरकार बनाने के लिए आया, उससे हानि ही हुई है। इसलिए उड़ीसा में मिली-जुली सरकार असफल सिद्ध हुई है। इस समय उड़ीसा में स्थायी सरकार की आवश्यकता है।

चूंकि उड़ीसा वित्तीय वर्ष 1973-74 के दौरान राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत रहेगा इसलिए केन्द्रीय सरकार को राज्य की विभिन्न विकास संबंधी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि वहां विचाराधीन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके। यदि परियोजनाओं को पूरा नहीं किया गया तो इससे लोगों में असंतोष फैलेगा। आशा है कि राज्य सरकार पांचवीं योजना राज्य के संसाधनों को देखते हुए बनाएगी।

उड़ीसा के 13 जिलों में से 8 जिले स्थायी रूप से पिछड़े हुए हैं। इसका भूभाग पहाड़ी है। जब तक छोटी सिंचाई योजनाओं को महत्व नहीं दिया जाता तब तक आदिवासियों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। केन्द्रीय सरकार को न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास संबंधी कार्यों में तेजी लानी चाहिए और इसका व्यय भार स्वयं वहन करना चाहिए। राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि यह अन्य विकासशील राज्यों के बराबर आ सके। मुझे आशा है कि उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन का लाभ उठाया जायेगा और वहां का आर्थिक विकास किया जायेगा।

**श्री डी० के० पंडा** (भंजनगर) : उड़ीसा में राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। केन्द्रीय सरकार राज्य की समस्याओं को हल करने में लगी है, हमें भय है कि योजना की राशि को कम करके 535 करोड़ रुपये कर दिया जायेगा। मेरी मांग है कि उड़ीसा के लिए योजना राशि को कम से कम 1,000 करोड़ रुपये कर दिया जाये, राष्ट्रपति शासन की अवधि में 1,000 उठाऊ सिंचाई स्थानों में से केवल 50 उठाऊ सिंचाई स्थानों के लिए बिजली की व्यवस्था की गई है। 1972-73 के लिए 1849 परियोजनाओं में से 1167 पूरी हुई हैं। यदि शेष परियोजनाओं के लिए राशि दी जाती है तो उन्हें 31 मार्च 1974 तक पूरा किया जा सकता है। वसूली केवल 1½ लाख टन अनाज की हुई है जबकि लक्ष्य दो लाख टन अनाज का था। किसी भी बड़े जमाखोर अथवा थोक व्यापारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसके विपरीत जमाखोरों का विरोध करने वालों को गिरफ्तार किया गया है, राष्ट्रपति ने आह्वान किया था कि मूल्य वृद्धि रोकने के लिए जनता स्वयं आगे आये। परन्तु मूल्य वृद्धि का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों के साथ कड़ाई से पेश आया गया। मध्यम तथा छोटी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की गति धीमी पड़ गयी है, इनके लिए धन की व्यवस्था नहीं की गई है। केन्द्रीय सरकार मूक दर्शक की भांति इस स्थिति को देख रही है और उसे जनता के दुखों से कोई हमदर्दी नहीं है, केन्द्रीय सरकार का ध्यान केवल चुनाव पर केन्द्रित है, उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे राज्य के खाद्य उत्पादन में वृद्धि लाई जा सके।

रिपोर्ट से पता चलता है कि रबी की फसल बढ़ाने में सहायता देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया गया है, हमने यह प्रस्ताव दिया था कि यदि किसानों को खाद, बीज आदि मुहैया किये जाते हैं तो खाद्य उत्पादन बढ़ सकता है परन्तु ऐसा न करके सरकार विभिन्न आन्दोलनों को दबाने में धन व्यय करती रही है।

उदाहरण के लिए, कटक में बिजली कर्मचारियों की यूनियन ने सरकार के साथ समझौता किया था परन्तु सुपरिन्टेनडेंट इंजीनियर और अन्य विध्वंसक तत्वों ने बिजली लाइनों को भारी हानि पहुंचायी, जिन व्यक्तियों के विरुद्ध धन के गबन के आरोप थे, वे अभी भी सर्वोच्च पदों पर विराजमान हैं। राज्यपाल ने एक मुख्य इंजीनियर को स्थानान्तरित कर दिया था परन्तु राजनीतिक प्रभाव से उसे वापिस उसी पहले वाले स्थान में भेज दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इस कांड की जांच करायी जाए।

साम्यवादी दल ने उड़ीसा में अपना अभियान चलाकर जमा अनाज को बाहर निकालने में मदद की परन्तु सरकार ने इस अनाज को बेचने नहीं दिया। नौकरशाही अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने मिलकर इस आन्दोलन को दबाया तथा कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारियां कीं, वहां धारा 144 लागू कर दी गई, क्या यह लोकतंत्र है? इस सारे मामले की जांच की जानी चाहिए और भ्रष्टाचारी अधिकारियों को हटा दिया जाना चाहिए, बिजली बोर्ड में दो मुख्य इंजीनियरों के आपसी विवाद के कारण बालीमेला और रायगड़ा के लिए एक करोड़ मूल्य के टावर नहीं खरीदे जा सके हैं। राज्यपाल के ध्यान में यह बात लाये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को बिजली 16 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी जा रही है। इसी प्रकार घरेलू खपत के लिए दूसरी दर 28.6 पैसे प्रति यूनिट है, इसकी तुलना में बड़े विदेशी एकाधिकारियों को प्रति यूनिट दरों में रियायत दी गई है। इसलिए अन्त में मेरी मांग है कि मध्यम, छोटी सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक जोर देना चाहिए और चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बजट में धन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्रमिक संबंधी नीति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि दतारी आयरन और माइन्स लेबर यूनियन को बड़ी यूनियन होने के बावजूद मान्यता नहीं दी गई है, इससे स्थिति बिगड़ रही है, प्रशासनिक कार्य ठप्प पड़ रहा है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रशासनिक कार्य ठीक किया जाये तथा छोटी और मध्य दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं तथा केन्द्रीय परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य आरंभ किया जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री आर० वी० स्वामीनाथन, जिन्होंने आधे घंटे की चर्चा उठानी थी यहां नहीं हैं।

**एक माननीय सदस्य :** माननीय सदस्य कहां हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं नहीं जानता । हम इस पर छः बजे तक चर्चा करेंगे।

**श्री पी० जी० मावलंकर** (अहमदाबाद) : मैं जानना चाहता हूं कि संबंधित सदस्य की अनुपस्थिति में इस चर्चा का क्या होगा।

**उपाध्यक्ष महोदय :** इस संबंध में आवश्यक नियमों का पालन किया जायेगा। इस समय हम इस बारे में चर्चा क्यों करें ? **(व्यवधान)**

**श्री पी० गंगादेव** (अंगुल) : मैं केन्द्र सरकार से इस बात पर सहमत हूं कि उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन कुछ समय के लिए और बना रहना चाहिए। सरकार वहां शीघ्रातिशीघ्र विधान-सभा के चुनाव कराने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है तथा इस दौरान राज्यपाल को शासनाधीन प्रशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में भी बड़ा अच्छा कार्य हुआ है, हालांकि अभी बहुत कुछ करना शेष है। इस समय वहां विभागों तथा अधिकारियों के मध्य बेहतर ताल-मेल तथा परस्पर समझ-बूझ पैदा करने की आवश्यकता है और कर्मचारियों के मध्य "हटाओ झंझट" की भावना को दूर करना है। उड़ीसा अभी एक अविकसित राज्य है बल्कि यूं कहना चाहिए कि आजादी के बाद 25 वर्ष के शासन के पश्चात् भी यह राज्य एक पिछड़ा हुआ राज्य है। अतः इस राज्य की प्रगति के लिए एक दूरदर्शी तथा स्वच्छ प्रशासन की आवश्यकता है। वहां इस समय नौकरशाही तथा राजनीति दोनों में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसलिए लोकतंत्र तथा समाजवाद की खातिर हमें हर न्यायोचित कार्यवाही करनी है। मुझे आशा है कि विधान सभा के चुनावों के पश्चात् वहां लोक हितार्थ कार्यों में प्रगति होगी; निर्वाह स्तर के नीचे का जीवन बिता रहे वहां के लोगों को इन कार्यों से लाभ पहुंचेगा। सूखा, तूफान तथा बाढ़ से त्रस्त लोगों को राहत मिलेगी।

भूख के कारण लोगों की मृत्यु होने की बात को राज्यपाल ने स्वीकार नहीं किया है। ये मौतें सभंवतः पोषक आहार के कारण हुई होंगी। भुखमरी के कारण मौतों की जानकारी हमें नहीं है।

मेरा सुझाव है कि प्रशासनिक त्रुटियों तथा अकुशलताओं के लिए दायित्व निश्चित करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। साथ ही यह एक प्रसन्नता का समाचार है कि इस राज्य में एक नया उर्वरक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इसके लिए हम प्रधान मंत्री तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी सार्वजनिक मांगों को स्वीकार किया।

उड़ीसा सरकार ने 836.09 करोड़ रुपये की लागत वाली, जिसमें 216.11 करोड़ रुपये की लागत की न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी शामिल है, पांचवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा पेश किया है। विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए उपलब्ध शेष 619.97 करोड़ रुपये का 38 प्रतिशत भाग सिंचाई कार्यों पर तथा 34.7 प्रतिशत भाग विद्युत पर खर्च होना है। ये दोनों ही क्षेत्र अत्याधिक महत्वपूर्ण हैं। परन्तु मेरे विचार से यह योजना कुछ असन्तुलित सी है क्योंकि उद्योगों तथा खनिजों हेतु परिव्यय का केवल 5.6 प्रतिशत भाग ही नियत किया गया है जबकि निर्धारित नीति में यह कहा गया है कि विकास का सर्वाधिक जोर केन्द्रीय क्षेत्र में होगा जिसमें खनिज परियोजनाओं सहित बड़े पैमाने के तथा भारी उद्योग शामिल हैं। अतः पहले तो केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए कहीं अधिक राशि रखी जानी चाहिए। 27.31 करोड़ रुपये की राशि तो बहुत ही कम है। उड़ीसा औद्योगिक निगम के पास अनेक योजनायें हैं और दूसरी ओर वहां स्थानीय उद्यमियों का अभाव है। अतः सरकार स्वयं उन परियोजनाओं के प्राक्कलन आदि तैयार करे तथा वहां स्वयं ही नये उद्योग स्थापित करे। इसके लिए पर्याप्त धन राशि की आवश्यकता होगी। दूसरे छोटे पैमाने के तथा ग्रामीण उद्योगों के लिए 7.22 करोड़ रुपये की राशि भी बहुत थोड़ी है जबकि इन उद्योगों के कारण रोजागार क्षमता बढ़ती है तथा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में वृद्धि होती है। इसलिए योजना में छोटे उद्योगों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

मालूम हुआ है कि उड़ीसा में जमाखोरों से पकड़ा गया अनाज भारतीय खाद्य निगम को सौंपा जा रहा है। यह गलत है। वह अनाज उचित दर की दूकानों के माध्यम से जरूरत मन्द लोगों को सस्ते मूल्यों पर बेचा जाना चाहिये। इसके लिये अपेक्षित वितरण केन्द्र खोले जायें। मुझे डर है कि भारतीय खाद्य निगम तो इस संबंध में घोटाला कर देगा जैसा कि वह अब तक करता आ रहा है। राज्य के प्रशासनाधीन ही उचित वितरण प्रणाली बनायी जानी चाहिये।

समाचार पत्रों में वस्तुओं के अभाव का बड़ा प्रचार किया जाता है जिससे जमाखोरों को और अधिक जमाखोरी करने हेतु प्रोत्साहन मिलता है। दूसरी ओर, जांच विभाग भी जमाखोरों को पकड़ने तथा दण्डित करने में असफल रहा है जबकि इसी विभाग की कार्यकुशलता के फलस्वरूप केन्द्र या राज्यों में वितरण प्रणाली ठीक रह सकती है। अतः मैं तो पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य से सहमत हूं कि काला बाजार करने वालों तथा समाज-विरोधी तत्वों को आजीवन कारावास तथा तीसरी श्रेणी की जेल की सजा देने हेतु दण्ड संहिता में संशोधन किया जाना चाहिये। यही समय है जबकि ऐसे तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

**Shri Lalji Bhai** (Udaipur). The rift in congress prevented the coming up of a popular Government in Orissa and President's rule was promulgated there. At that time that was a right step. But I am against the proposal to extend the period of President's rule for another six months. Such extensions usurp the democratic rights of the peopel. Let there be elections and a popular Government.

At present the country is facing grave crisis as a result of roaring prices and adulteration in almost all the commodities. Moreover the people who protest against the shortage and adulteration are being dealt with bullets, as happend in Andhra Pradesh for instance. The condition of Orissa has been much more serious ever since the State

was affected by drought and floods. I, therefore, demand effective steps to same the people. It is possible only if a popular Government is formed there forthwith. I strongly demand for elections in the State and oppose the proposal of extending President's rule further.

**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** (भुवनेश्वर) : उड़ीसा में आज जैसी स्थिति व्याप्त है उसके अनुसार वहां राष्ट्रपति शासन को छः मास की अवधि के लिये और बढ़ाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है ।

राज्य सभा में मंत्री महोदय के आश्वासन तथा परिसीमन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अगामी 15 दिसम्बर तक परिसीमन का कार्य भी पूरा हो जायेगा तथा मतदाता सूची भी तैयार हो जायेगी और मुझे आशा है कि नववर्ष के आरम्भ में उड़ीसा में लोकतंत्रात्मक रीति से एक लोकप्रिय सरकार गठित हो जायेगी।

वर्ष 1973 उड़ीसा के लिये अत्यन्त नाजुक वर्ष है। चौथी योजना का यह अन्तिम वर्ष है और सारी पांचबीं योजना के प्रारूप में इस राज्य के लिये 836.09 करोड़ रुपये रखे गये हैं। जिसमें राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम के लिए 216 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। परन्तु योजना आयोग जिस ढंग से कटौतियां करता जा रहा है, मुझे डर है कि उड़ीसा पर भी उसका कुलहाड़ा अत्यधिक गंभीरता से चलेगा। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उड़ीसा की आवश्यकताऐं अन्य विकसित राज्यों की अपेक्षा बहुत गंभीर हैं तथा इस पिछड़े राज्य की समस्यायें बड़ी व्यापक भी हैं। आज देश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय में 135 रुपये का अन्तर है। इस पर भी जहां इस राज्य के लिए 836 करोड़ रुपये भी बहुत कम हैं वहां योजना आयोग उसे घटाकर 535 करोड़ करने का निर्णय कर रहा है। मेरा निवेदन है कि उड़ीसा के पिछड़ेपन को देखते हुए, वहां अनुसूचित जातियों तथा आदिवासियों की 65 प्रतिशत जनता को देखते हुए तथा साथ यह देखते हुए कि वहां के लोग गरीबी से भी नीचे के स्तर का जीवन बिता रहे हैं, इस राज्य के लिए विशेष प्राथमिकताएं निश्चित की जानी चाहिएं।

मेरा सुझाव है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान इस राज्य के लिए आगामी पांच वर्षों के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये के पूंजी-निवेश का प्रबंध किया जाना चाहिए। और योजना निर्धारण के संदर्भ में 1000 करोड़ की व्यवस्था की जानी चाहिए। महाराष्ट्र तथा गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक द्वारा 1000 करोड़ तथा 800 करोड़ रुपये का पूंजी-निवेश किया गया है। उड़ीसा के पिछड़ेपन तथा राष्ट्रीय प्रतिव्यक्ति आय की तुलना में इस राज्य की इतनी कम आय को देखते हुए बैंक वहां भी कम से कम 200 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष की दर से पूंजी-निवेश करे।

हम केन्द्र सरकार के आभारी हैं कि कटक-पारादीप रेल सम्पर्क माल यातायात के लिए खोल दिया गया है। साथ ही चिलका लेक में 16 करोड़ रुपये की लागत से नौसेना प्रशिक्षण स्कूल खोलने की घोषणा के लिए भी हम कृतज्ञ है। इससे लगता है कि केन्द्र सरकार उड़ीसा के पिछड़े पन को दूर करने को आतुर है।

केन्द्र सरकार ने हमें दो परियोजनाएं तो दी है परन्तु अन्य अनेक परियोजनाओं पर भी अभी उसको स्वीकृति मिलना शेष है। इन परियोजनाओं की आधार शिला गत वर्ष रखी गई थी। सरकार राष्ट्रपति शासन के दौरान ही इन परियोजनाओं को चालू कराये।

झाखपुरा-बांस पाणि रेल सम्पर्क न केवल उड़ीसा के लिए बल्कि पारादीप पत्तन के विकास के लिए भी अत्यावश्यक है। इसका इंजीनियरी सर्वेक्षण तो पहले ही हो चुका है। अब न जाने रेलवे विभाग इसमें क्यों विलंब कर रहा है। आगामी पंचवर्षीय योजना में इसे पूरा किया जाना चाहिए।

पारादीप में उर्वरक काराखाने की स्थापना संबंधी केन्द्र सरकार के निर्णय पर आगे तेजी से कार्यवाही की जानी चाहिए। साथ ही कास्टिक सोडा प्लांट तथा सोडा एश के प्लांट भी बनने चाहियें।

गोपालपुर में 60 से 65 करोड़ रुपये की लागत वाला परमाणु खनिज संयंत्र समूह भी तुरन्त स्थापित होना चाहिए। इसमें अब केवल केन्द्र सरकार के स्तर पर ही विलंब हो रहा है। तालचेर में सुपर तापीय विद्युत केन्द्र तथा पारादीप में जहाज निर्माण आदि भी तुरन्त बनना चाहिए। ये सभी परियोजनायें केन्द्र सरकार के पास पड़ी है तथा इन पर 1000 करोड़ रुपये की लागत आनी है।

इस प्रकार आगामी पांच वर्ष के लिए उड़ीसा पर लगभग 3000 करोड़ रुपये के परिव्यय का आधार बनाया जाना चाहिए और यह सब राष्ट्रपति शासन के दौरान हो।

**उपाध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य अब फिर किसी अन्य अवसर पर बोलें। अब सभा 22 अगस्त, 1973 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार 22 अगस्त, 1973/31 श्रावण 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 22, 1973/Sravana 31, 1895 (Saka).**



MGIPRRND—Sec. I Night——23 LSS/73—2-11 73.—490